# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र / Ninth Session ]

[खंड 35 में अंक 21 से 29 तक है / Vol. XXXV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

अंक 24, गुरुवार, 18 दिसम्बर, 1969/27 अग्रहायण, 1891 (शक)

*No. 24, Thursday, December 18, 1969/Agrahayana 27, 1891 (Saka)*

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:**


| ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 661 | फसल और खाद्य नीति का पुनर्मूल्यांकन | Harvesting and Reappraisal of Food Policy... | 2–7 |
| 662 | राजस्थान के अकाल पीड़ित कृषकों को बीज खरीदने के लिये केन्द्रीय सहायता | Central Aid to Famine affected Agriculturists of Rajasthan for purchase of Seeds ... | 7–11 |
| 663 | कलकत्ता में अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर | Super Power Transmitter at Calcutta ... | 11–13 |
| 664 | आकाशवाणी का राजनीतिक प्रचार के लिए कथित प्रयोग | Alleged USE of All India Radio for Po'itical Propaganda ... ... | 13–16 |
| 665 | अंग्रेजी समाचारपत्रों के आधिपत्य को समाप्त करने के लिये भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को सरकारी सहायता | Government help to Indian Language Newspapers to break Concentration of Newspapers in English ... ... | 16–18 |


**प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.**


| ता. प्र. सं./S.Q.Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 666 | संसद् सदस्यों को तारों के भेजने में देरी | Delay in Transmission of Telegrams to M. Ps. ... ... | 19 |
| 667 | छोटे कृषकों सम्बन्धी विकास एजेंसी | Small Farmers Development Agency ... | 19–20 |


---

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 668 | यांत्रिक तथा कृषि उपकरणों के लिए मैसूर को धन का नियतन | Allocation to Mysore for Mechanised and Agricultural Implements ... ... | 20 |
| 669 | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत तथा सतर्कता सैल | Complaints and vigilence Cells in Employees Provident Fund Organisation..... ... | 20 |
| 670 | स्मारक डाक टिकटों का जारी करना | Issue of Commemorative Postage Stamps ... | 21 |
| 671 | समाचारपत्र-पत्रिकाओं में साम्प्रदायिक लेख के प्रकाशन को रोकना | Checking of Communal Writings in Press ... | 21 |
| 672 | रोजगार दफ्तरों को रिक्त स्थानों के बारे में अनिवार्य रूप से अधिसूचित करना। | Compulsory notification of vacancies to Employment Exchanges ... ... | 21–22 |
| 673 | गोआ की खानों में ठेका प्रणाली | Contract System in Mines in Goa ... ... | 22 |
| 674 | पृष्ठ मूल्य अनुसूची का पुनः लागू करना | Reintroduction of Price Page Schedule ... | 22–24 |
| 675 | बम्बई तथा अन्य शहरों में समुद्र पार संचार अनुभाग के भवनों का निर्माण | Construction of Buildings of Overseas Communications Section in Bombay and other cities ... ... | 24–25 |
| 676 | केरल में सोवियत सहायता वाला केन्द्रीय प्रक्षेत्र | Soviet Aided Central Farm in Kerala ... | 25 26 |
| 677 | भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही | Criminal Proceedings against FCT Officers... | 26 |
| 678 | कलकत्ता में लगाये गये नये ट्रांसमिटर की क्षमता तथा कार्यकुशलता में सुधार | Improvement in Capacity and Capability of the new Transmitter installed in Calcutta | 27 |
| 679 | अहमदाबाद के दंगों के फोटो लिया जाना | Photographing of Ahmedabad Riots... ... | 27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 680 | घास और पशु चारे की सघन खेती के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा भू-सर्वेक्षण | Soil Survey by Indian Agricultural Research Institute for Intensive Cultivation of Grass and Cattle Feed ... .. | 28 |
| 681 | आई. पी. ओ /आई. आर. एम. एस./टी. एम. के. संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का आरक्षण | Reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Cadre of I. P. Os./I. R. Ms./T.Ms. | 28-29 |
| 682 | ढोरों के दूध में कमी | Fall in Milk Yield of Cattle ... ... | 29-30 |
| 683 | कर्मचारी राज्य-बीमा निगम के वित्तीय साधनों में वृद्धि | Augmentation of Financial Resources of Employees' State Insurance Corporation... | 30 |
| 684 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा गन्ने की नई किस्म का विकास | Development of a New Variety of Sugarcane by Indian Agricultural Research Institute ... ... | 30-31 |
| 685 | आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के तैयार करने में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ज्यादा दखल की मांग | Demand by West Bengal Government for greater say in Broadcasts from Calcutta Station ... ... | 31 |
| 686 | उर्वरकों के प्रयोग का अनाज पर कुप्रभाव | Ill-effects of Use of Fertilisers on Foodgrains | 32 |
| 687 | काश्मीर में चुकन्दर संस्था की स्थापना | Setting up of Beet Root Institute in Kashmir ... ... | 32 |
| 688 | आकाशवाणी द्वारा उर्दू में समाचारों का प्रसारण | All India Radio Urdu News Broadcast ... | 32-33 |
| 689 | यंत्रीकृत कृषि तथा परम्परागत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र | Area under Mechanised Cultivation and Primitive Cultivation ... ... | 33 |
| 690 | कृषि विशेषज्ञों की अंदमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा | Visit by Agricultural Experts to Andaman and Nicobar Island ... ... | 33-34 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4351 | बिजली से चलने वाली आटा मशीनें | Flour Mills run by Electricity ... ... | 34 |
| 4352 | केसर की आवश्यकता | Requirement of Saffron ... ... | 34–35 |
| 4353 | खाद के लिये गाय के रक्त से रक्त चूर्ण बनाने वाले उत्पादन केन्द्र | Production Centres of Cow Blood Meal for Manure ... ... | 35–36 |
| 4354 | राज्य सरकारों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि | Arrears of Employees' Provident Fund from State Governments ... ... | 36 |
| 4355 | तिलहनों की आवश्यकता | Requirement of Oilseeds ... ... | 37–38 |
| 4356 | मध्य प्रदेश में उपभोक्ता सहकारी भंडार को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Consumers' Cooperative Stores in Madhya Pradesh ... ... | 38 |
| 4357 | मध्य प्रदेश में चारा उत्पादन का फार्म | Farm for production of fooders in Madhya Pradesh ... ... | 38 |
| 4358 | मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों का उत्पादन | Production of Foodgrains and Cash Crops in Madhya Pradesh ... ... | 38–39 |
| 4359 | वर्तमान औद्योगिक संबंधी तथा कर्मचारियों सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अधिकारियों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान | Exchange of views of Officials on Current Industrial Relations and Personnel Problems ... ... | 39–40 |
| 4360 | भारत और आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच का टेलीविजन पर दिखाया जाना | Television Coverage of Cricket Test Match between India and Australia ... ... | 40 |
| 4361 | फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस द्वारा सरकार की नीति के विरुद्ध कार्य करना | Free News and Features Service against Government Policy ... ... | 40–51 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4362 | भारतीय पत्र-पत्रिकाओं के लिए पश्चिम जर्मनी का धन | West German Money for Indian Papers ... ... | 41 |
| 4363 | सुपर बाजार प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित शिकायतें | Alleged Complaints against Chairman of Super Bazar Managing Committee ... | 41 |
| 4364 | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये मांगा गया धन | Amount demanded by Madhya Pradesh for Construction of Roads ... ... | 41–42 |
| 4365 | कम लागत की फिल्मों के लिये ऋण | Loans for Low Cost Films ... | 42 |
| 4366 | युवक कल्याण योजनायें | Scheme for Youth Welfare .. ... | 42–43 |
| 4367 | कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रबात के मामले पर सर्वसम्मत राय का प्रसारण | Broadcast of Consensus on Rabat Issue in C.P.P. Meeting ... ... | 43–44 |
| 4368 | चलचित्रों की कमी | Shortage of Black White Films ... ... | 44 |
| 4369 | मंत्रियों द्वारा की गई ट्रंक कालों के बिल | Trunk Call Bills of the Ministers ... ... | 44 |
| 4370 | नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा के डिब्बे को काटना | Detachement of R. M. S. Bogie at New Delhi Station .. ... | 45 |
| 4371 | बम्बई पत्तन में श्रमिकों द्वारा हड़ताल | Strike by Labourers at Bombay Port... ... | 45 |
| 4372 | संसद् सदस्यों के टेलीफोनों को बीच में सुनना | Tapping of Telephones of M.P.s. ... ... | 46 |
| 4373 | आन्ध्र प्रदेश में तूफान | Cyclone in Andhra Pradesh ... ... | 46 |
| 4374 | टेलीफोनों को बीच में सुनने तथा डाक को मार्ग खोलने सम्बन्धी संसद् सदस्यों की शिकायतें | Complaints of M. Ps. regarding tapping of Telephones and tampering of Mails ... | 46–47 |

| तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd. | | |
| 4375 अन्दमान द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुविधायें | Facilities for Ex-servicemen in Andaman Islands ... ... | 47–48 |
| 4376 चण्डीगढ़ में दूध की सप्लाई | Milk Supply in Chandigarh .. | 48–49 |
| 4377 भूमि सुधार सम्बन्धी विधान को क्रियान्वित करने के लिये संविधान में संशोधन | Amendment of Constitution to give effect to Land Reforms Legislation ... — | 49 |
| 4378 ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कृषि सस्थानों में स्थानों का आरक्षण | Reservation of Seats for Students of Rural Areas in Agricultural Institution ... | 49–50 |
| 4379 त्रिपुरा में भूमि लगान की छूट | Exemption from Land Revenue in Tripura .. | 50 |
| 4380 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उर्वरक उद्योग को अधिक ऋण देना | Allocation of Larger credits to Fertilisers Industry by Nationalised Banks .. ... | 50-51 |
| 4381 बिहार में श्रमिक अशान्ति | Labour unrest in Bihar ... ... | 51 |
| 4382 रांची में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता | Project Allowance to Central Government Employees in Ranchi — ... | 51-52 |
| 4383 टेलीविजन उपग्रह कार्यक्रम के लिये निगम | Corporation for Television Satellite Programme | 52 |
| 4384 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों द्वारा रुग्णता लाभ के लिए प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब | Delay in issue of certificates by Employees State Insurance Corporation Dispensaries for payment of Medical Benefits .. ... | 52–53 |
| 4385 कोयला खानों में श्रम विवाद | Labour Disputes in Coal Mines ... — | 53 |
| 4386 कम्पनियों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना | Employees State Insurance Scheme in Companies ... ... | 53–54 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4387 | समाचारपत्रों के कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाना | Non-Payment of Salaries to the Employees of Newspapers for the period of Strike ... | 54 |
| 4388 | संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात | Import of rice from UAR ... | 54–55 |
| 4389 | बाढ़ के कारण बिहार में भादई और अगहनी फसलों का विनाश | Destruction of Bhadia and Aghani Crop in Bihar due to floods ... ... | 55 |
| 4390 | कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली के डाक्टरों के साथ मारपीट | Manhandling of Doctors of the Employees State Insurance Corporation, Delhi ... ... | 55–56 |
| 4391 | पत्रकारिता के लिये प्रशिक्षण संस्थान | Training Institutes for Journalism ... | 56 |
| 4392 | बिहार काश्तकारी अधिनियम के अधीन शिकमी काश्तकार (सब टेनेंत) की स्थिति | Position of Sub-tenants under Bihar Tenancy Act ... ... | 56–57 |
| 4393 | बिहार साहूकारा अधिनियम का उल्लंघन | Violation of Bihar Money Lenders' Act ... | 57–58 |
| 4394 | चन्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये लम्बित आवेदन पत्र | Applications pending for Telephone Connections in Chandigarh ... ... | 58 |
| 4395 | जम्मू तथा काश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य सीमा क्षेत्रों में डाकघर | Post Offices in Hilly areas of Jammu and Kashmir and other border areas ... ... | 58–59 |
| 4396 | कोचीन अथवा एलप्पी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण | Constructions of a Fishing Harbour at Cochin or Alleppey ... ... | 59-60 |
| 4397 | मछली पकड़ने की नावों का निर्माण | Manufacture of Fishing Trawlers ... ... | 60-61 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4398 | राज्यों में बाढ़ तथा अत्यधिक वर्षा से अनाजों को क्षति | Loss of Food Crop due to floods and Heavy Rains in States ... ... | 61 |
| 4399 | राज्यों में पुनर्वास की समस्या | Rehabilitation Problems in Certain States ... | 62–63 |
| 4400 | दिल्ली में राशन की दुकानों पर चीनी का अधिक मूल्य | High Price of Sugar in Ration shops in Delhi | 63 |
| 4401 | भूमि सुधारों के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन | Conference of Chief Ministers on Land Reforms ... ... | 63–64 |
| 4402 | विज्ञापनों के प्रसारण से आय | Income from Commercial Broadcasts... ... | 64–65 |
| 4403 | कोयम्बटूर के एम्प्लाइज कोआपरेटिव स्टोर को हानि | Loss incurred by Employees Co-operative Stores, Coimbatore ... ... | 65 |
| 4404 | ट्यूबवैलों की खुदाई के लिये केन्द्रीय सहायता | Central Assistance for drilling of Tube Wells | 65 |
| 4405 | 'अधिक अनाज उपजाओ' अभियान के अन्तर्गत कृषि उपकरणों की खरीद के लिये धन | Funds for purchase of Agricultural Implements under Grow More Food Campaign | 65–66 |
| 4406 | बांदा, उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करना | Implementation of Lift Irrigation Schemes in Banda, Uttar Pradesh ... ... | 66 |
| 4407 | 20 जिलों में छोटे कृषकों के लिये विकास एजेंसी | Development Agencies for Small Farmers in 20 Districts ... ... | 67 |
| 4408 | सिन्दरी उर्वरक कारखाने में कर्मचारियों की समस्यायें | Staff Problems in Sindri Fertilizer Factory | 67 |
| 4409 | ग्राम सहकारी क्रय तथा विक्रय समिति, कार निकोबार | Village Co-operative Sale and Purchase Society, Car Nicobar ... ... | 68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4410 | भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जित लाभ | Profit earned by Food Corporation of India | 68 |
| 4411 | जयपुर के निकट मोरिजा में लौह अयस्क की खान में हुई दुर्घटना के कारण मारे गये व्यक्ति | Persons killed due to Accident in an Iron Ore Mine at Morija Near Jaipur ... ... | 68–69 |
| 4412 | त्रिसूत्रीय पचायती राज कार्यक्रम की कियान्विति | Implementation of Three Point Panchayati Raj Programme ... ... | 69 |
| 4414 | मध्य प्रदेश के आदिवासियों और हरिजनों को भूमि का पट्टे पर न दिया जाना | Stoppage of Leasing of Land to Adivasis and Harijans in Madhya Pradesh ... ... | 69 |
| 4415 | अरबी टेलीप्रिंटर का निर्माण | Manufacture of Arabic Teleprinters ... ... | 70 |
| 4416 | विद्युत चालित हलों का आयात | Import of Power Tillers ... .. | 70 |
| 4417 | राज्यों में कृषि उद्योग निगम | Agro-Industrial Corporations in States ... | 70–71 |
| 4418 | पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास | Rehabilitation of Refugees from Pakistan ... | 71–73 |
| 4419 | तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास | Resettlement of Tibetan Refugees .. ... | 73 |
| 4420 | सहकारी आन्दोलन | Co-operative Movement ... .. | 73–74 |
| 4421 | राज्य मंत्री द्वारा मंजूर किये गये टेलीफोन | Telephones Sanctioned by Minister of State | 74–75 |
| 4422 | समाचार भारती के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन | Memorandum by Samachar Bharti Employees | 75 |
| 4423 | आकाशवाणी के कलाकारों / निर्माताओं को आकाशवाणी से बाहर काम करने की अनुमति | Grant of Permission to Artistes/Producers to undertake work outside A.I.R.... ... | 75 |

| अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.** | | |
| 4424 श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों का पुनर्वास | Rehabilitation of Repatriates from Ceylon ... | 75–76 |
| 4425 सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव ट्रांसमिशन) सुविधाओं के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से प्राप्त आवेदन पत्र | Applications for Microwave Transmission Facilities from IAC ... ... | 76 |
| 4426 प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को वर्ष में सौ दिन रोजगार देने की गारण्टी | Guarantee of Employment for hundred days in a year to every Unemployed Person ... | 76–77 |
| 4427 विदेशी टेलीविजन संगटनों के कार्य की जांच | Censuring of functioning of Foreign T. V. Organisations ... .. | 77 |
| 4428 उत्तर प्रदेश में वाराणसी में टेलीफोनों के विचाराधीन आवेदन पत्र | Pending Applications for Telephone in Varanas: Division, U.P. ... ... | 77–78 |
| 4429 कृषकों को भूमि का वितरण | Distribution of Land to the Tillers ... ... | 78 |
| 4430 रांची में डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का न मिलना | Non Payment of Project Allowance to P & T Employees, Ranchi ... ... | 79–79 |
| 4431 दिल्ली दुग्ध योजना के दुध केन्द्रों में प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक के रूप में काम कर रहे विद्यार्थियों से विद्यार्थी होने का प्रमाणपत्र | Certificate of studentship from Students working as Managers and Assistants in Milk Depots of D.M.S. ... .. | 79 |
| 4432 दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धकों और सहायकों के वेतन में कमी | Reduction in Salary of Managers and Assistants in DMS Depots ... ... | 79–80 |
| 4433 कन्टाई, पश्चिम बंगाल में धान की सघन खेती | Intensive cultivation of Paddy in Contai, West Bengal ... ... | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4434 | भारत के विरुद्ध पाकिस्तान रेड़ियो का प्रचार | Pakistan Radio Propaganda against India ... | 80 |
| 4435 | शरणार्थियों के बसाने के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता | Assistance to West Bengal for Rehabilitation of Refugees ... ... | 80 |
| 4436 | दक्षिण भारत के राज्य में चावल के मूल्य में वृद्धि | Rise in price of rice in Southern States ... | 81 |
| 4437 | प्रधान मंत्री समर्थक प्रदर्शनों का आकाशवाणी के प्रसारणों में विस्तार से उल्लेख | Coverage by AIR of Demonstrations supporting Prime Minister ... ... | 82 |
| 4438 | चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि सुधार | Land Reforms during Fourth Plan ... ... | 82 |
| 4439 | टेलीविजन की प्रगति में भारत का पाकिस्तान से पीछे रह जाना | India lagging behind Pakistan in Progress of T.V. .. ... | 82-83 |
| 4440 | डाक टिकट जारी करने के लिये महान व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण अवसरों का चयन | Selection of Personalities and events for issue of Postage Stamps ... ... | 83-84 |
| 4141 | युववाणी द्वारा युवकों के लिये उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम | Purposeful programme for the Youth through Yuv Vani ... .. | 84–85 |
| 4442 | पी. एल. 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात | Import of Foodgrains under PL 480 ... ... | 84-85 |
| 4443 | अनाज का समान वितरण | Equitable distribution of Foodgrains... ... | 85-86 |
| 4444 | अनाज का रक्षित भंडार | Buffer Stock of Foodgrains ... ... | 86 |
| 4445 | नलकूपों के लिये राजस्थान को केन्द्रीय अनुदान | Central Grant to Rajasthan for Tube-Wells... | 86–87 |
| 4446 | केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सहायनगर, पटना में श्रमिकों की भर्ती | Recruitent of Workers in the Central Potato Research Institute Sahai Nagar, Patna ... | 87-88 |

| अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd. | | |
| 4447 विहार के खेतिहर मजदूरों को बासगीत भूमि का आवंटन | Allotment of Basgeet Land to Agricultural Labourers of Bihar ... ... | 88 |
| 4448 बीज निगम से उन्नत बीजों की खरीद | Aid to Mysore for purchase of Improved seeds from Seeds Corporation ... ... | 88-89 |
| 4449 सीमेंट उद्योग में दक्ष श्रमिकों की कमी | Shortage of skilled Labour in Cement Industry .. | 89 |
| 4450 मधुबन्द कोयला खान में तालाबन्दी | Lock out in Madhuband Colliery ... | 89–90 |
| 4451 धनवाद कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि लेखा स्लिपों की सप्लाई | Supply of Provident Fund Account Slips to Workers in Dhanbad Coal Field ... ... | 90 |
| 4452 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खेती | Cultivation in Andaman and Nicobar Islands | 90–91 |
| 4453 विज्ञापन प्रसारणों के आरम्भ होने से विविध भारती के कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट | Deterioration in Vividh Bharti Programme owing to introduction of Commercial Broadcasts ... ... | 91–92 |
| 4454 बिहार में कृषि क्रांति | Green Revolution in Bihar ... | 92 |
| 4455 चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य सामग्री आयात | Import of food during the Fourth Five Year Plan period ... ... | 92–93 |
| 4456 मधुबनी डिवीजन(बिहार) मे नये डाकघर खोलना | Opening of new Post Offices in Madhubani Division (Bihar) ... ... | 93 |
| 4457 विदेशी समाचार एजेंसियों से भारतीय समाचार एजेंसियों क लिये समाचार एकत्र करने को व्यवस्था | Arrangement for collection of News from Foreign News Agencies for Indian News Agencies ... ... | 94 |
| 4558 फिल्म निगम का बनाना | Formation of a Film Corporation ... ... | 94 |
| 4459 वनस्पति घी में रंग मिलाना | Colourisation of Vanaspati Ghee ... ... | 94–95 |
| 4460 प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ | International Union of Conservation of Nature | 95 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4461 | गोआ में डेरी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता | Central assistance for dairy projects in Goa | 95–96 |
| 4463 | टाइपिंग और शार्टहैंड के लिये लन्दन चैम्बर आफ कामर्स परीक्षा के प्रमाण-पत्र को मान्यता | Recognition of the London Chamber of Commerce Examination Certificate for Typing and Shorthand ... ... | 96 |
| 4464 | पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का आसाम में पुनर्वास | Resettlement of Refugees from East-Pakistan in Assam .. ... | 96–97 |
| 4465 | खतौली इंजीनियरिंग वर्क्स, खतौली, उत्तर प्रदेश | Khatauli Engineering Works, Khatauli, U.P. | 97 |
| 4466 | श्रमिक हड़तालों तथा तालाबन्दी पर लगाया गया प्रतिबन्ध | Restriction imposed on Labour Strikes and lock outs ... ... | 97–98 |
| 4467 | खाद्य निगम में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति | Promotions for Class IV Employees Working in Food Department ... ... | 98 |
| 4468 | खाद्य विभाग में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की स्थिति | Position of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees working in Food Department ... ... | 98–99 |
| 4469 | चीनी के निर्यात सम्बन्धी नीति | Policy for Export of Sugar ... ... | 99–100 |
| 4470 | ट्रैक्टरों का आयात | Import of Tractors ... ... | 100–101 |
| 4471 | कृषि के लिये बिजली की दरें | Electricity rates for Agriculture ... ... | 101 |
| 4472 | चीनी उद्योगों को सहकारी क्षेत्रों में लाना | Co-operativisation of Sugar Industries ... | 102 |
| 4473 | कृषि के लिये दी जाने वाली बिजली पर लगे कर का सर्वेक्षण | Survey of the incidence of Tax on Electricity for Agriculture ... ... | 102–103 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4474 | मैसूर की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए धन राशि | Funds for Minor Irrigation Schemes in Mysore ... ... | 103 |
| 4475 | वनस्पति घी के मूल्य | Price of Vanaspati Ghee ... ... | 103 |
| 4476 | हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश गेहूँ की ई. ए. 222–1 लाल बहादुर नामक नई किस्म की खेती | Cultivation of New Variety of Wheat of EA 222–1 Lal Bahadur in Haryana, Rajasthan and U.P. ... ... | 104 |
| 4477 | सोयाबीन का विकास, उत्पादन, बिक्री तथा खपत | Development, production Marketing and consumption of Soyabeans ... ... | 104–105 |
| 4478 | केरल के लिये कीटनाशी सामग्री तथा उपकरण खरीदने हेतु चौथी योजना में धन का नियतन | Allocation of Funds for purchase of Pest Control materials and equipment for Kerala under Fourth Plan ... ... | 105 |
| 4479 | दक्षिण भारत के कालीकट तथा अन्य आकाशवाणी केन्द्रों की वोल्टेज का बढ़ाया जाना | Increased Voltage for Calicut and other All India Radio Stations of South ... ... | 105 |
| 4480 | केन्द्रीय यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र सूरतगढ़ का राजकीय कृषि निगम प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण | Handing of Central mechanised Agriculture Farm, Suratgarh to State Agricultural Corporation, Private Ltd. ... | 106 |
| 4481 | सहकारी समितियों को हानि और इनके आधार ढांचे में परिवर्तन | Losses suffered by Cooperative Societies and change in its structural base ... ... | 106–107 |
| 4482 | दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन | Government Advertisements to Dailies and Journals ... ... | 107-108 |
| 4484 | खाद्यान्नों का आयात | Import of Foodgrains ... ... | 108 |
| 4485 | संसद् सदस्यों द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किया जाना | Tributes paid to former Speaker by M.Ps. blacked out by AIR .. ... | 108–109 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4486 | डाक तथा तार सर्कल उत्तर प्रदेश में टेली-ग्राफिस्टों की वरीयता में परिवर्तन | Change in the Seniority of Telegraphis in P & T Circle U.P. — ... | 109 |
| 4487 | रेड्डी वालों आदि की सहकारी समितियां बनाना | Formation of Cooperative Societies of Rahriwalas etc. — ... | 110 |
| 4488 | टेलीफोन सलाहकार समिति, लखनऊ | Telephone Advisory Committee, Lucknow ... | 110 |
| 4489 | डाक विभाग में कुप्रबन्ध | Mismanagement in Postal Department ... | 110-111 |
| 4490 | उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Sugar Industry in U.P. ... | 111 |
| 4491 | राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कृषि एपेक्स बैंकों द्वारा किसानों को ऋण | Loans to Farmers by Nationalised Banks and Agricultural Apex Banks ... — | 111 |
| 4492 | सामान्य टेलीफोन निर्देशिका जांच प्रणाली दिल्ली का कार्य | Working of the General Telephone Director Enquiry System in Delhi ... .. | 112 |
| 4493 | कोटा, राजस्थान में मीन उद्योग विभाग की स्थापना | Setting up for Fisheries Department in Kota, Rajasthan ... ... | 112 |
| 4494 | कोटा राजस्थान में मत्स्य पालन उद्योग की प्रगति | Progress of Fisheries in Kota, Rajasthan ... | 112–113 |
| 4495 | नीलोखेड़ी में बसने वालों से धन की वसूली | Recovery of Amount from the Settlers at Nilokheri ... ... | 113 |
| 4496 | नीलोखेड़ी कालोनी पर खर्च किया गया धन | Expenditure incurred on Nilokheri Colony ... | 113 |
| 4497 | बूचड़खानों में काम करने वाले लोगों की संख्या | Persons employed in Slaughter Houses ... | 113–114 |
| 4498 | संसद् में हिन्दी में दिये गए भाषणों की रिपोर्टिंग करने के लिये और अधिक हिन्दी संवाद-दाताओं की आवश्यकता | Need for more Hindi Press Correspondents for reporting Hindi Speeches in Parliament ... ... | 114 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4499 | हापुड़ टेलीफोन एक्सचेंज में सीधे टेलीफोन करने की सुविधायें | Direct Telephone facilities from Hapur Telephone Exchange ... ... | 114-115 |
| 4500 | सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के हिन्दी समाचार विभाग के लिये स्वतन्त्र दर्जा | Independent status for Hindi News Department of I and B. Ministry ... ... | 115 |
| 4502 | दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की सहकारी गृह-निर्माण संस्था | Delhi School Teachers Cooperative House Building Society .. | 115–116 |
| 4503 | विज्ञापन प्रसारणों से होने वाली आय का टेलीविजन तथा प्रसारण सेवा के विस्तार के लिये उपयोग | Income out of Commercial Broadcasts to be utilized for expansion of Television and Broadcasting services ... ... | 116 |
| 4504 | भारत और विदेशों में उर्वरकों की खपत | Consumption of Fertilizer in India and Foreign Countries ... ... | 117 |
| 4505 | आकाशवाणी, दिल्ली का विस्तार | Expansion of All India Radio, Delhi ... | 117–118 |
| 4506 | फिल्मों में चुम्बन के प्रदर्शन की अनुमति देने के पक्ष तथा विपक्ष में अभ्यावेदन | Representations for and Against Introduction of Kisses in Films ... ... | 118 |
| 4507 | कुमांऊ क्षेत्र में भूमिहीन लोगों का पुनर्वास | Rehabilitation of Landless People in Kumaon Region ... ... | 118 |
| 4508 | आकाशवाणी के मथुरा केन्द्र से प्रसारित होने वाला ब्रज माधुरी कार्यक्रम का प्रसारण | Broadcast of Brij Madhuri Programme from AIR Mathura ... ... | 119 |
| 4509 | आकाशवाणी के मथुरा केन्द्र में प्रोड्यूसर की नियुक्ति | Appointment of Producer at AIR Station, Mathura .. ... | 119 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4510 | आकाशवाणी के मथुरा केन्द्र से प्रातःकालीन प्रसारण | Morning Broadcasts from AIR Mathura ... | 119–120 |
| 4511 | श्री चन्दगीराम को भारत भीम पुरस्कार दिये जाने का समाचार | News of Bharat Bhim Award to Shri Chandgi Ram ... — | 120 |
| 4512 | निर्यात के लिये आमों की नई किस्मों का विकास | Development of new varieties of Mangoes for Export ... ... | 120-121 |
| 4513 | ट्रिपिल ड्वार्फ गेहूं के बारे में अनुसधान | Research in triple Dwarf Wheat — | 121 |
| 4514 | मक्का का उत्पादन | Production of Maize ... ... | 121-122 |
| 4515 | देश में अनाज की कमी | Food deficit in the country ... .. | 122 |
| 4516 | कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सुविधायें | Facilities to East Pakistan Refugees in Kalkaji Colony, New Delhi ... ... | 123 |
| 4517 | कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में स्कूलों औषधालयों तथा मार्किट का निर्माण | Construction of Schools, Dispensaries and Markets in Kalkaji Colony, New Delhi... | 123 |
| 4518 | पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में प्लाटों का आवंटन | Allotment of Plots in Delhi to Displaced Persons from West Pakistan ... ... | 124 |
| 4519 | पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना | Allotment of plots to East Pakistan Refugees in Kalkaji Colony, New Delhi ... .. | 124-125 |
| 4520 | रेलवे डाक सेवा कार्यालय, कोयम्बटूर में अधिक स्थान के लिये अभ्यावेदन | Representation for more accommodation in RMS Office, Coimbatore ... ... | 125 |

| अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd. | | |
| 4521 राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के कार्यालय को बंगलौर ले जाना | Shifting of Office of National Council of Safety in Mines to Banagalore ... ... | 125 |
| 4522 मैसर्स के वोरहा एण्ड कम्पनी धनबाद, के विरुद्ध चलाये गये खनन उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के मामलों को वापिस लेने का आरोप | Alleged withdrawal of cases of Infringement of Mining Provisions by M/s K. Worah and Co. Dhanbad ... ... | 125-126 |
| 4523 डी. डी. जी. एम. आफ सेफटी के रिक्त पद को भरना | Filling of the vacancy for the post of DDGM of Safety ... ... | 126 |
| 4524 डाक तार विभाग में कार्य करने वाले महिला कर्मचारी | Female Employees working in the P & T Department ... ... | 126 |
| 4525 रूसी दूतावास द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं | Manazines in Indian Languages brought out by Russian Embassy ... ... | 126-127 |
| 4527 हिन्दी में समाचार प्रसारित करने के लिये व्यवस्था | Arrangement for Broadcasting News in Hindi | 127 |
| 4628 मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर शुल्क (प्रीमियम) | Premium on Land Allotted to Displaced persons in Manipur .. ... | 127-128 |
| 4529 गायन और वाद्यसंगीत के लिये आकाशवाणी का समय नियत करने का तरीका | Method of Allotment of time by AIR for vocal and Instrumental Music ... ... | 128 |
| 4530 दिल्ली दुग्ध योजना, द्वारा मेटों के रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों से वैल्डरों का काम लेना | Mates Recruited by Delhi Milk Scheme working as Welders ... ... | 128-129 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4531 | सुपर फास्फेट उर्वरक की खपत | Consumption of Super Phosphate Fertilizer... | 129-130 |
| 4532 | दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले मेटों की शैक्षिक अर्हतायें | Educational Qualifications of Mates Working in Delhi Milk Scheme ... ... | 130 |
| 4533 | गन्ने से चीनी की प्राप्ति | Recovery of Sugar from Sugarcane ... ... | 130-131 |
| 4534 | भारतीय लोक मत संस्था द्वारा आकाशवाणी की प्रतिष्ठा का सर्वेक्षण | Survey of Image of All India Radio by Indian Institute of Public Opinion ... ... | 131 |
| 4535 | आसाम में एक नया तार डिवीजन बनाया जाना | Creation of a new Telegraph Division in Assam ... ... | 131-132 |
| 4536 | डाक तथा तार विभाग के सेंट्रल आसाम डिवीजन का विभाजन | Bifurcation of Central Assam Division of P & T Department .. | 132 |
| 4537 | बाढ के कारण फसलों और ढोरों को हानि | Damage to crops and cattle due to floods ... | 132 |
| 4538 | महा डाक पाल तथा अन्य डाक तार अधिकारियों का कार्यकाल | Tenure of Postmaster General and other P & T Officers ... ... | 133 |
| 4539 | काश्मीर में चुकन्दर बीज प्रक्षेत्र की स्यापना हेतु डेनमार्क का सहयोग | Danish Collaboration for a beest seed Farm in Kashmir ... ... | 133-134 |
| 4540 | बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को मद्रास में बसाना | Resettlement of reparatiates from Burma in Madras ... ... | 134 |
| 4541 | गांधी डाक टिकट कार्ड तथा लिफाफे | Gandhi Postage Stamps, Cards and Covers | 134 |
| 4542 | गन्ने पर खरीद कर | Purchase Tax on Sugarcane ... ... | 135 |
| 4543 | दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा नई बस्तियों में नये दुग्ध वितरण केन्द्र खोलना | Opening of more Depots in New Colonies by DMS ... ... | 135-136 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | |
|---|---|---|
| 4544 सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों के किसानों की आय में अन्तर | Disparity of Income between Farmers of Irrigated and Dry Farming Areas ... | 136 |
| 4545 विमान द्वारा वनों में वृक्षों के बीज डालना | Aerial Seeding of Forest Trees ... | 136-137 |
| 4546 फसल के समय कृषिक उत्पादों के मूल्यों का कम हो जाना | Fall in Price of Agricultural Products during Harvest Seasons . — | 137 |
| 4547 पंचायती राज विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार | Improvement in Service Conditions of Staff Working in Panchayati Raj Department ... | 137-138 |
| 4548 1971 तक अनाज के मामले में आत्म निर्भरता | Self Sufficiency in Food by 1971 ... ... | 138 |
| 4549 ट्रैक्टर वितरण योजना | Tractor Distribution Scheme | 138-139 |
| 4550 बिहार के गया टाउन में पत्थर निकालने के कार्य को रोका जाना | Stoppage of Works at Stone Quarries in Gaya Town, Bihar ... ... | 139-140 |
| दिनांक 20 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 679 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण | Statement Correcting Answer to U.S.Q. No. 679 dated 20-11-1969 ... ... | 140 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ... ... | 141-147 |
| रूसी दूतावास द्वारा त्रिवेन्द्रम में एक सांस्कृतिक केन्द्र के अनधिकृत निर्माण का समाचार | Reported unauthorised construction of Cultural Centre at Trivandrum by the Soviet Embassy ... ... | 141 |
| श्री विश्वनाथ पाण्डेय | Shri Vishwanath Pandey ... ... | 143 |
| श्री दिनेश सिंह | Shri Dinesh Singh ... ... | 143 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न | Question of Privilege against Minister of Education and Youth Services ... ... | 148-149 |
| लोक सभा का अवमान करने पर दी गई सजा का कम किया जाना | Remission of sentence for contempt of Lok Sabha ... ... | 149-150 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table ... | 150 |
| राज्य-सभा से सन्देश | Message from Rajya Sabha ... | 150 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति | Committee on Absence of Members from Sittings of the House ... ... | 151 |
| 12वां प्रतिवेदन | Twelfth Report ... ... | 151 |
| अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति | Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ... ... | 151 |
| तीसरा प्रतिवेदन | Third Report ... ... | 151 |
| जमशेदपुर के इंजीनियरी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Strike of Engineering Workers at Jamshedpur ... ... | 151-152 |
| श्री भागवत झा आजाद | Shri Bhagwat Jha Azad ... ... | 151 |
| कार्य-मंत्रणा समिति | Business Advisory Committee ... ... | 152-153 |
| 43वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव | Motion re-Forty-third Report ... ... | 152 |
| एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक | Monopolies and Restrictive Trade Practics Bill ... ... | 154 |
| खंड 3 से 67 और 1 | Clauses 3 to 67 and 1 ... ... | 154-183 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass ... ... | 183 |
| श्री हिम्मतसिंहका | Shri Himatsingka ... ... | 183 |
| श्री देवकी नन्दन पाटोदिया | Shri D. N. Patodia ... ... | 183 |

| | | |
|---|---|---|
| श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी | Shri S. S. Kothari | 184 |
| श्री शिव चन्द्र झा | Shri Shiv Chandra Jha | 185 |
| श्री स. कुन्दू | Shri S. Kundu ... | 185 |
| श्री अहमद आगा | Shri Ahmed Aga ... — | 186 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta ... | 186 |
| श्री चन्द्रिका प्रसाद | Shri Chandrika Prasad ... ... | 186 |
| श्री फखरूद्दीन अली अहमद | Shri F. A. Ahmed ... .. | 186 |
| **विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा विदेशी मुद्रा विनियमन संशोधन विधेयक** | Statutory Resolution Re. disapproval of Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance; and Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill ... ... | 188-193 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta ... ... | 188 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider ... ... | 188 |
| श्री प्र. चं. सेठी | Shri P. C. Sethi ... ... | 189 |
| श्री हिम्मतसिंहका | Shri Himatsingka .. ... | 190 |
| श्री के. एम. अब्राहम | Shri K. M. Abraham ... — | 191 |
| श्री शिव चन्द्र झा | Shri Shiva Chandra Jha ... ... | 193 |

# लोक–सभा
## LOK--SABHA

---

**गुरुवार, 18 दिसम्बर, 1969/27 अग्रहायण, 1891 (शक)**
*Thursday, December 18, 1969/Agrahayana 27, 1891 (Saka)*

---

**लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock*

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair* }

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**अध्यक्ष महोदय :** जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, श्री मधु लिमये ने कुछ प्रश्नों के शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था और उन्हें बताया गया था कि प्रश्न उस समय सूची में था। वह तब मेरे दफ्तर में आये और मुझे बताया कि उनसे भूल हो गई थी। मुझे खेद है कि प्रश्न के सूची में होने के बावजूद बात इतनी बढ़ाई गई।

**डा० राम सुभग सिंह :** अधिक आंकड़े वाले प्रश्नों को ही अतारांकित प्रश्नों के रूप में रखा जाता है न कि साधारण प्रश्नों को भी। यह प्रश्न एक ऐसे मन्त्री के बारे में था जो एक विदेशी विमान में गये और जिन्होंने कुछ उपहार प्राप्त किये।

**अध्यक्ष महोदय :** इसका बैलट हुआ था और यह 30 की संख्या से अधिक में था। इसका कोई चारा नहीं था। किन्तु यह प्रश्न सूची में था।

**श्री उमानाथ :** सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक सभा सचिवालय से एक पत्र गया जिसमें पूछा गया कि क्या आरोप के सम्बन्ध में कोई प्रमाण है। प्रश्न सीधा सा था कि क्या सरकार को कोई विज्ञापन प्राप्त हुई हैं। इसमें जानकारी मांगी गई थी। इसमें लोक सभा

सचिवालय द्वारा प्रमाण मांगने का प्रश्न कहां था ? एक प्रश्न को गृहीत करने में प्रमाण का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है ? यह गलत प्रक्रिया है ।

**Shri Rabi Ray :** Where was the need for the Lok Sabha Secretariat to send a communication ?

**डा० राम सुभग सिंह :** यह शिकायत के रूप में था । उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया था ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री उमानाथ और श्री रवि राय इसके बारे में शायद न जानते हों । किन्तु प्रतिपक्ष के माननीय नेता सत्तारूढ़ दल में थे और वह प्रक्रिया जानते हैं । आरोप के मामले में हमें यह पूछना पड़ता है ।

**श्री उमानाथ :** यह आरोप नहीं था । यह एक सीधा प्रश्न था जिसमें जानकारी मांगी गई थी कि क्या सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है अथवा नहीं । सचिवालय प्रश्न को गृहीत करने के लिये कोई प्रमाण क्यों चाहता है ?

**Shri Rabi Ray :** The answer should have been 'yes' or 'no'. There was no need to address a communication. This arouses suspicion.

**अध्यक्ष महोदय :** इन तथ्यों पर अध्यक्ष के साथ उनके चैम्बर में चर्चा की जा सकती है । ये प्रश्न सभा में नहीं उठाये जा सकते ।

**श्री उमानाथ :** क्यों ? क्या हमें पूछने का अधिकार नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं । यदि आपको कोई शिकायत है तो मेरे चैम्बर में मुझसे मिलना अधिक अच्छा होगा । प्रश्न को सूची में न शामिल किये जाने का प्रश्न भी यहां उठाया जाता है । कल मुझे आश्चर्य हुआ जब इसे यहां उठाया गया । हमें लगभग 600 प्रश्न एक दिन में प्राप्त होते हैं । सही प्रक्रिया तो यह है कि सभा में प्रश्न उठाने से पूर्व मुझे लिखकर भेज दिया जाये । इसमें कोई बुराई नहीं है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** आपको श्री मधु लिमये को अवसर देना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह मेरे दफ्तर में मुझसे मिले थे ।

**डा० राम सुभग सिंह :** ट्रांजिस्टर और रेडियो शिकायत प्राप्त होने के बाद तो शाखाना में भेजे गये थे, उससे पहिले नहीं ।

## फसल और खाद्य नीति का पुनर्मूल्यांकन

*** 661. श्री सत्य गुह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारत में फसल की क्या नवीनतम सम्भावनाएं हैं और देश की खाद्य स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या वर्तमान फसल से सम्बन्धित रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सरकार देश की खाद्य नीति पर पुनर्विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) 1969–70 की खरीफ फसल की सम्भावनाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं इससे देश में खाद्य स्थिति सुधार रहने की आशा है।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य नीति की सितम्बर, 1969 में समीक्षा की गयी है और इसकी पुनः समीक्षा उस समय की जाएगी जब 1969–70 की रबी की फसल की सम्भावनाएं स्पष्ट हो जाएंगी।

**श्री समर गुह** : क्या यह सच है कि 1968–69 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में चावल के थोक मूल्य इस प्रकार थे :—केरल 95 रु०, तमिलनाडु 96 रु० आंध्र 70 रु०, मध्य प्रदेश 90 रु०, मैसूर 165 रु०, उत्तर प्रदेश 190 रु०, पश्चिम बंगाल 147 रु०, गुजरात 75 रु०, बिहार 145 रु०, महाराष्ट्र 86 रु०, मनिपुर 51 रु० तथा गेहूँ के थोक मूल्य इस प्रकार थे : पंजाब 91 रु०, मध्य प्रदेश 77 रु० और गुजरात 71 रु० ? विभिन्न राज्यों में चावल के मूल्यों में भारी अन्तर को तथा 1968–69 में खाद्यानों में 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए क्या यह विषमता आर्थिक एकीकरण के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार अनाज खण्डों को समाप्त करके सारे देश को एक ही अनाज खण्ड मानेगी ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : यह प्रश्न इस सभा में कई बार पूछा गया है और सरकार की नीति भी स्पष्ट कर दी गई थी। यदि सारे देश को एक अनाज खण्ड बना भी दिया जाये तो भी मैं नहीं समझता कि सारे देश में मूल्य एक जैसे रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह पिछला रिकार्ड देखें।

**श्री समर गुह** : ऐसा करने से समानता की सम्भावना हो सकती है।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : इसके विभिन्न कारण हैं किन्तु माननीय सदस्य को शायद पता होगा कि इस मामले में हमारी नीति बहुत कठोर नहीं रही हैं। वास्तव में अप्रैल के महीने में हुए मुख्य मन्त्रियों के गत सम्मेलन में गेहूं के सम्बन्ध में हमने अपनी खण्डीय व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया था तथा सम्पूर्ण उत्तर खण्ड को लगभग एक खण्ड बना दिया गया था। मोटे अनाज के सम्बन्ध में भी गत वर्ष कुछ रियायतें दी गई हैं। जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया स्थिति का समय–समय पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है। और खाद्य स्थिति तथा खाद्य उत्पादन की सम्भाव्यताओं पर निर्भर करते हुए हम स्थिति का पुनर्विलोकन करते हैं। इस मामलों में हमारी नीति लचीली होगी।

**श्री समर गुह** : क्या सरकार का ध्यान एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के पश्चात् गृह मन्त्रालय द्वारा परिचालित हाल के एक प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि भूमि सुधारों के सम्बन्ध में तथा कृषकों को भूमि देने के सम्बन्ध में शीघ्र उपाय न किये

गये तो तथा कथित कृषि क्रान्ति एक साम्यवादी क्रान्ति में बदल सकती है ? क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस खबर की ओर भी दिलाया गया है जिसमें भारतीय उर्वरक संस्था के अध्यक्ष ने कहा है कि कोई कृषि क्रान्ति नहीं हुई है और यह भी कि उर्वरकों का उपभोग कम हो गया है और क्या सरकार का ध्यान आज के समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर भी दिलाया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के भूमि सुधार अधिनियम के विरुद्ध फैसला दिया है ? इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि भूमि सुधार उपायों की त्रुटियों को दूर करने तथा कृषकों को भूमि देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे :** श्रीमन् मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

**अध्यक्षमहोदय :** यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** इस बारे में मैं सदैव कुछ कह सकता हूं।

**श्री समर गुह :** यह सामान्य खाद्य नीति हैं। मुझे भी आपका संरक्षण चाहिए, श्रीमन्। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा था कि किसी राज्य द्वारा भूमि सुधारों को क्रियान्विति में कोई सांवैधानिक अड़चन नहीं है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा पारित भूमि सुधारों के विरुद्ध फैसला दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने प्रश्न बहुत लम्बा कर दिया है। मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री समर गुह :** कम से कम एक भाग का उत्तर तो दिया जा सकता है। सरकार द्वारा क्या प्रभावशाली उपाय किये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि और श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :** माननीय सदस्य द्वारा अब पूछे गये प्रश्न का सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है जबकि मुख्य प्रश्न खाद्य मंत्रालय को सम्बोधित किया गया है ?

**श्री समर गुह :** श्रीमन् यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। माननीय मंत्री को उत्तर अवश्य देना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रो० समर गुह को बिठाना मेरे लिये सदैव एक समस्या रही है।

**श्री जगजीवन राम :** मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। इसका सम्बन्ध खाद्य उत्पादन से है। भूमि सुधार, सिंचाई आदि जैसे कोई भी प्रश्न इस पर उठाया जा सकता है। किन्तु इसका निर्णय श्रीमन् आपको करना है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपकी बात से सहमत हूं। फिर भी वह मेरा संरक्षण चाहते हैं।

**श्री समर गुह :** मैं अपने प्रश्न को सरल बना दूंगा। क्या सरकार का ध्यान भारतीय उर्वरक निगम के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह संगत नहीं है।

**श्री लीलाधर कटकी :** क्या यह सच है कि आसाम में बड़ी मात्रा में धान बिका नहीं है और इस वर्ष फसल अच्छी है ? यदि हां, तो क्या स्टाक रखने वालों से धान को उठाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ताकि भारतीय खाद्य निगम और एक्स सहकारी विपणन समिति के साधारण अभिकरण नई फसल का समाहार कर सकें जिससे किसानों को मिलने वाले मूल्यों को स्थिर रखा जा सके ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** इस सम्बन्ध में हम आसाम सरकार की सहायता करते रहे हैं। वास्तव में बातचीत के समय कुछ कठिनाई थी और आसाम सरकार अधिक मूल्य चाहती थी। अन्यथा कभी कोई कठिनाई नहीं हुई है। अब जो भी खाद्यान्न दिये जायें हम उसे स्वीकार करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या खरीफ की खाद्य फसल के कुल उत्पादन के बारे में कोई निश्चित अनुमान लगाया गया है ? क्या कारण है कि कृषि मूल्य आयोग के होते हुए भी भारत के विभिन्न राज्यों में खाद्यानों के मूल्यों में भारी विषमता है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। साथ ही मैंने यह भी बता दिया है कि देश भर में मूल्य संतोषजनक है। किसी भी व्यवस्था में प्रादेशिक विषमताएं अपरिहार्य हैं।

**Shri Shiv Charan Lal :** Sir, I want to know whether a new food policy will be adopted so as to provide fertilizers to farmers at cheaper rates, lift control there from, give incentives to small cultivators and distribute lands among landless cultivators ?

**Mr. Speaker :** A similar question asked by Shri Samar Guha was disallowed which has been repeated by you now.

**श्री दत्तात्रय कुंटे :** मन्त्री जी ने गेहूं के बारे में नीति का उल्लेख किया है लेकिन जहां तक धान तथा चावल का सम्बन्ध है, वह मौन रहे हैं। क्या वह धान तथा चावल के सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में वक्तव्य देंगे ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है ? फिर भी, सितम्बर में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया था और यह निर्णय किया गया कि धान के बारे में वर्तमान व्यवस्था कायम रखी जाये।

**Shri Chandrika Prasad :** I am not in favour of abolishing Food Zones. However. I want to know whether Government propose to remove restriction on the movement of food grains and other commodities in the undeveloped parts of the country as also in the areas affected by natural calamities such as floods and drought, more particularly in those areas where paddy crop was destroyed by pests resulting in price increase ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** जहां तक खाद्यान्नों की उपलब्धता का सम्बन्ध है, देश के किसी भी भाग में कोई कठिनाई नहीं रही है।

यहां तक कि कमी वाले राज्य भी अपना कोटा नहीं ले जा रहे हैं। कुछ भी हो, खाद्यान्नों की कमी नहीं है।

जहां तक प्रतिबन्धों को हटाने की बात है, वह एक अलग मामला है।

**Shri Ram Sewak Yadav :** It was just now stated that there was an increase in the production of foodjrains last year. But there has been a decline in the prices of sugarcane and potatoes, which fell down considerably during the last two or three years. Similarly, there was no increase in the price of foodgrains this year. I want to know the steps being contemplated by the Government to see that the production of foodgrains is not affected adversely as a result of this trend of prices.

**खाद्य तथा कृषि और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :** सभा को मालूम है कि हमने खाद्यान्नों के खरीद मूल्य निर्धारित किये हैं और उस मूल्य पर किसान जितनी मात्रा में चाहें खाद्यान्न सरकार को बेच सकते हैं, हम खरीदने के लिये तैयार हैं। इसका काफी हद तक अच्छा प्रभाव रहा है और किसानों ने इसका स्वागत किया है। हम इस वसूली नीति को भविष्य के लिये भी जारी रखना चाहते हैं।

हम इस वर्ष अनाज ही खरीद रहे हैं।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** भविष्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना को देखते हुए, हमारा देश सम्भवत: कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ताकि हमें बाहर से आयात करने की आवश्यकता न पड़े ? दूसरी बात, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार मूल्यों का पुनरीक्षण करेगी और खाद्यान्नों की कीमत और अधिक लाभप्रद बनायेगी ताकि किसान खाद्यान्नों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती न करने लग जायें ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** जहां तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा आयात कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस प्रश्न का उत्तर सभा में कई बार दिया जा चुका है। इस बारे में सरकार की नीति वही है। कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन पर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और सरकार के निर्णयों की घोषणा भी कर दी गई थी। खरीद मूल्यों में कोई खास फर्क नहीं होगा और इस वर्ष भी वे वही रहेंगे।

**श्री ए० श्रीधरन :** कुल जितनी फसल बोई जाती है वह पूरी मात्रा में लोगों के उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं होती क्योंकि उसकी कुछ मात्रा कीटों तथा चूहों द्वारा नष्ट की जाती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि कीट तथा चूहें खाद्यान्नों को नष्ट न कर सकें ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** सरकार खाद्यान्नों के संरक्षण की इन विभिन्न समस्याओं से अवगत है और उसके लिये विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि

सरकार अनाज को रखने की समुचित तथा आधुनिक व्यवस्था, खाद्यान्नों के संरक्षण और कीटों के विनाश के लिये जो कार्यवाही कर रही है उसका इस समय ब्यौरा देना आवश्यक है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** इस बात को देखते हुए कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय को खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने अथवा खाद्य नीति का पुनर्मूल्यांकन करने या भूमि सुधार के मामले में कुछ करने में कठिनाई महसूस होती है और उसकी स्थिति ऐसी है कि वह कुछ नहीं कर सकता और इस बात को भी दृष्टि में रखते हुए कि यह प्रारम्भिक रूप में राज्य का विषय है, क्या सरकार इस मन्त्रालय को केन्द्र से समाप्त करने की सम्भाव्यता तथा उसे केवल पूर्ति और समन्वय सम्बन्धी अन्य मामलों तक ही सीमित रखने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक अलग सवाल है। यह एक व्यापक नीति विषयक प्रश्न है जिसे अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जा सकता। आप मन्त्रालय को समाप्त करने के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका जवाब मन्त्री जी कैसे दे सकते हैं। इसका उत्तर प्रधान मन्त्री देंगी कि वह इसे समाप्त कर रही हैं अथवा नहीं।

कुछ भी हो, यह प्रश्न आधे घन्टे का समय पहले ही ले चुका है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

**राजस्थान के अकाल-पीड़ित कृषकों को बीज खरीदने के लिये केन्द्रीय सहायता**

***662. श्री देवकीनन्दन पाठोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के अकाल-पीड़ित कृषकों को बीज खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये की सहायता देने के बारे में निर्णय किया था;

(ख) क्या इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) से (ग). राजस्थान सरकार ने राज्य के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में कृषकों को बीज खरीदने और वितरित करने के लिए 2.50 करोड़ रु० के अल्प-कालीन ऋण की स्वीकृति के लिए मई, 1969 में भारत सरकार से अनुरोध किया था। सामान्यतः केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत बीज की खरीद पर राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक रूप से किए गए खर्च का 50 प्रतिशत भाग अल्पकालीन ऋणों के रूप में स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए 50 प्रतिशत की सीमा में रियायत देते हुए राज्य सरकार के लिए 2.50 करोड़ रु० की पूरी राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई थी। नवम्बर, 1969 में राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण के लिए अनुरोध किया था। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बीजों की खरीद पर वास्तव में केवल 2.29 करोड़ रु० की रकम व्यय हुई थी अतः अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** राजस्थान की दशा, विशेषकर कुछ क्षेत्रों की गत वर्ष की तुलना अधिक खराब है। क्या यह सच है कि केन्द्र ने राजस्थान में अकाल सहायता के लिये गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम धन, लगभग 4 करोड़ रुपये, मंजूर किये है जबकि तमिलनाडू जैसे राज्य में केवल दो जिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उन्हें 14 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र ने राज्य में जो अध्ययन दल भेजा था उसने अपना काम पूरा कर लिया है ? उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं तथा उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** मेरे सामने पुन: वही कठिनाई है। माननीय सदस्य को कहीं गलतफहमी न हो जाये इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान को उदारतापूर्वक सहायता देती रही है। अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा वित्त मन्त्रालय उस पर विचार कर रहा है। अतिरिक्त सहायता के बारे में एक या दो दिन में निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** आप कैसे कह सकते हैं कि उदारतापूर्वक सहायता दी गई है ? क्या राहत सम्बन्धी सहायता के बारे में राजस्थान और तमिल नाडू के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है ?

**श्री पीलु मोडी :** उदारता के बारे में आपका क्या विचार है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** कोई भेदभाव नहीं है।

**श्री पीलु मोडी :** यह बात रिकार्ड में आनी चाहिये कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि राजस्थान और तमिलनाडू के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने कुछ क्षेत्रों को कमी वाले क्षेत्र घोषित नहीं किया है हालांकि उनकी दशा बहुत खराब है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार जालोर तथा सिरोही जैसे क्षेत्रों के बारे में, जहां बहुत प्रभाव पड़ा है, परन्तु जिन्हें अभी कमी वाले क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, राज्य सरकार से लिखा पढ़ी अथवा बातचीत करेगी ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** मैं आपका ध्यान मुख्य प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो प्रश्न राजस्थान सरकार को बीज खरीदने के लिये दिये जा रहे ऋण के सम्बन्ध में है। परन्तु माननीय सदस्य ने सूखा–सहायता के बारे में प्रश्न पूछा है। यदि आप अनुमति दें तो मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह बात आप पर निर्भर करती है।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** वे सभी अकाल से सम्बन्धित हैं। क्या वे नहीं है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** मुख्य प्रश्न अकाल के सम्बन्ध में नहीं है। यदि यह बात होती तो इसका उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होती।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : यदि आप इसकी अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। परन्तु उन सबका सम्बन्ध अकाल से है। यदि वे उत्तर ही देना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। प्रश्न राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के बारे में है। आप प्रश्न के शीर्षक को भी देख सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात सही है कि प्रश्न राजस्थान के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों के सम्बन्ध में है। परन्तु माननीय सदस्य प्रश्न सूखा-सहायता के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री पीलु मोदी** : यहां कोई अकाल नहीं है। उन्हें इस ओर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है ?

**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य अकाल के प्रतीक हैं।

**श्री पीलु मोदी** : अकाल से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही माननीय मन्त्री का उससे कोई सम्बन्ध है।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति है कि वह राज्य सरकार को अकाल-पीड़ित क्षेत्रों के लिए तथा बीज और विकास कार्यों के लिये अनुदान हेतु उसके द्वारा उन क्षेत्रों पर व्यय किये गये भाग का 75 प्रतिशत भाग देती है। क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान सरकार को इतना कम अनुदान इसलिये दिया गया है, क्योंकि उसने इन अकाल-पीड़ित क्षेत्रों पर व्यय करने की रुचि नहीं दिखाई हैं, और अधिक धनराशि खर्च नहीं की है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मुख्य प्रश्न खरीफ की फसल के लिए बीज खरीदने हेतु ऋण देने के बारे में हैं। राजस्थान सरकार को सूखा सहायता के लिये दी गई राशि का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में चालू वर्ष में राजस्थान सरकार को सूखा सहायता के लिए 18½ करोड़ रुपये दिये गये हैं। जबकि सामान्यतः 50 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसका अर्थ यह है कि केन्द्र द्वारा 75 प्रतिशत अग्रिम राशि दी जाती है। जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है। ऋण की सीमा को बढ़ा दिया गया है।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : सूखा सहायता तथा अकाल दूर करने के लिए राज्य सरकारों को गत कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा किये गये काम का मूल्यांकन करने की व्यवस्था की हुई है। उदाहरणार्थ मैसूर को सूखा सहायता के रूप में लगभग 10 से 12 करोड रुपये प्राप्त हुए हैं। मैसूर राज्य में विशेषकर एक निर्वाचन क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के पास से 2 लाख रुपये पाये गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न राजस्थान के सम्बन्ध में है।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक खण्ड विकास अधिकारी के पास 2 लाख रुपये पाये गये हैं तथा वह सूखा सहायता का इन्चार्ज है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या

इसका पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था है कि धन कैसे व्यय किया गया है तथा इस काम के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न राजस्थान के सम्बन्ध में है। अतः मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : मैंने अभी एक उदाहरण दिया था। मैं राजस्थान के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह देखने के लिये भारत सरकार के पास ऐसी कौनसी व्यवस्था है कि राजस्थान सरकार को जो धन दिया गया है उसने उसका उचित उपयोग किया है ?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे** : जब केन्द्रीय दल वहां जाते हैं तो वे सहायता तथा अन्य मदों पर किये गये व्यय को भी देखते हैं तथा इसके अतिरिक्त सामान्य व्यय के आंकड़े महालेखा-परीक्षक को जांच हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : इस काम के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**Shri Meetha Lal Meena** : Sir, I would like to ask a direct question from the hon. Minister whether apart from the assistance being given to the peasants of famine affected areas would be allow the interested peasants to purchase high quality seeds from the neighbouring States such as Punjab or Uttar Pradesh ?

I had requested the hon. Minister earlier that permission may be accorded to purchase seeds and on that the hon Minister had said that permission to carry 10-15 Kilos of seeds would be given to a peasant. I want to know how is it possible for a peasant to carry 10-15 Kilos of seeds ? So would you allow that 15-20 peasants may get together and bring their seeds ?

**श्री राम चरण** : हम इस प्रश्न पर पहले ही 40 मिनट खर्च कर चुके हैं।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध बीजों के वितरण से बिल्कुल नहीं है।

**श्री अमृत नाहाटा** : राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में खरीफ की फसल के लिये बीज खरीदने हेतु 25 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि देकर वही कृपा की है राजस्थान सरकार ने भी खरीफ की फसल के लिये किसानों को तकाबी ऋण दिया था। किसानों ने भी बीज बोये थे परन्तु वर्षा न होने के कारण अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में कोई उपज नहीं हुई। अतः कुदरती तौर पर अकाल-पीड़ित लोग तकाबी ऋण नहीं दे सकते। इन परिस्थितियों में क्या केन्द्रीय सरकार ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिये विचार करेगी ?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे** : इस मामले पर विचार करना राजस्थान सरकार का काम है ?

**Shri Onkar Lal Berwa** : May I know the extent to which the seeds are distributed amongst peasants ? Whether the sub-committee which had gone there had added any area in that and if so, whether Government would give any loans to them ? Seco-

ndly, I would like to know whether Government have made any enquiry whether the distribution of seeds is being done on political basis ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : बीज कभी उस आधार पर नहीं दिये जाते हैं। बीज देते समय राजनीति को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

**Shri Onkar Lal Berwa** : If they are not giving seeds on political basis then what are they doing ? They are distributing the money left after taking seeds for utilizing it in Bombay Session.

## कलकत्ता में अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर

* 663. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में स्थापित रूसी ट्रांसमिटर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को प्रसारित किये जाने वाले विदेश-प्रसारण की आवश्यकता को कहां तक पूरा कर सकेगा और तथाकथित बी० ओ० ए० करार के अन्तर्गत, जो कि बाद में रद्द कर दिया गया था; स्थगित किये जाने वाले ट्रांसमिटरों की पूर्ति यह ट्रांसमीटर कहां तक कर सकेगा; और

(ख) क्या पश्चिम एशिया के देशों को प्रसारण करने के लिए दूसरा अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा; और यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा तथा इस पर कितनी लागत आयेगी और इस दिशा मे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) ट्रांसमीटर पूर्व में बर्मा, थाइलैण्ड, इन्डो-चीन तथा मलयेशिया के भागों में तथा उत्तर के तिब्बत, सिक्किम, भूटान नेपाल तथा दक्षिण चीन के लिए रात्रि सेवा प्रदान करने के लिए है। इस ट्रांसमीटर की शक्ति उतनी ही है जितनी कि बी० ओ० ए० करार के अन्तर्गत ट्रांसमिटर की थी।

(ख) जी, हां, 227 लाख रुपये की लागत से इतनी ही शक्ति का एक ट्रांसमीटर राजकोट के निकट लगाया जा रहा है। ट्रांसमीटर स्थापना सम्बन्धी सिविल कार्य मुकम्मल होने वाले हैं। एरियल तन्त्र की स्थापना का काम चालू है। ट्रांसमीटर के मुख्य उपकरण अभी प्राप्त होने हैं और ट्रांसमीटर लगाने का काम उनके प्राप्त होने पर ही शुरू होगा।

**श्री हिम्मतसिंहका** : ऐसा मुख्य रूप से देखा गया है कि 1962 तथा 1965 में चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के समय विदेशी प्रसारण बन्द हो गया था। यह जो ट्रांसमीटर लगाया गया है क्या इससे वह प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा तथा विदेशी प्रसारण की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : विदेशों के लिए भारतीय प्रसारण को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। इस समय हम प्रायः शार्ट वेव पर प्रसारण करते हैं। अब हम मीडियम वेव के ट्रांसमीटरों का अधिक प्रयोग करेंगे। कलकत्ता का ट्रांसमीटर मीडियम वेव का ट्रांसमिटर है तथा मेरे द्वारा बताये गये देशों में इससे प्रसारण हो सकेगा। इसी तरह राजकोट ट्रांसमिटर

से पश्चिम एशिया तथा खाड़ी क्षेत्रों में प्रसारण हो सकेगा। इन दो ट्रांसमिटरों से हम आसपास के एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए प्रसारण कर सकेंगे।

**श्री पीलु मोदी** : ऐसा करने के बाद उन्हें और क्या कहना है ?

**श्री हिम्मतसिंहका** : क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता में ट्रांसमीटर अनुमानित लागत में ही लगाया गया है, अथवा अनुमान से अधिक खर्च हुआ है।

**श्री इ० कु० गुजराल** : खर्च अनुमान से अधिक हुआ है।

**Shri Randhir Singh** : The question relates to transmitter station in Calcutta. The Government has made a declaration that there will be a radio station in Haryana and a sight has been selected in Rohtak. May I know how much time is likely to be taken to set up a transmitter in Haryana State ?

**Mr. Speaker** : The question is about Calcutta.

**Shri Randhir Singh** : It is very essential. What difference does it make if the same is set up in Rohtak instead of Calcutta. Please allow me to put the question.

**Mr. Speaker** : May I know whether the hon. Member is asking sueh a question knowingly or there is something behind it ?

**Shri Randhir Singh** : What is the difference between Calcutta and Rohtak. After all city is a city whether it is of Bengal or Haryana.

**श्री एस० कंडप्पन** : मलयेशिया, इन्डोनेशिया तथा श्री लंका से होने वाले प्रसारण का प्रतिदान करने के लिये मलय तथा सिंहाली में प्रसारण करने की हमारे लिये बहुत आवश्यकता है। क्या कलकत्ता केन्द्र से यह आवश्यकता पूरी हो सकेगी अथवा सरकार ने कोई और केन्द्र खोलने की योजना बनाई है ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : हम इस समय 18 भाषाओं में बुलेटिन प्रसारित करते हैं तथा अब अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करने का विचार है जिनमें वे भाषायें भी आ जायेंगी जिनका मैंने उल्लेख किया है।

**श्री म० ला० सोंधी** : दक्षिण-पूर्व एशिया में कितने श्रोता सुनते हैं इसके बारे में मंत्री महोदय की क्या जानकारी है।

**श्री इ० कु० गुजराल** : उच्च-शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर सितम्बर में ही चालू किया गया है। अभी हम श्रोताओं की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस-किस क्षेत्र में प्रसारण पहुंचाया जा सकता है। हमारी ऐसी धारणा है कि आम-तौर पर प्रसारण का स्वागत ही हुआ है।

**श्री स० कुण्डू** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 'वायस आफ अमेरीका' द्वारा जो ट्रांसमीटर लगाया जाना था वह इस ट्रांसमीटर से अधिक शक्तिशाली था ; चीन सरकार के ट्रांसमीटर की तुलना में यह कैसा काम कर रहा है ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : प्रश्न के पहले भाग का जहां तक सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वर्तमान ट्रांसमीटर भी 'वायस आफ अमेरिका' के बराबर ही शक्तिशाली है। प्रश्न के दूसरे भाग में जो कहा गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा विचार है कि ट्रांसमीटर काफी अच्छा चल रहा है।

**आकाशवाणी का राजनीतिक प्रचार के लिए कथित प्रयोग**

+

*664. **श्री एन० शिवप्पा** :
**श्री अब्दुल गनी दार** :
**श्री हरदयाल देवगण** :
**श्री वि० नरसिम्हा राव** :
**श्री महेन्द्र माझी** :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकार आकाशवाणी का प्रयोग गुट विशेष सम्बन्धी राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : इस बारे में की गई आलोचनाएं समय समय पर सरकार के ध्यान में आई हैं।

**श्री कन्डप्पन** : इन आलोचनाओं में अब और वृद्धि होगी।

**श्री पीलु मोदी** : बचे हुए समय में आइये हम इसी प्रश्न पर चर्चा करें।

**श्री शिवप्पा** : मैं जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में समाचार देने के लिये क्या भारत सरकार ने कोई समय निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य सभा-पटल पर रखेंगे ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : आकाशवाणी से, राजनीतिक दलों को आधार बनाकर समाचार प्रसारित नहीं किये जाते। उनका प्रसारण तो समाचारों के आधार पर ही किया जाता है फिर चाहे वह किसी राजनीतिक दल के सम्बन्ध में हों अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में।

**श्री सु० कु० तापडिया** : कौन सी बात समाचार है, इसका निर्णय कौन करता है ?

**कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए**....

**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित सभी सदस्य जब तक न बोल चुके, उस समय तक अन्य सदस्य खड़े न हों।

**श्री शिवप्पा** : जहां तक मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है सरकार तथा मन्त्रालय को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मन्त्री महोदय ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए क्या यह मांग उचित नहीं है कि आकाशवाणी के मामलों

की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : परामर्श समिति में यही प्रश्न अन्य रूप में उठाया गया था और कुछ समाचार बुलेटिनों पर चर्चा की गई थी। इस बात से हम सहमत थे कि बंगलोर से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों को पुस्तकालय में रखा जाये। उनका अध्ययन करने के बाद यदि सदस्य कोई निर्णय करते हैं तो हम इसकी ओर अवश्य ध्यान देंगे।

**श्री उमानाथ** : केरल में सरकार का पतन होने के तुरन्त बाद आकाशवाणी के टीकाकार ने मार्क्सवादी दल के विरुद्ध बहुत ही निन्दात्मक प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया और दल के प्रतिनिधि अथवा कोई भिन्न विचार रखने वाले टीकाकार को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मैं इसे सुनता रहा हूं इसलिये मुझे सब कुछ पता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? क्या उनकी नीति यह है कि मार्क्सवादी दल अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल के विरुद्ध निंदात्मक प्रचार करने के लिए आकाशवाणी का प्रयोग किया जाये ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो जाती हैं ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : आकाशवाणी की यह नीति नहीं है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध निन्दात्मक प्रचार किया जाये। इसमें तो समाचारों और विचारों की सामग्री को स्थान दिया जाता है। जहां तक मार्क्सवादी दल की आलोचना किये जाने का प्रश्न है, इसका मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि आकाशवाणी के समय का विभाजन समाचार, संसद की कार्यवाही और 'स्पाट लाइट' के बीच किया जाता है। माननीय सदस्य ने जिस विशेष घटना की ओर मेरा ध्यान दिलाया है, मै उसके सम्बन्ध में जांच करूंगा।

**Shri Prem Chand Verma** : Sir, through you I want to know from the Hon. Minister whether it is a fact that some Congress M. P.'s have complained that while covering the Parliamentary proceedings, little time is allocated to their Party whereas Opposition Parties are being given more coverage ? Whether it is also a fact that names of five Members belonging to the Opposition Parties were mentioned in the News Bulletin broadcast at 9 pm. on the 10th instant ?

**Mr. Speaker** : You should ask the question.

**Shri Prem Chand Verma** : I am citing an instance, Names of five Members of the Opposition Parties were mentioned whereas it contained only to names belonging to the Congress Party. Whether it is a fact that AIR correspondents completely ignore Hindiwalas particularly those belonging to the Congress Party ?

**Mr. Speaker** : Don, put it in this manner. You should say that it has come to your knowledge.

**Shri Prem Chand Verma** : Will the Hon. Minister give an assurance that the Members of Congress Party will not be treated like this ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : संसद में जो भाषण दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारों के प्रश्न पर आज ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से चर्चा की

जाती रही है। जैसा कि आप जानते हैं संसदीय समाचारों को पांच मिनट दिये जाते हैं। जो सज्जन यह कार्य करते हैं वह किसी न किसी समाचार पत्र से सम्बन्धित होते हैं और पांच मिनट में दोनों सदनों के समाचार देने होते हैं। इसलिये कभी-कभी कुछ नाम छूट जाते हैं। किन्तु यह नीति बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दल विशेष की उपेक्षा की जाये। समाचारों का जहां तक सम्बन्ध है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि 15 मिनट की लम्बी अवधि का समाचार बुलेटिन भी समाचार पत्र के केवल दो स्तम्भों में आ सकता है। इस कारण सारी बातों को इसी थोड़े समय में संजो देना होता है और यह स्वाभाविक है कि किसी चीज को छोड़ना भी पड़ता है। परन्तु ऐसी कोई नीति नहीं है कि किसी विशेष बात को ही छोड़ा जाये।

**Shri Prem Chand Verma :** I want to have an assurance that such thing will not happen in respect of Congress Members.

**Shri I. K. Gujral :** I will see to that.

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** नन्दा समिति की आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम बनाने की सिफारिश पर सरकार का क्या निर्णय है ताकि निष्पक्ष रूप में समाचारों का प्रसारण हो सके और सरकार तथा मन्त्री का प्रभाव कम हो ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसके लिये अलग सूचना दीजिये।

**Shri Prakash Vir Shastri :** A.I.R's News Services Department has been the subject of criticism from time to time in the Parliament. There has been adverse reaction to All India Radio's role after the last Presidential election and subsequent split in the Congress Party, not only the Parliament but in whole of the country. I want to know from the hon. Minister whether he is preapared to appoint a Parliamenary Committee to look into the role of All India Radio in broadcasting news regarding presidential election and split in the Congress Party ?

Further I want to know whether it is a fact that the Director of News of A.I.R., who was about to retire and had got this leave sanctioned, has been called back to continue this propaganda ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** माननीय सदस्य एक विद्वान व्यक्ति हैं। सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छुट्टी देने में इन्कार किया जाना एक सामान्य प्रथा है। मैं इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं। वैसे यहां पर सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार की चर्चा का विषय बनाना ठीक नहीं **(व्यावधान)**

**डा० राम सुभग सिंह :** आकाशवाणी का समूचा प्रशासनिक ढांचा समाप्त किया जाना चाहिये। इसका प्रयोग सदा सरकार के प्रचार के लिए किया जाता रहा है।

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक समाचार बुलेटिनों का प्रश्न है मैंने पहले ही कहा है कि बंगलौर अधिवेशन के बाद के सभी मुख्य समाचार बुलेटिनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। माननीय सदस्य उन्हें देख सकते हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी निष्पक्ष और ठीक समाचारों को **(व्यावधान)**

**Shri Prakash Vir Shastri :** If it is impartial then what is the disficulty in appointing a committee.

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** देश में गत कुछ महीनों में आये राजनैतिक वबंडर, जिस का सभी दलों पर प्रभाव पड़ा है और जिससे अनेक छोटे दल खड़े हो गये हैं, में क्या यह सच नहीं है कि आकाशवाणी उन देश मे घटने वाली सभी घटनाओं को टीक प्रकार से प्रसारित कर रहा है ? **(व्यावधान)**

**डा० राम सुभग सिंह :** नहीं, नहीं, हम आकाशवाणी में सरकार की बात को ही पाते हैं।

**Shri Rabi Ray :** I want to know the journalists who were invited by A.I.R. to give talks during the last two months and the subjects they were asked to speak on ? We had put a question in regard to inviting of M. P. s. to give talk on A.I.R. The hon. Minister had stated that more members from Congress Party and Communits Party had been invited. I want to know the position after that and whether persons from other parties have been invited ?

**Shri I. K. Gujaral :** I want a notice for that.

**अध्यक्ष महोदय :** नोटिस मिलना ही चाहिये। वह आपको सूचना दे देंगे।

**डा० राम सुभग सिंह :** श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस मामले की जांच के लिये समिति के बारे में एक टीक प्रश्न किया है। श्री रबी राय ने भी ठीक कहा है, क्योंकि एक विशेष विचारधारा वाले पत्रकारों को ही आकाशवाणी पर वार्ता के लिये आमन्त्रित किया गया है। अत: एक समिति की नियुक्ति होनी चाहिये।

**श्री इ० कु० गुजराल :** मुझे अभी सूचना मिली है। इससे मेरी बात ठीक सिद्ध होती है। जुलाई के बाद 'स्पाटलाइट' कार्यक्रम के लिये जिन समाचारपत्रों के पत्रकारों को आमन्त्रित किया गया उनका ब्योरा इस प्रकार है :—स्टेट्समैन 8, टाइम्स आफ इंडिया 5, हिन्दुस्तान टाइम्स 10, इंडियन एक्सप्रेस 8, नेशनल हेरल्ड.....

## अंग्रेजी समाचार पत्रों के अधिपत्य को समाप्त करने के लिए भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सरकारी सहायता

*** 665. श्री रवि राय :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंग्रेजी भाषा में निकलने वाले समाचार–पत्रों की संख्या सर्वाधिक है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के आधिपत्य को समाप्त करने के लिये भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को सरकार द्वारा सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) 31 दिसम्बर, 1968 को देश में छपने वाले 10,019 समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं में से सबसे अधिक संख्या 2381–हिन्दी के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की थी। हिन्दी के उपरांत सबसे अधिक समाचार पत्र अर्थात 2074 अंग्रेजी में और उसके बाद 902 उर्दू में, 642 बंगला में, 573 गुजराती में, 572 मराठी में, 438 तमिल में तथा 377 मलयालम भाषा के थे। तथापि, कुल खपत संख्या 2,33,57,000 प्रतियों में से अंग्रेजी समाचार–पत्रों की कुल खपत संख्या 60,02,000 थी जबकि हिन्दी समाचार–पत्रों की कुल खपत संख्या 43,59,000 थी।

(ख) अंग्रेजी के समाचारपत्रों की अधिक खपत संख्या होने के विभिन्न कारण हैं जिन में सारे देश में उनके पाठकों का होना तथा तुलनात्मक रूप से उनके छापने में कम लागत आना शामिल है।

(ग) तथा (घ). एक विवरण जिसमें अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के आधिपत्य को समाप्त करने के लिये भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सहायता देने के बारे में पहले ही उठाये गये या उठाये जा रहे विभिन्न कदम बताए गये हैं, सदन की मेज़ पर रख दिया गया है।

**विवरण**

1. विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार–पत्रों में अधिक वर्गीकृत विज्ञापनों के दिये जाने की दिशा में भरपूर प्रयत्न कर रहा है। इसके फलस्वरूप 1966–67 में इनको 52.3 प्रतिशत प्रदर्शन विज्ञापनों की तुलना में 1968–69 में 63.47 प्रतिशत प्रदर्शन विज्ञापन दिये गये। और उनको दिया जाने वाला वर्गीकृत विज्ञापन 1966-67 में 32.00 प्रतिशत से बढ़कर 1968-69 में 40.79 प्रतिशत हो गया।
2. समाचार सूचना ब्यूरो के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों द्वारा ऐसे छोटे भाषाओं के समाचार पत्रों को क्षेत्रिय भाषाओं में समाचार दिये जाते हैं, जो अनुवाद के लिये कर्मचारी नहीं रख सकते और समाचार भेजने वाली सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते।
3. ब्यूरो द्वारा छोटे समाचार-पत्रों के व्यापक प्रयोग के लिये लेख तथा सचित्र लेख भी बांटे जाते हैं।
4. उन छोटे समाचारपत्रों को ब्लाक सप्लाई किये जा रहे हैं, जो इनका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन ब्लाकों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
5. ब्यूरो द्वारा कराये जाने वाले दौरों में देश के विभिन्न भागों के छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को बारी से साथ ले जाया जाता है।
6. सामान्यत: एक समाचारपत्र के संवाददाता को मान्यता देने के लिये उस समाचार की बिक्री 10,000 होनी चाहिये परन्तु छोटे समाचारपत्रों के मामले में यदि वे मिलकर एक ही संवाददाता चाहते हों तो उनकी इकट्ठी बिक्री को लिया जाता है।

7. छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर मुद्रण तथा कम्पोजिंग मशीनरी के लिये मिलने वाली कुल वार्षिक विदेशी मुद्रा का 50 प्रतिशत भाग छोटे समाचारपत्रों को, 35 प्रतिशत भाग मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को और 15 प्रतिशत भाग बड़े समाचारपत्रों को दिया जाता है।

8. 15–5–1969 से 60 ग्राम से कम वज़न रजिस्टर्ड समाचारपत्रों की एक प्रति पर डाक व्यय घटाकर 15–5–1968 से पहले के डाक व्यय के समान कर दिया गया है।

9. सरकार छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिये एक समाचारपत्र वित्त निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वित्तीय सहायता उन छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को दी जायेगी, जो कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहे हों।

10. 1963–64 से अखबारी कागज़ देने में छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को काफी रियायत दी गई है।

**Shri Rabi Ray :** The statement that has been laid on the Table indicates that advertisements given to small and medium newspapers have increased from 51.3% to 63% and classified advertisements have increased from 32% to 40%. I want to know whether small newspapers include newspapers of Indian Languages only or English newspapers are also among them ?

I want to know whether they have any proposal to increase further the classified advertisements for small newspapers which has increased from 32% to 40%.

**श्री इ० कु० गुजराल :** एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि हम छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों में विज्ञापनों को बढ़ाने जा रहे हैं। वे समाचारपत्र भारतीय भाषाओं के हैं।

गत एक अथवा दो वर्षों में इसमें काफी वृद्धि की गई है। हम भारतीय भाषाओं के छोटे और बड़े समाचारपत्रों को और भी सहायता दे रहे हैं।

**Shri Rabi Ray :** I want to know whether a Branch of Press Information Bureau has been opened in all the States or there are some States where it has not been opened so far ?

**Shri I. K. Gujral :** In many States it has been done and the remaining States would be covered during Fourth Plan.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### संसद् सदस्यों को तारों के भेजने में देरी

*666. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् के अधिवेशन के महत्व को विचार में रखते हुए संसद् सदस्यों को संदेश और तारों आदि के शीघ्र भेजने के सम्बन्ध में क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या संसद् सदस्यों को भेजे गये तथा उनके द्वारा भेजे गए तारों के भेजने में अत्यधिक देरी होती है; और

(ग) इन शिकायतों को न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** (क) इस समय संसद् सदस्यों को या उनके द्वारा भेजे जाने वाले तारों को विशेष प्राथमिकता देने के लिए भारतीय तार नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) चूंकि ऐसे तारों को किसी विशेष ढंग से भेजने के लिए अन्य तारों से अलग न करके सामान्य ढंग से ही निपटाया जाता है, इसलिए विशेष रूप से यह बात करना संभव नहीं है कि संसद् सदस्यों को या उनके द्वारा भेजे जाने वाले तारों के पारेषण में कोई देरी हुई थी।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को दृष्टि में रखते हुए कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं है।

### छोटे कृषकों सम्बन्धी विकास एजेंसी

*667. **श्री बदरूद्दुजा :** **श्री कं० हाल्दर :**
**श्री वि० कु० मोडक :** **श्री भगवान दास :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक 'छोटे कृषकों सम्बन्धी विकास ऐजेन्सी' बनाई है जो खेती के गहन तरीकों से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को प्रोत्साहित करेगी;

(ख) क्या सरकार ने कई वर्ष पहले अपनाये गये 'पकेज' कार्यक्रम (गहन विकास जिले) को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** (क) छोटे कृषकों की समस्याओं को समझने और उन्हें सघन कृषि द्वारा हल करने के लिये प्रत्येक राज्य में 20 लघु कृषक विकास एजेन्सियां स्थापित की जानी हैं। प्रायः प्रत्येक जिले में एक ऐसी एजेन्सी स्थापित की जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

**यांत्रिक तथा कृषि उपकरणों के लिए मैसूर को धन का नियतन**

*668. **श्री क० लकप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष की वार्षिक योजना में यांत्रिक तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिये मैसूर राज्य को कितनी धन राशि नियत की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** मैसूर सरकार ने कृषि विधियों के सुधार तथा सहायक दरों पर कृषि उपकरणों की बिक्री आदि के लिये 1969–70 के बजट में 2 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है।

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत तथा सतर्कता "सैल"**

*669. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उन क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत तथा सतर्कता "सैल" खोल दिए गए हैं जो सदस्यों को पेशगी के रूप में भारी राशि का भुगतान तथा उनके दावों का निपटान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्रीय शिकायत तथा सतर्कता सैल में केवल इस कार्य के लिए कितने अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में सतर्कता संबंधी मामलों को निपटाने के लिए कौन–कौन से अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड से है और भारत सरकार से इसका सीधा संबंध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) और (ख). प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त स्वयं ही सतर्कता संबंधी मामलों को निपटाते हैं अन्य शिकायतों को निपटाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है। प्रादेशिक कार्यालयों से अलग सतर्कता तथा शिकायत इकाइयों की स्थापना आवश्यक नहीं समझी जाती।

(ग) सतर्कता संबंधी मामलों का दायित्व केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त पर है।

**स्मारक डाक टिकटों का जारी करना**

*670. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** 1969 के दौरान जारी किये गए विशेष स्मारक डाक-टिकटों का ब्यौरा अनुबंध 'क' के विवरण-पत्र में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2410/69**]

**समाचारपत्र-पत्रिकाओं में साम्प्रदायिक लेख के प्रकाशन को रोकना**

*671. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रीनगर में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन में समाचार पत्र-पत्रिकाओं में साम्प्रदायिक लेख आदि के प्रकाशन को रोकने के लिये कार्यवाही करने का निर्णय किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्ष बाद पहली बार इस वर्ष के मध्य में हुई अखिल भारतीय मुस्लिम समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के आयोजन पर सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की थी; और

(ग) यदि हां, तो दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के साथ सरकार किस प्रकार अपने धर्म-निरपेक्ष उद्देश्यों को पूरा करने की आशा करती है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने तथाकथित "अखिल भारतीय मुस्लिम समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन" के गठन को खेद के साथ नोट किया है। जबकि सरकार समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता बनाए रखने की बहुत इच्छुक है तथा समाचार-पत्र सम्पादकों की संस्थाओं जिनमें भाषा तथा प्रदेश जिसमें समाचार-पत्र प्रकाशित होते हों, के अनुसार सभी समाचार-पत्र और यदि आवश्यकता अनुभव की जाए तो समाचार-पत्र समूहों के गठन का स्वागत करती है। सरकार की यह राय है कि उस प्रकार की संस्थाए धर्म के आधार पर नहीं बनाई जानी चाहिए। किसी भी जनतंत्र में इस प्रकार के संगठनों के फैलाव को इस प्रकार के विचारों के विरुद्ध शक्तिशाली जनमत बना कर रोका जा सकता है।

**रोजगार दफ्तरों को रिक्त स्थानों के बारे में अनिवार्य रूप से अधिसूचित करना**

*672. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों द्वारा रोजगार दफ्तरों को रिक्त पदों के बारे में अधिसूचित करने के संबंध में कोई केन्द्रीय अधिनियम है;

(ख) यदि हां, तो रोजगार दफ्तरों को रिक्त स्थानों के बारे में अधिसूचित न करने के लिये उपरोक्त अधिनियम में कोई दाण्डिक उपबन्ध है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो पिछले एक वर्ष में रिक्त स्थानों के बारे में अधिसूचित न करने के लिये इस अधिनियम के दाण्डिक उपबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने नियोजकों को दण्ड दिया गया, दण्डित नियोजकों का विशिष्ट विवरण क्या है तथा उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## गोआ की खानों में ठेका–प्रणाली

*673. **श्री शिकंरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस ठेका प्रणाली की जानकारी है जिसका प्रयोग खान मालिकों द्वारा गोआ के लौह तथा मैंगनीज खानों के मजदूरों को काम पर लगाने के लिए किया जाता है।

(ख) क्या सरकार गोआ की खानों में ठेका–प्रणाली को, जो कि मजदूरों के लिए अहितकारी है, समाप्त करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुल प्रतिष्ठानों में ठेका–श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में इसके उन्मूलन तथा इससे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिये 31 जुलाई, 1969 को लोक सभा में ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) विधेयक, 1967 में पेश किया गया। लोक सभा ने इस विधेयक को मई, 1968 में संसद् की संयुक्त समिति के पास भेज दिया। इस समिति ने 26 फरवरी, 1969 को लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस समय यह विधेयक संसद् के सामने है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## Reintroduction of Price Page Schedule

*674. **Shri Valmiki Choudhary** :
**Shri P. C. Adichan** :
**Shri Dhireshwar Kalita** :
**Shri Yogendra Sharma** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have looked into the question of implementing the recommendations made by the Press Commission in regard to Price-Page Schedule, after their rejection by the Supreme Court; if so, the decisions taken thereon; and

(b) the manner in which Government purpose to help the small and regional newspapers so that they can become self-sufficient ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) The Price Page Schedule was declared ultra vires of the Constitution by the Supreme Court. Its reintroduction has been under study in the light of Supreme Court's observations.

(b) A statement showing various measures already adopted and those proposed to be adopted by Government to help small and regional newspapers be become self-sufficient is unclosed.

**Statement**

1. Every possible effort is being made by the Directorate of Advertising and Visual Publicity for progressively increasing use of small and medium newspapers for display/classified advertisements. As a result of this they were given 63.47% of the display advertisements in terms of cost during 1968 69 as against 52.3% in 1966-67 and their share of classified advertisements increased from 32.00% in 1966-67 to 40.79% in 1968-69.

2. The releases of Press Information Bureau are issued through its regional and branch offices in the language of the region, primarily for the benefit of the small Indian Language newspapers which can not afford to employ staff for translation and cannot afford to subscribe to the services of the news agencies.

3. Articles and illustrated features are also being issued by the Bureau tin different Indian languages to enable their being widely used by the small newspapers.

4. Supply of ebonoid blocks is being made to small newspapers which cannot afford to have blocks. The question of increasing the supply substantially is under consideration.

5. Representatives of small newspapers in different parts of the country are included by rotation in the conducted tours organised by the Bureau.

6. Though a minimum circulation of 10,000 is ordinarily required for accrediting a correspondent on behalf of a newspaper, in the case of small newspapers the combined circulation is taken into account if they ask for accreditation of a common representative.

7. On he recommendations of the Enquiry Committee on Small Newspapers 50% of the total annual foreign exchange made available for printing and composing machinery is allotted to small newspapers, 35% to the medium newspapers and only 15% to the big newspapers.

8. With effect from 15. 5. 1969 postage in respect of single copies of registered newspapers weighing upto 60 Grams has been reduced from 5 paise to 2 paise bringing it down to the same level at which it existed prior to 15. 5. 1968.

9. A proposal to establish a Newspaper Finance Corporation to give financial assistance to small and medium newspapers under active consideration of Government. The financial assistance will be available only to Small and Medium Newspapers who have been working successfully for a period of at least three years.

10. Considerable concession in regard to the allocation of newsprint has been given to the small and medium newspapers since 1963-64.

**बम्बई तथा अन्य शहरों में समुद्र-पार संचार अनुभाग के भवनों का निर्माण**

*675. **श्री मधुलिमये :**
**श्री एस० एन० मिश्र :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई तथा अन्य शहरों में समुद्र-पार संचार अनुभाग के लिये भवनों के निर्माण का कोई कार्यक्रम हाथ में लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिव्यय तथा अन्य ब्योरा क्या है;

(ग) वास्तुविदों तथा ठेकेदारों के नाम क्या हैं तथा इन भवनों के निर्माण के लिए उन्हें क्या प्रतिशत/कमीशन/कटौती/प्रतिकर/पुरस्कार या अन्य कोई धनराशि की अदायगी की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा वास्तुविद के विरुद्ध उसके अनैतिक व्यवहार के लिये कोई विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त वास्तुविद का चयन करने के क्या कारण थे ?

**सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में विदेश संचार सेवा द्वारा किये गये भवन-निर्माण के कार्यक्रम में निम्नलिखित समाविष्ट है:—

(i) बम्बई में बहुमंजिला विदेश संचार भवन, जिसकी प्राक्कलित लागत 148 लाख रुपये है।

(ii) उपग्रह-संचार के आर्वी स्थित भू-केन्द्र के लिये तकनीकी तथा प्रशासकीय भवन, जिनकी प्राक्कलित लागत 27 लाख रुपये है।

(iii) आर्वी स्थित भू-केन्द्र पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर जिनकी प्राक्कलित लागत 20.57 लाख रुपये है।

इनके अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता और नयी दिल्ली में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण की भी योजना है।

(ग) (1) आर्वी में तकनीकी और प्रशासकीय भवनों का निर्माण अणुऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। अणुऊर्जा विभाग इस कार्य को प्रणाली-इंजीनियरी के उस दायित्व के एक अंश के रूप में कर रहा है, जो कि उपग्रह-संचार के आर्वी स्थित भू-केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में उसे सौंपा गया है।

(2) आर्वी में स्थित कर्मचारी क्वार्टर केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाये गये हैं।

(3) बम्बई में विदेश संचार भवन के निर्माण के लिये सर्व-कार्यभारी वास्तुविद् (आर्किटेक्ट इन ओवरआल चार्ज) के रूप में बम्बई के सर्वश्री पीरोज कुदियांनवाला एण्ड एसोसियेट्स को नियुक्त किया गया है । वास्तुविद् का कमीशन वास्तविक लागत का 5 प्रतिशत तय किया गया है। निर्माण-कार्य की विभिन्न मदें निविदा (टेण्डर) आधार पर निम्नलिखित ठेकेदारों को सौंपी गयी है:—

( i ) स्थूणा नींव (पाइल फाउण्डेशन) के लिये सर्वश्री रोडियो फाउण्डेशन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ।

( ii ) सिविल निर्माण कार्य के लिये सर्वश्री न्यू कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कम्पनी ।

( iii ) वातानुकूल के लिये सर्वश्री ब्ल्यू स्टार ।

( iv ) विद्युत अधिष्ठापनों के लिये सर्वश्री जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी।

( v ) लिफ्टों के लिये सर्वश्री ओटिस एलीवेटर्स ।

( vi ) अग्नि शमन के लिये सर्वश्री मैथर एण्ड प्लाट ।

( vii ) सूक्ष्मतरंग बुर्ज (माइक्रोवेव टावर) के लिये सर्वश्री एलकाक एश-डाउन ।

(viii ) स्वचल अग्नि चेतावनी प्रणाली (आटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम) के लिये सर्वश्री ब्रेडी एण्ड कम्पनी ।

नवम्बर 1969 के अन्त तक, अब तक वास्तव में हुए कार्य के खाते 70.53 लाख रुपये की अदायगी की गयी है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है:—

| | | लाख रुपये |
|---|---|---|
| (क) | स्थूणा नींव (पाइल फाउंडेशन) | 2.33 |
| (ख) | सिविल निर्माण-कार्य आदि | 43.06 |
| (ग) | वातानुकूल | 12.80 |
| (घ) | विद्युत अधिष्ठापन, आदि | 2.78 |
| (ङ) | लिफ्टें | 5.22 |
| (च) | वास्तुविद् प्रभार | 4.34 |
| | | 70.53 |

(घ) जहां तक संचार विभाग को ज्ञात है, नहीं की गयी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**केरल में सोवियत सहायता वाला केन्द्रीय प्रक्षेत्र**

*676. **श्री जनार्दनन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने केरल को सोवियत सहायता वाला केन्द्रीय प्रक्षेत्र आवंटित किया है;

(ख) इस प्रक्षेत्र को स्थापित करने में अनुमानत: कितना व्यय होगा;

(ग) केन्द्र इसमें से कितना व्यय वहन करेगा;

(घ) क्या केरल में इस प्रक्षेत्र का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : केरल के कन्नानोर जिले में एक केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस फार्म के लिए कुछ उपस्कर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ सरकार से भेंट के रूप में प्राप्त होंगे। इस उद्देश्य के लिए लगभग 12,000 एकड़ क्षेत्र नियत कर दिया गया है। इस भूमि के अर्जन की लागत, 250 रुपए प्रति एकड़ की सीमा तक, भारत सरकार देगी। यदि लागत 250 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ती है, तो शेष लागत केरल सरकार देगी। मोटे अनुमान के अनुसार इस फार्म के विकास पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। यह समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने भूमि अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है। फार्म के लिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से आयात किए जाने वाले उपस्करों की सूची सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ को भेज दी गई है। ज्योंहि राज्य सरकार भूमि अर्जित करके उसे सौंप देगी, फार्म को स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

**भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही**

***677. श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कितने अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई है, उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये तथा इस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या यह आपराधिक कार्यवाही उनकी वैयक्तिक अथवा सरकारी स्थिति के आधार पर की गई है तथा क्या किसी मामले में उनके विरुद्ध जमानत योग्य वारंट जारी किये गये थे/किये गये हैं; और

(ग) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध उनकी वैयक्तिक स्थिति के आधार पर वारंट जारी किये गये हैं, अपने कार्यालय को सूचना दे दी है और यदि हां, तो क्या उन्हें वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील नियम 1965 के अन्तर्गत लम्बित कर दिया गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**कलकत्ता में लगाये गये नये ट्रांसमीटर की क्षमता तथा कार्य-कुशलता में सुधार**

*678. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में रूस की सहायता से स्थापित नये ट्रांसमीटर की क्षमता तथा कार्य-कुशलता में और आगे सुधार करने की सम्भावना है;

(ख) इस ट्रांसमीटर को तथा इससे सम्बन्धित अन्य उपकरणों को प्राप्त करने तथा इसकी स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या इस खर्च का कुछ भाग सोवियत संघ अथवा उस देश की किसी एजेंसी द्वारा वहन किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) 303 लाख रुपए ।

(ग) जी, नहीं। यह पूर्णतया वाणिज्यिक सौदा था।

**अहमदाबाद के दंगों के फोटो लिया जाना**

* 679. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी अभिकरणों के संवाददाताओं को हाल ही के अहमदाबाद के दंगों के फोटो लेने की अनुमति दी गई थी जबकि भारतीय पत्रकारों को यह सुविधा नहीं दी गई थी और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशियों द्वारा ली गई ये फिल्में लन्दन तथा अन्य विदेशी शहरों में एकपक्षीय टिप्पणियों के साथ दिखाई जा चुकी है और यदि हां, तो ऐसी कितनी फिल्में, किनके द्वारा तथा किन स्थानों पर दिखाई गई हैं; और

(ग) इन फिल्मों को आगे दिखाये जाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) राज्य सरकार, जो अहमदाबाद के दंगों के समाचार आदि लेने के लिये पत्रकारों को सुविधायें देने की व्यवस्था से सम्बन्धित थी, के अनुसार दंगाग्रस्त इलाके में किसी को भी फोटो लेने के लिये नहीं रोका गया और न ही किसी विदेशी एजेंसी के संवाददाताओं को विशेष सुविधा दी गई। अतएव, भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) वर्तानिया या किसी अन्य देश में ऐसी फिल्मों के दिखाये जाने के बारे में विदेश मन्त्रालय द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) ऐसी फिल्मों को आगे दिखाने से रोकने के प्रश्न पर ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित स्थिति का पता लगाने पर ही विचार किया जा सकता है।

## घास और पशु चारे की सघन खेती के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा भू-सर्वेक्षण

* 680. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घास और पशु चारे की सघन खेती के विकास के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के भू-सर्वेक्षण विभाग ने अब तक कितना काम किया है; और

(ख) क्या मन्त्रालय ने सर्वेक्षण प्रतिवेदनों का इस दृष्टि से अध्ययन किया है कि देश में पशुचारे का अधिक उत्पादन हो ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** (क) अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण संगठन ने देश में पशुओं के चारे-दाने को सघन काश्त के विकास के लिये कोई विशेष और पृथक सर्वेक्षण नहीं किया है। फिर भी, नदी-घाटी क्षेत्र और अस्तवण क्षेत्र परियोजना के अधीन हुए सर्वेक्षणों के अन्तर्गत नक्शों और रिपोर्टों में चारे के विकास के लिये उपयुक्त भूमि दिखाई गई है।

(ख) जी हां। नदी-घाटी योजना के अधीन अखिल भारतीय मृदा और भूमि सर्वेक्षण ने 172 रिपोर्टें जारी की हैं और उनमें चारा-भूमि की सघन काश्त, और अन्य अकृषि प्रयोजनों के लिये पृथक सिफारिशें की गई है। नदी-घाटी परियोजना के स्तवण क्षेत्रों में चारा भूमि और चरागाह विकास के लिये 1.80 लाख एकड़ भूक्षेत्र निर्धारित किया गया है।

## आई० पी० ओ०, आई० आर० एम० एस०, टी० एम० के संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का आरक्षण

* 681. **श्री सूरज भान :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 तक आई० पी० ओ०, आई० आर० एम० एस०, टी० एम० के संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थायीकरण में आरक्षण की व्यवस्था थी;

(ख) यदि हां, तो सर्किलवार ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है जिनमें स्थायीकरण में आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी आदेशों का पालन नहीं किया गया है तथा इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के साथ इस विषय में अब तक जो अन्याय हो चुका है उसको निष्प्रभाव करने के लिये क्या सरकार प्रभावशाली कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** (क) और (ख). डाक-तार महानिदेशक ने नवम्बर, 1957 में एक परिपत्र जारी किया था कि डाकघरों और रेल डाक सेवा के निरीक्षकों के पदों पर प्रारम्भिक नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित रखने के नियम का पालन किया जाना चाहिए, किन्तु स्थायीकरण पूर्णतः योग्यताक्रम के अनुसार ही किया जाता है। लेकिन इन आदेशों में 31–7–62 को गृह मन्त्रालय के परामर्श से इस आशय का संशोधन कर दिया गया था कि 22–12–59 के स्थायीकरण के सम्बन्ध में भी आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। इसकी आगे और जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि जुलाई, 1962 में जारी किये गए आदेश सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार नहीं है जैसा कि बाद में गृह मन्त्रालय के 27–3–63, 31–5–65 और 11–7–68 के आदेशों में स्पष्ट किया गया था और गृह मन्त्रालय द्वारा इनमें संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जहां तक 31–7–62 के आदेशों को पूर्वव्याप्ति सहित लागू करने का प्रश्न है, इन्हें अकृत और शून्य समझा जाए।

जहां तक तार मास्टरों का सम्बन्ध है, नवम्बर, 1961 से पदोन्नति वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर की जा रही है और आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं होते।

प्रत्येक मामले में ठीक–ठीक स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार पदोन्नति वाले पदों में स्थायीकरण के समय आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

**Fall in Milk-Yield of Cattle**

***682. Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the percentage of milk-yield of cattle in India is decreasing;

(b) if so, whether efforts have been made to increase it; and

(c) whether the causes thereof have also been ascertained ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) There has been no significant fall in the per milch animal annual productivity of milk between the years 1951 to 1961 for which the estimates have been furnished by the Central Statistical Organisation.

(b) and (c). A statement showing the programmes taken up to increase milk production is endorsed.

**Statement**

The need for increasing the production of milk is well recognised. Both the Central as well as the State Governments are paying increasing attention for improvement of cows and buffaloes for milk production. The cattle breeding policy has specially been reoriented for bringing about a rapid improvement in the quality of cattle and thereby quick increases in the production of milk. A large number of bulls and frozen semen of exotic breeds of cattle have been imported during last three years for undertaking large scale cross-breeding in the Intensive Cattle Development Projects and Key Village areas linked up with dairy schemes. Some important Cattle Development Schemes which aim at increasing the production of milk are :--

( i ) Key Village Scheme.

( ii ) Intensive Cattle Development Scheme.

( iii ) Establishment of Artificial Insemination Centres in urban and suburban areas.

( iv ) Establishment of Cattle Breeding and Bull Rearing Farm.

( v ) Calf Rearing Scheme.

( vi ) Progeny Testing Scheme.

( vii ) Cross-Breeding Scheme with exotic germ plasm.

( viii) Feeds & Fodder Development Scheme.

( ix ) Strengthening and expansion of State Livestock Farms.

( x ) Cattle Shows and Milk Yield Competitions.

( xi ) Goshala Development Scheme.

( xii) Disease Control Programmes.

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वित्तीय साधनों में वृद्धि**

*683. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने निगम के साधनों में वृद्धि करने की सिफारिश की थी और डाक्टरी देख-भाल पर, राज्य सरकार को अंश सहित, 50 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने की सीमा रखने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार नियोजकों के विशेष अंशदान की दर को 1 जनवरी, 1970 से कुल मजूरी बिल के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत और 1 अप्रैल, 1970 से कुल मजूरी बिल का 4 प्रतिशत कर रही है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन करता है, चिकित्सा खर्च की सीमा निश्चित करने के प्रश्न को निपटाने के लिए सक्षम है ।

**Development of a New variety of Sugarcane by Indian Agricultural Research Institute**

*684. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether experiments have been conducted in the Indian Agricultural Research Institute to develop suitable varieties of sugarcane keeping in view the local climate and conditions of various dictricts of various States for increasing the sugarcane production and the consequent sugar production ;

(b) if so, the results thereof :

(c) the action taken by Government to populnries these varieties and in regard to the distribution of their seeds ; and

(d) if such action has not been taken, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) No Sir, the Indian Agricultural Research Institute is not working on sugarcane breeding. Systematic experiments have, however, been in progress since long at the Central Sugarcane Research Institute, Coimbatore and Lucknow in collaboration with the Sugarcane Testing Stations of the various States, for developing sugarcane varieties adopted to different climatic regions in the country with a view to increasing the cane production and consequent sugar production.

(b) This has resulted in selection and release of many popular varieties which have now saturated the entire area under sugarcane in the country.

(c) The varieties are popularised by the Extension Department of the State Governments through pubilicity and supply of pure, healthy seed by maintenance of seed nurseries.

(d) Does not arise.

## आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के तैयार करने में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ज्यादा दखल की मांग

*685. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मांग की है कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित होने वाले प्रसारणों का कार्यक्रम और स्वरूप निर्धारित करने में उनका अधिक हाथ हो ; और

(ख) यदि हां, तो उस मांग के प्रति केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) पश्चिम बंगाल के सूचना और जन संपर्क मंत्री ने सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री के साथ बातचीत के दौरान यह सुझाव दिया था कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से सम्बद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन राज्य सरकार के परामर्श से किया जाए और कार्यक्रमों की योजना बनाने की जिम्मेवारी इस समिति की होनी चाहिए।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि आकाशवाणी के केन्द्रों के कार्यक्रम के ढांचे के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों पर पर्याप्त विचार किया जाए, वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त हैं। राज्य सरकारों के सूचना/प्रचार मन्त्री अपने-अपने राज्यों की कार्यक्रम सलाहकार समितियों के अध्यक्ष होंगे। विभागीय स्तर पर ऐसे प्रबन्ध भी किये गये है जिनसे आकाशवाणी राज्य सरकारों के विकास कार्यक्रमों को आवश्यक वार्ता आदि के कार्यक्रमों द्वारा मदद दे सके। तथापि, जब भी जरूरी होगा, सभी राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जायेगा।

**Ill-Effects of use of Fertilisers on Foodgrains**

*686. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fertility of the land is declining because of the use of fertilizers ;

(b) if so, whether emphasis would be laid on the use of compost manure in place of fertilisers and also on increasing the production of the compost manure : and

(c) if not, whether Government propose to look into this matter ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** . (a) to (c) No Sir. In fact, the use of fertilisers increases the fertility of land by increasing the plant food nutrients. However, it is necessary to use fertilisers judiciously. The use of organic manures is being recommended along with the use of chemical fertilisers as both are complementary to each other. While the use of organic manures primarily helps in improving the physical condition of the soil, use of fertilisers helps in supplying required plant nutrients in easily available from for the nutrition of crops.

**Setting up of Beet-Root Institute in Kashmir**

*687. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme for setting up a beet root institute in Kashmir for producing sugar, fodder, alcohol, etc. has been formulated, if so, the details thereof ;

(b) the other places in the country wehre such institutes will be set up ;

(c) whether the seeds of beet root will also be produced in Kashmir ; and

(d) if so, whether the quantity of seed produced there will be able to meet the requirement of whole of North India ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) No. But the ICAR is proposing to sponsor an All-India Coordinated sugarbeet Improvement Project during the Fourth Plan under which a research station may be located in Kashmir or somewhere else in the northern hills.

(b) Under the propose All-India Coordinated sugarbeet Improvement Project, four centres and three sub-centres are expected to be located in the country.

(c) Seed for sugarbeet can be successfully produced in Kashmir and also in other areas in the northern hills ; e. g. the Kalpa Valley in Himachal Pradesh.

(d) Not at present but in due course of time, it is anticipated that quantity of seed produced will meet the requirement of the country.

**आकाशवाणी द्वारा उर्दू में समाचारों का प्रसारण**

*688. **श्री बलराज मधोक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें की गई हैं कि आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले उर्दू के समाचारों में फारसी तथा अरबी के इतने अधिक शब्द होते हैं कि सरल उर्दू जानने वाले लोग उन्हें समझ नहीं सकते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्दू के प्रसारण में आल इण्डिया रेडियो को आकाशवाणी नहीं कहा जाता ; और

(ग) यदि हां, तो उर्दू प्रसारणों में आकाशवाणी शब्द का प्रयोग न करने की प्रवृत्ति के और उर्दू को इस रूप में प्रसारित करने के, कि वह विदेशी भाषा लगे, क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). दिल्ली से प्रसारित होने वाले उर्दू तथा अंग्रेजी के समाचार बुलेटनों में प्रायः आल इण्डिया रेडियो नाम का प्रयोग किया जाता है। विशेष उर्दू सेवा तथा वैदेशिक सेवाओं के समाचार बुलेटिनों में इसी नाम का प्रयोग किया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो कि प्रसारण भारत से किए जा रहे हैं। तथापि, घरेलू सेवा में उर्दू कार्यक्रमों की घोषणा करते समय आकाशवाणी के केन्द्र 'आकाशवाणी' शब्द प्रयोग करते हैं।

## यन्त्रीकृत कृषि तथा परम्परागत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र

***689. श्री वि० प्र० मंडल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी भूमि में यन्त्रीकृत खेती होती है और कितनी भूमि में परम्परागत तरीकों से खेती होती है ; और

(ख) यन्त्रों की सहायता से खेती कराने के लिये सरकार के सामने क्या योजना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) अपेक्षित जानकारी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[ग्रंथालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 2411/69]**

## Visit by Agricultural Experts to Andaman and Nicobar Islands

***690. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of agricultural experts of the Government of India had gone on a tour to Andaman and Nicobar Islands in the month of November;

(b) if so, whether the said group has recommended to Government to adopt some detailed programme to boost agricultural production there; and

(c) if so, the steps taken by Government to carry out the said programme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir Group of Agricultural Experts visited these Islands very recently i. e. from 10th to 18th November, 1969.

(b) and (c) . The detailed report is under submission to the Government of India.

**Flour Mills run by Electricity**

4351. **Shri G. C. Dixit** : Will the Miniter of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after Agricultural Revolution, a large number of flour mills started running with electricity in the country particularly in Madhya Pradesh;

(b) whether all the mills are still running and if not, the number of the mills not functioning;

(c) the reasons for these mills not functioning; and

(d) the action proposed to be taken by Government to commission these units again ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) . The Government of India control the setting up and the running of only roller flour mills grinding wheat: Available information does not indicate that a large number of roller flour mills started running with electricity after Agricultural Revolution,

(b) Out of 193 roller flour mills known to exist in India at the beginning of the current year, 8 were not functioning.

(c) 2 were damaged by fire, 2 were closed on account of disputes, one was lying idle consequent to the transfer of ownership, one was under repairs one was being shifted to a new site and one was closed for more than four years for reasons not known to Government.

(d) Does not arise.

**केसर की आवश्यकता**

4352. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य की केसर की खपत होती है;

(ख) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की केसर का निर्यात तथा आयात किया जाता है;

(ग) किन-किन राज्यों में केसर की खेती की जाती है तथा प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की केसर पैदा होती है; और

(घ) केसर की खेती के लिये किस प्रकार के जलवायु की तथा किस प्रकार की स्थितियों की जरूरत होती है तथा भारत के अन्य भागों में केसर की खेती करने के प्रयत्न न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) 1967–68 और 1969–70 की अवधि में (अगस्त 1969 तक) केसर के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) केसर मुख्यतः जम्मू और काश्मीर राज्य में उगायी जाती है। वहां लगभग 84.46 लाख रुपये के मूल्य की लगभग 20,000 पौंड (लगभग 9,091 किलोग्राम) केसर उत्पन्न होती है।

(घ) केसर के लिए शीतोष्ण (ठन्डी और धूप वाली) जलवायु की आवश्यकता है और 2140 मीटर की ऊंचाई तक यह खूब फलती है। यह पाले को सहन कर सकती है, किन्तु फूल आने की अवधि में वर्षा से फसल को हानि पहुंचती है। फूल आने की अवधि से पूर्व के मौसम में इसके द्रुत विकास के लिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेन्टीमीटर तक वर्षा होनी चाहिये।

देश के अन्य भागों में भी केसर की खेती करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं। पर्वतीय फल अनुसन्धान केन्द्र, चौबाटिया, जिला अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में हुये अनुसन्धानों से पता चला है कि वहां इसकी खेती होने की सम्भावनायें हैं।

**विवरण**

**1967–68 और 1969–70 (अगस्त, 1969 तक) की अवधि में केसर का आयात और निर्यात**

| | मात्रा किलो ग्रामों में | | | मूल्य हजार रुपयों में | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1967–68 | 1968–69 | | 1969–70 | | |
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा (अगस्त 1969 तक) | मूल्य (अगस्त 1969 तक) |
| आयात | 91 | 1 | 890 | 4 | – | – |
| निर्यात | 598 | 747 | 1485 | 1318 | 112 | 104 |

**खाद के लिए गाय के रक्त से रक्त चूर्ण बनाने वाले उत्पादन केन्द्र**

**4353. श्री बाबू राव पटेल :**
**श्री शिव चरण लाल :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे उत्पादन केन्द्र हैं जिनमें गायों के रक्त से खाद के लिए रक्त चूर्ण बनाया जाता है और यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे किस किस स्थान पर हैं;

(ख) गत वर्ष देश में गायों के रक्त से कितना तथा कितने मूल्य का रक्त चूर्ण बनाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर में सेवों, संतरों तथा अन्य फलों के बगीचों में खाद डालने के लिये गाय के रक्त से बने रक्त चूर्ण का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है; और

(घ) किन किन अन्य फलों तथा प्रयोजनों के लिए गाय-रक्त-चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) . ऐसा कोई उत्पादन केन्द्र नहीं है जहां कि खाद के लिए गाय के रक्त से रक्त-चूर्ण बनाया जाता है। किन्तु, कुटीर-उद्योग के रूप में बूचड़खानों। ठेकेदारों द्वारा बूचड़खानों से जानवरों (छोटे तथा बड़े) के जमा किये गये खून से (जहां कि यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो) रक्त-चूर्ण बनाया जाता है। यह उद्योग छोटे व्यापारियों के हाथ में है। अतः रक्त उत्पादन केन्द्रों की संख्या तथा तैयार किये गये रक्त-चूर्ण की मात्रा के सम्बन्ध में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) . कोई ऐसी विशिष्ट फसल नहीं हैं, जिनके लिए जानवरों के रक्त को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता हो, लेकिन जहां यह उपलब्ध होता है वहां उसका सामान्यतया फलों उद्यानों में प्रयोग होता है। जानवरों का रक्त जानवरों तथा कुक्कट-पालन के लिये आहार के रूप में तथा औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों, जैसे कि प्लाईवुड के सरेस के लिये श्वेतक तैयार करने, वस्त्रों व कागजों की रंगाई और रंगने से पहले चमड़े को मुलायम करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

## राज्य सरकारों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

4354. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) किस-किस राज्य की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) से (ग) . कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड से है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है। भारत सरकार से इसका ताल्लुक नहीं है। राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों के सम्बन्ध में भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

## तिलहनों की आवश्यकता

4355. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलहनों सम्बन्धी देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : देश की आवश्यकता को पूरा करने हेतु तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैकेज पद्धतियों को अपनाने तथा सम्भाव्य क्षेत्रों में सिंचाई के प्रभावकारी प्रयोग द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्र उपज बढ़ाने पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए मूंगफली जोकि तिलहन की प्रमुख फसल हैं, के अधिकतम उत्पादन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 13.07 लाख हैक्टेयर क्षेत्र (खरीफ, 1969 के दौरान 11.50 लाख हैक्टेयर तथा रबी/ग्रीष्म 1969–70 के दौरान 1.57 लाख हैक्टेयर) लाने का लक्ष्य रखा गया है। चौथी योजना के अन्त तक इस स्कीम के अन्तर्गत 26.50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। मूंगफली के अधिकतम उत्पादन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना की मुख्य बातें निम्न हैं :—

1. सम्भाव्य क्षेत्रों में पैकेज पद्धति को अपनाकर उत्पादन बढ़ाना,
2. समय पर आपेक्षित आदान उपलब्ध करना,
3. ऋण तथा उत्पादन को विपणन से जोड़ना,
4. बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्लाट तैयार करना,
5. अभियान के आधार पर पौध रक्षा उपायों की व्यवस्था करना।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निम्न वित्तीय सहायता दी जा रही है :—

(क) उत्पादकों को पौध रक्षा रसायनों तथा हस्तचालित उपस्करणों के लिए उपदान के रूप में सहायता प्रदान करना,

(ख) मौजूदा स्टाफ के अलावा इन विशेष योजनाओं की देखभाल के लिए नियुक्त हुए अतिरिक्त स्टाफ के समस्त खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देना।

इसके अतिरिक्त, अरण्डी की नई अधिक उत्पादनशीलता तथा अल्पकालीन किस्मों के सम्बन्ध में पैकेज पद्धतियों के प्रदर्शन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई है। इन प्रदर्शनों के लिए वर्षा–सिंचित फसल हेतु 125 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा सिंचाई गत फसल हेतु 200 रुपये प्रति हैक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है।

इनके अतिरिक्त, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न कदम भी उठाए जा रहे हैं :—

(1) सिंचाई गत परियोजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र में मूंगफली, तिल और अलसी की दोहरी फसलों को प्रोत्साहित करना।

(2) वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में तिलहनों की उपज का स्थिरीकरण करना।

(3) उपयुक्त क्षेत्रों में मूंगफली और अरण्ड की अधिक उत्पादन शील किस्मों की खेती का विस्तार करना ।

(4) बहु–फसल पद्धति में अरण्ड तथा सरसों की अल्पकालीन किस्मों की खेती शुरू करना ।

उपज को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसन्धान पर काफी जोर दिया जा रहा है ।

**Financial Assistance to Consumer's Cooperative Stores in Madhya Pradesh**

**4356. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the amount of funds provided by the Central Government to the Consurmess Cooperative Stores, Madhya Pradesh ?

**The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) :** The Central Government released the following amounts to the Government of Madhya Pradesh, during the last three years, for financing the Consumers Cooperative Stores in the State :

| 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 |
|---|---|---|
| Rs. 51,55,600 | Rs. 17,73,750 | Rs. 4,33,000 |

**Farm for producing fodder in Madhya Pradesh**

**4357. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a farm for producing fodder for the animals of draught and famine affected areas of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) and (b) Government of India has no such proposal.

**Production of Foodgrains and Cash Crops in Madhya Pradesh**

**4358. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrains and cash crops produced during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 in Madhya Pradesh; and

(b) the measures adopted to increase their production during 1969-70 in Madhya Pradesh ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Anna Sahib Shinde) :** (a) The estimates of total production of foodgrains and major commercial crops in Madhya Pradesh during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 are given below :–

| | Crops | Unit | 1966-67 (Partially revised) | 1967-68 (Partially revised) | 1968-69 (Final) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foodgrains : | '000 tonnes. | 6310.7 | 10232.1 | 9460.0 |
| 2. | Groundnut : | -do- | 159.3 | 335.4 | 196.6 |
| 3. | Sesamum : | -do- | 53.7 | 45.5 | 68,8 |
| 4. | Rapeseed and Mustard : | -do- | 19.8 | 40.0 | 47.7 |
| 5. | Linseed : | -do- | 73,1 | 135 4 | 113 0 |
| 6. | Nigerseed : | -do- | 27.5 | 44.5 | 44 0 |
| 7. | Cotton : | '800 bales of 180 Kg. each | 282.9 | 318.6 | 373.2 |
| 8. | Mesta : | -do- | 18.0 | 22.6 | 18.8 |
| 9. | Potato : | '000 tonnes | 94.9 | 147.8 | 170.2 |
| 10. | Sugarcane (Gur) : | -do- | 101.6 | 95.1 | 120.0 |
| 11. | Chillies (Dry) | -do- | 9.0 | 17.9 | 16.3 |

(b) Against the Coverage of about 6 57 lakhs acres under the High-Yielding Varieties Programme in Madhya Pradesh during 1968-69, the State Government have planned to cover an area of about 12 02 lakh acres under this programme during 1969-70. Similarly, the area under the Multiple Cropping Programme is proposed to be increased from 1.00 lakh acres targetted for 1968-69 to 1.50 lakh acres during 1969-70.

For increasing the production of Cash Crops, the Government of India have taken up centrally sponsored schemes for the development of cotton, jute and mesta, oilseeds (groundnut and castor) and lac in areas of maximum potantial in the State. Besides, the Government of Madhya Pradesh have also taken up 'Package Schemes' to boost up the production of different commercial crops under the normal agricultural development progiamme of the State :

## वर्तमान औद्योगिक सम्बन्धों तथा कर्मचारियों सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अधिकारियों द्वारा विचारों का आदान प्रदान

4359. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान औद्योगिक सम्बन्धों तथा कर्मचारियों सम्बन्धी समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटेन में श्रम, पुनर्वास तथा उत्पादक मन्त्रालय तथा कार्मिक प्रबन्ध संस्थान और इससे सम्बद्ध संगठनों के अधिकारियों का वार्षिक अनौपचारिक सद्भाव सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी ऐसी प्रथा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से पर्सनल अफसरों भारतीय कार्मिक प्रबन्ध संस्थान तथा औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी सरकारी तंत्र के अधिकारियों एवं श्रम तथा पुनर्वास विभाग के अधिकारियों के बीच ऐसे सम्मेलन करने की प्रथा को अपनाने का है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

**भारत और आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच का टेलीविज़न पर दिखाया जाना**

**4360. श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 28 नवम्बर; 1969 को दिल्ली में आरम्भ हुए क्रिकेट टैस्ट मैच को टेलीविज़न पर दिखाने को सहमत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा डी. डी. सी. ए. के बीच हुए समझौते का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली में खेले जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण मैचों को भी टेलीविज़न पर दिखायेगी ?

**सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां।

(ख) टेलीविज़न केन्द्र ने डी. डी. सी. ए. को टेलीविज़न पर प्रसारण के लिये 2000 रुपये प्रतिदिन देना मन्जूर किया है।

(ग) टेलीविज़न केन्द्र दिल्ली में होने वाले महत्वपूर्ण खेलों को टेलीविज़न पर दिखाता रहा हैं और दिखाता रहेगा।

**फ्री न्यूज़ एण्ड फीचर सर्विस द्वारा सरकार की नीति के विरुद्ध कार्य करना**

**4361. श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी की 'फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस' जो एक प्रकार का बुलेटिन है, तथा पश्चिम जर्मनी समाचार सेवा के बीच सहयोग का आधार क्या है;

(ख) उनके बीच हुए वित्तीय समझौतों तथा लेन-देन का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस के कार्य ऐसे हैं जो सरकार की नीति के विरुद्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) से (ग). इस मामले में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय पत्र-पत्रिकाओं के लिये पश्चिम जर्मन का धन**

**4362. श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित पत्र–पत्रिकाओं को पश्चिम जर्मन स्त्रोतों से वस्तुतः कितना कितना धन दिया गया :—

(1) ओरबिट,

(2) राइजिंग सन,

(3) करंट ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री(श्री इ० कु० गुजराल) :** पश्चिम जर्मनी स्त्रोतों से इन समाचार–पत्रों को धन दिये जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

**सुपर बाजार प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित शिकायतें**

**4363. श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार प्रबन्धक समिति के कुछ सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त की जा रही सुविधाओं के विरुद्ध सहकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली प्रशासन, को शिकायत की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** (क) जी नहीं। तथापि, इस मामले की जांच प्रबन्ध समिति द्वारा दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक के परामर्श से की जा रही है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

**मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये मांगा गया धन**

**4364. श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ योजना के दौरान राज्य के गांवों का निकट के कस्बों से सम्बन्ध जोड़ने हेतु सड़कों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुल कितने धन की मांग की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त मांग पूरी करने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव रखा था। जिसमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 11 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल थी। राज्य सरकार ने गांवों का निकट के कस्बों से सम्बन्ध जोड़ने हेतु सड़कों के निर्माण के लिये कोई पृथक परिव्यय नहीं बताया था। योजना आयोग द्वारा सड़कों के लिये 25 करोड़ रुपयों का परिव्यय स्वीकार किया गया और अन्य चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया।

उक्त राज्य के साधनों के पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कुल परिव्यय बढ़ा दिया गया है। पुनरीक्षित परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

## कम लागत की फिल्मों के लिए ऋण

**4365. श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री मुहम्मद शरीफ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत की फिल्मों को सहायता/ऋण देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) और (ख). फिल्म वित्त निगम, जो एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे भारत सरकार धन देता है, अच्छे स्तर की फिल्में बनाने के लिए ऋण देता है ताकि देश में बनने वाली फिल्मों का स्तर ऊंचा हो सके। निगम ने हाल ही में अधिक मूल्य वाली फिल्मों के उत्पादन के लिये धन न देने का निर्णय किया है ताकि वह अच्छे स्तर की अपेक्षाकृत कम लागत वाली फिल्मों के निर्माण पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके।

## युवक कल्याण योजनायें

**4366. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
**श्री जय सिंह :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तत्कालीन सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गये अपने त्याग पत्र में युवक कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा अपनाई गई दुलमुल नीति के बारे में दिए गए विवरण की ओर दिलाया गया है;

(ख) उन विभिन्न युवक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका प्रधान मंत्री ने अनुमोदन नहीं किया;

(ग) उन योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्या योजनाएं उनके माध्यम से प्रधान मंत्री को भेजी गई थी; और

(घ) युवक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या उपाय किए गये हैं तथा करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा स्वीकृत ग्रामीण युवक-कल्याण सम्बन्धी ऐसी कोई विशिष्ट योजना अथवा परियोजना नहीं थी। जिसका प्रधान मंत्री द्वारा समर्थन न किया गया हो।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) युवकों सम्बन्धी गतिविधियों के अतिरिक्त जो सामुदायिक विकास खण्डों के सामान्य कार्यक्रम का अंग हैं, चौथी योजना में युवकों सम्बन्धी कुछ विशिष्ट योजनायें भी चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिये ये इस प्रकार हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में युवक कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रशिक्षण।

(2) युवक मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार।

(3) महिलाओं तथा विद्यालय-पूर्व के बच्चों के संयुक्त कार्यक्रम के भाग के रूप में महिला मण्डलों को सहायता।

(4) सहायक महिला कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

**कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रबात के मामले पर सर्वसम्मत राय का प्रसारण**

**4367. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने 5 नवम्बर, 1969 को यह समाचार प्रसारित किया था कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रबात के मामलों में सर्वसम्मत राय थी जबकि कांग्रेस संसदीय दल के सदस्यों ने इस बात का खण्डन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) जी, नहीं। आकाशवाणी ने यह प्रसारित नहीं किया था कि कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक में रबात के मामले पर सर्वसम्मत राय थी। इसने यह प्रसारित किया था कि बैठक के पश्चात वैदेशिक कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह ने पत्रकारों को बताया कि "सर्वसम्मत राय सरकार की विदेश नीति के पक्ष में थी।" समाचार बुलेटिनों में यह भी

बताया गया था कि कार्यकारिणी की बैठक में हुई चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया था, उनमें से अनेक सदस्यों की यह राय थी कि भारत को रबात सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिए था। बुलेटिनों में पत्रकारों के सम्मुख प्रधान मंत्री की यह टिप्पणी कि सदस्यों की राय में तीव्र मतभेद था, भी प्रसारित की गई थी।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**चलचित्रों की कमी**

4368. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
**श्री एन० शिवप्पा :**
**श्री पीलू मोदी :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
**श्री रा० की० अमीन :**
**श्री मणिभाई ने० पटेल :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 1 अक्टूबर, 1969 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" समाचार पत्र में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि महात्मा गांधी के जीवन पर बनाये गये लगभग 16 वृत्त चित्र, जो कि महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी के अवसर पर दिखाये जाने थे, पाजिटिव फिल्म (ब्लैक एण्ड व्हाईट) की कमी के कारण पर्दे पर दिखाये नहीं गये; और

(ख) यदि हां, तो इन 16 वृत्त चित्रों के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ है और क्या इन चलचित्रों को कभी दिखाये जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं है कि गांधीजी के जीवन पर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर कोई वृत्त चित्र रिलीज नहीं किया जा सका। गांधीजी के जीवन पर वृत्त चित्र 14 भागों में रिलीज करने का प्रस्ताव है और इनमें से चार वृत्त चित्र शताब्दी समारोह के दौरान पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। शेष 10 भाग एक एक करके इस तरह रिलीज किए जायेंगे कि सभी भाग जून, 1970 तक रिलीज हो जाएं।

इन गांधी फिल्मों के निर्माण पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

**Trunk Call Bills of the Ministers**

4369. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the total amount of bills of trunk call charges in respect of the residences and offices of the Prime Minister, the Ministers of Food and Agriculture and Industrial Development for the period 1st July, 1968 to 16th August, 1969.

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** The information will be placed on the Table of the Sabha in due course.

**Detachment of R. M. S. Bogie at New Delhi Station**

**4370. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the intention of Government in detaching the R. M. S. bogie at New Delhi Station since the 6th October 1969 is to retrench the staff; and

(b) if so, the reasons for such retrenchment ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) No, Sir. With effect from 1.10. 1969, the Railways curtailed the halt of Dehra Dun Express (19 up/20 Down) at Delhi Railway Station and increased the halt at New Delhi as indicated below:--

| **19 Up (Bombay-Dehra Dun)** | |
|---|---|
| **Curtailment of halt at Delhi RS** | **Increase of Halt at New Delhi** |
| From 1 hour 55 minutes to 15 minutes; | From 10 minutes to 1 hour to 50 minutes. |
| **20 Up (Dehra Dun-Bombay)** | |
| **Curtailment of halt at Delhi RS** | **Increase of Halt at New Delhi RS.** |
| From 1 hour to 20 minutes. | From 10 minutes to 50 minutes. |

The halt at Delhi RS became insufficient for detachment and attachment of the mail van and therefore, it had to be got done at New Delhi. As a result, however, the staff of JP-5 section working between Kota and New Delhi was reduced from 6 to 5 sets, each consisting of 4 sortersand 2 van peons. There was. however, no retrenchment of staff as the officials concerned were provided in available vacancies.

(b) Does not arise.

**बम्बई पत्तन में श्रमिकों द्वारा हड़ताल**

**4371. श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन पर निकासी तथा अग्रप्रेषण एजेंटों द्वारा नियोजित लगभग 3000 नौसैनिक श्रमिकों ने नैमित्तिक श्रम समाप्त करने, रोजगार की सुरक्षा, अवकाश तथा सवेतन छुट्टी की सुविधाओं सम्बन्धी अपनी मांगों के समर्थन में 3 सितम्बर, 1969 को अचानक हड़ताल कर दी थी;

(ख) क्या श्रमिकों ने अधिकरण पंचाट को कार्यान्वित कराने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी मांगों पर विचार किया गया है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) जी हां ।

(ख) 26 जुलाई, 1969 को भारतीय राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई (अधिष्ठाता श्री ए. टी. जाम्ब्रे) का पंचाट निकासी तथा अग्रप्रेषण एजेंटों के नियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में है । इसका सम्बन्ध नैमित्तिक श्रमिकों से नहीं है ।

(ग) इन "नैमित्तिक श्रमिकों की मांगें राज्य के क्षेत्राधिकार में आती है ।

**Tapping of Telephones of M.Ps.**

4372. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to Acharya Kripalani's letter published in the Hindustan Times dated the 30th September, 1969 wherein he has complained that his telephone calls are tapped by Government officials; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Cemmunications (Shri Sher Singh)** : (a) Yes. In this letter Shri Acharya Kripalani had complained of tapping of telephones of Smt. Sucheta Kripalani.

(b) The allegation has already been denied by the Ministry of Home Affairs in a Press Note dated 10th October, 1969.

**आन्ध्र प्रदेश में तूफान**

4373. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1969 के आरम्भ में आंध्र तट पर एक तूफान आया था;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और धान की फसल को कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) तूफान पीड़ितों को राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) 250 व्यक्तियों और 35,000 पशुओं की मृत्यु हुई । तूफान से धान की खेती वाली 23.32 लाख एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने देवी विपत्तियों के कारण आवश्यक राहत उपायों के लिये धन जुटाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1969–70 में अब तक राज्य सरकार को ऋण के रूप में 8.70 करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में 2.50 करोड़ रुपये दिये हैं ।

राज्य के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में उर्वरक तकाबी के लिये राज्य सरकार को 75 लाख रुपये का एक अल्पकालीन ऋण भी दिया गया है ।

**टेलीफोनों को बीच में सुनने तथा डाक को मार्ग में खोलने सम्बन्धी संसद सदस्यों की शिकायतें**

4374. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उन्हें टेलीफोनों को बीच में सुनने और डाक को मार्ग में खोलने के बारे में लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों से कितनी मौखिक तथा लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में संसद् के दोनों सदनों में सदस्यों के द्वारा यह मामला कितनी बार उठाया गया था;

(ग) इन शिकायतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की पूरी जांच कराने के लिये एक संसदीय समिति गठित करने के लिए सहमत होगी; और

(ङ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) टेलीफोन को बीच में सुनने की केवल एक और डाक को मार्ग में खोलने की दो लिखित शिकायतें संसद सदस्यों से प्राप्त हुई हैं। टेलीफोन को बीच में सुनने के बारे में सामान्य किस्म के कुछ आक्षेप राज्य सभा में मार्च 1968 में भी लगाए गए थे, लेकिन किसी विशेष मामले में विशिष्ट ब्योरे नहीं दिए गए थे ।

(ख) टेलीफोनों को बीच में सुनने के बारे में एक बार राज्य-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 510 के संदर्भ में सवाल उठाया गया था, और बाद में यही सवाल उक्त सदन में ही इसी प्रश्न के बारे में मार्च 1968 में आध घण्टे की बहस के दौरान उठाया गया। यह सवाल राज्य-सभा और लोक-सभा में पांच बार और भी प्रश्नों के माध्यम से उठाया गया। जहां तक डाक को मार्ग में खोलने का सम्बन्ध है इस बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था।

(ग) शिकायतों की जांच की गई थी, लेकिन वे सही नहीं पाई गईं। जब राज्य-सभा में टेलीफोन के बीच में सुनने के बारे में प्रश्न उठाया गया, तो राज्य मन्त्री संचार ने लगाए गए आरोपों का निराकरण किया था ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## अन्दमान द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुविधायें

**4375. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान द्वीपसमूह की कैम्पबैल खाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का पूर्ण-विवरण क्या है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : कैम्पबैल खाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवारों के पुनर्व्यस्थापन के लिये मंजूर की गई मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत, बसने वालों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही हैं:—

1. निम्न प्रकार के अनुसार भूमि:—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | अधिकारी | 25 एकड़ प्रति परिवार। |
| (ii) | अवर, राजदिष्ट अधिकारी | 15 एकड़ प्रति परिवार। |
| (iii) | अन्य औहदे | 11 एकड़ प्रति परिवार जिसमें आवासीय भूमि शामिल है। |

2. मुख्य भूमि में रिहायशी स्थान से कैम्पबैल खाड़ी तक निःशुल्क परिवहन ।

3. निम्न में दिये गये पैमाने के अनुसार निःशुल्क खाद्य सामग्री:—

(क) प्रथम वर्ष शत प्रतिशत की दर से ।

(ख) द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत की दर से ।

(ग) तृतीय वर्ष 50 प्रतिशत की दर से ।

4. घरेलू साज सामान तथा बर्तनों की खरीद के लिये 2,500 रुपये तक का अनुदान प्रति परिवार ।

5. कृषि औजारों, पशुधन इत्यादि की खरीद के लिये 3,000 रुपये तक का अनुदान प्रति परिवार ।

6. मकानों के निर्माण के लिये प्रति परिवार 5,000 रुपये का अनुदान ।

7. बीजों, उर्वरक तथा नाशिकीट मार इत्यादि के लिये 2,500 रुपये तक का अनुदान प्रति परिवार ।

**चण्डीगढ़ में दूध की सप्लाई**

**4376. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में दुग्ध सम्भरण योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्य दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्यों से कितना अधिक है;

(ख) दूध के मूल्यों में असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने सरकार से दुग्धचूर्ण सप्लाई करने का अनुरोध किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां । चण्डीगढ़ तथा दिल्ली स्थित दुग्ध योजनाओं के मौजूदा विक्रय मूल्य निम्नलिखित हैं:—

| | चन्डीगढ़ दुग्ध संभरण योजना | दिल्ली दुग्ध योजना |
|---|---|---|
| | (रुपए प्रति लिटर) | |
| 1. मानकीकृत दूध 5 प्रतिशत चिकनाई और 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० | 1.20 | 1.16 |
| 2. टोन्ड दूध 3 प्रतिशत चिकनाई और 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० | 1.00 | 0.84 |

(ख) चण्डीगढ़ दुग्ध सम्भरण योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध का मूल्य पंजाब डेरी विकास निगम विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करता है और इसका दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) जी हां। चालू वर्ष के दौरान 300 मीटरी टन अलाट हुये स्प्रे टा दुग्ध चूर्ण में से निगम को 200 मीटरी टन पहले ही प्राप्त हो चुका है जो टोन्ड दूध बनाने और वितरण के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

**भूमि सुधार सम्बन्धी विधान को क्रियान्वित करने के लिये संविधान में संशोधन**

4377. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने भूमि सुधार सम्बन्धी विधान को क्रियान्वित करने के लिये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने की आवश्यकता की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** किसी राज्य सरकार से भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार सम्बन्धी उपबन्धों का संशोधन करने के लिये कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संविधान को पहले, चौथे और सत्रहवें संशोधनों द्वारा पहले ही तीन बार संशोधित किया जा चुका है और संविधान की नवीं अनुसूची में कई भूमि सुधार अधिनियमों को सम्मिलित कर लिया गया है, और मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इन अधिनियमों के उपबन्धों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो भूमि सुधार सम्बन्धी विधान नवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है अथवा संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 का उल्लंघन किये जाने की आपत्ति के आधार पर, अनुच्छेद 31-अ के अन्तर्गत "इस्टेट" मद के परिवर्तन द्वारा उसमें सभी प्रकार की भूमियों को सम्मिलित करके समस्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में अधिनियमित सभी उत्तरवर्ती विधानों को संरक्षण भी प्रदान किया गया है।

फिर भी कुछ राज्य सरकारों ने भूमि सुधार को लागू करने में आने वाली कानूनी और वैधानिक कठिनाइयों का वर्णन किया है। इस बारे में भूमिदारों द्वारा कार्यान्वयन में विलम्ब करने के उद्देश्य से निषेध आज्ञा प्राप्त करके संविधान के अनुच्छेद 226 के दुरुपयोग का विशेष उल्लेख किया गया है। मुकदमेबाजी से बचने के लिये, राज्य सरकारों को स्थानीय नियमों में आवश्यक संशोधन करने और उन परिस्थितियों को कम करने के लिये, जिनके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 को आकर्षित किया जा सकता है, आवश्यक पूर्वोपाय करने की सलाह दी गई है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिये कृषि संस्थानों में स्थानों का आरक्षण**

4378. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए कृषि संस्थानों में स्थानों का आरक्षण किये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

## त्रिपुरा में भूमि के लगान की छूट

4379. **श्री वि० कृ० मोडक :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन -**
**श्री भगवान दास :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने यह अनुमति मांगी है कि बार'बार बाढ़ों और सूखे के कारण भूमि के लगान की बकाया राशि की वसूली मुआफ की जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि के लगान की बकाया राशि की वसूली मुआफ करने की अनुमति दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि त्रिपुरा विधान सभा ने अपने पिछले सत्र में सर्वसम्मति से एक सकल्प पास करके यह मांग की है कि त्रिपुरा में 1 एकड़ भूमि वाले खेतों को लगान से मुआफी मिलनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संकल्प को शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) जी हां । 26 सितम्बर, 1969 को पास किये गये संकल्प का उद्देश्य तीन मानकीकृत एकड़ तक के भू–स्वामियों को भू–राजस्व से मुक्त करना है ।

(घ) सरकार को छूट का अधिकार देने के लिये त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के विषय में विचार किया जा रहा है ।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उर्वरक उद्योग को अधिक ऋण देना

4380. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उर्वरक उद्योग को अधिक ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग की मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ग) उर्वरक उद्योग को दिये जाने वाले ऋणों में कितनी वृद्धि करने का विचार है;और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) इस मन्त्रालय द्वारा आयोजित की गई अनौपचारिक समन्वय बैठकों में उर्वरक के प्रतिनिधियों ने उर्वरक वितरण व्यापार के लिये पणन–ऋण को उदारता से देने की प्रार्थना की है।

(ख) से (घ). इस मन्त्रालय में उर्वरक वितरण वित्त सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये अगस्त, 1969 में बैंकरों तथा उर्वरक विनिर्माताओं की एक बैठक की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उर्वरक विनिर्माताओं तथा वितरणकर्ताओं की राज्यवार सूची ली थी और उन्होंने उन्हें यथासम्भव सीमा तक उदारता से ऋण देने का आश्वासन दिया था। कृषि वित्त निगम ने (जिसमें अधिकांश बड़े बड़े बैंक भाग लेते हैं) उर्वरकों के वितरण सम्बन्धी व्यापार के लिये अधिक उदारता से धन देने के लिये हाल ही में एक योजना तैयार की है और इसे कार्यान्वयन के लिये अपने सदस्य बैंकों को भेजा है। उर्वरकों के लिये वित्तीय सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

## बिहार में अधिक अशान्ति

**4381. श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों (बिहार में) के श्रमिकों में इस बात पर अभी भी असंतोष व्याप्त है कि श्रमिक संघों के साथ उनके सम्बन्धों को भविष्य में उनके द्वारा की जाने वाली मांगों के बारे में, अनैहता नहीं समझी जायेगी; और

(ख) क्या कोयला खानों में श्रमिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद)** : (क) और (ख). शायद प्रश्न का आशय बिहार की कोयला खानों के श्रमिकों में किसी यूनियन–विशेष से उनके सम्बन्धों या सम्बद्धता के कारण किये जाने वाले भेद–भाव अथवा शोषण के भय से है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारियों के ध्यान में इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें नहीं लाई गई हैं। फिर भी, इन मामलों से सम्बन्धित नियमों और प्रतिक्रियाओं में ऐसे मामलों में श्रमिकों के पर्याप्त रक्षण की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांगों की जांच भी केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा की जाती है; भले ही उनका सम्बन्ध या सम्बद्धता किसी भी यूनियन से क्यों न हो।

## Project Allowance to Central Government Employees in Ranchi

**4382. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to give project allowance to the employees of the Post and Telegraphs Department working in Ranchi;

(b) if so, whether it is a fact that the said allowance has not been given to the employees working in the A.G.'s Office, Ranchi and other employees working in the Central Government Offices;

(c) if so, the reasons for the discriminatory policy in this regard; and

(d) whether Gavernment propose to give the said allowance to all the employees working there; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). Information is being collected.

## टेलीविज़न उपग्रह कार्यक्रम के लिए निगम

4383. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री शशि भूषण :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि टेलीविज़न उपग्रह योजना सम्बन्धित कार्य की देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय निगम स्थापित किया जाये: और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल)** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में टेलीविज़न के विकास के लिये एक उपग्रह के प्रयोग करने के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। सुझाव पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

## Delay in Issue of Certificates by Employees State Insurance Corporation Dispensaries for Payment of Medical Benefits.

**4384. Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the wide-spread resentment amongst the employees of various companies because the sickness benefit admissible to them on the basis of the medical certificate for going on leave issued by the Employees' State Insurance Corporation Dispensaries is either not paid or is paid only after prolonged corres pondence;

(b) the number of cases pending in the Headquarters of Employees' State Insurance Corporation in respect of which payment of sickness benefit to the employees is still outstanding;

(c) whether it is a fact that Employees State Insurance Corporation has so far not at all examined some cases pending with them for the last 6 months in spite of the fact that the employees have sent notices even by registered post in this respect; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad)** : The administration of the Employee's State Insurance Scheme is the concern of the Employees' State Insurance Corporation and not the direct concern of the Government of India. The Corporation Authorities have furnished the following information:-

(a) Sickness benefit is paid promptly on the basis of certificates issued by Employees' Stata Insurance dispensaries, if the claims conform to the provisions of law. Some delay is, however, likely to occur if the claims are defective or presented in incomplete form.

(b) No cases are pending with the Headquarter's Office of the Employee's State Insurance Corporation. The sickness benefit is paid by the Local Offices of the Corporations and not by the Headquarters' Office.

(c) No.

(d) Does not arise.

## कोयला खानों में श्रम विवाद

4385. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों और कोयला खानों के मालिकों के बीच अनिर्णीत विवादों के कारण कोयला उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस सम्बन्ध में काफी धन की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख). उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि तीन वर्षों से विवादों की संख्या में वृद्धि हुई है, परन्तु उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है ।

## Employees' State Insurance Scheme in Companies

4386. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the purpose of introducing E. S. I. Scheme;

(b) whether Government's attention has been drawn to the fact that when an employee avails himself of leave on the certificate of E. S. I. dispensary, the company deducts from his pay-bill the salary for half the period of his leave;

(c) if so, the reaction of Government thereto and the rules in this regard;

(d) whether it is a fact that employees of some newspapers filed a suit in a court of law against this practice and the case was decided in favour of employees by the court and thereafter this practice of making deductions from the pay-bills of the employees was abandoned; and

(e) whether Government are aware that some companies are still continuing to make such deductions from the pay-bills of the employees; and if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) The object of introducting the Employees' State Insurance Scheme is to provide for certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury and to make provision for certain other matters in relation thereto.

(b) and (c). In accordance with section 72 of the Employees' State Insurrnce Act, 1948 read with Regulation 97 of the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950, when an employee avail himself of leave on the certificate of an Employee's State Insurance Dispensary, the employer can deduct from the employee's leave salary the amount of benefit to which he may be entitled under the Act for the corresponding period.

(d) The Employees' State Insurance Corporation which administers the Employee's State Insurance Scheme has reported that information regarding names of the newspaper establishments and the Court concerned would need to be provided in order to enable the matter being enquired into.

(e) Please see reply to parts (b) and (c).

**Non-Payment of Salaries to the Employees of Newspapers for the Period of Strike**

4387. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the agreement reached in regard to payment of salaries to the employees for the period of strike and look-out in the Newspapers last year is not being implemented;

(b) the names of such of the owners of the Newspapers as have made payment to their employees for the above period;

(c) the names of the owners of those Companies which have not so far made payment to the employees for the above period and the reasons therefor; and

(d) whether any sort of conditions were imposed for the disbursement of the salary; and if so, the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

**Import of Rice from U. A. R.**

4388. **Shri Shri Chand Goyal :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a proposal to import rice from the United Arab Republic is under consideration of Government; and

(b) if so, the quantity of rice being imported during the financial year 1969-70 and the price thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) and (b). About 60,000 tonnes of rice have already been imported from the U. A. R. during the Financial Year 1969-70 under the contract entered into on the 18th February, 1969. Under the trade arrangements, between the two countries an import of 65,000 tonnes of rice from the U. A. R. is contemplated up to June, 1970. The imports from U. A. R. are on Government to Government basis and it will not be in the public interest to disclose the price already paid or which may be paid in future to the U. A. R. Government for the rice.

**Destruction of Bhadia and Aghant Crop in Bihar Due to Floods.**

4389. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Barai and Amrabad of Purnea District in Bihar were badly affected by devastating floods in Ganga and Mahananda rivers and 'Bhadai' and 'Aghani' crops were completely destroyed;

(b) whether it is also a fact that the conditions of famine and starvation have arisen in the above mentioned areas in the absence of proper arrangements by Government; and

(c) whether it is also a fact that the following persons died due to starvation:-

(1) Smt. Sarbatia wife of Late Shri Gultan, Village Mandal, Bachamara.

(2) Panchoo Murahar, Village Gugachchi.

(3) Smt. Basanti Devi, Village Baluaghai ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) Yes Sir, Barari and Amrabad were affected by high floods of Ganga this year. River Mahananda was however, not in spate. Bhadai crops were partially damaged in Diara portions of the aforesaid anchals. Damage to Aghani crops was not substantial.

(b) No Sir. Adequate steps have been taken by State Government to meet the situation.

No Sir, State Government, on enquiry, have found the allegation to be baseless ?

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली के डाक्टरों के साथ मारपीट**

4390. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली के डाक्टरों में उनके कुछ साथियों के साथ जबकि वे अपने कार्य पर थे, कुछ श्रमिकों द्वारा की मारपीट के कारण भारी असन्तोष है;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों का रवैया कहां तक उचित है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कर्मचारी राज्य बीमा दवाखानों में दुर्व्यवहार करने वाले बीमाशुदा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

**Training Institutes for Journalism**

**4391. Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of regular training Institutes in the country for imparting training in Journalism, which receive aid from the Government;

(b) the location thereof;

(c) the expenditure incurred thereon annually; and

(d) the scheme formulated by Government for the development of journalism ?

**The Minister of State in the Ministry of Infarmation and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) One.

(b) Ganesh Shankar Vidyarthi Institute of Journalism, Camp. 117/601, Pandu-nagar, Kanpur.

(c) A sum of Rs. 10,000/-has been sanctioned as grant-in-aid to the above Institute for the first time during the current financial year.

(d) None at present.

**बिहार काश्तकारी अधिनियम के अधीन शिकमी काश्तकार (सब टैनेंट) की स्थिति**

**4392. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम में एक उपबन्ध यह है कि कोई भी शिकमी काश्तकार (शेयर-क्रापर) न्यायालय की डिग्री के बिना 'हसाई' भूमि से बेदखली नहीं किया जा सकता और 'हसाईदार' तथा भूमि के मालिक का फसल में क्रमश: 26 और 14 का हिस्सा होगा;

(ख) क्या ऐसे, 'हसाईदारों' को कोई दस्तावेजी प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता और वे मनमर्जी से गैर कानूनी रूप से बेदखल कर दिये जाते हैं और कानूनी आधार पर फसल का कोई विभाजन नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और उन्हें लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के खण्ड 89 के अनुसार कोई काश्तकार, जिसमें बिना दखलकारी अधिकारों वाला रैयतदार भी शामिल हैं, न्यायालय की डिग्री के बिना बेदखल नहीं किये जा सकते हैं। खण्ड 48–क के अनुसार रैयतदार से उत्पादन भाड़ा भूमि उत्पादन के 7/20 भाग से अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(ख) कुछ रैयतदार ऐसे भी हैं जिन्होंने बिहार काश्तकारी अधिनियम के अधीन दखलकारी के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं और अधिकारों के अभिलेखों में लिखे हुए हैं। ऐसे भी कुछ मामले हो सकते हैं जहां भूमि की दखलकारी एक रैयतदार को लिखित पट्टे के अधीन दी गई हो। फिर भी रैयतदारों की एक बड़ी संख्या ने भूमि मौखिक पट्टे पर ले रखी है और राज्य के कुछ भागों को छोड़कर इन्हें अधिकारों के अभिलेखों में नहीं लिखा जाता। रैयतदारों की कमजोर स्थिति के कारण कुछ ऐसे मामले हैं जहां कानूनी अधिकतम दर से अधिक किराये के रूप में उपज की प्राप्ति की गई है और बेदखली भी गैर कानूनी रूप से हुई है।

(ग) बिहार काश्तकारी अधिनियम में 1955 में किये गये संशोधन द्वारा एक उपबन्ध बनाया गया है जिसके द्वारा जो रैयतदार गैर कानूनी रूप से बेदखल किये गये थे उन्हें दखलकारी अधिकार वापस प्राप्त हो सकें। वर्तमान कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा रैयतदारों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये अतिरिक्त कानूनी उपायों की जांच की जा रही है।

## बिहार साहूकारा अधिनियम का उल्लंघन

4393. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार साहूकार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता और किसी भी स्थिति में कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं हो सकता;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में इन उपबन्धों का खुले आम उल्लंघन होता है; यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इन उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले महाजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ग) क्या ऋणों को निपटाने अथवा उनका पंचनिर्णय करने के लिये कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) जी हां। सुरक्षित ऋण के लिये ब्याज की दर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष और असुरक्षित ऋण के लिये 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ख) राज्य सरकार को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ऋण लेने वालों के लिए कचहरी के माध्यम से दीवानी उपाय मौजूद हैं।

(ग) अनुसूचित जन जातियों के लिए ऋण निपटाने के लिए ऋण समझौता बोर्ड मौजूद है।

**चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्र**

4394. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ख) उनकी मांगों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) 2350

(ख) 1100 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था अक्तूबर, 69 में की गई थी, और 1970 में 900 और लाइनों के लगाए जाने की आशा है। इसके अलावा 1971-72 में इस एक्सचेंज में 2100 लाइनों के अतिरिक्त विस्तार का कार्य पूरा करने की योजना है।

**जम्मू तथा काश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य सीमा क्षेत्रों में डाकघर**

4395. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण एवं संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य सीमा क्षेत्रों में डाकघर खोलने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है और वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को जहां डाक सुविधाएं अपर्याप्त समझी जाती हैं, डाक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से 'अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र' घोषित किया गया है ताकि वहां 1000 रुपये प्रति वर्ष प्रति डाकघर के घाटे की छूट देकर और कुछ खास मामलों में प्रति वर्ष प्रति डाकघर 2500 रुपये तक के घाटे की छूट देकर डाकघर खोले जा सकें। निम्नलिखित सीमावर्ती क्षेत्रों को डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया गया है:—

1. गुजरात—कच्छ जिला
2. राजस्थान—बाड़मेर जिला
   जैसलमेर जिला
3. उत्तर प्रदेश—पिथारागढ़ जिला का कुछ भाग

4. असम – गोरा पहाड़िया
मीजो पहाड़िया
खाशी और जयंतिया पहाड़िया } जिले

5. जम्मू तथा कश्मीर–पूरा जम्मू तथा कश्मीर

6. उपूसी–उपूसी

7. नागालैंड–नागालैंड

8. मणीपुर–मणीपुर (उखरुल, माओ, जीरीबन, तमंगलोंग, चूराचांदपुर उप डिवीजन)

9. त्रिपुरा–त्रिपुरा (अगरतला नगर को छोड़कर)

10. हिमाचल प्रदेश–हिमाचल प्रदेश

डाक सुविधाओं के विस्तार के प्रयोजनों के लिए जम्मू तथा कश्मीर के पूरे राज्य को अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) चौथी योजना अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा सीमा क्षेत्रों में 97 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए निश्चित स्थान अभी तक छांटे नहीं गए हैं। अन्य सीमा क्षेत्रों की बाबत सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कोचीन अथवा एलप्पी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण**

4396. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन अथवा एलप्पी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण अथवा उसका विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने के लिए बन्दरगाह का विस्तार करना अवश्यम्भावी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) कोचीन उन पत्तनों में से है, जहां पर मुख्य पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिये घाटीय और तटीय सुविधाओं की व्यवस्था की एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) मीन उद्योग के विकास के लिये मछली पकड़ने की बन्दरगाहों की स्थापना आवश्यक है। केरल राज्य में कई मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का विकास किया जा रहा है। उनमें से कुछ का आयोजन यन्त्रीकृत नावों के संचालन के लिये किया जा रहा है। विजिनजोम में 1.73 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली मछली पकड़ने की बन्दरगाह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का संचालन करेगी। यन्त्रीकृत नावें तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज पहले ही कोचीन से परिचालित हो रहे हैं। मछली पकड़ने वाले

जहाजों के लिए तटीय, घाटीय और मरम्मत तथा अनुरक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था बन्दरगाह पर अधिकाधिक यन्त्रीकृत नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के कुशल परिचालन को सम्भव कर सकेगी।

(ग) कोचीन में प्रस्तावित स्थल की जांच पड़ताल के लिये केन्द्रीय सरकार ने मार्च 1969 में 1.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। कोचीन पत्तन न्यास जांच पड़ताल कर रहा है और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, खड़कवासला में किये जा रहे प्रयोगों के परिणामों को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त परियोजना की रिपोर्ट को तैयार करेगी।

**मछली पकड़ने की नावों का निर्माण**

**4397. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मछली पकड़ने की 30 नावों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत जहाज निर्माताओं के सार्थ संघ ने जो हाल ही में गठित हुआ है यह दावा किया है कि वे न केवल देश की आवश्यकता पूरी करने अपितु निर्यात करने के लिए भी काफी नावें बनाने की क्षमता रखते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दावे का पता लगा कर इसे सत्य पाया है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो नावों का आयात करने का क्या कारण है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो तो, सरकार किस आधार पर यह अनुभव करती है कि उपरोक्त सार्थ संघ का दावा गलत है और देश में ही नावों का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) भारत सरकार एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत 30 नावों के आयात करने की व्यवस्था मौजूद है। योजना की एक शर्त यह है कि आयात लाइसेंस के नियुक्त किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत विदेशी सम्भरणकर्ताओं से नावें उपलब्ध हो जानी चाहिये। योजना में यह भी व्यवस्था है कि आयात हुई प्रत्येक दो नावों के लिये 55 फीट से अधिक लम्बाई की इस्पात बनी एक नाव भारतीय जहाज निर्माण यार्ड में तैयार की जानी चाहिये।

(ख) और (ग) . चौथी योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की 300 नौकाओं का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है। 1968 में 57 फुट लम्बाई तथा 200 अश्व शक्ति के इंजन वाले एक मछली पकड़ने वाले पोत के नमूने को अन्तिम रूप दे दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिये इस नमूने के मछली पकड़ने के 40 पोत देश में निर्मित किये जा रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 60 ऐसे मछली पकड़ने वाले पोतों का निर्माण किया जा सकता है। व्यापारिक मीन उद्योग के लिये विभिन्न नमूनों तथा आकारों

के मछली पकड़ने के पोतों की आवश्यकता होगी। अब मछली पकड़ने के बड़े आकार के पोतों के नमूने तैयार किये जा रहे है। अतिरिक्त मूलाकृति के विकास के परिणामस्वरूप देशी उद्योग से देश के विभिन्न नमूनों तथा आकार के पोतों की आवश्यकतायें पूरी हो जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ). यद्यपि देशी जहाज निर्माण उद्योग के पास मत्स्य उद्योग की आवश्यकताओं के एक बड़े भाग को पूरा करने की ही क्षमता मौजूद है और जैसे कि प्रश्न के भाग (क) तथा (ग) के उत्तर में कहा गया है व्यावहारिक रूप से सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य को गतिमान किया जा रहा है। मत्स्य उद्योग को मछली पकड़ने के पोतों की नियमित तथा लगातार मांग की सीमा तक बढ़ाने के लिए समन्वित तरीकों को अपनाना आवश्यक समझा गया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य की धीमी गति रही है। उद्योग के विकास की गति को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। चौथी योजना के अन्तर्गत, विशेषकर बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में, उद्योग की अवस्थापना के प्रबन्ध के लिये एक बृहत कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अनुमान है कि चौथी योजना की अवधि में इन सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ मुख्यत: गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोतों का प्रयोग शुरू हो जायेगा। 30 पोतों के आयात की योजना (जो कि देश में 15 नौकाओं के निर्माण से सम्बन्धित है) एक ऐसा उपाय है जिसे मीन उद्योग को विकसित करने तथा अतिरिक्त पोतों की मांग बढ़ाने के लिये अपनाया गया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास पर बल देने के लिये एक योजना तैयार की गई है, जिसमें नौकाओं की मूलाकृति की व्यवस्था है और जो देश में भावी निर्माण के लिये नमूनों के मानकीकरण के लिये उपयुक्त सिद्ध होगी तथा सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों के उन्नतिशील उपभोगकर्ताओं से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोतों की मांग को पूरा करने के लिये प्रथम चरण में 15 देसी पोतों के लिये मत्स्य उद्योग से आर्डर प्राप्त करेगी।

**राज्यों में बाढ़ तथा अत्यधिक वर्षा से अनाजों की क्षति**

**4398. श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में बाढ़ों तथा अति वृष्टि के कारण अनाज के जो मूल्य घट गये थे वह फिर काफी हद तक बढ़ गये हैं ; और

(ख) अनाज की कीमतों को और न बढ़ने देने तथा उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राज्यों में पुनर्वास समस्या

4399. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दी है कि पूर्वी पाकिस्तान तथा अन्य देशों से शरणार्थियों के निरन्तर आते रहने के कारण उनके राज्य की पुनर्वास समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार से अधिक धन की मांग की है जिससे कि वह शरणार्थियों की समस्या का मुकाबला कर सकें ;

(ग) क्या आसाम और पश्चिम बंगाल शरणार्थियों के आगमन से अधिक प्रभावित हुए हैं और यह वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति और दंगों के लिये उत्तरदायी है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) पूर्वी पाकिस्तान तथा अन्य देशों के आये शरणार्थियों के पुनर्वास के मामले में सभी राज्य सरकारों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। तथापि, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने बताया है कि उनके राज्यों में अन्तिम बिन्दु पहुंच चुका है और वहां अतिरिक्त परिवारों के बसाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, उस राज्य में पुराने प्रवासियों के 1.28 लाख परिवारों के अलावा नये प्रवासियों के लगभग 12,000 परिवार बसाये जा चुके हैं। शिविरों में रह रहे शेष परिवारों के बारे में, राज्य सरकार ने यह मत प्रकट किया है कि उन्हें पुनर्वास हेतु राज्य से बाहर अन्य स्थानों पर ले जाया जाये। तदनुसार, आसाम के शिविरों में रह रहे नये प्रवासी परिवारों को दण्डकारण्य परियोजना तथा नये प्रवासियों के लिए इस प्रकार की अन्य मंजूर की गई परियोजनाओं में बसाने के लिए उन्हें मनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, जनवरी, 1964 में नये प्रवासियों के आने के प्रारम्भ में यह निश्चय किया गया था कि उस राज्य में पुराने प्रवासियों के भारी जमाव के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में अन्तिम बिन्दु पहले ही पहुंच चुका है, इसलिये पश्चिम बंगाल में कोई शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा और पुनर्वास सहायता केवल उन नये प्रवासियों को स्वीकार्य होगी जो भारत आने पर, अन्य राज्यों में उनके हित के लिये स्थापित किये गये राहत शिविरों में प्रवेश पाकर राहत तथा पुनर्वास सहायता के इच्छुक हों। इस नीति का पालन किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल सरकार से पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के पुनर्वास के लिए धन की कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, उनकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर धन-राशि दी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में अवशिष्ट मूल्यांकन के अधीन पुराने प्रवासियों के हित के लिये किये गये पुनर्वास उपायों सम्बन्धी कार्यों तथा परिणामों का निश्चय करने और नये प्रवासियों के

आने के कारण उत्पन्न हुई समस्या के स्वरूप और आकार को निर्धारित करने के लिए 1967 में समीक्षा समिति स्थापित की गई थी। दिसम्बर, 1967 में समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए मई, 1968 में 41.64 लाख रुपये की धन राशि मंजूर कर दी गई थी, इसमें से 1968–69 में राज्य सरकार को 20 लाख रुपए दिए गए थ। शेष राशि जब कभी राज्य सरकार को आवश्यकता होगी, दे दी जायेगी।

समिति ने, पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व शिविर स्थलों पर बैठे पूर्वी पाकिस्तान के 7,066 विस्थापित परिवारों के बारे में, अन्य रिपोर्ट मार्च 1969 में प्रस्तुत की थी। भारत सरकार ने अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

पश्चिम बंगाल में नये प्रवासियों को शिक्षा सुविधाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन समिति ने नवम्बर. 1968 में प्रस्तुत किया था और भारत सरकार के विचाराधीन है।

**दिल्ली में राशन की दुकानों पर चीनी का अधिक मूल्य**

**4400. श्री चेंगलाराया नायडू :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री मयाबान :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की राशन की दुकानों के चीनी के मूल्य की तुलना में खुले बाजार में चीनी सस्ते दामों पर मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राशन की दुकानों पर बिकने वाली चीनी के दाम कम करने का विनिश्चय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी नहीं। राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी का लेवी मूल्य अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन निर्धारित किया गया है और उसे घटाया नहीं जा सकता है।

**भूमि सुधारों के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन**

**4401. श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 से 30 नवम्बर, 1969 को दिल्ली में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन राज्यों में भूमि सुधार अधिनियमों की कार्यान्वित पर विचार करने के लिए हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या विनिश्चय किये गये ; और

(ग) उनके कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये अथवा उठाने का प्रस्ताव है और उससे समस्या के समाधान की कहां तक सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) खाद्य और कृषि मन्त्री ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में भूमि सुधारों के बारे में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों के सम्बन्ध में लोक सभा में 2 दिसम्बर, 1969 को एक वक्तव्य दिया था।

(ग) चूंकि भूमि सुधार राज्य का विषय है, अतः प्रस्ताव तैयार करना, उपयुक्त कानून बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना प्रमुखतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। आशा है मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में हुए विचार विमर्श को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारें उन निर्णयों की क्रियान्वित के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगी। चूंकि कृषि उत्पादन और विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण साधन है और मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी इस पर जोर दिया गया है, अतः यदि भूमि सुधार से लाभ उठाने वालों को संस्थात्मक ऋण और अन्य आदान आदि प्रदान करने के सहायक साधन उपलब्ध किये जायें तो कृषि उत्पादन पर भूमि सुधारों के प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है।

## विज्ञापनों के प्रसारण से आय

**4402. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के किन-किन केन्द्रों से विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है और इनके लिए कुल कितना समय दिया जाता है ;

(ख) इनके आरम्भ किये जाने से अब तक इनसे महीने वार कितनी आय हुई है तथा किसी एक विज्ञापन कर्ता द्वारा कितनी अधिकतम राशि दी गई ; और

(ग) 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक राशि देने वाले विज्ञापन कर्ताओं के नाम क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) बम्बई, पूना, नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास तिरुची से औसत रूप से इन प्रत्येक केन्द्रों से प्रतिदिन 84 मिनट की अवधि के लिए व्यापारिक विज्ञापन प्रसारित किये जा रहे हैं।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें व्यापारिक विज्ञापनों के शुरु होने के दिन से सितम्बर 1969 तक की अवधि में इन विज्ञापनों के प्रसारण से हुई

अग्य दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2412/69] 1968–69 के दौरान एक विज्ञापन द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम तथा न्यूनतम धन क्रमश: 3,92,007 रुपये तथा 475 रुपये था।

(ग) अलग अलग विज्ञापनों के बारे में सूचना गोपनीय है और वह प्रकट नहीं की जा सकती।

**कोइम्बटूर एम्पैलाइज कोआपरेटिव स्टोर को हानि**

4403. **श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री पी० पी० एस्थोस**
**श्री के० रामानी :**
**श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस कालोनी कोइम्बटूर में भारत सरकार प्रेस के एम्प्लाइज कोआपरेटिव स्टोर कुप्रबन्ध के कारण हानि उठा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) सरकार ने उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने तथा स्टोर को ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**ट्यूबवैलों की खुदाई के लिए केन्द्रीय सहायता**

4404. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी और इस प्रकार की परियोजना को जो ट्यूबवैलों की खुदाई का कार्य करे केन्द्र द्वारा अनुपूर्ति देने का प्रस्ताव है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : नलकूप लगाना / ड्रिलिंग करना स्टेट प्लान स्कीमों के अधीन आता है। चालू पद्धति के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता एक मुश्त आधार पर दी जाती है जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण होता है और अलग अलग स्टेट प्लान स्कीमों के लिए राशि निर्धारित करने में राज्य सरकार को पूरी छूट है। अत: नलकूपों के ड्रिलिंग आदि की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं होता।

**'अधिक अनाज उपजाओ' अभियान के अन्तर्गत कृषि उपकरणों की खरीद के लिये धन**

4405. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य कृषि संगठन के 'अधिक अनाज उपजाओ' अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कितने अतिरिक्त धन के दिए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि कोई धन नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). कृषि विकास के लिये नई नीति अपनाने तक आदानों और ऋण की उपलब्धि में विशिष्ट सुधार होने के परिणामस्वरूप खाद्य और कृषि मंत्रालय के 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान के अन्तर्गत योजनाओं को 1966-67 से समाप्त कर दिया गया है। अतः इस मंत्रालय द्वारा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कोई धन निर्धारित किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता। इस समय कृषि उपकरणों की खरीद और बिक्री के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने बजट में की जाती है।

**Implementation of Lift Irrigation Schemes in Banda, Uttar Pradesh**

**4406. Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the extent to which Central Government are responsible in regard to the implementation of Lift irrigation Schemes;

(b) whether increasing the capacity of lift irrigation from Jamuna river falls under the jurisdiction of the Central Government;

(c) the number of schemes for lifting water from Jamuna river and throwing it into the canals in Banda District (Uttar Pradesh) finally approved for implementation; and

(d) the number of schemes for Lift Irrigation from the rivers Ken, Pesuni, Baghain, Balmiki, Ganta, etc. in the said district finally approved and the numbar of such schemes still under consideration of Government ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) and (b) Implementation of Minor Lift Irrigation schemes costing upto Rs. 15 lakhs is taken up by the State Governments without referring individual schemes to the Government of India. Medium schemes costing more than that amount require reference to the Government of India for technical clearance and for approval from the point of view of their effect on water availability in other States. All schemes, however, are selected and executed by the State Governments.

(c) Three minor pump irrigation schemes have been approved by the State Government for lifting water from river Jamuna and providing irrigation in Banda district.

(d) Two minor pump canal schemes (one of which has already been completed) to lift water from river Ken, and one minor pump canal scheme to lift water from river Pesuni (already completed) have been taken up for irrigation in Banda district. No lift irrigation schemes have been approved on rivers Baghain, Balmiki and Gunta. One medium pump canal scheme on rivers Baghain river, however is under investigation and has been included in the State's Fourth Five-Year Plan.

**Development Agencies For Small Farmers in 20 Districts**

**4407. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have announced to set up agencies for the development of small farmers of 20 districts;

(b) if so, the grounds on which these agencies will be set up; and

(c) the names of the districts where these agencies will be set up ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) Yes, Sir.

(b) The area will be chosen depending primarily upon the availability of adequate number of potentially viable small farmers, the strength of the cooperative structure and existence of groundwater potential;

(c) Two Agencies has been located in Districts Purnia in Bihar and Darjeeling in West Bengal. Madhya Pradesh has proposed Chhindwara district. Other States have not made any proposal yet.

**सिन्दरी उर्वरक कारखानों में कर्मचारियों की समस्यायें**

**4408. श्री नम्बियार :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री भगवान दास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर 1967 में सिन्दरी उर्वरक कारखाने के मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच हुए करार की शर्तों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति द्वारा अक्टूबर, 1968 में की गई सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) क्या बिहार सरकार के श्रम विभाग द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद भी चार्जमैन, लोअर डिवीजन क्लर्क आदि श्रेणियों में पदोन्नति के प्रश्न के बारे में निर्णय नहीं किया जाता है; और

(घ) क्या यह सच है कि सिन्दरी कारखाने की सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से अभी कोई मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन नहीं है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

## ग्राम सहकारी क्रय तथा विक्रय समिति, कार निकोबार

4409. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
**श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार निकोबार की ग्राम सहकारी क्रय तथा विक्रय समिति की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : कार निकोबार में चोदह सहकारी विपणन समितियां हैं। इनके 393 हिस्सेदार हैं जिनके 470 हिस्से हैं। इनकी कार्यकर पूंजी 15,05,278 रु० है। 1968–69 के सहकारी वर्ष में इन समितियों का लाभ 1,52,098 रु०, फार्म खरीद 12,37,134 रु० और बिक्री 12,81,067 रु० थी। 30 जून, 1969 को इन सभी 14 समितियों की वित्तीय स्थिति अच्छी बतायी जाती है।

## Profit earned by Food Corporation of India

4410. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Shri Chand Goyal :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of profits earned by the Food Corporation of India durig the financial years 1966-67, 1967-68 and 1968-69, separately; and

(b) the names of the countries to which commodities were exported by the Corporation during the above period ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) The profits earned by the Food Corporation of India after provision for taxation for the financial years 1966-67 and 1967-68 are as under :-

| | | |
|---|---|---|
| 1966-67 | — | Rs. 95.27 lakhs |
| 1967-68 | — | Rs. 88.34 lakhs |

Accounts for the year 1968-69 of the Corporation have not yet been finalised.

(b) No commodities are exported direct by the Food Corporation of India.

## जयपुर के निकट मोरिजा में लौह अयस्क की खान में हुई दुर्घटना के कारण मारे गए व्यक्ति

4411. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 नवम्बर, 1969 को जयपुर से 40 मील की दूरी पर स्थित मोरिजा नये लौह अयस्क की खान के धस जाने से चार व्यक्ति मारे गए थे तथा अनेक घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किस कारण हुई थी; और

(ग) इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) खान की दीवार से चट्टान गिर जाने के कारण चार व्यक्ति मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए।

(ख) खान की दीवारों की ढाल और व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी, वैसी नहीं की गई थी।

(ग) संबंधित धातुप्रद खान विनियमन के उल्लंघन के लिए प्रबन्धकों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने का विचार है।

**Implementation of Three-Point Panchayati Raj Programme**

**4412. Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have advised such of the States as have not so far fully implemented the three-point Panchayati Raj Programme to take immediate steps in this direction; and

(b) if not, the reasons therefor and if so, the reaction of the States concerned thereto and also the details of progress so far made in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) and (b). The Centarl Government has been constantly urging upon the State Governments the need for early implementation of the Panchayati Raj Programme. The statewise position regarding implementation can be had from the answer to Starred Question No. 1564 given in the Lok Sabha on May 8, 1969 A statement showing the position in respect of such States which have not so far fully implemented the three-point Panchayati Raj Programme is Laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No LT-2413/69]**

**Stoppage of leasing of land to Adivasis and Harijans in Madhya Pradesh**

**4414. Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that consequent upon the Madhya Pradesh Government's announcement to stop leasing out the agricultural forest land, Adivasis and Harijans are not getting land for agricultural purposes as a result of which lakhs of such landless Adivasis and Harijan families are facing financial crisis; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-op. (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) No complaint has been received by the Central Government.

(b) Does not arise.

## अरबी टेलीप्रिंटर का निर्माण

4415. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास ने अरबी के टेलीप्रिंटर के निर्माण की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण कब आरम्भ होने की संभावना है तथा प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है; और

(ग) क्या इसमें विदेशी पुर्जों का भी प्रयोग होगा और यदि हां, तो अरबी के एक टेलीप्रिंटर में ऐसे कितने पुर्जों का प्रयोग होगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादन 1970 के आरंभ में शुरू हो जाने की संभावना है । अरबी लिपी के दूरमुद्रकों के लिये अब तक जो आदेश प्राप्त हो चुके हैं उनकी पूर्ति दिसम्बर, 1970 तक कर दी जानी है तथा उसके परिणाम स्वरूप लगभग 17 लाख रुपये की विदेशी-मुद्रा अर्जित होगी ।

(ग) एक अदद अरबी दूरमुद्रक में प्रयुक्त विदेशी पुर्जों का मूल्य उसके विक्रय-मूल्य का लगभग 6.3 प्रतिशत है ।

## Import of Power Tillers

4416. **Shri Maharaj Singh Bharati .** Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to state the number of power tillers proposed to be imported during the current financial year ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde) :** It was decided to import 2226 nos. of power tillers from Japan under the VIIIth Yen Credit, and 212 from U. S. A. against the requirements for 1968-69. The import programme for 1969-70 is under consideration of the Government.

## राज्यों में कृषि उद्योग निगम

4417. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में अभी तक कृषि उद्योग निगम स्थापित नहीं किये गये हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में एक कृषि उद्योग निगम स्थापित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उन राज्यों में कब तक निगम स्थापित कर दिए जायेंगे जहां वे अभी तक स्थापित नहीं किए गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग). जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना हो चुकी है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने भी अपने राज्य में एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है और उसके लिए सभी प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस निगम के शीघ्र ही पंजीकृत होने की सम्भावना है। नागालैंड में निगम स्थापित करने के प्रश्न पर वहां की सरकार विचार कर रही है।

## पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

**4418. श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
**श्री नामेश्वर द्विवेदी :**

क्या **श्रम तथा पनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की इस समय क्या स्थिति है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी, पाकिस्तान के साथ हुए करार के पश्चात् कितने प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया तथा कितने व्यक्तियों का पुर्नवास करना अभी शेष है;

(ग) उनका पुनर्वास करने में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं तथा उसके लिये किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(घ) उनमें से किन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है और कौन-सी कठिनाइयां अभी भी विद्यमान हैं;

(ङ) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पुनर्वास कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख). पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की कुल संख्या निम्न है :—

| | |
|---|---|
| पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी | 47.40 लाख |
| पूर्वी पाकिस्तान से आये पुराने प्रवासी,- वे व्यक्ति जो 31-3-58 तक पूर्वी पाकिस्तान से आये थे। | 41.47 लाख |
| पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासी—पूर्वी पाकिस्तान से आये वे शरणार्थी जो 1-1-64 को या उसके बाद और 30.11.69 तक भारत आये। | 8,52,093 |

पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास प्रायः 1962 तक पूर्ण हो चुका था। इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से आये पुराने प्रवासियों का पुनर्वास पश्चिम बंगाल को

छोड़कर अन्य राज्य में 1960–61 तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। पश्चिम बंगाल में अवशिष्ट समस्या का मूल्यांकन, राज्य सरकार के परामर्श से 1960–61 में किया गया था और यह अनुमान किया गया था कि अवशिष्ट समस्या का समापन करने के लिये और 21.88 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। इसमें से अब तक लगभग 16.85 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

पुराने प्रवासियों के हित के लिये पश्चिम बंगाल में किये गये पुनर्वास उपायों के कार्य तथा परिणामों का निश्चय करने के लिये एक समीक्षा समिति भी स्थापित की गई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त पुनर्वास सहायता मंजूर करने की कार्यवाही की जाती है।

पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के पुराने प्रवासियों के बारे में वर्षवार पुनर्वास आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों का सम्बन्ध है, उन परिवारों की संख्या, जिन्हें 31-10-1969 तक दण्डकारण्य को छोड़कर राज्यों तथा परियोजनाओं में पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है, उसका वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

| | कृषक | गैर–कृषक |
|---|---|---|
| 1964–65 तथा 1965–66 | 10,506 | 97 |
| 1966–67 | 6,931 | 1,422 |
| 1967–68 | 4,656 | 2,071 |
| 1968–69 | 2,350 | 577 |
| 1969–70 (31.10.69 तक) | 670 | 1,295 |
| योग | 25,113 | 5,462 |

इसके अतिरिक्त नये प्रवासियों के 7,545 कृषक तथा 352 गैर–कृषक परिवार दण्डकारण्य परियोजना में बसाये गये हैं; 540 परिवार अन्दमान द्वीप में; और 236 नये प्रवासियों को उद्योगों में रोजगार पर लगाया गया है। रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से भी भारत में विभिन्न कार्यालयों तथा उद्योगों में 3,893 नये प्रवासियों को रोजगार पर लगाये गये हैं। 30-11-69 तक 40,210 व्यक्तियों के 9,896 परिवार शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में थे। इनमें से 4,520 स्थायी दायित्व श्रेणी के परिवार थे और 5,376 कृषक तथा गैर–कृषक परिवार थे।

(ग) से (च): शरणार्थियों का कृषि तथा अन्य व्यवासयों में पुनर्वास करने में समय लगना आवश्यक है और इसमें केवल सरकार की सहायता की आवश्यकता ही नहीं अपितु प्रवासियों द्वारा भी उद्यम तथा धैर्य की आवश्यकता है। अच्छी बुवाई की भूमि के अभाव में, प्रवासियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये सीमातटीय तथा उप–सीमा–तटीय वन–भूमियों का उद्धार करना पड़ता है और परिष्कृत स्थितियों के अधीन बुवाई की जाती है। सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के यथाशीघ्र प्रयत्न किये जा रहे हैं। नये प्रवासियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये, जो कि

अभी शिविरों में हैं, उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। गैर-कृषक परिवारों के मामले में, व्यापार के लिये उपयुक्त स्थान पाने के सम्बन्ध में कठिनाइयां पेश आ रही हैं। तथापि उनके त्वरित पुनर्वास के लिये, राज्य सरकारों के परामर्श से, प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों से सम्बन्धित पुनर्वास कार्य के पूर्ण होने के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासियों का आना अभी पूर्ण रूप से बन्द नहीं हुआ है। तथापि, प्रवासियों को बसाने के यथाशीघ्र यथासंभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

**4419. श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन तिब्बतियों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की है जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत आ गये हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :** भारत, सिक्कम तथा भूटान में अनुमानतः 56,000 तिब्बती शरणार्थी हैं। उनमें से अब तक 23,000 परिवारों को, कृषि-पुनर्व्यवस्थापन, लघु उद्योग तथा देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये गये दस्तकारी केन्द्रों में, पुनर्वासित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं में कुछ के सम्बन्ध में सरकार को स्वेच्छा सहायता एजेन्सियों द्वारा भी सहायता प्राप्त हुई है। शेष तिब्बती शरणार्थियों को बसाने हेतु भूमि पर पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाएं आयोजित की जा रही है और इस प्रयोजना के लिये वास्तविक योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

वर्तमान मुख्य भूमि पुनर्व्यस्थापन, बाइलाकुप्पे, मुण्डगोड तथा कावेरी घाटी मैसूर राज्य में, मैनपत, मध्य प्रदेश में, चन्द्रगिरी तथा महेन्द्रगढ़ उड़िसा में, तथा तेजू के निकट उत्तर-पूर्व सीमा-एजेन्सी में चांगलंग में है।

दस्तकारी केन्द्र दारजीलिंग, डलहौज़ी, शिमला, राजपुर (देहरादून के निकट) धर्मसाला, कालिमपोंग तथा पपरोला (हिमाचल प्रदेश) में स्थापित किये गये हैं। ऊनी मिलें, डीहाइड्रेटिड लाइम प्लान्ट तथा फाइबर ग्लास फैक्टरी हिमाचल में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं।

वृद्ध तथा अपंग तिब्बती शरणार्थियों के लिये, जिन्हें देखने वाला कोई उनका निकट सम्बन्धी नहीं है, मैसूर राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा में चार गृह स्थापित किये जा रहे है।

## सहकारी आन्दोलन

**4420. श्री सु० कु० तावड़िया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सहकारी आन्दोलन पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां यह आन्दोलन पिछड़ रहा है;

(घ) देश में इस आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ङ). जी नहीं। जब से पंचवर्षीय योजनाओं का आरम्भ हुआ है तब से इस आन्दोलन ने समग्र रूप से बहुत से क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है। तथापि, सहकारी गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों तथा क्षेत्रकों में प्रगति असमान है। अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में यह आन्दोलन कमजोर है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर विभिन्न राज्यों में सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित समस्याओं की समीक्षा की है। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने भी अपनी हाल ही की रिपोर्ट में प्रादेशिक असमानताओं के कारणों का विश्लेषण किया है। ये संस्थागत ढांचे संगठनात्मक तथा संरचनात्मक कमजोरियों और क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन जैसे बाह्य कारणों से सम्बन्धित हैं।

पूर्वी राज्यों और राजस्थान जहां सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर था, में सहकारी समितियों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का एक कार्यक्रम वर्ष 1968-69 के अन्त तक लागू था। राज्य सरकारों को संरचनात्मक तथा संगठनात्मक कमजोरियां प्राथमिक ऋण समितियों के जीव्यता कार्यक्रम, कमजोर केन्द्रीय बैंकों के पुनः स्थापन और सहकारी कार्मिकों के सामान्य संवर्गों के गठन के माध्यम से ठीक करने के लिए सुझाव दिए जा चुके हैं और मार्गदर्शक सिद्धान्त सूचित किए जा चुके हैं। जिन राज्यों में सहकारी आन्दोलन कमजोर है, वहां कृषि ऋण निगम स्थापित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है। इन राज्यों को उनके ऋण-पत्र कार्यक्रमों के अनुपातत: विकास की उच्च दर स्वीकार की जाती है। तथापि, आर्थिक पिछड़ेपन से पैदा होने वाली क्षेत्रीय विषमताओं को केवल इन क्षेत्रों के सामान्य आर्थिक विकास द्वारा ही दूर करने की आशा की जा सकती है।

## राज्य मन्त्री द्वारा मंजूर किये गये टेलीफोन

**4421. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मन्त्री द्वारा मंजूर किये गये टेलीफोनों के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये हैं तथा संबंधित व्यक्ति के नाम और पते क्या क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) और (ख). उस समय के राज्य मन्त्री द्वारा मंजूर किये गये टेलीफोनों के संबंध में अपेक्षित सूचना

संकलित कर ली गई है और सभा पटल पर रख दी गई सूची में दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2414/69] इनमे से 109 अस्थायी और 7 स्थायी थे।

**समाचार भारती के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन**

4422. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 14 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3640 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'समाचार भारती' के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन सम्बन्धी मामले की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** (क) और (ख). समाचार भारती एक स्वतन्त्र एजेन्सी है और सरकार का इसके संचालन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**आकाशवाणी के कलाकारों/निर्माताओं को आकाशवाणी से बाहर काम करने की अनुमति**

4423. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों/निर्माताओं को चलचित्रों में काम करने की अनुमति दिये जाने के बारे में 31 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आकाशवाणी के 527 स्टाफ आर्टिस्टों/प्रोड्यूसरों को आकाशवाणी से बाहर फिल्म में काम करने के लिये अनुमति दी गई थी। इन कार्यों के लिये उन्हें 94,89,6.50 रुपये पारिश्रमिक मिला। यह सूचना पहले के एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति करते हुए 13 अक्तूबर, 1969 को संसदीय कार्य विभाग को दी गई थी।

**श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों का पुनर्वास**

4424. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भारतीय नागरिकों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है जो 31 अक्तूबर 1969 तक श्रीलंका से भारत लौटे है और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :** एक विवरण जिसमें श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्वास के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्योरा दिया गया है, सभा पटल पर रखा गया। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी 2425/69**]

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, व्यापार के लिये ऋण, कृष्य भूमि का आवंटन तथा रोजगार आदि के रूप में अब तक 657 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है।

**सूक्ष्म तरंग पारेषण (माइक्रोवेव ट्रांसमिशन) सुविधाओं के लिये इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन से प्राप्त आवेदन-पत्र**

**4425. श्री भगवान दास :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म तरंग पारेषण सुविधाओं के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और कब से ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) सूक्ष्म तरंग पारेषण सम्बन्धी ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। इंडियन एयर लाइंस ने 36 तार परिपथों के लिए आवेदन भेजा था। ऐसे परिपथों के लिए जहां कहीं भी सूक्ष्म-सरणियां एलाट की जा सकती है, वहां ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। अन्य मामलों में परिपथ दूसरे माध्यमों से काम करते रहेंगे।

(ख) 36 तार परिपथों में से 26 एलाट कर दिये गए हैं। इनमें से दो फिलहाल तकनीकी आधार पर नहीं दिये जा सकते और बकाया 8 परिपथों के बारे में तकनीकी सुविधा की जांच की जा रही है। सर्किल/क्षेत्र अध्यक्षों से कह दिया गया है कि जो परिपथ पहले से एलाट तो किए जा चुके है, लेकिन अब तक काम में नहीं लाए गए उन्हें जल्द ही चालू कर दिया जाए।

**प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को वर्ष में सौ दिन रोजगार देने की गारन्टी**

**4426. श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी. एस. लोकनाथन द्वारा हाल में दिये गये सुझाव के अनुसार सरकार की प्रत्येक योग्य और इच्छुक बेरोजगार व्यक्ति को वर्ष में कम से कम सौ दिन रोजगार देने की गारन्टी देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद)** : (क) से (ग). जी नहीं। हाल ही में सरकार ने देश में बेरोजगारी की सीमा का अनुमान लगाने और आवश्यक उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति द्वारा सुझाव पर निःसन्देह विचार किया जाएगा।

**विदेशी टेलीविज़न संगठनों के कार्य की जांच**

4427. **श्री ई० के० नायनार :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विदेशी टेलीविज़न संगठनों को कार्य करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या उनके कार्यकरणों की किसी प्रकार पूर्व जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) भारत सरकार के मुख्यालयों में 22 विदेशी प्रसारण तथा टेलीविज़नों संगठनों के मान्य ताप्राप्त संवाददाता और/या कैमरामैन हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। सामान्य अवधि में उनके काम का कोई सेन्सर नहीं किया जाता।

**Pending applications for Telephone in Varanasi Division U. P.**

4428. **Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of applications received during the years 1968 and 1969 for telephone connections in Varanasi Division of Uttar Pradesh, the number out of them against which telephone connections have been provided, the number of applications still under consideration and the number of applications rejected;

(b) the number of latest applications among those which have been accepted, for providing telephone connections and the number of oldest applications among those which are still under consideration;

(c) Whether it is a fact that in some cases telephone connections have been provided without any applications; and

(d) the district-wise details of the position in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) . The requisite information is given in Annexure ? [Placed in Libr ry. See No. LT. 2416/69]**

(b) The information is being compiled and will be placed on the Table of the Lok Sabha shortly.

(c) No.

(d) The requisite information is given in Annexure II. [Placed in Library. See No. LT. 2416/69]

## कृषकों को भूमि का वितरण

4429. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में भू-स्वामियों से भूमि को जोतने वालों में भूमि के वितरण की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि क्या इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उपरोक्त कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से कानूनी सलाह मांगी थी और यदि हां, तो केन्द्र ने क्या सलाह दी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . संविधान को पहले, चौथे और सत्रहवें संशोधनों द्वारा पहले ही तीन बार संशोधित किया जा चुका है और संविधान की नवीं अनुसूची में कई भूमि सुधार अधिनियमों को सम्मिलित कर लिया गया है, और मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इन अधिनियमों के उपबन्धों को चुनौती नहीं दी जा सकती, जो भूमि सुधार सम्बन्धी विधान नवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं अथवा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किये जाने की आपत्ति के आधार पर, अनुच्छेद 21-अ के अन्तर्गत "इस्टेट" मद के परिवर्द्धन द्वारा उसमें सभी प्रकार की भूमियों को सम्मिलित करके समस्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में अधिनियमति सभी उत्तरवर्त्ती विधानों को संरक्षण भी प्रदान किया गया है मुकदमेबाजी से बचने के लिए, राज्य सरकारों को स्थानीय नियमों में आवश्यक संशोधन करने और उन परिस्थितियों को कम करने के लिए, जिनके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 को आकर्षित किया जा सकता है, आवश्यक पूर्वोपाय करने की सलाह दी गई है ।

## Non-Payment of Project allowance to P&T Employees, Ranchi

4430. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Post Master General of Bihar has telegraphically asked the P&T Officers there not to pay the Project Allowance and thereby created discontentment among the P&T workers;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to pay the said allowance so as to remove the dissatisfaction among the workers; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) to (d) . No Sir, The Postmaster General had issued instructions only to defer payment of project allowance to the P&T staff at Ranchi pending certain clarifications to be obtained from the Government. Necessary action will be pursued by him as soon as these clarifications. are communicated to him.

**Certificate of Studentship from Students Working as Managers and Assistants in Miik Depots of D. M. S.**

**4431. Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders have issued to the Managers and Assistants of all the Milk Depots of the Delhi Milk Scheme in July, 1959 that they should submit a certificate that they are studuing in the schools;

(b) if so. the number out of them who have not submitted their certificates in pursuance of the said orders and the number of those have since been removed from the service;

(c) the number of the said employees who do not study in schools, but are employed in other offices and work in the said depots also; and

(d) the number of applications pending at present and the number of employees who are giving double duty ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) For the time being Senior Depot Agents and Depot Agents of Delhi Milk Scheme in five zones were instructed in July, 1969 to furnish certificates in token of their being bonafide students,

(b) Nine persons have not submitted their certificates and their Agency Agreement has been terminated.

(c) No one who is not a bonafide student or is employed elsewhere is eligible to work in the Milk Depots of Delhi Milk Scheme.

(d) Students registered with the Employment Exchange for part-time jobs in Delhi Milk Scheme and whose names are sponsored by the Employement Exchange are considered for appointment as Depot Agents. In certain areas, in which there is shortage of Depot staff applications from students registered with Employment Exchange are also considered on ad hoc basis. No such applications are pending at present. III Depot Agents are at present working double duty.

**दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धकों और सहायकों के वेतन में कमी**

**4432. श्री निहाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर काम कर रहे प्रबन्धकों और सहायक प्रबन्धकों के वेतनों में कमी करने का है; और

(ख) उनके वर्तमान वेतन-मान क्या हैं तथा भविष्य में उनको क्या वेतन-मान देने का प्रस्ताव है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) . पुरानी शर्तों के अन्तर्गत डिपो प्रबन्धकों तथा डिपो सहायकों की तुलना में परिशोधित शर्तों के अन्तर्गत सीनियर डिपो एजेन्टों और डिपो एजेन्टों की कुल आय में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। पुरानी तथा नई शर्तों के अन्तर्गत उनकी आय निम्न प्रकार है :—

| पुरानी शर्तें | नयी शर्तें |
|---|---|
| डिपो प्रबन्धक – 50 रुपए प्रति माह | सीनियर डिपो एजेन्ट्स (डिपो प्रबन्धक के समान) रु० 1.87 पै. प्रति पारी प्रति दिन |
| डिपो सहायक– 25 रुपए प्रति माह (साप्ताहिक छुट्टी सहित) | डिपो एजेन्ट (डिपो सहायक के समान) – 94 पैसे प्रति पारी प्रति दिन |

**कन्टाई, पश्चिम बंगाल में धान की सघन खेती**

4433. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कन्टाई के 'सरप्लस' क्षेत्र में, जो कि सामान्यतः एक फसल वाला क्षेत्र है, धान की सघन खेती करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है। और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) . उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले का कोन्टाई खन्ड सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार की यह योजना है कि इस जिले में धान की बुवाई के समस्त उपयुक्त क्षेत्र को सघन कृषि के अन्तर्गत लाया जाये।

कोन्टाई खण्ड में इस समय कितना क्षेत्र सघन कृषि के अधीन है और भविष्य में इसके अधीन कितना क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**भारत के विरुद्ध पाकिस्तान रेडियो का प्रचार**

4434. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान रेडियो ने हाल में भारत विरोधी प्रचार तेज कर दिया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के बंगला साहित्यकारों को इस प्रचार का विशेष लक्ष्य बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रचार की मुख्य बातें क्या हैं और इसका प्रतिकार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेडियो पाकिस्तान के ढाका केन्द्र ने कई कार्यक्रम प्रसारित किये हैं जिनमें बंगला लेखकों को साम्प्रदायिक प्रस्तुत किया गया है । यह समकालीन बंगला लेखकों को उनका संदर्भ से बाहर जिक्र कर निन्दा भी करता है । पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार का आकाशवाणी के कई केन्द्रों द्वारा समाचारों, समीक्षाओं तथा अन्य रूपकों में नियमित रूप से खंडन किया जाता है । कलकत्ता केन्द्र से एक रूपक "सम्वाद परिक्रमा" कार्यक्रम नियमित रूप से होता है जिसमें इस प्रकार के सभी मामलों के बारे में प्रसारण होते हैं ।

**शरणार्थियों के बसाने के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता**

4435. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शरणार्थियों की समस्या को हमेशा के लिए हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार से 250 करोड़ रुपये मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**दक्षिण भारत के राज्यों में चावल के मूल्य में वृद्धि**

4436: **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत के राज्यों में चावल के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) किसान से लेकर उपभोक्ता के बीच तक चावल के मूल्य में वृद्धि दर क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं

(ख) से (घ) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

**प्रधान मन्त्री समर्थक प्रदर्शनों का आकाशवाणी के प्रसारणों में विस्तार से उल्लेख**

4437. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा राजधानी में प्रधान मन्त्री का समर्थन करने वाले प्रदर्शनों को अपने प्रसारणों में आवश्यक रूप से काफी समय दिया जाता है जबकि उनके विरोध में किये गये आन्दोलनों का केवल उल्लेख मात्र किया जाता है;

(ख) क्या संसद सदस्यों ने इसका विरोध किया है: और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ संसद सदस्यों ने आकाशवाणी द्वारा प्रधान मन्त्री के समर्थन में नई दिल्ली में होने वाले प्रदर्शनों को अपने प्रसारणों में अधिक समय दिए जाने की आलोचना की है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि सुधार**

4438. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में अधिक भूमि सुधार करने के बारे में प्रत्येक राज्य के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : भूमि सुधार एक राज्य विषय है और भूमि नीति बनाना, उपयुक्त विधान बनाना और इसको क्रियान्वित करना प्राथमिक रूप मे राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों के सामान्य मार्गदर्शन के लिये प्रारूप चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जो स्थानीय स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाये जाने तथा अनुसरण किये जाने वाले एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में हैं। राज्य सरकारों ने ऐसे भूमि सुधारों का कोई ब्योरा तैयार नहीं किया है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में करने का उनका विचार है।

प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखे गये अपने पत्र में भूमि नीति की क्रियान्विति की अविलम्बनीयता को दोहराया था तथा 28 और 29 नवम्बर, 1969 को हुए भूमि सुधार सम्बन्धी मुख्य मंत्री सम्मेलन में भी इस पर बल दिया गया था।

**टेलीविज़न की प्रगति में भारत का पाकिस्तान से पीछे रह जाना**

4439. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टेलीविज़न की प्रगति पाकिस्तान की अपेक्षा कम रही है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान और भारत में कितने-कितने टेलीविज़न प्रेषण केन्द्र स्थापित किये गये हैं अथवा दोनों देशों में कितने-कितने लोग और कितना-कितना क्षेत्र दोनों देशों में इससे लाभ उठाते हैं;

(ग) भारत में टेलीविज़न की धीमी प्रगति के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय आधार पर टेलीविज़न सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, उसमें कितनी लागत आयेगी, उसे कितने चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा तथा उसके अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कौन-कौन से केन्द्र तथा कितनी-कितनी शक्ति के ट्रांसमिटर स्थापित किये जायेंगे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) यह सही है कि भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में अधिक टेलीविज़न केन्द्र हैं।

(ख) उपलब्ध प्रकाशित सूचना के अनुसार पाकिस्तान में चार टेलीविज़न केन्द्र हैं। उन केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। भारत में केवल एक टेलीविज़न केन्द्र है जो दिल्ली में हैं। उसकी सेवा के अन्तर्गत 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र की जनसंख्या 36 लाख है और सेटों की संख्या 10,000 है।

(ग) साधनों की कमी।

(घ) सारे देश में टेलीविज़न का जाल बिछाने की व्यापक योजना तैयार नहीं की गई है। इस बारे में कुछ अध्ययन किये जा रहे हैं। चौथी योजना में श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और लखनऊ में केन्द्र स्थापित करने तथा दिल्ली केन्द्र का विस्तार करने की व्यवस्था है।

**डाक टिकट जारी करने के लिये महान व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण अवसरों का चयन**

4440. **श्री एन० शिवप्पा :**
**श्री शारदा नन्द :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री गं० म० दीक्षित :**
**श्री झारखंड राय :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग द्वारा आगामी दो वर्षों में किन-किन महान व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये महान व्यक्तियों अथवा महत्वपूर्ण अवसरों को किस आधार पर चुना जाता है; और

(ग) क्या इस बारे में जनता से भी सुझाव मांगे जाते है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) 1970 के वर्ष के दौरान जारी किए जाने वाले डाक-टिकटों का विवरण अनुसंधान (क) में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2417/69**]। 1971 के वर्ष के दौरान डाक–टिकट जारी करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है

(ख) विशेष स्मारक डाक-टिकट जारी करने के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले सामान्य मानदण्ड इस प्रकार है :—

( i ) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विशेष आपाती मामलों के अतिरिक्त सामान्यत: तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इसके लिए 18 महीने पहले सूचना न दी गई हो।

( ii ) सामान्यत: किसी व्यक्ति के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट उसके जन्म या मृत्यु की शताब्दी के अतिरिक्त जारी नहीं किया जाएगा। स्मारक डाक-टिकट पहली और दसवीं बरसी पर भी जारी किया जा सकता है।

( iii ) साधारणतया किसी घटना की स्मृति में अब तक कोई स्मारक डाक–टिकट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस घटना का 50 वां वर्ष या शताब्दी न हो। विशेष डाक-टिकट जारी करने में केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को ही लिया जाना चाहिए। दूसरे अवसरों के स्मारक के रूप में केवल विशेष विरूपण ही किया जाए। डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति की सिफारिशों पर ही निर्णय किया जाता है।

(ग) जी नहीं। सुझाव मांगे नहीं जाते। यदि कोई सुझाव प्राप्त हो तो उन्हें डाक–टिकट संकलन सलाहकार समिति के सामने विचारार्थ और सलाह के लिए पेश किया जाता है।

## "युववाणी" द्वारा युवकों के लिये उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम

**4441. श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा चालू किये गये नये "युववाणी" कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या युवकों के लिये प्रभावी तथा उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम चलाने के लिये उनके मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा युवक कल्याण मन्त्रालय ने कोई समन्वय स्थापित किया है।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) आकाशवाणी दिल्ली की 'युववाणी' सेवा 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु के युवक वर्ग के श्रोताओं की रूचि तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस सेवा में नवयुवकों द्वारा या उनके लिये तैयार या प्रस्तुत किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वार्ताएँ चर्चाएँ, खेलकूद के बारे में इन्टरव्यू, साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक समस्यायें, रोज़गार के अवसर, शिक्षा, सामाजिक मामले इत्यादि जो युवकों के लिये विशेष रूचिपूर्ण होते हैं, शामिल हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के आयोजन करने में शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय का घनिष्ट सम्बन्ध होता है।

**पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात**

**4442. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात जारी रखने के लिये अमरीका को प्रति वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(ख) अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है अथवा कितनी राशि देय है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात को जारी रखने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई धनराशि नहीं दी जाती है। आयातित अनाज की लागत का भुगतान करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है। पी० एल० 480 के शुरू होने से 31 अक्तूबर, 1969 तक लगभग 35073.9 लाख डालर की लागत का लगभग 559.4 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किया गया था। इसमें से लगभग 1565.3 लाख डालर की कीमत का लगभग 26.5 लाख मीटरी टन परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण नियमों के अधीन है तथा शेष स्थानीय मुद्रा नियमों के अधीन है जिसका भुगतान लदान के तुरन्त बाद कर दिया जाता है। परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण नियमों, जिसका प्रावधान 24 जून, 1967 के पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत प्रथम बार किया गया था, के अन्तर्गत सप्लाई के लिये भारत सरकार द्वारा कोई प्रारम्भिक भुगतान करना निहित नहीं है। भुगतान की प्रथम वार्षिक किश्त सम्बन्धित पंचांग वर्ष में जिन्स की अन्तिम सुपुर्दगी की तारीख के 10 वर्ष बाद देय होती है।

**अनाज का समान वितरण**

**4443. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में अनाज का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उन वर्षों में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि क्या थी और क्या उसका वितरण एक समान किया गया;

(ग) 1967-68 और 1968-69 में भारत में प्रति व्यक्ति अनाज की कितनी खपत थी; और

(घ) क्या अनाज के मामले में एकाधिकार राज्य व्यापार आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि अनाज का समान वितरण और उसके मूल्यों में स्थिरता हो सके ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) 1967-68 तथा 1968-69 में भारत में खाद्यान्न का कुल उत्पादन क्रमशः 951 लाख मीटरी टन तथा 940 लाख मीटरी टन था।

(ख) खाद्यान्न के आन्तरिक उत्पादन में से कुल मिलाकर देश के लिये प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि 1967-68 में लगभग 158.7 किलोग्राम तथा 1968-69 मे लगभग 153.1 किलोग्राम थी। यह प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न थी।

(ग) देश में खाद्यान्न की खपत के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पचांग वर्ष 1968 में आन्तरिक उत्पादन तथा आयातों को मिलाकर प्रति व्यक्ति उपलब्धि लगभग 165.7 किलोग्राम थी। 1969 के प्रति व्यक्ति उपलब्धि सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिप्राप्ति तथा मूल्य सहाय्य कार्यों तथा राशन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सरकारी वितरण जैसे उपाय उपलब्ध खाद्यान्न के समान वितरण तथा मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये किये जाते हैं।

## अनाज का रक्षित भंडार

**4444. श्री झारखण्डे राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में अनाज का रक्षित भण्डार बनाने के लिये 150 करोड़ रुपये अलग से रखने का है; और

(ख) क्या इस योजना का उद्देश्य पी० एल० 480 करार पर निर्भर किये बिना 30 लाख मीट्रिक टन अनाज का रक्षित भण्डार बनाने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). देश में बफर-स्टाक बनाने के लिये अलग से कोई धनराशि नहीं रखी गयी है। भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न खरीदने का बफर स्टाक बनाने का दायित्व है। सरकार द्वारा दिये गये ऋणों में से निगम मौजूदा वितरण तथा बफर स्टाक के लिये पूंजी लगाता है और इसको भारत का स्टेट बैंक नकद ऋण देता है। फिलहाल, निगम को कुल 244 करोड़ रुपये का सरकारी ऋण उपलब्ध किया गया है।

## नलकूपों के लिये राजस्थान को केन्द्रीय अनुदान

**4445. श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक नलकूपों पर खर्च किये जाने के लिये राजस्थान सरकार को अनुदान का नियतन एकमुश्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वे इस समय सीमा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं ; और

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकार से इस कार्य के पूरा नहीं किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है और इसे शीघ्र पूरा कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि समुदाय विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे)** : (क) से (ग). सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में दिसम्बर, 1969 के अन्त तक नलकूप लगाने के लिए राजस्थान सरकार के लिए कोई एकमुश्त अनुदान निर्धारित नहीं किया गया है। प्रारम्भ में केन्द्रीय दल जिसने अप्रैल, 1969 में राजस्थान का दौरा किया था, ने 1968-69 के दौरान नलकूप लगाने के कार्य को पूरा करने और नये नलकूपों को बिजली से चलाने सहित आपात जल सप्लाई प्रबन्धों के लिए 60 लाख रुपये की उच्चतम सीमा की सिफारिश की थी। प्रभावित क्षेत्र में पेय जल सप्लाई के प्रबन्धों में व्यापक न्यूनता को देखते हुए बाद में यह निर्णय किया गया कि यह सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी जाए लेकिन यह शर्त थी कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी की सहायता के लिए योजनाएं भारत सरकार के उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित कराई जाएं और दिसम्बर, 1969 के अन्त तक इन प्रायोजनाओं के पूरा होने की समुचित सम्भावना थी। तदनुसार राज्य सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

2. केन्द्रीय दलों द्वारा विहित उच्चतम सीमाओं से यह विदित होता है कि विहित प्रतिमान के अनुसार अधिकतम सीमा तक राज्य सरकार द्वारा किए खर्च को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जाएगा। और इससे यह विदित नहीं होता है कि राज्य सरकार द्वारा अमुक खर्च किया जाना चाहिये। केन्द्रीय दल ने पुनः नवम्बर, 1969 में राजस्थान का दौरा किया। दल चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले ही सहायता की विभिन्न मदों, जिनमें पेयजल सप्लाई व्यवस्था सम्मिलित है, पर किए गए खर्च को हिसाब में ले गये और राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्ष की शेष अवधि में खर्च की अपनाई जाने वाली उच्चतम सीमा के बारे में उपयुक्त सिफारिशें करेगा।

**Recruitment of works in the Central Potato Research Institute Sahai Nagar, Patna**

**4446. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement was conculded between the Agronomist of Central Potato Research Insititutc, Sahai Nagar, Patna and the Centeral Potato Research Institute Workers Union on the 16th June last in the presence of the Central Enforcement Officer ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that it was agreed that in fresh recruitments priority would be given to the retrenched workers;

(d) if so, whether it is also a fact that the Institute authorities have violated the agreement and recruited new workers ;

(e) if so, the name of the new workers and the retrenched workers; and

(f) the action proposed to be taken by Government against the authorities, who have violated the agreement ?

**The Minister of State in the Minitsry of Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde)** : (a) No agreement was concluded on the 16th June, 1969. However, a discussion was held in the office of the Agronomist,

Central Potato Research Station, Patna, on the 10th June, 1969, between him and a representative of casual labourers of the Research Station in the presence of the Labour Enforcement Officer, Patna,

(b) A copy of the notes of discussion held on the 10th June, 1969 is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. LT--2418/69] (Appendix I)

(c) Kindly see the enclosed note referred to in clause (b) above.

(d) No, as per the note of discussions all the old casual workers who turned up on the annuonced date of recruitment were engaged. The works in the Resarch Station is purely of sessional nature and the workers are engaged on casual basis whenever the need arises;

(e) A list of workers (i) who were not engaged in the last seasion but have been engaged during the current sesion i.e. October, 1969, after engaging all the old workers who turned up, and (ii) who were engaged in the last sesion but did not turn up during the current sesions starting from October, 1969. is given in Appendix II.

(f) Question does not arise.

**Allotment of Basgeet Land to Agricultural Labours of Bihar**

**4447. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be plased to state :

(a) whether it is a fact that the Agricultural labourers in various District of Bihar sent in large number of applications to the Block Development Officers for alllotment of " Basgeet" land in their favour during the 1967-68, 1968--69 and 1969-70

(b) if so, the number of applications lying pending and of those disposed of district-wise :

(c) the number of agricultural labourers who have been allotted 'Basgeet' land during the last three years, district-wise ;

(d) whether it is also a fact that Government follow land has also been distributed among the agricultural labourers ; and

(e) if so, the acreage of such land and the district-wise details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

**बीज निगम से उन्नत बीजों की खरीद के लिये मैसूर राज्य को सहायता**

**4448. श्री क० लक्कप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नत उपकरणों तथा बीज निगम से उन्नत बीजों की खरीद के लिये इस वर्ष मैसूर राज्य को कितनी सहायता दी गई ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : 1969-70 से राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता

की निर्मुक्ति की पद्धति परिशोधित कर दी गई है। अब राज्य सरकारों को वार्षिक योजना के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में एक राशि के तौर पर सहायता निर्मुक्त की जाएगी और इसका किसी विशेष कार्यक्रम या योजना से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। मैसूर सरकार को 1969–70 की वार्षिक योजना के लिए 30.60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गई है। यह सहायता वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए व्यय के आंकड़ों के आधार पर निर्मुक्त की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उनकी प्लान सीमाओं के अतिरिक्त बीज आदि के क्रय तथा वितरण के लिए, यह पूछे बिना कि यह आदान उन्होंने किस स्रोत तथा कहां से खरीदे हैं, अल्पकालीन ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध की जाती है। राज्य सरकार ने अब तक चालू वित्तीय वर्ष में बीजों के क्रय के लिए 17.92 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया है।

**सीमेंट उद्योग में दक्ष श्रमिकों की कमी**

**4449. श्री क० लकप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट उद्योग दक्ष श्रमिकों की कमी के कारण कई कठिनाइयों का सामना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट उद्योग के दक्ष श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने रोजगार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्र की जा रही सूचना के अनुसार सीमेंट उद्योग में दक्ष श्रमिकों की कोई असामान्य कमी नहीं है।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

**मधुबन कोयला खान में तालाबन्दी**

**4450. श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या 27-2-69 से मधुबन कोयला खान, धनबाद में तालाबन्दी घोषित है ;

(ग) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) इससे कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये और प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप मूल्य तथा उत्पादन में कितनी हानि हुई ; और

(घ) कोयला खान को पुनः चालू करवाने के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम रोज़गार, तथा पनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख). बिहार कोलियरी कामगर यूनियन ने 19-9-1969 को मधुबन कोयला खान के समीप एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया। बैठक से पहले इस यूनियन के श्रमिकों और कुछ

अज्ञात व्यक्तियों में झड़प हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद इस कोयला खान में दंगे हो गए। कोयला खान के श्रमिक और अधिकारी आतंक के कारण भाग गए और वे 19-9-1969 की पहली पारी से काम पर नहीं गए। काम पर वापस आने के लिये श्रमिकों को दिए गए प्रबन्धकों के बुलावे के बावजूद वे काम पर वापिस नहीं आए और वे अनुपस्थित रहे। गैर-कानूनी अनुपस्थिति के कारण प्रबन्धकों ने 27-9-1969 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

(ग) 2400 श्रमिक बेरोज़गार हो गए। 18.70 लाख रुपये के मूल्य के 55,000 टन कोयले के उत्पादन की हानि का अनुमान है।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के प्रारम्भिक समझौता का प्रयास विफल हो जाने के बाद उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप 26-11-1969 को तालाबन्दी समाप्त हो गई।

**धनवाद कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि लेखा स्लिपों की सप्लाई**

4451 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद कोयला क्षेत्र में काम करने वाले तीन लाख कर्मचारियों में से किसी को भी मार्च, 1964 के बाद जमा की गई भविष्य निधि के बारे में लेखा-स्लिप प्राप्त नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को प्रति वर्ष भविष्य निधि स्लिप सप्लाई करने के बारे में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासन कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित न्यासियों के बोर्ड से ताल्लुक रखता है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खेती**

4452. **श्री गणेश घोष** :
**श्री ज्योतिर्मय बसु** :
**श्री वि० कु मोडक** :
**श्री कं० हाल्दर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) कुल कितने क्षेत्र में खेती की जाती है ;

(ग) काश्त किया गया कुल क्षेत्र कितना है और प्रति एकड़ प्रत्येक फसल की उपज क्या है,

(घ) खेती को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने यदि कोई उपाय किये हैं तो क्या ; और

(ङ) भूमि की उत्पादिता, खेती वाले क्षेत्र और उत्पादन आदि में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

**खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) इस क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र 829 हैक्टेयर है।

(ख) 1966-67 में अनुमानत: 18 हजार हैक्टेअर क्षेत्र कृषिगत था जिसमें नारियल-उत्पादन का असूचित क्षेत्र भी शामिल था।

(ग) क्षेत्र की मुख्य फसलों चावल और नारियल के अधीन कुल क्षेत्र और उपज के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

| फसल | वर्ष | क्षेत्र (हजार हैक्टेयरों में) | प्रति हैक्टेयर उपज |
|---|---|---|---|
| चावल | 1968-69 (अन्तिम) | 7.9 | 1354 कि०ग्रा० |
| नारियल | 1967-68 (अन्तिम) | 8.7 | 4345 " |

(घ) सरकार विभिन्न उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं जिनमें सुधरे बीज (जिसमें सुधरे बीज, सर्वरक सोयल कन्डीशनर, उपकरण, नारियल, काजू तथा सब्जियों व फल वाले पौधों की पौद शामिल है, के वितरण और ऋण-एवं उत्पादन के माध्यम से कृषि को प्रोत्साहन दे रही है। विस्तार सम्बन्धी प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिनमें क्षेत्र-प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह है कि कृषक धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों की काश्त के क्षेत्र को अधिकाधिक बढ़ायें और बहु फसली तकनीकी को अपनायें।

(ङ) इस क्षेत्र में 1964-65 के मुकाबले में 1968-69 में चावल की उपज क्षेत्र और उत्पादन में क्रमश: 5.3 प्रतिशत, 12.9 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक नारियल का सम्बन्ध है इसकी उपज इसके क्षेत्र और उत्पादन में 1964-65 के मुकाबले में 1967-68 में क्रमश: 8.3 प्रतिशत 4.8 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

**विज्ञापन प्रसारणों के आरम्भ होने से विविध भारती के कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट**

**4453. श्री यशपाल सिंह :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका ध्यान विविध भारती के कार्यक्रमों के स्तर में विशेष रूप से विज्ञापन प्रसारणों के आरम्भ हो जाने के समय से, होने वाली गिरावट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इसकी जांच करने के लिये कोई समीक्षा समिति गठित की जायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं। तथापि, कार्यक्रमों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है उनमें समय समय पर यथासम्भव सुधार किये जाते है ।

## बिहार में कृषि क्रांति

**4454. श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भी कृषि क्रांति हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में और इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रांति को फैलाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिक उपज देने वाली किस्मों और बहु फसल जो "कृषि क्रांति" के दो मुख्य आधार हैं, सिंचाई के जल की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं और वे छोटे या बड़े पैमाने पर राज्य के सभी जिलों में चालू हैं। सन् 1968–69 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में कुल 15.08 लाख एकड़ भूमि में खेती की गई थी और उस वर्ष बहु फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 19.00 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती की गई थी। राज्य सरकार को योजना है कि सन् 1969–70 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 21.00 लाख एकड़ भूमि में खेती की जाएगी और बहु फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत 9.00 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती की जाएगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

## चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य-सामग्री का आयात

**4455. श्री शिव चन्द्र झा :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चौथी योजना के दौरान विदेशों से खाद्य-सामग्री का आयात करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से तथा इस बारे में और ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में चौथी योजना की अवधि के अन्त में खाद्य-सामग्री की आवश्यकता की तुलना में कुल अनुमानित खाद्य उत्पादन क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार चौथी योजनावधि में कुछ खाद्यान्न आयात करने की जरूरत पड़ेगी। तथापि इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि खाद्यान्नों कि कितनी मात्रा आयात की जाएगी और यह आयात किन देशों से किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मधुबनी डिवीजन (बिहार) में नये डाक-घर खोलना

**4456. श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने डाक-घर हैं जिन्हें बिहार राज्य के दरभंगा जिले की मधुबनी उप-डिवीजन में खोलने से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) ये डाक-घर किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) इन मामलों पर शीघ्र विचार करने के बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) सत्तरह।

(ख) निम्नवर्ती ग्रामों के बारे में प्रस्ताव है:—

(1) थापर–खजौली
(2) शंकरपुर–खतौना
(3) पाखरौनी–मधुबनी
(4) अन्दप–पादौल
(5) बजराहा–बैनीहट्टी
(6) तरदीहा–माधोपुर
(7) सोंबरसा–माधोपुर
(8) प्रसराम–पट्टी
(9) सिसौनी–वासोपट्टी
(10) कलनी–वासोपट्टी
(11) सुखवासी–वासोपट्टी
(12) श्यामसिधप–रामनगर
(13) बेलकी–मधुबन
(14) तेंगरा–खतौना
(15) खजूर–मधुबनी
(16) कैरबर–अरिबत
(17) बेतौना–बैनी पट्टी

(ग) आंकड़े इक्ट्ठे करने के पश्चात् प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करनी होती है। यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में विलम्ब हुआ होगा तो उसकी जांच की जाएगी।

**Arrangement for collection of News from Foreign News Agencies for Indian News Agencies**

4457. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the Indian News Agencies on whose behalf the Department collects news from Foreign News Agencies; and

(b) the names of the countries with which such arrangements exist ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) and (b) Multi-address press broadcasts are received by the Overseas Communications Service behalf of the following Indian News Agencies :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Press Trust of India | -receives press broadcasts from certain news agencies in U. K., Japan, Philippines and France. |
| (ii) | United News of India | -receives press broadcasts from certain news agencies in U. S. A., Yugoslovia. Italy, Germany (FDR) and Japan. |
| (iii) | Samachar Bharti | -receives press broadcasts from certain news agencies in Checoslovakia, Yogoslovia and German Democratic Republic. |

**फिल्म निगम का बनाना**

4458. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार फिल्मों के लिए एक स्वायत्तशासी निगम बनाने का विचार कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** सरकार एक सांविधिक फिल्म परिषद् स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि फिल्म उद्योग के विकास को स्वरूप आधार पर विनियमित किया जा सके । तथापि, फिल्म परिषद् के कार्य तथा उसके गठन-क्षेत्र के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

**Colourisation of Vanaspati Ghee**

4459. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Brij Bhushan Lal :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Yajna Datt Sharma :**
**Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the extent and the nature of success achieved in respect of colourisation of Vanaspati ghee ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahed Shinde) :** The Committee of Experts appointed to intensify and coordinate the researches for finding a colour for vanaspati, reported that, although a large number of colours including ratanjot and turmeric were examined none of them were found suitable for the purpose. In view of this, and

having regard to the consensus of scientific opinion on the subject, the Committee came to the conclusion that colouring of vanaspati was neither praticable nor desirable and that alternative methods of preventing, or at least minimising adulteration of ghee with vanaspati should be explored.

Government have accepted the conclusions and recommendations of the Committee subject to the need for contuinuing efforts for finding a suitable colouring agent for vanaspati vide Ministry of Food, Agriculture Community Development & Coope ration (Deptt. of Food) Resolution No. 1-67/65– Sugar dated the 12th May, 1969. A copy of whcih was laid on the Table of the Sabha on the 24th July, 1969.

Pursuant to this decision, the laboratories engaged these researches as well as other laboratory have deen requested to continue their efforts for finding, a colour for venaspati.

## प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय संघ

**4460. श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
**श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1969 ये नई दिल्ली में हुए प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में विदेशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ख) उसमें क्या-क्या मुख्य प्रस्ताव पारित किये गये थे; और

(ग) इस सम्मेलन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) 267।

(ख) प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय, 1110 मोरगेस, स्विटजरलैंड से अन्तिम रूप से अपनाये गये संकल्पों की प्रतियां प्राप्त होने की आशा है। प्राप्त होने पर उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है। अपेक्षित जानकारी यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## गोआ में डेरी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

**4461. श्री शिंकरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गोआ के विभिन्न कस्बों में दूध की सप्लाई कम होने तथा इस बारे में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा किये गये योजनाबद्ध प्रयत्नों की जानकारी है;

(ख) क्या गोआ सरकार ने डेयरी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है, क्योंकि गोआ सरकार के पास तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय संसाधन सीमित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वास्तविक सप्लाई, आगामी 5 वर्षों में लोगों की अपेक्षित माग तथा अर्थोपायों का पूरी तरह अध्ययन करने के लिये कुछ विशेषज्ञ दल भेजेगी ताकि स्थानीय सरकार दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) . जी हां । पोंडा के लिये लगभग 22.82 लाख रुपये की लागत से एक डेरी परियोजना स्वीकार की गई है जो शुरू में प्रतिदिन 10,000 लिटर दूध को इकट्ठा करने, संभालने तथा वितरण करने का कार्य करेगी । बाद में इसकी क्षमता प्रतिदित 20,000 लिटर तक बढाई जा सकेगी । यह संयत्र पांच मुख्य नगरों अर्थात् पोंडा, पंजिम, वास्को, मापुसा तथा मारगेओ को दूध की सप्लाई करेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

**टाईपिंग और शार्टहैंड के लिये लन्दन चैम्बर आफ कामर्स परीक्षा के प्रमाण पत्र को मान्यता**

4463. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रोजगार कार्यालय टाईपिंग तथा शार्टहैंड के लिये लंदन चैम्बर आफ कामर्स परीक्षा प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं देते तथा वे प्रतिनिधि राज्य-परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों के लिये आग्रह करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो रोजगार सम्भावनाओं को कम करने वाली इस प्रक्रिया को रखने के क्या कारण हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत लिपिकीय रिक्तियों के लिए सम्प्रेषण करने के लिए केवल राज्य सरकारों के अधीन बोर्डों/संस्थाओं द्वारा जारी किए प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है । नियोक्ताओं द्वारा टाईपिस्टों/आशुलिपियों के लिए मांग अधिसूचित करते समय निर्धारित किए गये स्तरों के अनुपालन में जो उम्मीदवार इस तरह के प्रमाणपत्र नहीं रखते हैं उन्हें ऐसी मांगों के लिए भेजने से पहिले प्रवीणता परीक्षण देना होता है ।

**पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का आसाम में पुनर्वास**

4464, **श्री धीरेश्वर कलिता** :
**श्री सीताराम केसरी** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित प्रव्रजको को आसाम में पुनर्वास देने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) . आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के 12,000 परिवारों को आसाम में बसाने का वचन दिया था । इस कोटे की पूर्ति की जा चुकी है । अब भी, आसाम में, विभिन्न शिविरों में नये प्रवासियों के 1102 कृषक परिवार हैं । आसाम सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय भूमिहीन कृषि परिवारों तथा उन परिवारों, जो समय समय पर बाढ़ तथा भूअरण के फलस्वरूप बेघर हो जाते हैं, के बसाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । इसलिये आसाम सरकार ने अब भी आसाम के शिविरों में रह रहे कृषि परिवारों के पुनर्वास के लिये भूमियों की पेशकश नहीं की है । भारत सरकार ने बहुत समय पूर्व महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की कृषक परियोजनाओं में जहां कि हजारों की संख्या में, पूर्वी पाकिस्तान से आये अन्य नये प्रवासी बसाये गये है, पुनर्व्यवस्थापना की पेशकश की थी । अब तक इन परिवारों ने आसाम से बाहर जाने की अस्वीकृति प्रकट की है । उन को मनाने के प्रयत्न जारी हैं ।

**Khatauli Engineering Works, Khatauli, U. P.**

4465. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer the reply given to Unstarred Question No. 690 on the 20th November, 1969 and state :

(a) whether any Officers of his Ministry and their relatives, hold shares in 'Khatauli Engineering Works' Khatauli (U.P.); if so, the details thereof:

(b) whether this firm, which is located at a very small place like Khatauli, is on the approved list of Indian Ordnance Factories; the N. S. I. C., D. G. S & D., of the Government of India, Northern Railway, Tata industries Ltd., Gujarat State Electricity Board; Oil and Natural Gas Commission, and if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to appoint a Commission to conduct an enquiry into the working of Khatauli Engineering Works, Khatauli (U.P.); and

(d) whether the General Managers and the Managing Directors of the Tata Group of firms are holding shares in this group of firms and if so, the value thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) Information regarding officers of the Department of Communications and their dependants (not all other relatives) holding shares in 'Khatauli Engineering Works' Khatauli, is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) Information in respect of Government Departments and their undertakings etc. is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) and (d) . The Khatauli Engineering Works is not a Company within the meaning of the Companies Act, 1956 and the Central Government have no information on these parts of the Question.

**Restriction imposed on Labour Strikes and Lock-Outs**

4466. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ranjeet Singh :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Commission on labour has suggested that certain restriction should be imposed on the labour strikes and lock-outs in the industries; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minisier of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :** While observing that collective bargaining cannot exist without the right to strike/lock-out, the National Commission has recommended (i) that in certain assential industries/services the right to strike may be curtailed but with the simultaneous provisions of an affective alternative, like arbitration or adjudication. to settle disputes, (ii) that every strike/lock out should be preceded by a notice and (iii) that a strike notice to be given by a recognised union should be preceded by a strike ballot.

(b) Government's decisions on the recommendations of the National Commission on Labour would be taken after consultations with the various interests concerned, which are at present in progress are completed.

**Promotions for Class IV Employees Working in Food Department**

**4467. Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
**Shri P. M. Sayeed :** **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Matric fail and Ninth class employees belonging to Schedule Castes and Scheduled Tribes have been working as peons for the last 10 years in the Food Department of his Ministry;

(b) if so, the reasons for not promoting them to the posts of Laboratory Attendant, Picker, Library Attendant, Record Sorter, Jamadar, Operator and Daftry;

(c) whether Government would consider the question of promoting them to these posts by giving their priority;

(d) if so, the time which they will be promoted; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The posts of Laboratory Attendent, Liberary Attendant, Record Sorter, Jamadar, Gestetner Operator and Daftry have not been filled by direct recruitment. These have been filled by promotion. based on seniority in lower grades. Reservation orders do not apply to promotions based on seniority cum fitness. As for Picker, no appointments have been made after 1958, as it has been decided to abolish this category gradually.

(d) and (e) . Do not arise.

**Position of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees working in Food Department**

**4468. Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Singh Ayarwala :**
**Shri P. M. Sayeed :** **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of class IV employees working against the posts of Laboratory Attendants, Pickers, Library Attendants, Record Sorter, Jamadar, Operators, Daftaries etc. in the Food Department of his Ministry separately;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled employees among each of the aforesaid categories;

(c) whether posts have been reserved for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each of the aforesaid categories of employees in pursuance of the orders of the Home Ministry and whether all these reserved posts have been filled up by the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the time by which all the reserved posts would be filled up ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) and (b)

| Serial No. | Category | No. of persons in Position | Scheduled Castes | Seheduled Tribes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sweepers | 22 | 22 | - |
| 2. | Farashes | 17 | 3 | - |
| 3. | Peons | 124 | 27 | - |
| 4. | Daftries | 41 | - | - |
| 5. | Jamadars | 4 | - | - |
| 6. | Record Sorters | 5 | - | - |
| 7. | Gestetner Operators | 1 | - | - |
| 8. | Library Attendant | 1 | - | - |
| 9. | Laboratory Attendant | 1 | - | - |
| 10. | Pickers | 15 | 1 | - |
| | Total | 231 | 53 | - |

(c) and (d) . Reservation orders apply to the first three categories of posts where direct recruitment has been made. Reserved vacancies in these categories have been filled by Scheduled Caste candidates. The posts in the next six categories have been filled by promotions based on seniority in lower categories and reservation orders do not apply to promotions based on seniority cum fitness. The last category is to be abolished gradually and no appointments have been made thereto after 1958.

(e) Does not arise.

**Policy for Export of Sugar**

**4469. Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the loss suffered as a result of export of sugar during the last three years by Government and also by the Indian consumers, separately ; and

(b) whether Government are reviewing the Sugar-export policy in the context of this loss and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agricalture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :** The loss on exports of sugar in 1966 and 1967 was met by the Government of India. The subsidy paid by the Central Government during the financial years 1966-67 and 1967-68 was as under :-

| Financial Year | Amount (Rs./crores) |
|---|---|
| 1966.67 | 20.00 |
| 1967-68 | 7.46 |

Government did not meet any loss on exports in 1968. This was not by the sugar industry under the provisions of the sugar Export Promotion Act, 1958.

The basic excise duty on sugar consumed internally was raised by Rs. 8.35 per quintel with effect from 1-3-1966 and was oparative up to 30-9-1967 to recoup the export loss. In 1968 the consumers did not bear any loss directly.

(b) The question of loss is also taken into consideration while deciding the policy for exports of sugar. Export policy for the current year is under examination.

## ट्रैक्टरों का आयात

**4470. श्री मधु लिमये :**
**श्री महाराजसिंह भारती :**
**श्री नीतिराज सिंह :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ।

(ख) देशवार संख्या और अश्व शक्ति के रूप में इन आयातों का क्या ब्योरा है ;

(ग) 1969 में विभिन्न श्रेणियों के ट्रैक्टरों का देश में अनुमानित निर्यात कितना था और कुल मांग कितनी थी और कितने ट्रैक्टर उपलब्ध थे ;

(घ) मांग और पूर्ति के अन्तर को पाटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि जरूरत मंद किसानों से ट्रैक्टर के लिये बड़ी राशि पगड़ी के रूप में और चोर बाजारी में ली जाती है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) और (ख) . अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित राजकीय कृषि उद्योग निगमों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) . 1969 (जनवरी-अक्तूबर, 1969) के दौरान देश में 14632 ट्रैक्टर बनाए गए हैं । चालू वित्तीय वर्ष 1969–70 के लिए 1,25,000 टैक्टरों की मांग का अनुमान लगाया गया है । 1968–69 के 15,500 ट्रैक्टरों की तुलना में 1969–70 के कार्यक्रम के अन्तर्गत 35,000 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया गया है । इसके अतिरिक्त देश में 20,000 ट्रैक्टर बनाने का अनुमान है । ये ट्रैक्टर 1968–69 के आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले 8,000 ट्रैक्टरों के अतिरिक्त हैं । विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इससे अधिक आयात की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । कृषि व्हील्ड ट्रैक्टर उद्योग को इण्डस्ट्रीज (डी० एण्ड आर०) एक्ट, 1968 के लाइसेंसिंग उपबन्धों से मुक्त किया गया है ताकि वर्तमान ट्रैक्टर विनिर्माताओं को कम अश्व शक्ति वाले विभिन्न प्रकार

के ट्रैक्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और अन्य इच्छुक पक्षों को भी सस्ते ट्रैक्टर बनाने के क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ङ) ट्रैक्टरों पर सम्भाव्य पगड़ी और चोरबाजारी को समाप्त करने के लिए सरकार राज्य के अपने कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से मौलिक रूप से और अधिक संख्या में ट्रैक्टरों का आयात कर रही है और देशी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय सम्बन्धियों से भेंट के रूप में प्राप्त होने वाले ट्रैक्टरों के आयात की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ट्रैक्टरों के विक्रय तथा वितरण विषयक नियन्त्रण आदेश को लागू करने के बारे में भी विचार कर रही है।

## कृषि के लिये बिजली की दरें

**4471. श्री मधुलिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों को सहायता देने की तत्काल आवश्यकता के विचार से क्या सरकार कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों को औद्योगिक बिजली (पावर) की दरों के बराबर करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का कृषि के लिये बिजली की दरों और औद्योगिक बिजली (पावर) की दरों मे अन्तर को दूर करने के लिये कृषि को पुनः राज सहायता देना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो छोटे किसान की सहायता करने के लिये उसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करने के लिए अन्य क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) कृषि कार्यों के लिए विद्युत सप्लाई, साधारणतः 400 वोल्ट्स पर की जाती है जिसमें हाई वोलटेज से तबदीली और कम वोलटेज पर वितरण के लिए व्यय होता है जबकि बड़े उद्योगों के लिये हाई वोलटेज पर ही पावर सप्लाई की जाती है। कृषि खपतकारों की तुलना में औद्योगिक खपतकारों के सप्लाई के वोलटेज सर्वाधिक मांग, खपत और लोड अधिक होते हैं। इन कारणों से कृषि कार्यों की तुलना में बड़े उद्योग के लिए कर की दरें कम हैं। फिर भी यदि लघु उद्योगों से तुलना की जाये तो अधिकांश राज्यों में कृषि कार्यों के लिये दरें पहले ही कम हैं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्यों के लिये रियायती दरों पर बिजली सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) कृषि धन्धों के लिये डीजल पम्पों द्वारा या मानव/पशु चालित उपकरणों द्वारा पानी निकालने की तुलना में बिजली सप्लाई की वर्तमान दरों पर बिजली पम्पों से पानी निकालना कृषकों के लिये बहुत मितव्ययी है। अतः पम्पों को बिजली देने के कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये सर्वाधिक सम्भव वित्तीय साधन जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि बिजली के लाभ छोटे कृषकों को भी उपलब्ध कराये जा सकें। भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित्तीय निगम और वाणिज्यक बैंकों आदि के द्वारा संस्थात्मक वित्त और योजना क्षेत्र के कार्यक्रम के धन के इलावा, अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम स्थापित की गई है।

## चीनी उद्योगों को सहकारी क्षेत्रों में लाना

**4472. श्री मधुलिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में चीनी उद्योग को सहकारी क्षेत्र में लाने की मांग की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में चीनी के सभी कारखानों को सरकारी क्षेत्र में लाने के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने की बात सुनिश्चित करने के लिये इस प्रकार की योजना न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया है । यह समिति चीनी उद्योग की समस्याओं की जांच करेगी ।

## कृषि के लिये दी जाने वाली बिजली पर लगे कर का सर्वेक्षण

**4473. श्री मधुलिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की मोटरों की प्रति अश्व शक्ति अथवा डीजल इन्जनों पर प्रतिमास लगने वाले कर तथा प्रति एकक बिजली पर लिये गये शुल्क तथा किसानों को दिये गये फार्मों तक बिजली ले जाने पर होने वाले व्यय के रूप में कृषि पर लगाये गये करों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बिजली की सप्लाई तथा कृषि पर व्यय के बोझ के बारे में अपनी समस्त नीति का पुनर्विलोकन करने का परामर्श देगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) यह विषय मूलतः राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा विस्तृत निदेशों को प्रदर्शित करता है, जिनके अनुसार राज्य सरकारें अतिरिक्त संसाधनों के लिये प्रयास कर सकती हैं । कृषि क्षेत्र में कर निर्धारण के सुझावों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) बिजली संस्थानों में लगाई गई पूंजी पर आय की दर को बढ़ाना तथा शुल्क का अंकन तथा अलग-अलग करना ताकि सम्पन्न कृषकों से अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके ।

(2) सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषि क्षेत्र में सिंचाई दरों को बढ़ाकर संसाधनों को उठाना ।

(3) कृषि उद्योगों, सिंचाई योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, पीने के पानी की व्यवस्था (जिनसे ग्रामीण जनता को सीधा लाभ पहुँचता है) के लिये धन इकट्ठा करने के लिये देहाती क्षेत्रों में डिबेंचर जारी करके या अन्य ऐसे उपाय अपनाकर अतिरिक्त संसाधन मुहैय्या करना।

(4) राज्यों में ऐसे सम्पन्न किसानों पर अतिरिक्त भार डालकर (जिन पर अब तक कर नहीं लगाया गया है) कृषि आयकर बढ़ाने से, तथा केवल राज्यों में ही नहीं बल्कि गैर-कृषि आयकरों पर केन्द्रीय कर के साथ दरों में समानता प्राप्त करके, या वैकल्पिक तौर से कृषि जोत भूमि के आकार या फसलों की किस्म के द्वारा भू-राजस्व पर प्रगतिशील दरों के आधार से विशेष कर लगाकर विभिन्न राज्यों में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार कृषि क्षेत्र से इसके विकास के लिये वित्त-व्यवस्था करके अधिक संसाधन जुटाना।

**मैसूर की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये धन राशि**

**4474. श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने छोटी सिंचाई योजना के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मांग पर विचार किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**खाद्य, तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं होता।

**वनस्पति घी के मूल्य**

**4475. श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967, 1968 के दौरान तथा अक्तूबर, 1969 तक प्रत्येक किस्म का वनस्पति घी प्रति मास किस भाव बेचा गया ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** 1967, 1968 तथा 1969 (अक्तूबर तक) में वनस्पति के ब्रांड को ध्यान दिये बिना समस्त बिक्री पर लागू वनस्पति के अधिक तम क्षेत्रीय मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2419/69]**

**हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में गेहूं की ई० ए०–222–1 लाल बहादुर नामक नई किस्म की खेती**

4476. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर स्थित अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान वर्कशाप द्वारा हरियाणा राजस्थान और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं की इ० ए०–222–1 लाल बहादुर नामक नई किस्म की खेती करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को गेहूं की किस्म को उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं । अगस्त, 1969 में डा० बी० पी० पाल, महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता में हुए अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान वर्कशाप के पूर्णाधिवेशन में इस किस्म को निर्मुक्ति के योग्य नहीं समझा गया ।

केन्द्रीय किस्म निर्मुक्त समिति ने भी इस प्रस्ताव पर भी विचार किया था । यह समिति भी राष्ट्रीय उपयोग के लिये उपरोक्त किस्म को निर्मुक्त करने के लिये तैयार नहीं हुई थी । यहां यह बतला देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य किस्म–निर्मुक्त समिति ने भी उस राज्य में खेती के लिये इस किस्म को निर्मुक्त कर दिया गया हैं ।

(ख) इस किस्म को केन्द्रीय किस्म निर्मुक्त समिति ने राष्ट्रीय उपयोग के लिये निर्मुक्त नहीं किया है । अतः भारत सरकार ने किसानों को सप्लाई करने के लिये इस किस्म के बीजों के बर्धन केबारे में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है ।

**सोयाबीन का विकास, उत्पादन; बिक्री तथा खपत**

4477. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में सोयाबीन के विकास, उत्पादन बिक्री ताथ खपत के बारे में राज्यों के सहयोग से कोई विस्तृत योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों ने इस बारे में सहयोग दिया है तथा अंतिम रूप से स्वीकार की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है और उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) सन् 1969–70 के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू काश्मीर राज्यों में सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें उत्तर प्रदेश कृषि

विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का बीज वर्धन कार्यक्रम शामिल है।

**केरल के लिये कीटनाशी सामग्री तथा उपकरण खरीदने हेतु चौथी योजना में धन का नियतन**

4478. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की :

(क) केरल राज्य के लिए कीटनाशी सामग्री तथा उपकरण खरीदने हेतु चौथी योजना में कितनी अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था की गई ; और

(ख) क्या राज्य के लिये अतिरिक्त उपकरण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) केरल की चौथी योजना मे 72. 50 लाख रु० की रकम खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें से 15 लाख रु० की रकम पूंजीगत व्यय के लिये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वनस्पति रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के क्रय और विक्रय के लिये 140 लाख रु० के संस्थानात्मक धन की व्यवस्था की है। नारियल सम्बन्धी वनस्पती रक्षा योजनाओं के लिये 134 लाख रु० की और भी व्यवस्था हैं।

(ख) जी हां। कृषि विभाग का वनस्पति रक्षा निदेशालय प्रति वर्ष उपकरणों (कीटनशी सामग्री सहित) की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। 1968–69 के अन्त में राज्य के कृषि विभाग के पास वनस्पति रक्षा सम्बन्धी 9,432 विभिन्न यूनिटें खरीदने का प्रस्ताव है।

**दक्षिण भारत के कालीकट तथा अन्य आकाशवाणी केन्द्रों के वोल्टेज का बढ़ाया जाना**

4479. **श्री सी० के० चक्रपाणी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र को बढ़ाने तथा फलस्वरूप प्रसारण को अच्छा बनाने के लिये क्या कार्यवही की गई है ; और

(ख) दक्षिण भारत स्थित केन्द्रों के लिए वोल्टेज को बढ़ाने सम्बन्धी सर्वेक्षण दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** (क) कालीकट में अल्प शक्ति का जो ट्रांसमिटर 1950 में लगाया गया था। उसके स्थान पर एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमिटर दिसम्बर, 1964 में लगाया गया था। अब यह प्रदेश में पर्याप्त सेवा प्रदान कर रहा है।

(ख) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण दल नियुक्त नहीं किया गया था। अत: उसके जांच परिणामों को कार्यान्वित करने में देरी का प्रश्न नहीं उठता। देश के दक्षिण भाग में नए केन्द्र स्थापित करने तथा वर्तमान केन्द्रों की शक्ति बढ़ाने के प्रस्तवों पर आकाशवाणी की व्यापक विकास योजनाओं के सन्दर्भ में विचार किया जाता हैं तथा निर्णय लिया जाता है।

**Handing of Central Mechanised Agriculture Farm, Suratgarh to State Agricultural Corporation Private Ltd.**

**4480. Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Mechanised Agriculture Farm, Suratgarh (Rajasthan) has been handed over to the State Farm Corporation and, if so, the number and names of its employees;

(b) whether the fallow land of this farm has been given to agriculturists or contractors as share or on contract this year and if so, the basis thereof; and

(c) whether the remaining fallow land of this farm would also be given to the landless farmers, especially to Harijans in the same manner ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) The State Farms Corporation of India Ltd., a public sector undertaking, took over the administration of all the Central State Farms including Suratgarh Farm with effect from 1st August, 1969. The number of regular employees of the Suratgarh Farm is about 500. Furnishing the names of the employees would involve considerable time and labour which will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(b) The employees of the Suratgarh Farm threatened to go on strike at the time of Rabi cultivation and the management of the Farm handed over about 3700 acres to private parties for cultivation on a crop-sharing basis, while negotiations were going on with the employees union. These negotiations were successful and the notice of strike was withdrawn. The rest of the area was brought under cultivation by the Farm management with the help of their own men and machines.

(c) There is no proposal to hand over any part of the land to landless farmers or others.

**सहकारी समितियों को हानि और इनके आधार ढांचे में परिवर्तन**

**4481. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक प्रबन्ध के अभाव, अविवेकशील खरीद, नियन्त्रित वस्तुओं पर निर्भरता तथा चोर और दुर्विनियोग आदि के कारण अनेक सहकारी समितियों को हो रही भारी हानि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और इन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) सहकारी क्षेत्र को 1967–68 और 1968–69 में गत अक्तूबर तक हुई हानि का स्वरूप क्या है; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं का उचित विवरण सुनिश्चित करने तथा मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 16 सितम्बर, 1969 को विशाखापटनम में थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के सम्मेलन में बोलते हुए श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने उपभोक्ता सहकारी समितियों के आधार ढांचे में परिवर्तन के क्या सुझाव दिये थे ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : यह मान कर कि यह प्रश्न उपभोक्ता सहकारी समितियों के बारे में हैं, प्रश्न के क, ख, व ग भागों के उत्तर इस प्रकार हैं :

(क) जी हां।

(ख) काम कर रहे 351 केन्द्रीय/थोक भण्डारों में से जिन 328 केन्द्रीय थोक भण्डारों के बारे में जानकारी उपलब्ध है उससे पता चला है कि ऐसे 190 भण्डारों को 1967–68 में हानि हुई। उस वर्ष चल रहे 60 बहु-विभागी भन्डारों में से 36 को हानि हुई। केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों के बारे में वर्ष 1967–68 की जानकारी संकलित नहीं की है।

अधिकांश केन्द्रीय/थोक भण्डारों और बहु–विभागी भण्डारों के वर्ष 1968–69 के परीक्षित लेखे अभी तैयार नहीं हैं और अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि उन्हें किस प्रकार की हानि हुई है। 1969–70 के बारे में गत अक्तूबर के अन्त तक की स्थिति का पता केवल तब चलेगा जब वर्ष 1969–70 के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए जो कार्यक्रम शामिल किया गया है, उसमें उनके संरचनात्मक आधार में निम्नलिखित परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है :—

(1) जो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां कमजोर हैं और आर्थिक तौर पर चल सकने योग्य नहीं हैं, उन्हें परिसमाप्त कर देना चाहिए अथवा केन्द्रीय/थोक भण्डारों में मिला देना चाहिए;

(2) केन्द्रीय/थोक भण्डारों को पुनर्गठित तथा मजबूत बनाया जाना चाहिए, ताकि उनका निर्माण बहु–खुदरा एकक सहकारी समितियों के रूप में किया जा सके;

(3) अच्छी और चल सकने की सम्भावना वाली प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि वे बड़े खुदरा भन्डारों के रूप में विभिन्न प्रकार का व्यापार कर सकें; और

(4) केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों को अपनी शाखाओं के रूप में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के खुदरा निकास स्थापित करने चाहिएं।

**दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का सरकारी विज्ञापन**

**4482. श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रचार सामग्री देने में किन मानदण्डों का पालन किया जाता है; और

(ख) विभिन्न विभागों द्वारा 1968–69 में दी गई ऐसी प्रचार सामग्री का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं के सभी महत्वपूर्ण दैनिक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को प्रचार सामग्री जारी की जाती है जिसमें प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, हैण्डआउट मन्त्रियों के भाषण, पीवर लेख इत्यादि शामिल हैं। इस समय कार्यालय द्वारा सामग्री को भेजे जाने वाली सूची में 4304 समाचार पत्र तथा पत्रिकायें हैं।

(ख) 1968–69 के दौरान 59,011 प्रचार संवाद जारी किए गए थे।

## खाद्यान्नों का आयात

**4484. श्री अब्दुलगनीदार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में खाद्यान्नों के और आयात के लिए किये गये करार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन आयातों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) . 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले यू० एस० वित्तीय वर्ष 1970 में 80 लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने के लिए भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 13 अक्तूबर, 1969 को एक करार हुआ था। इसमें से लगभग 1149 लाख डालर की लागत का 21,57,000 मीटरी टन गेहूं परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण शर्तों के अन्तर्गत तथा 449 लाख डालर की लागत का 8,43,000 मीटरी टन गेहूं स्थानीय मुद्रा शर्तों के अन्तर्गत सप्लाई किया जाना है। 21,57,000 मीटरी टन गेहूं जिसका आयात परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा शर्तों के अधीन किया जाना है, का भुगतान 31 बराबर वार्षिक किश्तों में विदेशी मुद्रा में किया जाएगा। भुगतान की प्रथम किश्त जिन्स की अन्तिम सुपुर्दगी की तारीख के 10 वर्ष बाद देय होगी। अतः इस गेहूं के लिए विदेशी मुद्रा का तत्काल भुगतान करना निहित नहीं है।

17 नवम्बर, 1969 को एक अन्य करार को अन्तिम रूप दिया गया था, जिसके अधीन आस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को अनुदान के रूप में बिना प्रतिपूर्ति के 70,000 मीटरी टन आस्ट्रेलियन गेहूं देना मान लिया है। दिसम्बर, 1969 के अन्त तक सभी मात्रा के भारत पहुंचने का अनुमान है। अनुदान होने के कारण इस आयात पर कोई विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ेगी।

## संसद सदस्यों द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किया जाना

**4485. श्री अब्दुलगनीदार** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने श्री वी० वी० गिरी के राज्य सभा के सभापतित्व से त्याग पत्र देते समय उन्हें दी गई श्रद्धांजलि के लिए दूर दर्शन का प्रयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डा० एन० संजीव रेड्डी, भूतपूर्व अध्यक्ष को उनके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर संसद सदस्यों द्वारा उनको दी गई श्रद्धांजलि को आकाशवाणी ने प्रसारित नहीं किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किये थे ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां 22 जुलाई को जो टेलीविजन बुलेटिन प्रसारित किया गया था उसमें एक समाचार श्री वी० वी० गिरी को दी गई श्रद्धांजलि के बारे में था।

(ख) जी, नहीं, जब कि टेलीविजन में यह समाचार नहीं आया, संजिव रेड्डी को दी गई श्रद्धांजलियों को अंग्रेजी, हिन्दी, सिन्धी, डोगरी, पंजाबी, गोरखाली, मराठी तथा गुजरातो समेत अनेक भाषाओं के काफी रेडियो समाचारों बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था। श्री रेड्डी को दी गई श्रद्धांजलियां "ट्रुडे इन पार्लियामेन्ट" (अंग्रेजी) तथा "संसद समीक्षा" (हिन्दी) सहित संसदीय समीक्षाओं में भी प्रसारित की गई थी।

(ग) सरकार ने आकाशवाणी को इन मामलों के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये थे।

**Change in the Seniority of Telegraphists in P&T Circle U.P.**

**4486. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that seniority of the telegraphists had been changed in accordance with the D. G. P&T letter No. 253/9/64 STB dated the 9th July, 1964 and D. G. P&T Circular No. 23 dated the 5th December, 1969;

b) whether it is also a fact that the change in seniority has been held to be unlawful by the Allahabad High Court and Punjab High Court vide their judgen ent on the 7th April, 1964 and the 4th October, 1963, respectiveiy;

(c) if so, whether the circular referred to above is still in force in the Department; and

(d) if so, the reasons therefor and the names, designations and addresses of the persons in the Uttar Pradesh Circle, affected by the aforesaid rule ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) Yes. the seniority of Telegraphists is regulated as per D. G. P&T letter No. 253/9/64-STB dated the 9th July, 1964 which supercedes all earliers on the subject, including D. G. circular No. 23 dated 5-12-69.

(b) No. We are not aware of the judgements quoted by the Member.

(c) D. G. P&T circular No. 23 dated 5-12-69 is not in force.

(d) In view of reply to (c) the question does not arise.

**Formation of Cooperative Societies of 'Rahriwalas' etc.**

**4487. Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Cooperation, Delhi took a decision in October, 1969 to form Cooperative Societies of Rahriwalas, Tongawallas, Rickshwallas and Dhobis in order to give them financial assistance; and

(b) if so, the complete details of the Cooperative Societies formed so far and the number of persons who have been benefited ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde)** : (a) . Yes, Sir.

(b) The details of such societies organised after October 1969 are as follows :-

| Name of society | Membership | Share-capital |
|---|---|---|
| 1. Dhobis Cooperative Society, Ltd. | 13 | Rs. 130 |
| 2. Rehri-pullers Cooperative Society. | 15 | Rs. 150 |

Proposals for organising more societies for dhobis, Rehri-pullers, Tonga drivers and Rickshaw-pullers are under consideration.

**Telephone Advisory Committee, Lucknow**

**4488. Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of Telephone Advisory Committee for Lucknow Circle was held on the 10th October, 1969 in Varanasi (Kashi); and

(b) if so, the nature of complaints and other particular difficulties regarding the telephone facility expressed by the Members in the meeting and the action taken thereon ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) . Yes.

(b) The requisite information is given in the statement. Laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT 2420/69]

**Mismanagement in Postal Department**

**4489. Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news item published in the daily "Aj" dated the 15th September, 1969 wherein mismanagement in the Postal Department has been referred to; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and steps being taken by Government in this respect ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) . Yes. The news item is a

criticism against the working of post offices but most of the contents are general and vague.

(b) The specific instances referred to in the news item are being enquired into and suitable steps will be taken in the matter.

**उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण**

4490. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 73 चीनी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अपना इरादा व्यक्त किया है और सरकार की स्वीकृति मांगी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रमुख कांग्रेसजनों ने एक अभियान चला रखा है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए योजना तैयार करने के लिए एक उच्च शक्ति–प्राप्त चीनी परिषद नियुक्त करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा सर्वप्रथम कब चीनी मिलों पर अधिकार किया जायेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया था कि विचार विमर्श के द्वारा चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर एक अखिल भारतीय नीति तैयार की जानी चाहिए और वे ऐसी नीति का स्वागत करेंगे।

(ख) कांग्रेस दल सहित कुछ राजनैतिक दलों ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की है।

(ग) सरकार ने कुछ क्षेत्रों में चीनी उद्योग की राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में चीनी उद्योग के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है। समिति अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करेगी।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कृषि एपेक्स बैंकों द्वारा किसानों को ऋण**

4491. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और कृषि बैंकों ने भांडागारों में भांडागारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को ऋण देने की अपनी नीति में हाल ही में परिवर्तन किया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

## सामान्य टेलीफोन निर्देशिका जांच-प्रणाली दिल्ली का कार्य

4492. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सामान्य टेलीफोन निर्देशिका जांच प्रणाली हाल में बिल्कुल सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रही है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी नहीं। इसके विपरीत बढ़िया और तुरन्त सेवा प्रदान करने की दृष्टि से उत्तरोत्तर सुधार ही हुआ है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

## Seetting up of Fisheries Department in Kota, Rajasthan

4493. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have set up Department of Fisheries in Kota, Rajasthan ;

(b) whether the said Department distributes the fish among the children of poor people in the villages also;

(c) whether it is also a fact that the said Department undertakes fishrearing in Kota Dam, Rana Pratap Sagar and Jawahar Sagar ;

(d) if so, the expenditure incurred on the said Department so far ; and

(e) the increase in production achieved?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation ( Shri Annasaheb Shinde )** : (a) and (d). The Central Government have not set up any Fisheries unit in Kota; the State Government have set up a Unit in Kota with special assistance from the Central Government under the applied Nutrition Programme. Under this programme, protective items of food like fish are distributed free among expectant mothers and poor children.

(c) to (e). Information on the functioning of the Units is being obtained from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

## Progrees of Fisheries in Kota, Rajasthan

**Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the details of progress made in the respect of fisheries in Kota (Rajasthan) during the last three years ; and

(b) the names of the places where experiment have been conduct in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde):** (a) and (b). The Information will be collected and placed on the Table of the Sabha.

## नीलोखेड़ी में बसने वालों से धन की वसूली

**4495. श्री सूरज भान :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलोखेड़ी में बसे लोगों से कितना धन किराये तथा प्लाटों और दूसरी जमीनों के बिक्री मूल्य के रूप में वसूल किया गया :

(ख) क्या सरकार द्वारा वसूल किया गया मूल्य सरकार की लागत से अधिक है और यदि हां, तो क्या यह उन लोगों के साथ अन्याय नहीं था जिन्हें सहकारी क्षेत्र के नाम पर छला गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने कालोनी के लिये नये प्रशासक की नियुक्ति के औचित्य पर विचार किया है जिससे वहां के लोगों की समस्यायें कम हो सकें ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रशासक की नियुक्ति का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

## नीलोखेड़ी कालोनी पर खर्च किया गया धन

**4496. श्री सूरज भान :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में नीलोखेड़ी कालोनी के विन्यास तथा उसके निर्माण पर सरकार ने अब तक कुल कितना धन खर्च किया है तथा इस कालोनी के लिये सरकार ने प्रारम्भ में अनुमानत: कितना धन नियत किया था ;

(ख) क्या सहकारी क्षेत्र में किया गया प्रयोग सरकार के आशानुकूल रहा है और क्या सरकार उसकी प्रगति से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कालोनी में नये उद्योगों की स्थापना करके अधिकाधिक धन लगाने अथवा आवंटन करने के लिये सरकार की कोई अन्य योजना है जिससे विस्थापित व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकें क्योंकि प्रयोग की विफलता के फलस्वरूप बेरोजगारी और अधिक बढ़ने के कारण सरकार ने उनको संकट में डाल दिया था ?

**श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

## Persons Employed in Slaughter House

**4497. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of Muslims, Hindus and other persons out of the total number of persons working in each of the slaughter houses at the time of census taken in August, 1940, or near about ; and

(b) the present number of Muslims, Hindus and other persons working in each of the old and newly set up slaughter houses ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation Shri Annasaheb Shinde)** : The census has no information on occupational distribution of population by communities or religion. The total number of persons engaged in slaughtering animals is also not available separately from the census of 1951.

(b) The information is not available.

**Need for more Hindi Press Correspondents for reporting Hindi Speeches in Parliament**

4498. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Information Brodcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether the number of Hindi Press Correspondents deputed to repot Hindi speeches in Parliament in original corresponds to the requirements in view of the fact that more than half of the total proceeding in Parliament are in Hindi ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the time by which such arrangements would be made available.

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K Gujral)** : (a) There are adequte arrangements for coverage of Hindi speeches made in two Houses of Parliament for purpose of AIR's news bulletins and other programmes concerned with parliamentary proceedings.

(b) and (c). Do not arise.

**Direct Telephone facilities from Hapur Telephone Exchange**

4499. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minster of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether direct telephone facility is available from Hapur Telephone Exchange to Sugar Mill Shmbhavali and the Power House near the railway station of Garhmukhteshwar;

(b) if so, the difficulties being experienced in connecting the telephones of the aforesaid two places with the Hapur Telephone Exchange ;

(c) whether Government propose to connect the telephones of the said places and those of Syana (Bulandshehr) with the Hapur Exchange so that the facility of direct telephone system with Delhi could be extended to these places also ; and

(d) if so, the time by which this proposal is likely to be implemented ?

**The Minister of State in the Ministry of Informatin and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh)** : (a) Yes.

(b) Does not arise.

(c) Sugar Mill Simbhavali and the Power House at Garhmukteshwar will have STD facility to New Delhi when this facility is provided between Hapur and New Delhi. Syana is a small auto exchange parented to Hapur trunk exchange only, and there is no proposal to extend STD facility to subscribers of this exchange.

(d) Does not arise.

**Independent Status for Hindi News Department of I and B Ministry**

**4500. Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether the proposal to make Hindi-news Department fully independent had been considered in the meeting of the Hindi Advisory Committee of his Ministry;

(b) whether it is a fact that he had accepted the aforesaid proposal in principle ; and

(c) the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

**The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral)**: (a) A proposal to make the Hindi Unit of the News Services Division of all India Radio self-sufficient was considered by the Hindi Advisory Committee of the Ministry.

**(b) Yes, Sia,**

(c) Action for creating additional posts is under way. It is hoped that the Unit will be adequately strengthened in a few months' time.

**Delhi School Teacher Cooparative House Building Society**

**4502. Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Arjun Singh Bhandari :**

Will the Minister of **Food, and Agriculture**, be plased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5155 on the 28th August, 1969 and state :

(a) whether the enquiry has since been completed ;

(b) if so, the findings thereof and the names and addresses of the members and the office-bearers of the Committee and the details of the amount deposited by them ; and

(c) if not, the time by which it is likely to be completed ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) to (c) The special enquiry which had been instituted against the Delhi School Teachers Cooperative Society could not progress due to the non-cooperation of the Management Committee of the Society, The Registrar of Cooperative Societies, Delhi, has since superseded the existing Management Committee and has nominated another Committee in its place with effect from 3. 11. 1969 and the earlier enquiry has been withdrawn. The personnel of the new Committee are as follows :—

President.

1, Shri Bhagwan Swarup Bhardwaj,
Village and Post Office,
Nagloi.

Members.

2. Shri Ishwar Das,
F.1/28 Krishna Nagar,
Delhi.

3. Shri Vijaya Pal Singh,
394, Gali Mandir,
Gandhi Nagar,
Delhi.

4. Shri Prakash Chand Shastri,
Govt. Higher Secodary School,
Shahdara.

5. Shri Suresh Chand Vajpayee,
S R.S.D.
Higher Secondary School,
Lajpat Nagar,
New Delhi.

6. Shri U. H. Varyani,
E-57. Amar Colony,
Lajpatnagar,
New Delhi.

7. Shri Amar Nath Singal,
J-323, Sarojini Nagar,
New Delhi.

8 Shri Brijeshwar Prasad,
Deputy Registrar, Cooperative
Societies,
Delhi.

9. Shri Gyan Chand,
Assistant Director (Education)
Delhi Administration,
Delhi.

The name and adresses of the members of society and the deposits made by them will be known after the new Management Commitee is able to set right the records of the society, The nominated Committee is taking action in this regards.

**Income out of Commercial Broadcast to be Canalised to Expansion at T. V.**

4503. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Yashwant Singh Kushwah :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri R. K. Birla :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to utilize the income from commercial broadcasts on extension of television and broadcasting services in the country, particularly in rural and border areas ; and

(b) if so, the details of the decision taken in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) and (b) . Since AIR is a department of Government, income from its commercial service is credited to the Central Revenue and the question of utilising it direct on any item does not arise. Funds for extension of television and broadcasting service in the country, including in rural and border areas, are provided from Government's overall in resources in accordance with our budgetary system.

**Consumption of Fertiliser in India and Foreign Countries**

4504. **Shri Raghuvir Singh :**
**Shri P. C. Adichan :**
**Shri Sitaram Kesri :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the targets for fertiliser consumption in the country have not been achieved and the consumption of fertilisers in the country is much less in comparison to its consumption not only in developing countries but also in comparison to the International average of fertiliser consumption;

(b) the targets of fertiliser consumption fixed for the current year and the extent to which they have been achieved;

(c) the reasons for not achieving the targets fixed; and

(d) the action proposed to be taken by Government in order to increase the consumption of fertilisers in the country ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) It is a fact that actual consumption of fertilisers has been lagging behind the target for sometime. Though the fertiliser consumption per hectare of arable land in India is less than the international average of fertiliser consumption, it has to be noted that all the circumstances which govern fertiliser application in developed countries, do not apply to India.

(b) The operational targets of consumption of fertilisers fixed for the current year are 17, 6 and 3 lakh tonnes of nitrogen, P205 and K20 respectively. As fertiliser application is still in progress on Rabi crops, it is not possible to indicate the extent to which the targets may be achieved in the current year.

(c) Does not arise.

(d) The Government are seized of the problem and are taking suitable steps to achieve the targets of consumption such as liberalizing the system of dealership licenses and strengthening of credit facilities. The Government are also considering establishment of a Fertiliser Promotion Organisation to intensify the existing promotional efforts regarding fertiliser use in the country.

**Expansion of All India Radio, Delhi**

4505. **Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to set up a new Radio Station for Delhi or Government propose to expand the present Radio Station of Delhi; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) and (b) : The existing Delhi Station provides satisfactory service to the whole of Delhi area. It is, therefore, not

proposed either to set up a new station for Delhi or to expand the existing one. Some expansion of the station has, however, already taken place with the introduction of Yuva Vani channel with effect from July, 1969.

**Representations for and against Introduction of Kisses in Films**

4506. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the total number of the representations received by Government in regard to allowing kisses or otherwise, in Indian Films and the number of film stars out of them and the general opinion expressed by them: and

(b) the time by which a decision is likely to be taken in the country ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K Gujral)** : (a) 107 representations have been received by Government from various organisations, associations and individuals. No representations from Film Stars have been received. The general view expressed in these representations is against kissing in Indian Films.

(b) The entire report of the Khosla Committee on Film Censorship is under consideration. It will take some more time before final decisions are taken on the recommendations.

**कुमाऊं क्षेत्र में भूमिहीन लोगों का पुनर्वास**

4507. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) में दिया गया आश्वासन इस बीच पूरा कर दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुमाऊं क्षेत्र के भूमिहीन लोगों की समस्याओं की जांच के लिए श्री बी० डी० सनवाल की अध्यक्षता में गठित की गई समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) . आश्वासन की पूर्ति का विवरण और श्री बी० डी० सनवाल की अध्यक्षता में गठित हुई समिति की रिपोर्ट की प्रतियां इस मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11–5/69–संसद–वाल्यूम–2, दिनांक 21 नवम्बर, 1969 के साथ संसदीय कार्य विभाग (कार्यान्विति शाखा) को लोक सभा के पटल पर रखने के लिये भेज दी गई है ।

(ग) समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि कुछ सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं और अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

**Broadcast of Brij-Madhuri Programme from All India Radio, Mathura**

**4508. Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that standard of programmes in Brij language from Delhi Station of A. I. R. has been improved whereas the standard of programmes from Mathura station of A. I. R. has fallen ;

(b) whether the mixed programmes of poetry in Hindi Brij Bhasha and Urdu on 'Shardpurnima' day was lifeless and children ;

(c) whether it is also a fact that top class poets of the country were not invited for the said programme ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** (a) to (c) : No, Sir.

(d) Does not arise.

**Appointment of Producer At A. I. R. Station, Mathura**

**4509. Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minisrer of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7540 on the 24th April, 1969 and state :

(a) whether Government do not propose to appoint any producer for the A. I. R Station, Mathura on the plea that the prouders of Braj programmes broadcast by the A. I. R., Delhi visit the Mathura Station off and on as also the programmes broadcast in Braj dialect by the Delhi and Mathura Stations are similar ;

(b) if so, the names of the producers who visit the Mathura Station and the number of visits paid by these producers during the period from July to September 1969 together with the dates of their visits, the number of days for which they stayed at Mathura during their each visit and also the contribution made by them in the programme broadcast over the Mathura Station ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral :** (a) No, Sir. The main reason is that the present programme output at Mathura does not justify appointment of a producer at that Station.

(b) No visits to Mathura were made, not were any necessary, during the period mentioned.

**Morning Broadcasts from A.I.R. Mathura.**

**4510. Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a letter an assurance had been given to the Finance Minister of Uttar Pradesh, Shri Laxmiraman Acharya to start the programme of morning broadcast from the A. I. R. station at Mathura ; and

(b) if so, the reasons for not starting the said programme till now ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communication (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. In reply to a letter from h m, Shri Laxmiraman Acharya, Finance Minister of Uttar Pradesh, was informed that the present facilities and staff at Mathura station did not permit introduction of a morning transmission and that it would be introduced after additional facilities and staff were provided.

(b) It has not been possible to provide additional staff and facilities for this station as yet.

**News of 'Bharat Bhim' Award to Shri Chandgi Ram**

4511. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the announcement of awarding of 'Bharat Bhim' title to Shri Chandgi Ram, winner of Bharat Bhim Dangal held at Lucknow, was relayed in the news bulletins in regional languages from Lucknow, Allahabad Stations of A. I. R.

(b) whether it is also a fact that the said news was not broadcast in the Hindi news bulletin of 8.45 P. M. from Delhi Station of A. I. R. ;

(c) whether it is also a fact that this news was broadcast in the English news bulletin at 9.00 P. M. immediately after the Hindi bulletin ; and

(d) if so. the reasons for not broadcasting such important news in Hindi bulletins ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The news was broadcast on 6th October, 1969 in the 19-15 hrs Pradeshak Samachar bulletin from Lucknow which was relayed by Allahabad station of A. I. R.

(b) Yes Sir.

(c) Yes, Sir,

(d) The news about the function was received at Delhi at the time when the Hindi news bulletin at 20.45 hrs. from Delhi station was alerady on the air. It could not, therefore, go into that bulletin. The next Hindi bulletin at 22.35 hrs. carried the news.

**Development of New Varieties of Mangoes for Export**

4512. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the varieties of mangoes developed for annual growth and export purposes; and

(b) when these are likely to be made available to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Though India has a number of good mango varieties, only 'Alphonso' has found general favour in the export markets due to its excellent flavour, moderate sweetness shape and size. Other varieties such as Chausa, Dusehri, Langra and Benishan are also excellent varieties and are being taken up for export.

The Indian Agricultural Research Institute has in recent years done some excellent research on developing hybird varieties of mango. Out of 467 hybirds developed, two hybirds 'Dusehri X Neelum' and Neelum X Chausa have been found to be very promising having excellent fruit quality and regularity in bearing.

(b) The two hybirds are under detailed study and will be released in due course.

**Research Intriple Dwarf Wheat :**

**4513. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the results achieved of the research made so far in respect of Triple Dwarf wheat ;

(b) whether it is a fact that the said research proved of no use and further research in this respect was discontinued ; and

(c) if not, details of progress made therein ?

**The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : **(a)** The experimental work on the development of wheat varieties having 3 dwarfing genes has resulted in the production of some strains which are in various stages of testing at present. Several of these strains have already been entered in the all-India Coordinated Trials for evaluation of their performance at different locations.

(b) It is not true that research on the development of wheat varieties having 3-dwarfing genes has proved disappointing. Some very promising results have been achieved. In view of these results, research on such wheat varieties is being intensified rather than discontinued.

(c) As a result of this work, a number of 3-gene dwarf cultures have already been developed in Rajasthan, Uttar Pradesh Agricultural University and India Agricultural Research Institute which, as explaned above, are in various stages of testing under the All-India Coordinated Trials. Some of these cultures have given good performance in the course of these tests and have given yields which are about comparable with those given by the released variety, Kalyansona. It is expected that after further testing, one or more varieties of 3-gene dwarf wheats may be released for general cultivation. They will help to stablise wheat yields, since they are not affected by lodging caused by late rains and hailstrom in March.

**Production of Maize :**

**4514. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that experiment of hybrid maize has failed and the Pantnagar Agriculture University has stopped growing seeds of hybrid maize in the absence of demand ;

(b) if so, the efforts being made to promote maize production in the entire country ; and

(c) the figures of the area under maize cultivation and its production during the last two years and the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Community Dev. and Copperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No; on the contrary area under hybrid maize increased from 200,000 hectares to 3,00,000 hectares during the last three years.

(b) Does not arise.

(c) Area under maize cultivation and its production during the last two years are given below, It is yet to early to give any firm estimates of Maize for 1969-70.

| | 1968-69 | 1967-68 |
|---|---|---|
| Area (Thousand hectares) | 5, 715.8 | 5,583.4 |
| Production (Thousand tonnes) | 5,701.1 | 6 269.3 |

## देश में अनाज की कमी

4515. **श्री बलराज मधोक** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1969 में देश में अनाज की कुल कमी का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यह कमी वर्ष 1968 की अनाज की कमी की तुलना में अधिक है या कम; और

(ग) किन राज्यों में अनाज अधिक हुआ और किन राज्यों में कम और इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे)** : (क) से (ग). अनाज की माग लोचदार है और अनेक बातों, जैसे जनसंख्या, व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि, उनकी भोजन की आदतें, नगरीकरण का स्तर, अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और मूल्यों आदि पर निर्भर करती है। भारत की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में इन सब बातों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। इसलिए आवश्यकताओं का अनुमान लगाना कठिन है और इसके परिणामस्वरूप किसी वर्ष विशेष में देश में कमी होती है।

प्रत्येक राज्य में कमी अथवा अनाज की फालतू मात्रा का अनुमान लगाना और भी अधिक कठिन है। एक राज्य में किसी अनाज की कमी और कोई अन्य अनाज फालतू मात्रा में हो सकता है।

कम उत्पादन वाले वर्ष में लोग सामान्यतया अच्छे उत्पादन वाले वर्ष में इस्तेमाल किये गये अनाज की तुलना में कम अनाज से गुजारा कर लेते हैं।

वर्ष 1969 में अनाज का अखिल भारतीय उत्पादन 1968 की तुलना में थोड़ा कम था। इसलिए जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1969 में खाद्यानों की कमी 1968 की तुलना में थोड़ी सी अधिक कही जा सकती है।

जहां तक विशिष्ट राज्यों का सम्बन्ध है, सभी अनाजों को मिलाकर आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने 1969 में केन्द्रीय पूल में काफी अनाज दे सके हैं। अन्य राज्यों ने केन्द्रीय पूल से अनाज लिया है।

**कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सुविधायें**

**4516. श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान विस्थापितों की कालोनी में पर्याप्त दुकानों तथा दुकानों के रोडों की व्यवस्था कर तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (लघु तथा छोटे पैमाने के उद्योग तकनीकी तथा दस्तकारी) स्थापित कर वहां पर बसने वालों के आश्रितों का आर्थिक पुनर्वास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) से (ग). कालकाजी के निकट, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाट अलाट करने की योजना का उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों को मकानों के निर्माण के लिये भूमि प्रदान करना था जो पहले ही दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हुये थे। इन विस्थापित व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक रूप से पुनर्वास देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। योजना के खाकों में बहुत संख्या में दुकानों के स्थानों की व्यवस्था की गई है। इन स्थानों का सार्वजनिक नीलाम किया जायगा और जब कभी भी उनका नीलाम किया जाता है, विस्थापित व्यक्ति तथा उनके आश्रित भी बोली दे सकते हैं। यह एक रिहायशी बस्ती है; इसलिये वहां किसी प्रकार के उद्योगों की गुंजाइश नहीं है।

**कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में स्कूलों, औषधालयों तथा मार्किट का निर्माण**

**4517. श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अभिकरणों (केन्द्रीय तथा स्थानीय प्रशासन) द्वारा कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की कालोनी में वहां पर रहने वाले लोगों के लिये मकानों के निर्माण के साथ-साथ स्कूलों, औषधालयों तथा मार्केट आदि सार्वजनिक उपयोग की इमारतें बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनको किस प्रकार क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) से (ग). बस्ती की अभिन्यास योजना में, सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी भवनों, जैसे स्कूलों, औषधालयों इत्यादि के लिये स्थान छोड़ दिये गये हैं। इन भवनों का निर्माण, सम्बन्धित स्थानीय तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य नियमों तथा प्रणाली के अनुसार, यथा सम्भव समय में किया जायेगा। बस्ती की अभिन्यास योजना में दूकानों इत्यादि के लिये भी बहुत से उपयुक्त स्थान छोड़े गये हैं। इन स्थानों का निपटारा सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जायेगा और सफल बोली दाताओं को निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण करना होगा।

**पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में प्लाटों का आवंटन**

**4518. श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्ति (भूमि अर्जन) पुनर्वास अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 9) और विस्थापित व्यक्ति (भूमि अर्जन) (दिल्ली राज्य) पुनर्वास नियम, 1951 दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों पर लागू थे; और

(ख) यदि हां, तो प्लाटों-रिहायशी और गैर रिहायशी का आवंटन किन शर्तों पर किया गया था ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां।

(ख) जहां भूमि विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अर्जित की गई थी, पट्टे पर अलाट की गई थी, पट्टे नामे में विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) (दिल्ली राज्य) नियम, 1951 के उपबन्ध II में निर्धारित शर्तें सम्मिलित थीं। ये शर्तें, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के लागू होने से पूर्व लागू रहीं और उसके बाद अलाटमेंट, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 में की गई व्यवस्था के अनुसार की गई थी।

**पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना**

**4519. श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापितों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9वां अधिनियम) तथा विस्थापितों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) (दिल्ली राज्य) नियम, 1951 के उपबन्ध दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों जिनको कालकाजी, नई दिल्ली के निकट एक कालोनी में प्लाट दिये गये हैं, पर लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्तमान शर्तें, जिनके अन्तर्गत प्लाट दिये गये है, में किस प्रकार संशोधन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) से (ग). पुनर्वास विभाग द्वारा, कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के लिये भूमि, विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अर्जित की गई थी। यह बस्ती पुनर्वास योजना के रूप में नहीं सोची गई थी। किन्तु इसका आशय पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को, जो पहले ही दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे थे, अर्जन तथा विकास के वास्तविक मूल्य का भुगतान करने पर, प्लाट प्रदान करने का था। यह विचार करते हुये कि अलाटी पहले ही दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हैं और भारत सरकार से पुनर्वास सहायता पाने के पात्र नहीं हैं, इसलिये

उन्हें विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) (दिल्ली राज्य) नियम, 1951 में दी गई शर्तों के अनुरूप शर्तें लागू की गई हैं।

**रेलवे डाक सेवा कार्यालय, कोयम्बटूर में अधिक स्थान के लिये अभ्यावेदन**

**4520. श्री के० रमानी :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री ई० के० नायनार :**
**श्री नम्बियार।**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा कार्यालय, कोयम्बटूर में अधिक आवास तथा स्थान की व्यवस्था के बारे में रेलवे डाक सेवा यूनियन से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी हां (1965 में)।

(ख) कोयम्बतूर में स्थित रेल डाक सेवा की इमारत में विस्तार करने के प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे विभाग द्वारा पूरे किए जाने वाले निर्माण-कार्यों के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, और इस मामले की पैरवी की जा रही है।

**राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के कार्यालय को बंगलौर ले जाना**

**4521. श्री मसुरिया दीन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् का कार्यालय बंगलौर ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसे ऐसे स्थान में ले जाने के क्या कारण हैं; जहां उसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है; और

(ग) इसके फलस्वरूप खाली हुई इमारत का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी नहीं। यह कार्यालय धनबाद में ही दूसरे भवन में बदल दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह भवन खान सुरक्षा महा निदेशालय के किसी अधिकारी को अलाट कर दिया गया है।

**मैसर्स के० बोरहा एण्ड कम्पनी धनबाद के विरुद्ध चलाये गये खनन उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने के मामलों को वापिस लेने का आरोप**

**4522. श्री मसुरिया दीन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स के० बोरहा एण्ड कम्पनी द्वारा खनन उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन किए जाने के उनके विरुद्ध 126 मामले वापिस ले लिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जहां तक खान अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों का सम्बन्ध है, गत तीन वर्षों के दौरान खानमुख स्नानगार ने चलाने सम्बन्धी दो मामले वापस लिए जाने की सूचना मिली है।

(ख) त्रुटियां दूर कर दी गई।

**डी० डी० जी० एम० ऑफ सेफ्टी के रिक्त पद को भरना**

**4523. श्री मसुरिया दीन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० जी० एम० आफ सेफ्टी का पद गत दो वर्षों से खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद का कार्यभार दूसरे व्यक्ति को न सौंपने के क्या कारण है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**Female Employees working in the P. and T. Department**

**4524. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state the total period of maternity leave in term of man-days sanctioned to famale employees of P & T Department during the current financial year till date ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : The information sought will be collected and placed before the House.

**Magazines in Indian Languages brought out by Russian Embassy**

**4525. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communication be pleased to state :

(a) the number of Indian languages in which various magazines are brought out by the Information and Publicity Department of .he Russian Embassy in India and by the Soviet Russia direct for distribution in India; and

(b) the total number of such magazines brought out in different Indian languages as also the number of magazines brought out in each Indian languages.

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Commnnication (Shri I. K. Gujral)** : (a) The Embassy of the U.S.S.R. is publishing newspapers and periodicals in English and 12 Indian languages Ministry of Information and Broadcasting have to information regarding the magazines published by Soviet Russia direct for distribution in India.

(b) According to information furnished to the Registrar of Newspapers for India, the Embassy of U S.S.R. brought out 37 magazines during 1968 in Indian languages as indicated below :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hindi | - 5 | Kannada | - 3 |
| Malayalam | - 4 | Gujarati | - 3 |
| Tamil | - 4 | Punjabi | - 2 |
| Telugu | - 4 | Assamese | - 2 |
| Urdu | - 3 | Oriya | - 2 |
| Bengali | - 3 | Marathi | - 2 |

The name, languages, periodicity, place of publication and circulation of the publications brought out by the Embassy are given on peges 483 and 484 of the "Press in India 1969", a copy of which was laid on the Table of the House on 29th August, 1969.

**Arragements for Broadcasting News in India**

**4527. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) the number of Radio Stations at present in the country;

(b) the number of Radio Stations which broadcast news bulletins in Hindi;

(c) the number of Radio Stations which do not broadcast news bulletins in Hindi; and

(d) the steps proposed to be taken by Government for broadcasting news bulletins in Hindi in fnture ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K Gujral)** : (a) 64 transmitting centres consisting of 38 independent stations, 3 satellite stations, 20 auxiliary centres and 3 Vividh Bharati Centres.

(b) All the Stations/Centres which are on air at that time relay the Hindi news bulletins at 08.00 hrs. and 20.45 hrs.

(c) Nil.

(d) Does not arise.

**मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर शुल्क (प्रीमियम)**

**4528. श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने सैंटान गांव में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों से इनको आवंटित भूमि के लिये शुल्क (प्रीमियम) की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनको किस प्रकार से भूमि आंवटित की गई और कितना शुल्क (प्रीमियम) मांगा गया है;

(ग) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों ने इस शुल्क को माफ करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है, क्योंकि वे विस्थापित व्यक्ति हैं और मनीपुर के इस क्षेत्र में उनको फिर से बसाया गया है? और

(घ) यदि हां, तो मनीपुर सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद)** : (क) से (घ). जानकारी मनीपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

**गायन और वाद्यसंगीत के लिये आकाशवाणी का समय नियत करने का तरीका**

**4529. श्री वि० प्र० मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में गायन और वाद्यसंगीत का चयन करने और समय नियत करने का क्या तरीका और सिद्धान्त है; और

(ख) क्या यह सच नहीं है कि कोई उचित सिद्धान्त न होने के कारण योग्य कलाकारों की अवेक्षा की जा रही है जबकि घटिया किस्म के कलाकार, जिनकी आकाशवाणी प्रसारण में पहुँच है, अनुचित लाभ उठा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) केन्द्रों तथा महानिदेशालय की गायन और वाद्यसंगीत के विशेषज्ञों की स्वर परीक्षा समितियां कलाकारों को प्रसारणार्थ स्वीकृत करती है तथा उनका श्रेणीकरण करती है। रोल नम्बर पद्धति इसलिये अपनाई जाती है कि कलाकार का नाम गुप्त रखा जाए। कलाकार को स्वीकृत करने के लिये अपनाई गई कसौटी में विशिष्ट रूपों को ठीक ठीक तथा सौन्दर्यपूर्ण मधुर ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता शामिल है। समय का नियत किया जाना कलाकारों की श्रेणीयों पर निर्भर करता है। जिन कलाकारों को उच्च श्रेणी दी जाती है उन्हें कम योग्यता वाले कलाकारों की अपेक्षा अधिक समय दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मेटों के रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों से वैलडरों का काम लेना**

**4530. श्री राम चरण** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में दैनिक मजूरी पर मेटों के रूप में भर्ती किये गये कुछ व्यक्ति वैल्डरों के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अथवा किन्हीं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं का कोई डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र था:

(ग) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों को मेटों के रूप में दैनिक मजूरी मिल रही हैं जब कि वैल्डरों के रजिस्टर में अपनी हाजरी लगा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को नियमित वैल्डर क्यों नहीं बनाया गया और उन्हें मेटों के रूप में दैनिक मजूरी दिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि वे तकनीकी और शैक्षिक रूप से योग्य हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** :(क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होता। दो व्यक्ति जो शुरू में दैनिक मजूरी पर मेटों के रूप में भर्ती किए गए और जो अब नियमित मेटों के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, वे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से वैल्डिंग में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए हैं।

## सुपर फास्फेट उर्वरक की खपत

**4531. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त मांग होने के कारण देशी सुपर फासफेट उर्वरक उद्योग केवल इस समय 50 प्रतिशत क्षमता से काम कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष में फासफेट उर्वरकों की वास्तविक खपत सरकार के अनुमान से बहुत कम रही है और इसके परिणामस्वरूप आयातित डाई एमोनियम फासफेट बहुत जमा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में डाई एमोनियम फासफेट के निःशुल्क आयात किये जाने से होने वाली प्रतियोगिता के कारण देशी सुपर फास्फेट उद्योग की क्षमता का उपयोग और भी कम हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) कुशल विपणन संगठन के अभाव और सुपर फास्फेट उद्योग द्वारा इसके उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों के कारण सिंगल सुपरफास्फेट उद्योग आजकल 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहा है।

(ख) चालू वर्ष में फास्फेट पूरक उर्वरकों की अनुमानित खपत निर्धारित लक्ष्य से कम है। परन्तु इसके कारण आयातित डाइ-एमोनियम फास्फेट का स्टाक जमा नहीं हुआ है।

(ग) चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में डाइ-एमोनियम फास्फेट का आयात नहीं किया गया था। परन्तु वर्ष के उत्तरार्द्ध में, एक राज्य सरकार और एक उत्पादनकर्ता के विशेष अनुरोध पर

डाइ-एमोनियम फास्फेट का सीमित आयात पुनः आरम्भ कर दिया गया था। अतः डाइ-एमोनियम फास्फेट के आयात से सुपरफास्फेट उद्योग के प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले मेटों की शैक्षिक अर्हतायें**

**4532. श्री राम चरण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में मेट रोज़गार कार्यालय के माध्यम से दैनिक मजूरी पर भर्ती किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मेटों के लिये कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ समय बाद ये दैनिक मजूरी वाले मेट नियमित कर दिये जाते है और उन्हें महीनेवार मजूरी दी जाती है; और

(घ) क्या दैनिक मजूरी वाले मेट को नियमित करने से पूर्व उनकी शैक्षिक अर्हताओं अथवा राजनीतिक पूर्ववृत की कोई जांच की जाती है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। पद के भर्ती नियमों में (जिनका अब संशोधन किया जा रहा है) मिडिल स्कूल स्तर पास की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) शैक्षिक अर्हताओं की जांच दैनिक मजदूरी पर शुरू में नियुक्ति के समय की जाती है। जब दैनिक मजदूरी वाले मेटों की नियमित नियुक्ति की जाती है तो इस विषय पर वर्तमान आदेशों के अनुसार उनके चरित्र तथा पूर्ववृत की जांच की जाती है।

**गन्ने से चीनी की प्राप्ति**

**4533. श्री वेदव्रत वरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा भिन्न भिन्न है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर भारत के राज्यों में गन्ने से बहुत ही कम चीनी प्राप्त होती है;

(ग) क्या गन्ने से अधिक चीनी प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) 1960-61 से 1968-69 के वर्षों में विभिन्न राज्यों में कारखानों को गन्ने से चीनी की जो औसत उपलब्धि हुई है उसे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2421/69**] महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर को छोड़कर सभी राज्यों में गन्ने से चीनी की उपलब्धि आमतौर पर कम हो रही है।

(ख) गन्ने की बेहतर किस्मों के विकास पर अब विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकारों और कारखानों से कहा गया है कि वे अपने यहां प्रारम्भ से ही ताप-उपचारित गन्ने की बीज सामग्री सहित नर्सरी बनाएं ताकि अच्छे बीज सप्लाई करने और कीड़ों और बीमारियों को कम करना सुनिश्चित किया जा सके। उनसे यह भी कहा गया है कि वे गन्ने की फसल अच्छी प्रकार तैयार हो जाने पर ही उसकी कटाई की व्यवस्था करें। 1962-63 मौसम से चीनी कारखानों की औसत उपलब्धि के आधार पर गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की एक प्रणाली भी लागू की गई है।

(घ) जहां अभिस्तावित तरीके अपनाए गए हैं वहां उपलब्धि में सुधार की प्रवृत्ति रही है।

**भारतीय लोक मत संस्था द्वारा आकाशवाणी की प्रतिष्ठा का सर्वेक्षण**

**4534. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय लोकमत संस्था द्वारा किये गये आकाशवाणी की प्रतिष्ठा के सर्वेक्षण के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जो सितम्बर, 1969 के "मन्थली पब्लिक ओपीनियन सर्वेज़" में प्रकाशित हुए थे;

(ख) क्या सरकार सर्वेक्षण के इस निष्कर्ष से सहमत है कि समाचार प्रसारित करने के माध्यम के रूप में आकाशवाणी की प्रतिष्ठा काफी बिगड़ गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आसाम में एक नया तार डिवीजन बनाया जाना**

**4535. श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक नया तार डिवीजन बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । अभी यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) यह प्रस्ताव है कि वर्तमान गोहाटी और डिब्रूगढ़ इंजीनियरी डिवीजनों का पुनर्गठन करके तीन डिवीजन बनाए जाएं—गोहाटी (पूर्व) डिवीजन, गोहाटी (पश्चिम) डिवीजन जिनका मुख्यालय गोहाटी हो और डिब्रूगढ़ डिवीजन जिसका मुख्यालय डिब्रूगढ़ हो ।

**डाक तथा तार विभाग के सेन्ट्रल आसाम डिवीजन का विभाजन**

4536. **श्री बेज़बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार डाक विभाग के सेन्ट्रल आसाम डिवीजन का विभाजन करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो नये डिवीजनों में कब से काम आरम्भ हो जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) पोस्टमास्टर जनरल से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बाढ़ के कारण फसलों और ढोरों को हानि**

2537. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
**श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री कृ० मा० कौशिक :**
**श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
**श्री मीठालाल मीना :**
**श्री मुहम्मद इमाम :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर तथा अक्तूबर, 1969 में देश में विभिन्न भागों में भारी बाढ़ आई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि खड़ी फसलों और ढोरों की कितनी हानि हुई है तथा कितनी भूमि जलमग्न हो गई;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों की सरकारों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि किसानों तथा बाढ़ प्रभावित अन्य लोगों को तुरन्त राहत पहुँचाई जाये; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया है और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों से मांगी गई है और संकलित होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**महा-डाकपाल तथा अन्य डाक-तार अधिकारियों का कार्यकाल**

4538. **श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री योगेन्द्र शर्मा :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री क० मि० मधुकर :**
**श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महा-डाकपाल का एक स्थान में कार्यकाल कितना होता है;

(ख) महा-डाकपाल तथा टेलीफोन जिलों के महा-प्रबंधकों के सामान्य स्थानान्तरण की नीति क्या है;

(ग) प्रत्येक मंडल मे महा-डाकपाल तथा महा-प्रबंधक का उनकी नियुक्ति की तिथि से 30 सितम्बर, 1969 तक कार्यकाल कितना होता है;

(घ) क्या उनको सामान्य स्थानांतरण के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या डाक तथा तार विभाग के उन सभी राजपत्रित तथा तार विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थानांतरण करने का कोई प्रस्ताव है, जिन्होंने एक स्थान पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया हो, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) और (ख) किसी महाडाकपाल अथवा टेलीफोन महाप्रबंधक के किसी टेलीफोन जिले में ठहरने का कार्यकाल सामान्यतया 4 वर्ष है। तथापि लोकहित में इस अवधि को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2242/69**]

(घ) ऐसे मामलों का प्रतिवर्ष नियमित रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है।

(ङ) डाक तथा तार अधिकारियों के बारी से तबादले पर प्रतिबन्ध को बचत की दृष्टि से अगस्त 1970 तक बढ़ा दिया गया है। तथापि निदेशकों अथवा उनके ऊपर के अधिकारियों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है। इस पद से नीचे के अधिकारियों को भी लोक हित में आवश्यक समझे जाने पर स्थानांतरित किया जाता है।

**काश्मीर में चुकन्दर बीज प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु डेनमार्क का सहयोग**

4539. **डा० प० मंडल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर घाटी में डेनमार्क अथवा किसी अन्य देश के सहयोग से बड़े पैमाने पर चुकंदर बीज प्रक्षेत्र स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो कब तक इसके स्थापित हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) चुकंदर के बीज की भारत की आवश्यकता कितनी है और अभी यह मांग कितनी पूरी की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने जो भारत सरकार की संस्था है, 1969–70 में काश्मीर घाटी के 8 एकड़ भू-क्षेत्र में चुकंदर के बीजों के वर्धन का कार्यक्रम शुरू किया है जिस के लिये एक डेनिश फर्म से 10 किलोग्राम आधार बीज प्राप्त किये गये हैं। डेनिश किस्मों के बीज वर्धन का कार्यक्रम तब ही बढ़ाया जायेगा जब देश में इसकी मांग बढ़ेगी।

(ख) 1970–71 में 20 मीटरी टन चुकंदर के बीज की आवश्यकता होगी और चौथी योजना के अन्त (1973–74) तक इसकी जरूरत 40 मीटरी टन होगी। चुकंदर के बीज की मांग को देश में ही उत्पादन द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है।

**बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को मद्रास में बसाना**

**4540. श्री सेझियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों से, जो बसाये जाने तथा पुनर्वास के लिये मद्रास में हैं, ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें व्यापार करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाये;

(ख) उनके लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ग) अब तक कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को तमिल नाडू में राहत तथा पुनर्वास सुविधाओं सम्बन्धी तैयार की गई तथा क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्योरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2423/69]**

**गांधी डाक टिकट कार्ड तथा लिफाफे**

**4541. श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिन डाक टिकटों, कार्डों और लिफाफों पर गांधी का चित्र अंकित है वे लोक प्रिय नहीं हुये है, क्योंकि उन पर गांधी के चित्र ने अधिक स्थान घेर रखा है; और

(ख) ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) और (ख) समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ शिकायतें देखने में आई हैं। ये सचित्र पत्रादि स्मारक के तौर पर सीमित संख्या में छापे गए हैं और मौजूदा पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों और एयरोग्राम पत्रों के साथ-साथ बेचे जा रहे हैं।

**गन्ने पर खरीद-कर**

5542. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने पर खरीद-कर लगा रही है जिसका अन्ततोगत्वा प्रभाव गन्ना उत्पादकों पर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले कर की दर क्या है;

(ग) गन्ना उत्पादक क्षेत्र कायम रखने के लिये क्या राज्य सरकारों को ऐसा निदेश देने का ऐसा कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सभी राज्यों में गन्ना खरीद-कर कम और समान दर पर हो; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :** (क) और (ख) राज्य सरकारें चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर ही खरीद-कर लगाती हैं परन्तु इसका गन्ना उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसका भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गये गन्ना खरीद-कर की दरों को बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2424/69]**

(ग) जी नहीं।

(घ) राज्य सरकारें अपने द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अधीन गन्ने पर खरीद-कर लगाती हैं। गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र पर भी गन्ना खरीद कर का प्रभाव नहीं पड़ता है।

**Opening of more Depots in New Colonies By D. M. S.**

4543. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even today there are many colonies in Delhi without a single D. M. S. Milk Distribution Centre;

(b) whether it is also a fact that the residents of new colonies who have very limited means, experience great difficulties for want of milk; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government to make this facility available to them ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) Yes.

(b) Yes.

(c) In addition to 944 milk Deports already stablished, another 100 Depots are proposed to be opened by Delhi Milk Scheme to meet the requirements of the

tokenholders in the new colonies. Steps are also being taken to increase the handling capacity of the existing dairy plant and also to set up another dairy acress the Jamun for meeting the requirements of milk of the population of Delhi.

**Disparity of Income between Farmers of Irrigated and Dry Farming Areas**

4544. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the gap between the incomes of farmers of irrigated areas and those of dry farming areas is widening;

(b) whether one of the factors thereof is that the cultivation in dry farming areas was discouraged and emphasis was laid only on irrigated areas; and

(c) if so, the programme for removing the wide disparity in income in irrigated and unirrigated areas ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) . Information about the changes in the gap between incomes of farmers in irrigated areas and those of dry farming areas, based on any authentic all-India survey or study is not available. However, there is no doubt that absolute difference between the incomes of farmers in these two categories of areas tends to widen unless production in dry farming areas increases at faster pace than in irrigated areas.

(b) It is not a fact that cultivation in dry farming areas has been discouraged. Of course, in view of the limitations in the availability of inputs like fertilizers and urgency of securing increased food production, greater stress was laid in the past on intensive cultivation programmes in irrigated areas. Under the Fourth Five Year Plan however, measures for increasing production in dry areas are being given considerably greater attention.

(c) Government is giving emphasis on spread of irrigation particularly groundwater utilisation in areas at present unirrigated. In addition, all-India Coordinated Research Project for rainfed areas has been undertaken so as to evolve suitable soil and water conservation measures and proper cropping patterns which can help to increase yields in these areas. Efforts to find drought resistant and drought escaping varieties suitable for dry areas have also been undertaken. General programmes for increasing the availability of inputs like fertilizers and pesticides would also benefit these areas. Pilot schemes for the development of chronically drought affected areas and for the development of desert areas in Rajasthan, Gujarat and Haryana have also been taken up under the Fourth Plan. These measures help in narrowing down the disparity in incomes in irrigated and un-irrigated areas.

**विमान द्वारा वनों में वृक्षों के बीज डालना**

4545. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान द्वारा वन में वृक्षों के बीज डालने के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है विशेषकर किन क्षेत्रों में बीज डाले गये, कौन से विमान का प्रयोग किया गया, बीज की किस्में तथा वजन क्या थे, तथा बीज डालने में कितना समय लगा;

(ख) क्या उनके अंकुरण पर, और बीज की किस्म और बोने के समय के परस्पर सम्बन्ध का ध्यान रखा गया है; यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है; और

(ग) क्या ऐसे नये क्षेत्रों में जहां मानसून से वर्षा होती है वहां भी इस प्रकार बीज डाले जाने का विचार है; यदि हां तो किस पैमाने पर यह कार्यवाही की जायेगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग) . राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**Fall in Price of Agricultural Products during Harvest seasons**

**4546. Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the price of agricultural produce goes down by 24 per cent during the harvest season every year and producers incur a heavy loss; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure that farmers get reasonable price during the harvest season ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) Prices of agricultural commodities come down during the peak marketing season following the harvesting of crops and take an upward turn as market arrivals begin to decline. But the extent of seasonal variations in prices varies from year to year and commodity to commodity.

(b) Price support measures prevent an undue decline in prices even in years of good supply. Other steps taken by Government to ensure reasonable prices to farmers during the harvest season include provision of credit marketing and storage facilities etc.

**पंचायती राज विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार**

**4547. श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायत तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कर्मचारियों सहित विकास के लिए किन राज्यों में स्थायी विभाग है;

(ख) पंचायती राज के कर्मचारियों के लिए मैसूर तथा अन्य राज्यों में जहां पर स्थायी विभाग नहीं है स्थायी विभाग न बनाने के क्या कारण है;

(ग) यदि कोई स्थाई विभाग नहीं बनाया जा रहा है, तो पंचायती राज के कर्मचारियों का राजस्व तथा अन्य विभागों को तथा वहां के कर्मचारियों का पंचायतराज में तबादला क्यों नहीं किया जाना चाहिये; और

(घ) पंचायती राज के कर्मचारियों में हुई निराशा को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले को अपने हाथ में लेने तथा उक्त कर्मचारियों के मामले में भी अन्य सरकारी विभागों में सेवा शर्तों जैसी सेवा शर्तें लागू करने के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) से (ग) . राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) पंचायत कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने का राज्यों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इस बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों को देखते हुए इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

## 1971 तक अनाज के मामले में आत्म निर्भरता

**4548. श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री अडिचन :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समितियों की इस वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में खाद्यान्नों के मामले में 1971 तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और देश में कृषि को स्वावलम्बी बनाने के लिये एक वृहत कार्यक्रम तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे)** : (क) कृषि उत्पादन के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति की सितम्बर 1969 में नई दिल्ली में हुई बैठक में 1971 तक खाद्यान्नों में स्वावलम्बी होने के लिए और देश में कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार नही किया । यह बैठक मन्त्रालय ने कृषि विकास के महत्व पूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिये बुलाई थी जिसमें कृषि विकास की नई नीति की उन्नति तथा उसमें आने वाली समस्यायें, सूखे तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती, छोटे कृषकों के हितों की रक्षा के लिये कार्यक्रम, उर्वरकों की खपत और कृषि उत्पादन में गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना आदि विषय भी शामिल थे । कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं पर समिति के सदस्यों ने सुझाव दिये जिनमें उर्वरकों का अधिक प्रयोग, मिट्टी परीक्षण, कृषि मशीनों की अधिक सप्लाई तथा तत्सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध, वितरण और भंडारण में सुधार, ऋण की अधिक सप्लाई सिंचाई का विस्तार, अनुसंधान, विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि उत्पादन के कुछ अन्य पहलू आदि भी शामिल हैं ।

(ख) और (ग) . ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं होता ।

## Tractor Distribution Scheme

**4549. Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of applications received in each State upto the 15th October, 1969 under the Tractor distribution scheme of Central Government;

(b) the number of individuals to whom the tractors were distributed by each State Government;

(c) the number of indigenous and imported tractors separately thus distributed; and

(d) the details of efforts made by Government so far in view of the country's requirements for tractors ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Coroperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) and (b) The information is being collected from the State Agro-Industries Corporations/Union Territories and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

(c) There is no statutory control over the distribution of indigenously manufactured tractors. and the tractors are distributed by indigenous manufacturers through their dealers. As such, the information about the number of indigenous tractors distributed in the various States is not available. Information about the imported tractors is being collected from the States/Union Territories and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

(d) With a view to meeting the increased requirements for tractors, it has been decided to import a substantially large number of tractors besides stepping up the indigenous production. As against 15,500 tractors decided to be imported against 1968-69 requirement, the number of tractors to be imported against 1969-70 demand is 35,000. During 1968-69 the target of indigenous production was fixed at 20 000 nos. as against 15,466 manufactured during 1968-69. Import of tractors as gift from Indian relatives living abroad has also been allowed with a view to easing the supply position, The agricultural wheel tractor industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (D&R) Act, 1968 in order to induce the present tractor manufacturers to diversify their production in the lower h. p. range and also to induce other intending parties to come into the field to produce cheap tractors. It is also proposed to manufacture small h. p. tractors (20 h. p.) in one of the existing Public Sectors Projects.

## बिहार के गया टाउन में पत्थर निकालने के कार्य का रोका जाना

**4550. श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार के गया टाउन में रामशिला पहाड़ के आस पास पत्थर निकालने के कार्य को बन्द करवा दिया है जिससे 5000 पत्थर तोड़ने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदारों को पत्थर निकालने का अधिकार 1970 तक के लिए दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार पत्थर निकालने के अधिकार को उन्हें पुन: देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि बड़ी संख्या में बेरोजगार पत्थर तोड़ने वालों को रोजगार दिया जा सके ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) से (घ) : राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है और सभा की मेज पर यथासमय एक विवरण रख दिया जायगा ।

## दिनांक 20-11-69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 679 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

**Statement correcting reply to Unstarred Question No. 679 ; dated 20.11.69**

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : लोक सभा में दिनांक 20-11-1969 को अतारांकित प्रश्न सं० 679 में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी :-

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में मछली के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) मैसूर राज्य में प्रस्तावित जिलावार विकास का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में मंगलौर स्थित मछली पालन कालेज (फिशरीज कालेज) में व्यावसायिक मछियारे विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया गया है; और

(घ) मंगलोर फिशरीज कालेज में कितने लड़के दाखिल किये गये हैं और उनमें परम्परागत मछियारे सामुदाय के कितने लड़के हैं ?

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित जानकारी दी गई थी :—

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसूर राज्य में मात्स्यकी के विकास के लिए 55 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है ।

(ख) योजनाओं के सन्दर्भ में यह प्लान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है । जिलावार कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बनाये जाते हैं ।

(ग) तथा (घ) . यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फिर भी प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई जानकारी केवल 1969-70 के वर्ष के लिये ही है । प्रश्न के भाग (क) के लिये ठीक उत्तर निम्नलिखित होना चाहिए :—

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में मछली विकास के लिए 300 लाख रु० की राशि अनुमोदित की गई है ।

भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है ।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**रूसी दूतावास द्वारा त्रिवेन्द्रम में एक सांस्कृतिक केन्द्र के अनधिकृत निर्माण का समाचार**

**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान आकर्षण

**डा० राम सुभग सिंह** (बक्सर) : यह एक बहुत आपत्ति जनक बात है कि अध्यक्ष महोदय मन्त्री को बुला रहे हैं और मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : आज इस विषय पर दोनों सभाओं अर्थात लोक सभा और राज्य सभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। वैदेशिक कार्य मन्त्री इस समय राज्य सभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं और उसके बाद वह इस सभा में उत्तर देंगे।

**श्री सु० कु० तापड़िया** (थाली) : परम्परा यह है कि जब दोनों सभाओं में एक ही विषय पर विचार विमर्श होता है तो वरिष्ट मन्त्री लोक सभा में आता है तथा कनिष्ठ मन्त्री राज्य सभा में जाता है। हमेशा यही परम्परा रही है। अन्यथा इस विषय को 2 बजे म० प० पर लिया जाये ताकि मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हो सकें।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kota) : Mr. Speaker, Sir, one Minister has been apprehended while smuggling goods from Japan. It is a very serious matter. It brings bad name to the country. A Calling Attention Notice was given on this subject, but the same has been rejected by you. I demand that the name of the Minister should be disclosed. **(Interruption)**

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain) : Mr. Speaker, Sir, it is a very serious matter. It brings bad name to the entire country. You should ask the Government . . . **(Interruption)**

**Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur) : * * * *

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : * *

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

**Shri Randhir Singh** : * *

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप मेरा आदेश नहीं मानेंगे।

**श्री रणधीर सिंह** : मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करता रहा हूं। परन्तु एक देश भक्त होने के नाते मैं यह सहन नहीं कर सकता कि पंजाब का एक मंत्री इस तरह की ऊट-पटांग बातें करे। उसे गिरफ्तार किया जाये और सरकार उस के विरुद्ध कार्यवाही करे। **(व्यावधान)**

---

** कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

**Mr. Speaker :** The question is not before the House. So it is not proper for the hon. Member to stand up and begin speaking.

**Shri Randhir Singh :** It has been stated by a Minister of Punjab that if Chandigarh was not given to Punjab, there would be a revolt in the armed forces.

**Shri Prem Chand Verma :** Mr. Speaker, Sir, there is great tension in Punjab. Most objectionable statements are being given by a Minister of Punjab. Shri Jiwan Singh Umrangal and Sant Fateh Singh (**Interruption**) . .

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही आप को समय दे सकता हूं। आप कृपया बैठ जायें।

**Shri Randhir Singh :** If this Parliament is not going to take up this matter, then who is going to discuss it ? After all what is the function of Parliament. (**Interruptions**) . . .

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको अन्तिम चेतावनी देता हूं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। It is the Parliament of the country what impression are we going to make by incidents like this ?

**Shri Randhir Singh :** They should feel ashamed for it. (**Interruptions**) . . . .

{ **श्री रणधीर सिंह सभा भवन से बाहर चले गये।** / **Shri Randhir Singh then left the House.** }

**Mr. Speaker :** It House belongs to you and it is your duty to up hold the dignity of the Auousts House. This Parliament is the highest legislative body of the country. The business of the House can not be transacted in this way if any hon. Members who so ever he may be stands up and starts speaking like this. There are many matters and howsoever important they may be, there are certain rules to raise them in this House. It is not good to defy the chair. If this practice continues it will be difficult to carry on the business of the House. I do not like to take any action against any member unless I am compelled to do so. I appeal to the hon. Members to cooperate with me in transacting the business of the House properly.

**Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur) : On a point of order, Sir.

**अध्यक्ष महोदय :** आप सभा की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे हैं और यदि आप ऐसा ही करते रहे तो मुझे आप के विरुद्ध कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Mr. Speaker, Sir, I appreciate your feelings and agree with you that the hon. Members should uphold the dignity of the Chair and give full co operation to the Chair. But at the same time I want to submit to you that, while asking the Members to co-operate with you. You should also ask the Government to cooperate with you. The question of Chandigarh has assumed unprecedented proportions and such statements are being given that in case this problem is not solved there will be revolt in the army and that is why the Member are agitated on this question. You should ask the Government to solve this question. You should ask the

Government to make an announcement regarding Chandigarh before the adjournment of this Session.

**Mr. Speaker :** So far as the question of Cnandigarh is concerned, it is a matter of dispute between two states and incidentally I belong to one of them i. e. Pu. jab. So any observation made by me in this House regarding Chandigarh may be misunder stood. That is why I do not want to make any observation regarding Chandigarh. My duty is to follow the order paper and to transact the business of the House accordigly. If any motion comes that will be considered on merits. As a fair and impartial man I have to consider it. But it is not proper that any member may stand up and start speaking whatever he likes. Shri Vishwa Nath Pandey.

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :--

"Reported unauthorised constructions of a Cultural Centre at Trivandrum by the Soviet Embassy."

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** महोदय, भारत सरकार की नीति यह है कि राजनयिक मिशनों के किन्हीं अधिकारीयों संस्थानों अथवा राजनयिक मिशन की शाखाओं को उस स्थान के अतिरिक्त जहां दूतावास अथवा वाणिज्यिक मिशन का कार्यालय स्थिति है, अन्यत्र कायम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और इसके बारे में भारत सरकार द्वारा सब विदेशी मिशनों को सूचित कर दिया गया है। यह आदेश फरवरी 1954 में सब राजनयिक मिशनों में भेजा गया था।

जहां तक रूसी दूतावास द्वारा त्रिवेन्द्रम में एक भवन का निर्माण करने का सम्बन्ध है, रूसी दूतावास ने जून 1969 में वैदेशिक कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया था कि उसे त्रिवेन्द्रम में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने की अनुमति दी जाये। इस केन्द्र में एक पुस्तकालय, एक वाचनालय तथा एक छविगृह होगा। उन्हें सूचित किया गया था कि उन की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा। तथापि जब हमें यह पता लगा कि रूसी दूतावास ने सांस्कृतिक केन्द्र के लिये भवन बनाने के उद्देश्य से त्रिवेन्द्रम में सम्पत्ति खरीद ली है तो हमने उन्हें दिसम्बर के पहले सप्ताह में सूचित किया कि हमारी अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है और वर्तमान नियमों के अनुसार दूतावास अथवा वाणिज्यिक दूत के कार्यालय के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिये उन्हें भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। रूस के राजदूत ने कहा था कि हमारी इच्छा के विरुद्ध अथवा हमारी अनुमति के बिना इस मामले में कोई कार्यवाही करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने हमें यह भी बताया था कि उन्होंने भवन का और निर्माण बन्द कर दिया है तथा वह इस मामले में भारत सरकार के निर्णय को पूरी तरह स्वीकार करेंगे।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** It appears that after the political alliance between the Congress Government in the Centre and both groups of the Communists, soviet Union has started thinking that India is also a part of Soviet Union and that is why the Soviet Union proceeded with the unauthorised construction of the Cultural Centre at Trivandrum without getting any permission either from the Kerala Government or

from the Central Government. I want to know what immediate steps were taken by the Central Government, when this fact of unauthorised construction was brought to their notice ?

**Shri Dinesh Singh :** Mr. Speaker, Sir, I have already stated what steps were taken by us and what results were achieved therefrom. So far as the question of getting permission from Kerala Government, it matters little whether any permission was given by the Kerala Government or not The only competent authority to give permission is Central Government and no permission was given by the Central Government. So far as the question as to why the construction work was started we had a discussion with the Soviet Embassy in this regard and they stated that they were under some misunderstanding. As there are some such Centres in both the countries they understood that there will be no difficulty. As you know there is no restriction on purchasing land or starting construction thereon, but the restriction is there on setting up a Centre they have been told that no permission will be given for setting up a Centre.

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (Nagpur) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रूसी दूतावास ने केरल को प्रचार के लिये सर्वोत्तम स्थान समझा तथा केरल सरकार ने जो रवैया अपनाया उससे भी मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। परन्तु व्यापक प्रश्न यह है कि नई दिल्ली स्थित एक दूतावास, इस बात को जानते हुए भी कि इस मामले का वैदेशिक मंत्रालय द्वारा निर्णय नहीं किया गया है स्वतंत्र निर्णय कैसे कर सकता है, और भवन का निर्माण कार्य कैसे आरम्भ कर सकता है ? इस सम्बन्ध में मैं वैदेशिक कार्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि वह रूस को स्पष्टतया यह बता दें कि केरल हो अथवा पश्चिम बंगाल अथवा इस देश का कोई अन्य भाग, वह चैकोस्लेवाकिया नहीं है अपितु सम्पूर्ण प्रभु सत्ता प्राप्त लोकतंत्रात्मक भारत का एक अंग है। इसलिये मैं उन से यह कहना चाहता हूँ कि न केवल त्रिवेन्द्रम केन्द्र के प्रचार कार्य पर रोक लगाई जाये, अपितु रूसी दूतावास के विरुद्ध भी कोई कारगर कार्यवाही की जानी चाहिये।

**श्री दिनेश सिंह :** माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह उन के विचार हैं। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस मामले में उचित कार्यवाही की गई है। इस मामले में उन को कुछ गलतफहमी जरूर हुई है। तथा उन्होंने कहा है कि उस गलतफहमी के कारण उन्होंने बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया था। माननीय सदस्य जो सांठगांठ की बात कह रहे थे, वह सही नहीं है। सरकार सांठगांठ के आधार पर काम नहीं करती है।

**श्री क० लक्कप्पा** (तुमकुर) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उससे भारत के सम्मान में कोई वृद्धि नहीं होगी। सब दूतावासों को परिपत्र भेजे गये थे कि सरकार की अनुमति के बिना कोई भूमि न ली जाये, फिर भी मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि रूस ने केरल में भूमि खरीदी उस पर कब्जा किया तथा निर्माण कार्य आरम्भ किया। केरल भारत का अंग है। अब मैं कुछ तथ्य आप के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री को संसद् से तथ्यों को नहीं छिपाना चाहिये। उन्हें एक सही विवरण देना चाहिये तथा मैं जो तथ्य दे रहा हूं उन सब की जांच करानी चाहिये। उस भवन का मालिक एक व्यक्ति है और वह उसकी निजी सम्पति है। इसे केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाये जा रहे

कांग्रेस कार्यालय को पट्टे पर दिया गया था। इस भूमि के रूसी दूतावास द्वारा खरीदे जाने के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पगड़ी के रूप में 45,000 रुपये लिये थे और इस भवन को रूसी दूतावास को बेच दिया गया था। क्या इस देश की भूमि को राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना बेचना, इस देश की प्रभुसत्ता के विरुद्ध नहीं है ?

केरल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो कि एक केन्द्रीय गुप्तचर विभाग है, काम कर रहा है। उस का कार्यालय त्रिवेन्द्रम से केवल 1½ किलोमिटर की दूरी पर स्थित है। इस केन्द्रीय अभिकरण ने इस मामले की जांच क्यों नहीं की तथा उन्होंने यह जानकारी क्यों प्राप्त नहीं की ? इसमें क्या गुप्त बात है ? इन सब बातों का स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये।

**श्री दिनेश सिंह** : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ने किन गुप्त बातों का उल्लेख किया है।

**श्री पीलु मोदी** (गोधरा) : जन हित में आप उन बातों को छिपाना चाहते हैं।

**श्री ए० श्रीधरन** (बडागरा) : यह गुप्त बात नहीं है। बिक्री करार में यह लिखा हुआ है कि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 45,000 रुपये दिये गये।

**श्री पी० विश्वम्भरन** (त्रिवेन्द्रम) : केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री टी० ओ० बावा ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होने उन लोगों से 45,000 रुपये प्राप्त किये।

**श्री दिनेश सिंह** : यदि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, तो इसमें गुप्त बात क्या रह गई। मैं भी यह कहने वाला था परन्तु मैं पहले यह कहना चाहता था कि यदि मुझे कोई गुप्त बातें बताई गई तो मैं अवश्य उन की जांच करूंगा।

केरल सरकार से हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भूमि प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती लक्ष्मी अम्मा और श्रीमती पारत कुट्टी अम्मा की थी और उसे 3,80,000 रुपये में बेचा गया था। यह बात छुपी नहीं है कि 45,000 रुपये की राशि श्री बाबा को दी गई थी (अन्तर्बाधाएं) माननीय सदस्य विक्रय-विलेख से स्वयं को सन्तुष्ट कर सकते हैं। जहां तक भूमि को खरीदने का प्रश्न है विदेशी धर्म प्रचारकों पर केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, भूमि को खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली) : विदेशी मंत्री महोदय अधिकतर आन्तरिक राजनीति में संलग्न है। क्या मंत्री महोदय द्वारा बार बार गलतफहमी शब्द को प्रयोग करने का कारण यह था कि जब रूसी दूतावास से प्राप्त आवेदन-पत्र विचाराधीन थे तो एक भूतपूर्व सचिव श्री के० पी० एस० मेनन ने इस विषय पर श्री टी० एन० कौल से विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया की रूस सरकार भवन के निर्माण के बारे में आगे कार्यवाही कर सकती है। क्या भूतपूर्व उच्च अधिकारियों के लिये ऐसा करना उचित है, जबकि ऐसा करने से उनकी स्थिति देश में विदेशी एजेन्ट जैसी हो जाती है। (अन्तर्बाधाए)

केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा भूमि की बिक्री करने के बाद भी सरकार को इसकी जानकारी इतनी विलम्ब से प्राप्त होने के क्या कारण है ?

**श्री दिनेश सिंह :** हम यहां सभा को तथ्यों की पूरी जानकारी देने के लिये हैं। हम उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना नहीं जानते.....माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में रूसी राजदूत से स्तम्भ के गिरने के बाद विचार विमर्श किया। वास्तव में इस विषय पर सरकार ने रूसी राजदूत से 5 दिसम्बर को विचार विमर्श किया था जबकि स्तम्भ 11 दिसम्बर को गिरा था। यह सच है कि श्री के० पी० एस० मेनन ने मुझे यह बतलाया था कि उन्होंने इस बारे में विदेशी सचिव से कुछ समय पूर्व बात-चीत की थी और उसके बाद रूसी दूतावास ने इस विषय पर हमसे सीधी बातचीत की थी।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या इस मामले की जांच की जायेगी ?

**श्री दिनेश सिंह :** इस मामले में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री के० पी० एस० मेनन ने मुझे बताया था कि उन्होंने उसके बाद इस बारे में विदेशी सचि को सूचित कर दिया था और विदेशी सचिव के इससे इंकार करने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : हमारे देश में अमरीका के 12 ब्रिटेन के 25 और पश्चिम जर्मनी के 8 सांस्कृतिक केन्द्र हैं।

दलाई लामा भी एक सचिवालय चला रहे हैं और उनका छोटा राज्य है।(अन्तर्बाधाएं)

**श्री म० ला० सोंधी** (नई दिल्ली) : मैं इस टिप्पणी का विरोध करता हूं। दलाई लामा को इस देश में शरण दी गई थी। इस सभा में दलाई लामा का पक्ष लिया जाना चाहिये। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिये लड़ाई की थी।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : दलाई लामा सभा से बड़े नहीं है।

**श्री वासुदेवन नायर** (गोरेगांव) : माननीय सदस्य श्री दलाई लामा को संरक्षण देने की जिम्मेदारी क्यों ले रहे है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में विनिर्णय करना मेरा काम है। दलाई लामा का उल्लेख करना अनुचित नहीं है (अन्तर्बाधाएं)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डाइमंड हार्बर) : दलाई लामा का न केवल अपना छोटा साम्राज्य है बल्कि भारत–तिब्बत और भारत–चीन सीमा पर उनके बहुत से चाय बागान हैं। (अन्तर्बाधाएं)

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के सांस्कृतिक केन्द्र खोले गये हैं। लेकिन मैं उन्हें किसी व्यक्ति पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री मी० रू० मसानी** (राजकोट) : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह नियम 356 के अन्तर्गत कार्यवाही कर और माननीय सदस्य को बोलने से रोकें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** राष्ट्र विरोधी कार्यवाही और साम्राजवाद का विरोध करने के लिये बहुत सी धर्मप्रचारक संस्थाओं को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया प्राप्त होता है.....मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1954 के बाद, जबसे देश में विदेशी केन्द्र स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था तबसे सरकार की अनुमति बिना कितने विदेशी केन्द्र स्थापित किये गये।

क्या सरकार सभा को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देगी कि जिन देशों के धर्म प्रचारक केन्द्र हमारे देश में स्थापित किये गये हैं उनको बन्द करेगी ?

**श्री दिनेश सिंह :** श्री जवाहर लाल नेहरू के निदेश दिये जाने के बाद इस प्रकार के कोई भी केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं।

जहां तक अन्य केन्द्रों को स्थापित करने का सम्बन्ध है। उनकी स्थापना सांस्कृतिक आधार पर की गई है।

जैसे ब्रिटिश कौंसिल के 11 केन्द्र हैं, एलाइंस फ्रांसेस के 6 केन्द्र हैं और मेक्समूलर भवन के अधीन 8 केन्द्र हैं।

**श्री चेंगलराया नायडू** (चित्तूर) : संयुक्त अरब गणराज्य अथवा अरब लीग की क्या स्थिति है ?

**श्री दिनेश सिंह :** मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना कुछ नहीं बता सकता।

**श्री चेंगलराया नायडू :** श्री ज्योतिर्मय बसु ने अन्य राष्ट्रों के बारे में पूछा था उन्हें ठीक ढग से प्रश्न समझने चाहिये।

**श्री दिनेश सिंह :** जहां तक प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, मुझे आपको संतुष्ट करना है, माननीय सदस्य को नहीं।

**श्री पीलु मोडी** (गोधरा) : मंत्री महोदय को अपने उत्तर से सभा को संतुष्ट करना है।

**श्री दिनेश सिंह :** अमरीका के दूतावास द्वारा कुछ केन्द्र स्थापित किये हैं और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें हम अपनी नीति के अनुसार बना सकें।

**श्री फ० गो० सेन** (पूर्णिया) : मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें केवल अध्यक्ष को संतुष्ट करना है परन्तु मुझे अधिकार है कि मैं ऐसा उत्तर प्राप्त करूं जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। उनके उत्तर से माननीय सदस्य की संतुष्टि होनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो वह अध्यक्ष को बताता है। अध्यक्ष पूरी सभा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक तकनीकी बात है। माननीय सदस्यों को इस बात पर अधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

---

# शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव

## QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

**अध्यक्ष महोदय :** सभा दो दिन तक कोई कार्य नहीं कर सकी। हमारे पास कार्य अत्यधिक है और हमारे पास सरकारी कार्य के लिये भी पर्याप्त समय नहीं है। अतः कार्य-मंत्रणा समिति ने निर्णय किया है कि हम मध्यान्ह भोजन के समय भी तथा सायंकाल कुछ देर तक बैठें। इसलिये माननीय सदस्य इस कार्यक्रम का पालन करें।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या आपने प्रस्ताव पारित किये जाने से पहले ही यह निर्णय कर लिया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कोई निर्णय नहीं किया है। मंत्री महोदय नियमित रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। परन्तु उस प्रस्ताव से पूर्व हम मद 2–क पर विचार करेंगे जो डा० वी० के० आर० वी० राव के वक्तव्यों के सम्बन्ध मे है। श्री कंवरलाल गुप्त भी इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। परन्तु ऐसी स्थिति में हमें इस कार्य के लिये समय निश्चित करना पड़ेगा। प्रश्नकाल के बाद रोज़ विवाद खड़ा हो जाता है.....

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : 5 नवम्बर का पत्र सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** 5 नवम्बर, 5 दिसम्बर और 24 नवम्बर के बारे में कोई विवाद नहीं है। परन्तु मेरे विनिर्णय से पूर्व श्री कंवरलाल गुप्त बोलना चाहते हैं।

**श्री कंवरलाल गुप्त :** मैं केवल पांच या छः मिनट चाहता हूँ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** अब मध्यान्ह भोजन के लिये सभा स्थगित की जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** हम इस प्रस्ताव पर बाद में विचार करेंगे परन्तु प्रश्न काल के बाद रोज़ मुझे लिखकर भेजा जाता है। अतः मैं अपना विनिर्णय कल दूंगा।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Dr. Rao had deliberately made a wrong statement though he had all the facts with him. Dr. Rao should resign on this account. The hon'ble Minister had stated :

"The fact that certain military documents were missing from office of the Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh had not been brought to my notice by the offiee of the CSIR and the first information I got from 'The Statesman' dated the 5th Decr., 1969."

This is not correct. I had asked whether it is a fact that the Director had written a letter to the Prime Minister on 25 or 27th November with a copy to him in which all the details have been given. What action has been taken on this letter. In reply to this the hon'ble Minister had stated that he came to know about the reported loss of the document on the 5th morning when he read 'The Statesman'. He made a wrong statement deliberately. He said that let the Parliamentary Committee be set

up and he is prepared to resign. Now if his honest he should resign or he should be prepared to face the Parliamentary Committee. Otherwise he should be cautions in making such statements. Let this matter be referred to the Privileges Committee so that we may know the facts.

**श्री एन० शिवप्पा** (हसन) : मैं केवल इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस बात को अब चौथा दिन है । मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था । जो पत्र उन्हें 24 या 27 को मिला था जिसके साथ निदेशक की शिकायत वाला पत्र भी था जो प्रधान मंत्री के नाम से था । उसमें पुलिस के विरुद्ध तथा परेशान करने की काफी शिकायतें थी । उन्होंने अपने भाषण के अन्त में इसके बारे में कहा भी था । उसके बाद उन्होंने कहा था कि वास्तव में गलती हुई थी और यदि सभा महसूस करती है तो वह खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं । मैंने कल कहा था कि यदि यही बात है तो इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये । परन्तु कुछ कुछ सदस्य इसको सभा के समक्ष लाना चाहते थे । यदि सभा उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करती है तो मैं इस मामले को यहीं समाप्त करता हूँ । उन्होंने पहले ही खेद प्रकट कर दिया । मेरे विचार में यह प्रस्ताव ठीक नहीं है ।

---

## सभा का अवमान करने पर दी गई सजा का कम किया जाना

## REMISSION OF SENTENCE FOR CONTEMPT OF THE LOK SABHA

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं इस घटना के बारे में आपको पहले ही लिख चुका हूँ । यह ठीक है हमारे देश की जनता अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिये संसद को अन्तिम निर्णायक समझती है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सभा की कार्यवाही में बाधा डाली जाये । मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव के बारे में आपको लिखा था ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सजा को माफ करने के बारे में है । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाये । परन्तु वह उनको बता दें कि भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही न करें । किसी बात को हम तक पहुँचाने का यह तरीका उचित नहीं है ।

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मेरे बिचार में बहुमत इसी पक्ष में है कि उन्होंने जितनी देर तक कारावास भुगत लिया है उस अवधि को और न बढ़ाया जाये ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अपना नाम (1) श्री ताराचन्द सी० साह (2) श्री कृष्ण पी० पाटिल और (3) श्री गुलाब राव आर० देशमुख बताया है और जिन्होंने दर्शक दीर्घा से सभा भवन के अन्दर कुछ पर्चे फेंके और सभा का अपमान किया, 13 दिसम्बर, 1969 को दिये गये कारावास के दण्ड को कम कर उतना

कर दिया जाय जितना उन्होंने भुगत लिया है और आज 4 बजे म०प० पर उन्हें रिहा कर दिया जाय।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अपना नाम (1) श्री ताराचन्द सी० साह (2) श्री कृष्ण पी० पाटिल और (3) श्री गुलाब राव आर० देशमुख बताया है और जिन्होंने दर्शक दीर्घा से सभा भवन के अन्दर कुछ पर्चे फेंके और सभा का अपमान किया, 13 दिसम्बर, 1969 को दिये गये कारावास के दण्ड को कम कर उतना कर दिया जाय जितना उन्होंने भुगत लिया है और आज 4 बजे म०प० पर उन्हें रिहा कर दिया जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय :** इन व्यक्तियों को आज सायं 4 बजे रिहा कर दिया जाये। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि वह उनसे कह दें कि वे इस प्रकार की कार्यवाही दोबारा न करें।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :** मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि(पांचवां संशोधन) योजना, 1969, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2686 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2407/69]

### आय का वितरण और रहन-सहन का स्तर भाग 2 प्रतिवेदन

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** मैं आय का वितरण तथा रहन-सहन के स्तर—भाग 2—रहन-सहन के स्तरों में परिवर्तन-सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2408/69]

---

## राज्य सभा से संदेश

### MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव :** मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है कि 17 दिसम्बर, 1969 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा से सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968, संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 71वें सत्र के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

---

## सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

### COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

**12वां प्रतिवेदन**

**श्री अचल सिंह** (आगरा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

---

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

### COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

**तीसरा प्रतिवेदन**

**श्री डी० बसुमतारी** (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में--भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिये मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना--तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

---

## जमशेदपुर में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में विवरण

### STATEMENT RE : STRIKE OF ENGINEERING WORKERS AT JAMSHEDPUR

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री भागवत झा आजाद ) :** मैं जमशेदपुर स्थित 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

जमशेदपुर के 7 मुख्य इंजीनियरी प्रतिष्ठानों में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 25 नवम्बर, 1969 को मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने सदन में वक्तव्य दिया था। बिहार सरकार से प्राप्त आगे समाचार के अनुसार, त्रिपक्षीय समिति के काम को पुनः शुरू कराने के लिए राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयास सफल नहीं हुए। परिणामस्वरूप समझौता कार्यवाही शुरू की गई और टेल्को, टिन प्लेट कम्पनी आफ इण्डिया और दि इण्डियन ट्यूब कम्पनी के प्रबन्धकों तथा मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच 7 दिसम्बर को समझौते हो गये। जमशेदपुर के समझौता अधिकारी की मध्यस्थता से टाटा-रोबिन्स-फ्रासर की मान्यता प्राप्त यूनियन और प्रबन्धकों के बीच भी एक द्विपक्षीय समझौता हो गया है। शेष तीन प्रतिष्ठानों मे इसी प्रकार के समझौते करवाने के प्रयास जारी हैं।

2--फिर भी, इन सभी 7 प्रतिष्ठानों में हड़ताल जारी है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कुल मिलाकर हड़ताल अब तक शान्तिमय रही है, यद्यपि मारपीट, शांति-भंग और गलत तरीके से घेरने की घटनाएं हुई हैं। हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हड़ताल से संबंधित कुछ घटनाओं से उत्पन्न 41 अलग विशिष्ट मामलों में 90 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कुछ श्रमिक भी शामिल थे। इनमें से कुछ व्यक्ति जमानत पर रिहा किए जा चुके है।

3--इस हड़ताल के, जिसमें देश के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हैं, जारी रहने पर हमें स्वभावतः बहुत चिन्ता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, राज्य सरकार ने विवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने और हड़ताल को समाप्त करने के लिए अत्यधिक कर्मिष्ठ प्रयास किये हैं। हम राज्य सरकार से घनिष्ट तथा लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। मुझे मालूम है कि राज्य सरकार के समझौता कराने के प्रयत्नों को जारी रखने के लिए बिहार के राज्यपाल के सलाहकार आज जमशेदपुर में होंगे। मुझे आशा है कि दोनों पक्षों की सम्मति और सहयोग से यह हड़ताल शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी और पुनः काम चालू हो जाएगा।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### तेतालीसवां प्रतिवेदन

**संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैतालीसवें प्रतिवेदन से, जो 17 दिसम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से मैं कतई सहमत नहीं हूं। पहले सभा में यह बात स्वीकार की गई थी कि कार्य के कुछ घंटों की, जिनमें

सभा की कार्यवाही नहीं हो सकी थी, पूर्ति के लिये सभा प्रतिदिन आधा घण्टा अतिरिक्त समय में तथा शनिवार को बैठेगी किन्तु कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में मध्याह्न भोजन के एक घण्टे के समय को समाप्त करने की सिफारिश की गई है जो कि मेरी समझ से उचित नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** बिना कोई कार्यवाही किये हमें सभा दो दिन स्थगित करनी पड़ी थी।

**श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी :** संसद कार्य मन्त्री महोदय को हमें बताना चाहिए कि क्या कार्य लिया जायेगा और उसके लिये सभा को कितनी देर तक बैठना पड़ेगा। बड़े तथा महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी सदस्यों को 5 मिनट बोलने का भी अवसर नहीं मिलता है। हमारे लिये यह बड़ी कठिनाई है। अतः हमें इस बात पर इस समय नये सिरे से विचार करना चाहिए कि क्या सभा की बैठक अधिक समय तक तथा अधिक दिन हो सकती है ताकि हम अधिक कार्य निबटा सकें। अन्यथा सदस्यों को कठिनाई होगी। सभा की बैठकों के अन्तिम दिनों में इस प्रकार का प्रस्ताव लाना अनुचित है।

**Shri Molahu Prasad (Bansgaon) :** Sir, I rise on a point of a order. On the 2nd December, during the discussion on a Calling Attention Motion in respect of abolishing the middlemen and alloting the land to landless persons, the hon. Minister and you agreed that the matter might be brought in the House for discussion. We gave a formal motion in this regard but we have not been given any information about it.

**श्री रघुरामैया :** मैं माननीय सदस्यों की समस्याओं को समझता हूँ। हम सामान्यतः कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे किसी सदस्य को कोई शिकायत न रहे। किन्तु इस बार एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी जिसका कार्य मंत्रणा समिति को ध्यान रखना पड़ा। कई दिनों सभा की बैठक नहीं हो सकी जिसका हमें पहले अनुमान नहीं था। सभा के अनेक सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि अनेक विषयों पर चर्चा की जाये जिसके कारण उनके लिये हमारे पास बहुत कम समय था। पहले हमारा विचार था कि शनिवार को सभा की बैठक करके समय की इस कमी को पूरा किया जाये। 24 तारीख को अनेक गैर सरकारी कार्य चर्चा के लिये रखे गये। 23 तारीख को चार बजे चर्चा के लिये एक संकल्प लिया जायेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी कार्य के लिये बहुत कम समय रह गया। इसलिये कार्य मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि मध्याह्न भोजन का समय न लिया जाये। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री कलिता को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं उनके सुझाव के बारे में मन्त्री महोदय से विचार विमर्श करूंगा और इसके लिये कुछ समय निकालने का प्रयत्न करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो 17 दिसम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted**

# एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक—जारी
# MONOPOLIES AND RESTRACTIVE TRADE PRACTICE BILL-CONTD.

## खण्ड 3

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

**उपाध्यक्ष महोदय :** कल हम खण्ड 3 पर संशोधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अन्य खंडों पर आज चर्चा होगी।

**श्री रा० की० अमीन** (ढंढुका) : माननीय सदस्य श्री नाहटा ने विचार व्यक्त किये हैं कि कुछ क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार का रहना अनिवार्य है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में गैर सरकारी एकाधिकार का रहना उचित है। उदाहरणार्थ किसी एक नगर में सात-आठ टेलीफोन कम्पनियां नहीं हो सकती। इसलिये इस प्रकार के उद्योग केवल एक ही कम्पनी के नियंत्रणाधीन रहने चाहिए। यदि एकाधिकार का रहना अनिवार्य ही है तो गैर सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए क्योंकि यदि सरकारी कम्पनी का कार्य अच्छा नहीं रहता तो उस पर कोई नियन्त्रण रखने वाला है जब कि गैर-सरकारी कम्पनी का कार्य ठीक न होने पर सरकार उस पर नियन्त्रण रख सकती है। यहां तक कि सरकार मूल्य भी निर्धारित कर सकती है।

दूसरी बात यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की त्रुटियों का पता शीघ्र लग सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है जब कि सरकारी क्षेत्र में स्थिति इसके विपरीत होती है। एकाधिकार पहले गैर-सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। बाद में यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिये एक स्वायतशासी निकाय बनाया जाये किन्तु सरकारी एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री वेणी शंकर शर्मा कल उनका नाम पुकारे जाने पर अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः वह अपने संशोधन का उल्लेख किये बिना बोल सकते हैं।

**श्री वेणी शंकर शर्मा** (बांका) : मैं समझता हूं कि सरकारी उपक्रमों को इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। एकाधिकार गैर-सरकारी क्षेत्र बुरा है किन्तु सरकारी क्षेत्र में उससे भी बुरा है। हम देख चुके हैं कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की क्या स्थिति है? सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में अकुशल प्रबन्ध के कारण इस्पात लाभप्रद मूल्यों पर नहीं बेचा जा सकता है। ये कारखाने बार बार मूल्य बढ़ाने के लिये अनुरोध करते हैं और मैं समझता हूँ कि मूल्य बढ़ा दिये गये हैं जिससे गैर सरकारी क्षेत्र के इण्डियन आयरन एण्ड स्टील तथा टाटा आयरन कम्पनियों को, जो कम मूल्य पर भी लाभ से इस्पात बेचते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से असाधारण लाभ पहुँचा है।

एकाधिकार आयोग ने सुझाव दिया है कि नियामक उपबन्ध सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होने चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकारी क्षेत्र को इस विधेयक के कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** (मंदसौर) : सरकार को इस बात का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिए कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ उद्योगों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रख सके। यदि निर्यात तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यह ठीक है कि जन हित में सरकार को एकाधिकार पर नियन्त्रण रखना चाहिए किन्तु मैं समझता हूँ कि श्री मसानी का संशोधन उचित है और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

राज्य व्यापार निगम कुछ वस्तुओं के मूल्य मनमाने ढंग से बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम की भी प्रीमियम की दरें कभी कभी बहुत अधिक होती जो कि जनहित के प्रतिकूल है। वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति ने यह स्वीकार किया है कि जीवन बीमा निगम प्रीमियम की दरें कम की जानी चाहिए।

मैं समझता हूँ कि सरकार को एकाधिकार आयोग की सिफारिशें मान लेनी चाहिए। मैं आयोग की इस सिफारिश से पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों पर यह विधेयक लागू होना चाहिए।

**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : मैंने अपना संशोधन संख्या 346 प्रस्तुत किया है। मैं श्री मसानी के इस संशोधन से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को इस विधेयक के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। यदि यह स्वीकार नहीं किया गया तो भी विधेयक के परिच्छेद चार और पांच, जिनमें सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा और एकाधिकार व्यापार प्रथा की जांच कर सकती है, को सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू किये जाने चाहिए। यदि सरकार बड़े उद्योगों को एकाधिकारवादी उद्योगों की श्रेणी में नहीं रखना चाहती है तो यह आयोग का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह यह देखे कि एकाधिकार प्राप्त सरकारी उद्योग एकाधिकारवादी व्यापार अथवा निर्बन्धकारी व्यापार न करें।

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : अपने संशोधनों में प्रायः सभी सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं कि सरकारी तथा सरकार के नियन्त्रणाधीन उपक्रमों को भी इस विधेयक के कार्य क्षेत्र में रखा जाना चाहिए, मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकारी उद्योगों को एकाधिकारवादी उद्योग कैसे माना जा सकता है। सरकार यह मानती है कि सरकारी उद्योग जन साधारण के लाभ के लिये चलाये जाते हैं।

सरकार के नियन्त्रणाधीन चलाये जाने वाले उपक्रमों पर संसद का नियन्त्रण रहता है और यदि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकारी उपक्रमों को इस विधेयक के अन्तर्गत रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हमने सरकार की नीति के रूप में सरकारी उपक्रमों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है।

श्री मसानी को वह बात याद रखनी चाहिए जो मैंने प्रोफेसर गालब्रेथ द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में कही थी। मैंने कहा था कि प्रोफेसर गालब्रेथ का इस विषय वस्तु

से कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने इन उपक्रमों को दी जाने वाली स्वायत्तता के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये थे।

**श्री मी० रु० मसानी :** आपने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने प्रोफेसर गालब्रेथ का गलत उद्धरण दिया है। अब मैंने उद्धरण पूरी तरह प्रस्तुत कर दिया है अतः क्या मन्त्री महोदय अपना आरोप वापिस लेंगे ;

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मैंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि उन्होने प्रोफेसर गालब्रेथ के विचार सही ढंग से नहीं पढ़े क्योंकि उन्होंने सरकारी उपक्रमों के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया था। उनका अभिप्राय यह नहीं था कि वह हमारे देश की सुनियोजित अर्थ व्यवस्था को हानि पहुँचाए। उन्होंने केवल यह कहा था कि न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम अधिकार दिये गये हैं। वह चाहते थे कि इन उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता दी जाये ताकि सामाजिक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि स्वायत्तता न मिलने के कारण निर्णय शीघ्र नहीं हो पाते हैं। उनका कहना है कि गलत निर्णय से होने वाली हानि उतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि निर्णय में विलम्ब के कारण पूंजी आदि के अप्रयुक्त रहने से हो जाती है। उनके अनुसार भारत और श्रीलंका में सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं। भारतीय विमान सेवाओं, रेलवे आदि को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है, जिसके परिणामस्वरूप वे सुचारु रूप से लाभप्रद साबित हो रही है। प्रोफेसर गालब्रिथ ने विशेषरूप से स्वायत्तता पर ही जोर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल बात नहीं कही है।

अतः मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

**श्री मी० रु० मसानी :** संशोधन संख्या 34 पर पृथक से मतदान लिया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या 34 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34 मतदान के लिये रखा गया।**

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha devided**

| | |
|---|---|
| **पक्ष में 26;** | **विपक्ष में 55** |
| **Ayes 26;** | **Noes 55** |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**The Motion was negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**All other amendment were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 3 was added to the Bill.**

**खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 4 was added to the Bill.**

**खंड 5—(आयोग की स्थापना तथा गठन)**

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna) ; I beg to move my amendments Nos. 166, 167 and 168.

**श्री नारायण दांडेकर** : (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 203 और 204 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (नागौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 234 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री लोबो प्रभु** (उद्दीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 235 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री वेणी शंकर शर्मा** (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 396 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री स० कुण्डू** (बालासोर) : मैं अपने संशोधन संख्या 417, 418, 420 और 421 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : मैं अपना संशोधन संख्या 480 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर) : मैंने इस खण्ड के सम्बन्ध में दो साधारण संशोधन संस्थायें 203 और 204 प्रस्तुत किये हैं । संशोधन संख्या 203 खण्ड 5 के उप-खण्ड (2) में संशोधन करेगी और संशोधित रूप में इसे इस प्रकार पढ़ा जायेगा :—

> " आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा न्यायाधीश रहा हो और इसके सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो योग्य, ईमानदार और अनुभवी होंगे और जिनको विधि, वाणिज्य, लेखाविधि, उद्योग अथवा प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव होगा ।

अब मैं अपने संशोधन संख्या 204 द्वारा इस खण्ड के उप-खण्ड (3) में संशोधन करना चाहता हूं ।

उप-खण्ड में लिखा है, "वित्तीय अथवा अन्य हित" और मैं उसके स्थान पर राजनैतिक शब्द रखना चाहता हूं।

वर्तमान रूप में उप-खण्ड में कहा गया है, " ऐसे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रभाव डालेगी।" कार्यों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। वे तो अधिनियम में निर्दिष्ट हैं। पक्षपातपूर्ण ढंग से जिसे प्रभावित किया जा सकता है वह है उसका आयोग के एक सदस्य के रूप में कार्य करना।

मैं इन दो संशोधनों को, जो विधेयक के खण्ड 5 के उपखण्ड (2) और (3) में संशोधन करेंगे, स्वीकार किये जाने पर बल देता हूं।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (नागौर) : जब यह आयोग पहली बार देश में स्थापित किया जायेगा, तो हम अध्यक्ष के पद तथा आयोग के अन्य सदस्यों के बारे में चाहेंगे कि उनके पास न केवल श्री दांडेकर द्वारा अभी बतायी गयी अर्हताये तथा अनुभव होंगे बल्कि जनता को संतोष होना चाहिए कि इन पदों पर उन लोगों को नियुक्त किया जायेगा जो पूर्णरूप से अर्हता प्राप्त होंगे और इन लोगों के कार्यकरण अथवा न्याय के विरुद्ध कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाय उसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। इसलिए, इस सम्बन्ध में, मैं अपनी संशोधन संख्या 480 प्रस्तुत करता हूं।

मेरा एक संशोधन संख्या 234 और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा मैं पृष्ठ 8 में पंक्ति 8 के पश्चात् 2 पंक्तियां और जोड़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है:

> " बशर्ते कि उपभोक्ता के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य से कम सदस्य की नियुक्ति नहीं की जायेगी।"

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ओर हम चाहते हैं कि देश में एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार न फैले और उसी समय हम यह भी उत्तरदायित्व ले रहे हैं कि उपभोक्ता की भी रक्षा हो जाय।

इसलिए, यदि मंत्री महोदय एकाधिकार बोर्ड में विश्वास करते हैं तो हमें इसमें उपभोक्ता का एक प्रतिनिधि अवश्य रखना चाहिए और इसलिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं सोचता हूं कि सरकार को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna) : My first amendment is No. 166. This amendment says that the words " is qualified to be" in Chapter 2, Page. 10, sub-section 2, should be deleted. The words who is, or has been, a Judge are sufficient.

My Second amendment is No, 167, which is regarding increasing the number.

My most important amendment for this clause is No. 168 which is about the persons who can become members of this Commission. Because the members and the Chairman of this Commission have to perform important functions, there-

fore, the Members of the Parliament should also be concerned with it ; without that we will not be able to keep proper check, If we will not do it, the intention of the Bill will not be fulfilled. Besides, we want to check the increasing monopolies and capitalism. Therefor, such members of the Parliament shodld be included who can implement the Bill.

Therefor, I request that the Government should accept my amendment.

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : क्या आप मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा करेंगे ? मैं अभी आया हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम उस स्थिति से आगे आ चुके हैं, हमारे पास थोड़ा समय रह गया है, हम पीछे नहीं जा सकते ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैं बोलना चाहता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं ।

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : यह खण्ड अत्यधिक महत्वपूर्ण खण्डों में से एक है, क्योंकि इस विधेयक मे जो उपबन्ध किया गया है उसे इस आयोग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इसलिए अपने संशोधनों के द्वारा मैंने कुछ आवश्यक सुझाव दिये हैं ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि इस आयोग की नियुक्ति पूर्णरूपेण सरकार द्वारा ही नहीं की जानी चाहिए क्योंकि राज्यों के पास इतनी अधिक शक्ति है कि वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं । इसलिए, आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश ही होना चाहिए न कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भूतपूर्व न्यायाधीश ।

दूसरी बात यह है कि सदस्यों की नियुक्ति संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए, न कि सरकार द्वारा । मैंने सदस्यों की संख्या 5 रखी है । पांच सदस्यों में से 3 सदस्य विरोधी पक्ष के होने चाहिए । उनके मस्तिष्क में किसी भी समय ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि उनकी नियुक्ति शासक-दल द्वारा की गई है, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि उनकी नियुक्ति सम्पूर्णप्रभुत्व-सम्पन्न संसद द्वारा की गई है । ताकि जब वे अपना काम सम्भाले तो उसे स्वतंत्र रूप से तथा निष्पक्ष रूप से कर सके । सदस्यता 2, 8 आदि नहीं होनी चाहिए । उन्हें बहुमत के आधार पर निर्णय करना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जायेगा ।

**श्री वेणी शंकर शर्मा** (बांका) : मैंने अपनी संशोधन संख्या 396 प्रस्तुत किया है । मेरा सुझाव यह है कि सरकार को एकाधिकार आयोग पर अपना एकाधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए । हमारा देश प्रजातंत्रात्मक है और वैसी ही प्रबन्ध व्यवस्था हम कारखानों तथा समवायों में भी चाहते हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति न किये जाने का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आधे से अधिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और शेष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य

मंडल अथवा उसके प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से ही की जानी चाहिए। व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब उनकी ओर से भी प्रतिनिधि हो। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र शास्त्रीजी और अन्य सदस्य जो प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को शामिल किये जाने की बात कर रहे हैं, मेरे संशोधन का समर्थन करेंगे।

**श्री लोबो प्रभु** (उद्दीपी) : मेरी पहला संशोधन संख्या 235 है। मेरा संशोधन का अभिप्राय यह है कि नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक ही सीमित होनी चाहिए। उसे नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की केवल योग्यता है अथवा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि "क्षमता" शब्द के स्थान पर "नेतृत्व" शब्द रखा जाय। प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है और अन्तर केवल थोड़ा ही होता है। आवश्यकता होती है—नेतृत्व की। नेतृत्व कुछ भिन्न चीज है। अतः जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय उनमें नेतृत्व होना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार किया जायेगा।

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : श्री दांडेकर तथा दूसरे सदस्यों ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में प्रश्न उठाया है जिनको आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना है। खण्ड को पढ़ने से पता चलेगा कि साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता है परन्तु जब कोई और व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध हो तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अन्य प्रकार से योग्य है तो हम उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है वह बड़ा विख्यात व्यक्ति होना चाहिए। मैं श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखूं ?

**श्री लोबो प्रभु** : वे इतने साधारण संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं ? हम अपने संशोधन पर सभा में मत विभाजन की मांग करने जा रहे हैं।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : जहां तक शास्त्री जी के संशोधन का सम्बन्ध है, यदि संसद सदस्यों को चुना जायेगा तो वे संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जायेंगे। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

जहां तक श्री कुण्डू के संशोधन का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि अधिनियम में प्रसिद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये पर्याप्त व्यवस्था है।

**श्री नन्दकुमार सोमानी** : उन्हें संशोधन संख्या 234 के बारे में उत्तर देना है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उत्तर दे दिया है। उन्होंने सभी संशोधनों का विरोध किया है, जिसमें आपका संशोधन भी आ जाता है। क्या मैं उन सब को एक साथ रखूं ?

**श्री लोबो प्रभु :** मैं चाहता हूँ कि मेरा संशोधन अलग से रखा जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपको मुझसे सहयोग करना चाहिए।

**श्री लोबो प्रभु :** मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकार करें और हमें मतदान की आवश्यकता से बचायें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप कृपया सहयोग करें। हमें इसे 3–45 म० प० पर समाप्त करना है। यदि आप प्रत्येक संशोधन पर मत विभाजन के लिये बल देंगे तो हम इसे समय पर समाप्त नहीं कर पायेंगे।

**श्री नन्दकुमार सोमानी :** संशोधन संख्या 234 को पृथक से प्रस्तुत किया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री नन्दकुमार सोमानी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 234 को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : आपको संविधान पढ़ कर सुनाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसे पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

**श्री श्रीकान्तन नायर :** यदि आप सभा में मत विभाजन की घंटी बजाते हैं तो आपको संशोधन पढ़ कर सुनाना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि यह किस विषय में है। जो प्रक्रिया है उसका पालन करना ही पड़ेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इसे सुझाव के रूप में समझूंगा।

अब मैं संशोधन संख्या 234 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 234 सभा में मतदान के लिये रखा गया।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided.**

| | |
|---|---|
| पक्ष में 17 | विपक्ष में 67 |
| Ayes 17 | Noes 67 |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**The Motion was negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री लोबो प्रभु के संशोधन संख्या 235 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 235 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 235 was put and negatived.

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री कुण्दू के संशोधन संख्या 421 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 421 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 421 was put and negatived.

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं इस खण्ड के शेष सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The remaining amendments were put and negatived.

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

**उपाध्यक्ष महोदय :** जो सदस्य खण्ड 6 के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे कर सकते हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री :** मैं अपने संशोधन संख्या 169, 170, 171, 172, और 173 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री देवेन सेन (आसनसोल) :** मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) :** मैं अपने संशोधन संख्या 77 और 78 प्रस्तुत करता हूं

**श्री स० कुण्दू (बालासोर) :** मैं अपने संशोधन संख्या 422 423 और 427 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री नन्दकुमार सोमानी** (नागौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 482 और 483 प्रस्तुत करता हूँ।

**Shri Deven Sen** : I want that the part of that clause, reading "but shall be eligible for re-appointment" should be deleted, because it helps in the creation of vested interests.

**Shri Shiv Chandra Jha** : One of my amendments is the same as that of Shri Deven Sen.

My another amendment relates to sub-section 8, which provides that members of a commission would not be appointed in the industry concerned for five years. I feel that this period is not enough and it should be raised to ten years.

**Shri Ramavatar Shastri** : In sub-section 6. I want that the following clause may be added :

"that the minority shall have the right to add their note of dissent in the report. This is very important in the democratic set up."

**श्री नन्दकुमार सोमानी** : मैं अपने इन संशोधनों द्वारा यह चाहता हूँ कि एकाधिकार आयोग के किसी भी सदस्य को लम्बी अवधि तक उस पद पर न रखा जाये ताकि निहित-स्वार्थ लोग अनुचित लाभ न उठा सकें। उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें पांच वर्ष से अधिक समय तक पद ग्रहण न करने दिया जाये।

सरकार ने यह व्यवस्था की है कि 65 वर्ष की आयु तक किसी व्यक्ति को आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे वृद्ध व्यक्तियों का एकाधिकार स्थापित हो जायेगा जो समाप्त होना चाहिए। हमें इसे 58 वर्ष तक कर देना चाहिए।

**श्री स० कुण्डू** : मेरा मुख्य संशोधन यह है कि आयोग के किसी सदस्य को सदस्यता से मुक्त होने के पश्चात कभी भी किसी फर्म अथवा प्रतिष्ठान में कोई पद ग्रहण न करने दिया जाये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस उप–धारा में से वाक्यांश 'पांच वर्ष की अवधि के लिये" हटा दिया जाये।

अपने दूसरे संशोधनों के द्वारा मैं यह चाहता हूँ कि सदस्यता की अवधि को 5 और 10 वर्ष से घटा कर क्रमशः 3 और 5 वर्ष कर दिया जाये।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : सदस्यता की अवधि एवं सदस्यों की आयु के बारे में कई प्रश्न उठाए गये हैं। इस बारे में दो मत व्यक्त किए गये हैं।

साधारणतया हमने 5 वर्ष की अवधि का प्रबन्ध किया है। परन्तु यदि किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत न हो तो उसे दस वर्ष तक रखा जा सकता है।

श्री सोमानी के दूसरे संशोधन के बारे में मेरा निवेदन है कि युवा व्यक्तियों को आयोग में लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**श्री नन्दकुमार सोमानी :** हम वृद्ध व्यक्तियों की नियुक्तियां रोकना चाहते हैं।

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** श्री कुण्डू के तर्क के सम्बन्ध में उप-धारा 8 को पढ़ा जाये। आयोग से सेवा-निवृत व्यक्तियों को वहां उल्लिखित कार्यों को करने से ही रोका गया है, अन्यों से नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47 मतदान के लिए रखा गया।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided.**

| | |
|---|---|
| पक्ष में 22 | विपक्ष में 70 |
| Ayes 22 | Noes 70 |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**The Motion was negatived.**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 78 मतदान के लिए रखा गया।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha divided.**

| | |
|---|---|
| पक्ष में 7 | विपक्ष में 73 |
| Ayes 7 | Noes 73 |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**The Motion was negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**All other amendments were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 6 was added to the Bill.**

**खण्ड 7**

**Shri Ramavtar Shastri :** I beg to move my amendment No. 175

**श्री स० कुण्डू :** मैं अपना संशोधन संख्या 428 प्रस्तुत करता हूं।

**Shri Ramavtar Shastri** : I want that the following sub clause (f) be added after clause 7 (1) e.

"(f) that the persons who do have really no faith in socialism and who want to tarnish the goal of socialism, can be removed from office"

If the Government does not accept it, it will be inferred that the slogan of socialism is merely a slogan, which is not intended to be implemented. This amendment is very important for the fulfilment the ideal of socialism and I request that it should be accepted.

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : मैं इसे विधि में सम्मिलित नहीं कर सकता यद्यपि माननीय सदस्य ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 175 मतदान के लिए रखा गया ।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**
**The Lok Sabha divided**

| | |
|---|---|
| पक्ष में 6 | विपक्ष में 83 |
| Ayes 6 | Noes 83 |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**
**The Motion was negatived**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 428 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

**Amendment No. 428 was put and negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**खण्ड 7 का विधेयक में जोड दिया गया**
**Clause 7 was added to the Bill**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 8 और 9 के विधेयक के अंग बने" ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**
**Clauses 8 and 9 were added to the Bill.**

## खण्ड 10

### Clause 10

**आयोग द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा की जांच ।**

**श्री शिव चन्द्र झा :** मैं अपना संशोधन संख्या 79 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या 329 प्रस्तुत करता हूं

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : मैं अपना संशोधन संख्या 459 प्रस्तुत करता हूँ ।

**Shri Shiva Chandra Jha** (Madhubani) : I propose that after clause 10 (a) (i) the words 'any social worker of national reputation, or' may be added. The association will be in a position to send the complaints regarding monopolistic practices or restrictive trade to the commission but it should be the duty of the commission also to listen to the complaints of persons at national level and take suitable action. Hence any amendment, which is important, should be accepted.

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : In the original clause 10 it has been stated that the commission would take note of a complaint of facts which constitute such practice from any trade are consumers association having a membership of not less than twenty five persons or from twenty-five or more consumers. In this connection I want to sumit that the condition of twenty-five persons or social workers should not be put. I want to know why action will not be taken on a complaint made by an individual ? There can be only one fear that frivolous complaint should not be made But in this connection I would like to draw the attention of the hon. Minister to the next clause 11 in which it has been mentioned that the commission would, before issuing any process requiring the attendance of the persons complained against, cause a preliminary investigation. In that position where is the necessity to provide that a complaint should be made by twenty-five persons. This condition is against the spirit of justice. I hope that my amendment will be accepted.

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : मेरे संशोधन संख्या 459 का भाव यह है कि खण्ड 10 (ख) में "सरकार" शब्द के बाद "अथवा राज्य सरकार" शब्द जोड़ दिये जाये । एकाधिपत्य व्यापार व्यवस्था के मामले में भी आयोग को कोई चीज सौंपने में राज्य सरकार को भी शामिल किया जाना चाहिये । मेरा निवेदन यह है कि संकुचित व्यापार व्यवस्था पर जो बात लागू हो, वह एकाधिपत्य व्यापार व्यवस्था पर भी लागू कि जानी चाहिये ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** (जालोर) : खण्ड 10 के सम्बन्ध में श्री कंवर लाल गुप्त ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं । मेरा विचार यह है कि प्रतिनिधियों को किसी भी संस्था को जिसके 100 से कम प्रतिनिधि हों इस प्रकार की शिकायत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये अन्यथा लोग इस उपबंध का अनुचित लाभ उठाने लग जायेंगे । इस बारे में श्रीदांडेकर अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकें हैं, अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपनी ओर से ऐसा संशोधन लायें ।

{ श्री क. ना. तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair.* }

**श्री फखरुद्दीनअली अहमद :** माननीय सदस्यों ने इस खण्ड के बारे में दो प्रकार के संशोधन रखे हैं। एक तो यह है कि शिकायत करने के लिए 20, 25 या 30 व्यक्तियों की शर्त नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह शर्त तो इसलिए लगाई गई है, ताकि लोग झूंठी शिकायतें न करने लग जायें।

जहां तक आयोग को जानकारी देने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को इस बात से प्रसन्नता होगी कि उनका यह प्रयोजन उप खण्ड से पूरा हो जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो वह ऐसी जानकारी आयोग को दे सकता है और यदि आयोग यह समझता हैं कि उसकी जांच कराई जानी चाहिये तो वह अवश्य करायेगा।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** तब आप इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि 25 या उससे अधिक सदस्यों वाली कोई संस्था ही शिकायत कर सकती है।

**श्री फखरुद्दीनअली अहमद :** जहां तक खण्ड 10 (क) का सम्बन्ध है इसमें यह उपबन्ध है कि अभ्यावेदन प्रतिनिधि की हैसियत से दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पूरी तरह से विचार कर लिया गया है। इस बात को देखते हुए कि ऐसे सभी मामले आयोग के सामने लाने का अवसर प्रदान किया जा सके, हमने 25 की संख्या निर्धारित की है।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** If I have a genuine complaint and I am not a man of representative character or consumer body, why should I not have a right to make a complaint ? Why should I be made ineligible to make a report to the commission?

The question of frivolous complaint does not arise because notice will be served after preliminary enquiry has been made ?

**Shri F. A. Ahmed :** The commission can make an enquiry on the information received by it. That information may be by one person or by two persons. That also been provided.

**श्री कंवर लाल गुप्त :** आयोग के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** इसलिए मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

जहां तक श्री झा के संशोधन का सम्बन्ध है, हम किसी सामाजिक कार्यकर्ता को शिकायत करने से नहीं रोक रहे। उप खण्ड 4 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। अतः इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 79, 329 और 459 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**Amendment Nos. 79, 329 and 459 were put and negatived.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है

'कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने'।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**खण्ड 10 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**
**Clause 10 added to the Bill**

**श्री सेझियान :** मेरा सुझाव यह है कि समय की कमी के कारण खण्ड 11 से 19 तक सभी खण्ड इकट्ठे ले लिये जायें, क्योंकि अगला खण्ड 20 महत्वपूर्ण है।

**संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री श्री रघुरामैया :** हमें 5 बजे तक खण्ड वार चर्चा करनी है। **तृतीय वाचन** एक घन्टे के लिए होगा और 6 बजे हम चर्चा समाप्त करेगें। यह आम राय है।

**सभापति महोदय :** क्या किसी को इस पर आपत्ति है।

**श्री मी० रु० मसानी :** (राजकोट) जी, नहीं।

**खण्ड 11**

**कुछ मामलों में कानूनी कार्यवाही करने से पहले निदेशक द्वारा जांच**

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 433 प्रस्तुत करता हूं। मेरा मत यह है कि इस खण्ड में "शैल" शब्द के स्थान पर 'में' शब्द रखा जाये। "मे" शब्द रखने से आयोग अपने स्वविवेक से कार्य कर सकेगा। वह जैसा उचित समझेगा वैसा कर सकेगा। "शैल" शब्द रखने से प्रारम्भिक जांच कराना आयोग के लिए अनिवार्य हो जायगा। जांच करने में बहुत समय लग जायगा तथा कोई निर्णय नहीं हो सकेगा। अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करलें।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** इस बात को देखते हुए कि इस आयोग को विधि प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है, इस संशोधन को स्वीकार करना वांछनीय नहीं है।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 433 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**
**Amendment No 433 was put and negatived.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह हैं

'कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया**
**Clause 11 was added to the Bill**

**खण्ड 12 को विधेयक में जोड़ दिया गया**
**Clause 12 was added to the Bill**

**खण्ड 13**

**(आयोग के आदेश, शर्तें आदि के अन्तर्गत होने चाहिये)**

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 434 और 435 प्रस्तुत करता हूं।

मै समझता हूं कि इस खण्ड से हमें 'नाट इनकंरिटटैट विद दिस एक्ट (इस अधिनियम से असंगत नहीं) शब्द निकाल देने चाहिए। इन शब्दों की विद्यमानता से मुकदमेबाजी के मामले बहुत बढ़ जायेंगे।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगें कि यहां न्यायालय को आदेश में परिवर्तन करने का विवेक दिया गया है, परन्तु वह आदेश इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं होना चाहिये।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 434 और 435 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**
**Amendment Nos. 434 and 435 were put and negatived**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है

'कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**खण्ड 13 को विधेयक में जोड़ दिया गया**
**Clause 13 was added to the Bill.**

**खण्ड 14**

**(आदेश जहां सम्बन्धित पक्ष भारत में व्यापार नहीं करता)**

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 208 प्रस्तुत करता हूं। "मॉनोप्लिस्टिक प्रैक्टिसिस" एवं रिट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसिस" की परिभाषा विस्तृत रूप से की गई है। इसलिये इसका लाभ उठाने के लिये हमें "सब्स्टैंशियली फाल्स विदिन" के स्थान पर "कांस्टिट्यूट्स" शब्द रखने चाहिये।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : I beg to move my amendment No. 330. Through this amendment I want that from this clause "where any practice substantially falls within monopolistic or restrictive trade practice" the word "substantially" should be deleted By adding this word Government wants to keep discretion and power with them. There is no need to keep the word 'substantially' here. This should be left to the commission to decide whether any body has done any offence or not.

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि सरकार को स्वविवेक कैसे मिल सकेगा, क्योंकि मामला आयोग के पास भेजा जाता है जो उस पर निर्णय करता है। यदि हम यह सोचना आरम्भ करें कि आयोग के सदस्य ईमानदार नहीं हैं तो मामला कहीं समाप्त नहीं होगा।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 208 और 330 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**Amendment Nos. 208 and 330 were put and negatived.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड 14 को विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 14 was added to the Bill.**

**खण्ड 15**

**श्री नारायण दांडेकर :** मैं अपने संशोधन संख्या 209 और 210 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या 331 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री नारायण दांडेकर :** मैंने यहां दो महत्वपूर्ण संशोधन रखे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि व्यापार चिन्ह तथा प्रतिलिप्याधिकार को इस संरक्षण से बाहर क्यों रखा गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन दोनों खण्डों के मामले में "आफ ए ट्रेड मार्क आर कापी राइट रजिस्टर्ड इन इंडिया" शब्द जोड़ दिये जायें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : It is provided under this clause that if a person has got a potent registered, none of the order issued under the Act will be applicable to him. This exemption should be given to Indians only. My amendment No 331. seeks to bring the foreigners, who own 86 per cent of the registered patents, under the Purview of this Act and the orders issued thereunder.

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जहां तक श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य भारत में पंजीकृत ट्रेड मार्कों और प्रतिलिप्य-धिकारों सम्बन्धी उपबन्धों के बारे में सीमा निर्धारित करना है। संयुक्त समिति में इस विषय पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि यहां पर उपबंध करने की बजाय खण्ड 39 में इसको उपबंध किया जाये और ऐसा ही किया गया है। इसलिये यहां पर यह आवश्यक नहीं हैं। श्री कंवर लाल गुप्त के संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि इस

विधेयक द्वारा भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिये व्यवस्था की जा रही है और गैर निवासी व्यक्तियों के लिये नहीं। इसलिये उनका संशोधन स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

**श्री नारायण दांडेकर :** मंत्री महोदय कहते हैं कि खण्ड 39 में इसका उपबंध है। परन्तु खण्ड 39 का इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वह तो पुनः विक्रय मूल्य बनाये रखने के विशिष्ट प्रश्न के बारे में है।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी और यह अनुभव किया गया था कि माननीय सदस्य जो उपबंध करना चाहते हैं, वह खण्ड 39 में पहले ही किया गया है।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 209, 210 तथा 331 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**Amendments Nos. 209, 210 and 331 were put and negatived.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड 15 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 15 was added to the Bill.**

**नया खण्ड 15–क**

**श्री नारायण दांडेकर :** मैं अपना संशोधन संख्या 211 प्रस्तुत करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण खण्ड है और खण्ड 15 के संशोधन के सम्बन्ध में दिये गये मेरे सुझाव के अनुरूप है। चूंकि खण्ड 15 इसी विषय के अन्य पहलू के बारे में था, मैंने इसे एक नये खण्ड के रूप में रखा है। किसी वस्तु के निर्माण, विक्रय और वितरण आदि में प्रयोग की जाने वाली विधियां, फार्मूले और तकनीक आदि का कई बार पेटेंट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उनके अन्य निर्माताओं को मालुम हो जाने की आशंका होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि एकाधिकारी प्रणाली के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने विशिष्ट फार्मूले अथवा तकनीक का तीसरे व्यक्ति को पता चल जाये।

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** एकाधिकार आयोग खण्ड 13 के अन्तर्गत आदेश जारी करेगा। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जायेगा, जो इस विधेयक के उपबन्धों के असंगत हो। इसलिये नया खण्ड 15–क आवश्यक नहीं है।

**श्री नारायण दांडेकर :** मैं उनकी बात नहीं समझा। क्या उनका तात्पर्य यह है कि आयोग ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : वह केवल ऐसे आदेश जारी कर सकता है, जो अधिनियम के असंगत न हों।

**श्री नारायण दांडेकर** : जब तक कोई निजी फार्मूला अथवा विधि किसी व्यक्ति को प्रकट करने के लिये आयोग का कहना अधिनियम से असंगत नहीं होता, आयोग ऐसा आदेश दे सकता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा करना अधिनियम से असंगत बना दिया जाये जिससे कि आयोग ऐसा न कर सके।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : आयोग को यह देखना होगा कि इसके द्वारा दिया गया कोई आदेश अधिनियम के उपबन्धों के असंगत तो नहीं है। आयोग को इस अधिनियम के अनुकूल ही कार्य करना होगा : इसलिए ऐसा उपबन्ध आवश्यक नहीं है।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 211 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**Amendment No. 211 was put and negatived.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 15 A तथा 16 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Closse 16 was added to the Bill**

**खन्ड 1**

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 332 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री स० कुन्दू** (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 436 प्रस्तुत करता हूं।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : This clause provides for public hearing but commission can order private hearing in its discretion. I want that the commission should record the reasons in writing for such action.

**श्री स० कुण्दू** : मैं सामान्य रूप से गोपनीय जांच के पक्ष में नहीं हूं। इसलिए मैंने इस खण्ड की भावना को यथावत रखते हुए केवल दो-तीन शब्द जोड़े हैं कि ऐसा केवल लोक हित ही में किया जाना चाहिए। यदि जनता को दृष्टि से बचाकर ऐसी जांच की जायेगी, तो इस प्रकार की जांच में भ्रष्टाचार पनप सकता है। इस बात की भी आशंका रहेगी कि पक्षपात किया जा रहा है। लोक हित में होने पर आयोग अथवा उसके अध्यक्ष को इसके कारण देने होंगे। इससे खण्ड 17 के उपबन्धों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : आयोग में बहुत उच्च व्यक्ति होंगे—केवल ऐसे व्यक्ति, ही जो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखते हैं, इस आयोग के अध्यक्ष हो सकेंगे। हमें विश्वास है कि आयोग लोक हित में ही कार्य करेगा।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 332 और 436 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए**

**Amendments Nos. 332 and 436 were put and negatived.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खंड 17 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 17 was added to the Bill.**

**खंड 18 और 19 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 18 and 19 were added to the Bill**

**खण्ड 20**

**श्री मी० रू० मसानी** (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 35,36 और 37 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री शिव चन्द्र झा** :(मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 80 और 81 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी** (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 212 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री लोबो प्रभु** (उद्दीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 236,237,238 और 239 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री वेणी शंकर शर्मा** (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 397 तथा 398 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री स० कुण्डू** (बालासोर) : मैं अपने संशोधन संख्या 424 और 425 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** ( मन्दसौर ) : मैं अपना संशोधन संख्या 491 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर) : विधेयक में परिच्छेद तीन उचित स्थान पर नहीं है। खंड 20 में कहा गया है कि यह विधेयक किस आकार के उद्योगों पर लागू होगा। इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि यह उन उपक्रमों पर लागू होगा जिनकी कुल आस्तियां 20 करोड़ रुपये से अधिक होंगी। इसमें आस्तियों की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि आस्तियों का हिसाब दायित्वों को कम करके लगाना जाना चाहिए था बिना कम किये, यदि दायित्वों को उसमें से कम न किया गया तो शुद्ध आस्तियों का पता नहीं चलेगा।

मेरा सुझाव है कि यह परिच्छेद केवल शक्तिशाली उपक्रमों के समूहों पर लागू होना चाहिए और आस्तियों का हिसाब दायित्वों को कम करके लगाया जाना चाहिए।

**Shri Deven Sen** (Asansol) : I am moving my amendment No, 130 in which it has been said that the limit of Rs. 5 crores should be fixed instead of Rs. 20 crores as it exists in the Bill. If the limit of Rs. 20 crores is there only 33 big business house out of 75 houses can be brought under the purview of this Bill. For example big firms like M/S Turner Morrison and Jaipura can not be brought under its purview. The object of checking monopoly will not be achieved if the limit of Rs. 5 crores is not fixed instead of 20 crores as is envisaged.

**Shri Shiv Chandra Jha** : My amendment is similar as the amendment of Shri Deven Sen was. In this connection I would like to say if the Government really want to control the monopoly, they should not leave any loop holes in the law, To achieve this objective the limit of Rs. 5 crores should be fixed instead of Rs. 20 crores so that a large number monopoly houses may be brought under the purview of this Bill

I have said in my another amendment to the second part in which it has been said that where it consits of more then one undertaking. the sum total of the value of the inter-connected undertakings constituting the dominant undertaking is not less than one corre of rupees. I would like to say that the Government are leaving a big loophole for monopolies. If the Government really like to achieve the object of this Bill, the amount should be Rs. 50 lakhs instead of Rs. 1 crore.

**Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad)** : Capitalist means producer. Therefore we should not try to eliminate the capitalists in the name of socialism. Such action will be very harmful for the country. I beg to submit that after 'assets' excluding the value of buildings' should be inserted because building does not produce anything.

The limit of Rs. 20 crores should be brought down to a reasonalle extent. I am totally against the monopoly whether it may be private monopoly or communistic or state monopoly.

**श्री लोबो प्रभु** : मैं समझता हूं कि उपक्रम शब्द के स्थान पर 'व्यक्ति' शब्द होना चाहिए। किसी उपक्रम में हजारों अंशधारियों का धन लगा रहता है। अतः वह आर्थिक शक्ति का विषय कैसे बन सकता है। इस सम्बन्ध में एकाधिकार आयोग ने स्पष्ट कहा है कि बड़ी कम्पनियों के अपने आर्थिक पहलू होते हैं। वे उपभोक्ताओं के लाभ के लिये सस्ती वस्तुएं बना सकती है। इस आयोग ने यह भी कहा है कि बड़ी कम्पनियां योग्य विशेषज्ञ रख सकती हैं,

और अच्छा माल बना सकती है। देश में आर्थिक प्रगति इन बड़ी कम्पनियों के कारण ही हुई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए न कि उपक्रमों पर।

कम्पनियों पर नियन्त्रण के लिये सरकार के पास कम्पनी कानून आदि अनेक व्यवस्था है। आज कम्पनियों में जो भी गड़बड़ होती है वह कानून को उचित ढंग से लागू न किये जाने के कारण होती है। सरकार को व्यक्तियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। देश में एक करोड़ रुपये से अधिक धन कर देने वाले व्यक्तियों की संख्या 1964-65 में केवल 20 थी। आप ऊपर नियन्त्रण रख सकते हैं। माननीय सदस्य दांडेकर ने उचित ही कहा है कि इस विधेयक में परिच्छेद चार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन पर नियन्त्रण रखने के लिये अन्य अनेक साधन विद्यमान हैं।

**श्री वेणी शंकर शर्मा** : आज हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उत्पादन बहुत कम होता है। हमने विदेशों से पर्याप्त सहायता ली है, कि उसके अनुपात में देश में उपभोक्ता तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ा है।

यह कहा गया है कि यह परिच्छेद आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये रखा है। इससे यह स्पष्ट है कि यदि धन कर और आयकर की वसूली पूरी तरह की जाये तो देश में कोई भी करोड़पति नहीं रह सकता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि आयकर और धन कर की बसूली सही ढंग से की जाये। यदि इन खण्डों को रखा जायेगा तो देश के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जो कि पहले ही बहुत कम होता है। हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इन उपक्रमों के नियंत्रक ईमानदारी से जनता के हित में उत्पादन करें।

**श्री स० कुण्डू** : इस विधेयक की सार्थकता इस बात में है कि इसे कारगर ढंग से लागू किया जाये। यदि सरकार यह समझती है कि 20 करोड़ रुपये से अधिक आस्तियों वाले उपक्रमों के कारण ही आर्थिक केन्द्रीकरण होता है तो हम सोच सकते है कि सरकार किस प्रकार के समाजवाद की बात सोचती है। मैं समझता हूँ कि इससे आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को नहीं रोका जा सकता है।

किसी देश का औद्योगिक विकास करने के लिए उसकी नींव ही औद्योगिक होनी चाहिये। पिछले 50 वर्षों में उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास की ओर ध्यान न देकर अपने लाभ की ओर ही दिया है। देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक शक्ति के रोकना आवश्यक है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा घटा कर 2 करोड़ रुपये निर्धारित की जानी चाहिए। देश में 20 करोड रुपये की आस्तियों वाले बहुत कम उपक्रम हैं और उन्हीं के हाथ में आर्थिक शक्ति केन्द्रित है। एक स्वचालित मशीन हजारों कर्मचारियों का स्थान ले सकती है। अस्तियां एक दो लाख से अधिक नहीं हो सकती हैं। परन्तु वास्तव में औद्योगिक उत्पादन के मामले में, लगभग एक करोड़ रुपये पर आपका नियन्त्रण होगा। यह समझना तब तक भ्रामक है, जब तक कि इसे दो करोड रुपये नहीं कर दिया जाता है। वे इससे कम के लिये सहमत नहीं होंगे। अतः मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** (मंदसौर) : यह खण्ड बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु मैं इसके एक पहलू पर जोर देना चाहूँगा । मैंने इस विधेयक को कई बार पढ़ा है परन्तु मुझे 'आर्थिक शक्ति के जमाव', जिसे कि सरकार नियंत्रित करना चाहती है, 'सार्वजनिक हानि' और 'लोकहित के विपरीत' शब्दों की कहीं परिभाषा नहीं मिली है । इस तरह का कानून शायद किसी भी देश में नहीं पाया जाता है । इस उपबन्ध से समाजवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलने जा रहा है अपितु इससे आर्थिक प्रगति रुक जायगी । इस विधेयक से तथा दत्त लाइसेंस समिति की हानिकारक सिफारिशों की कार्यान्विति से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसमें कोई आस्तियों को नहीं बढ़ा सकता है । इससे औद्योगिक विकास रुक जायेगा और इसके परिणाम स्वरूप रोजगार तथा आय में वृद्धि नहीं होगी । इस तरह के उपबन्ध से तो केवल साम्यवादियों को लाभ हो सकता है । एकाधिकार को समाप्त करने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसे जरूर रोका जाय, परन्तु आर्थिक विकास के आधार पर ही प्रहार नहीं किया जाना चाहिये ।

सरकार के अनुसार यदि आस्तियों में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि धन के जमाव में वृद्धि हुई है । आस्तियों की बात करना हास्यास्पद है । सरकार का कहना है कि अर्न्तसम्बद्ध उपक्रमों की आस्तियां 20 करोड़ रुपये और मुख्य उपक्रमों की आस्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि से देखा जाए तो एक करोड़ रुपये वाला उपक्रम बौने से भी तुच्छ है । भारतीय मापदण्डों की दृष्टि से भी एक करोड़ रुपये की आस्तियों वाला उपक्रम एक साधारण मध्यम आकार का उपक्रम माना जाता है । जबकि सरकार ने एक प्रमुख उपक्रम के लिये एक करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की है और एक उद्योग समूह के लिये 20 करोड रुपये की सीमा निर्धारित की है । मेरा मूल तर्क यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आर्थिक विकास में रुकावट न आए । इसलिए मैंने 20 करोड़ रुपये के स्थान पर 50 करोड़ रुपये और 1 करोड रुपये के स्थान पर 10 करोड रुपये रखने का सुझाव दिया है । यह सिद्ध करने का भार उद्यमियों पर नहीं होना चाहिये कि उद्यम के विस्तार से आर्थिक शक्ति का जमाव नहीं होने वाला है । इस तरह की बात करना हास्यास्पद है ।

अमरीका में न्यास विरोधी कानूनों के बारे में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे मामलों में न्यायिक घोषणा करते समय, "तर्क बुद्धि" से काम लिया जाना चाहिये, और दूसरे, आकार का बड़ा होना कोई अपराध नहीं है । आधुनिक प्रौद्योगिकीय युग में उद्योगों का विस्तार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है । इस विधेयक में जिस तरह की व्यवस्था की गई है उससे उद्योगों का विकास रुक जायेगा और निर्यात कम हो जायेगा क्योंकि उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे ।

अमरीका में इस्पात के एक मामले के बारे में जो निर्णय सुनाया गया है वह तीसरा सिद्धान्त है अर्थात समुदाय की भलाई । यदि कोई उपक्रम सुचारू रूप से काम कर रहा है और वह लोक हित में है या समाज की भलाई कर रहा है तो कोई कारण नहीं कि यह कानून उस पर लागू किया जाये । इस विधेयक को तैयार करने में इन तीनों सिद्धान्तों को ध्यान में नहीं

रखा गया है। मेरी राय में इस विधेयक से राष्ट्रहित होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सीमा को इस हद तक बढ़ा दिया जाये जिससे हानि कम से कम हो।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** (जालोर) : इस विधेयक द्वारा उपक्रम समूह के लिए 20 करोड़ रुपये और एक प्रमुख उपक्रम के लिये 1 करोड़ रुपये की आस्तियों की सीमा लगाई जा रही है। क्या इन आस्तियों में कारबार में लगाई गई पूंजी तथा बैंक से उधार ली गई राशि भी शामिल होगी ? विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार बैंकों से उधार ली गई राशि, बाजार से उधार ली गई राशि, तथा जमा राशि भी पुनर्नियोजित किए जाने पर आस्तियों का ही अंश समझी जायेगी। यह बड़ा ही हास्यास्पद है। मन्त्रालय को कम से कम यह तो सुधार कर ही देना चाहिये था कि केवल शुद्ध आस्तियों पर ही यह सीमा लागू होगी। परन्तु ऐसा नही किया गया है। एक करोड रुपये की आस्तियों से क्या उत्पादन हो सकता है ? यहां तक कि मध्यम आकार के उर्वरक कारखाने के लिए भी लगभग 40 करोड रुपये चाहिये और सरकार 20 करोड़ रुपये की सीमा लगाने जा रही है। यदि कोई उद्यमी अपने उद्यम से अपने कारोबार का विस्तार करता है या बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिये ? उसके इस प्रयास को रोकना हास्यास्पद प्रतीत होता है। यदि कोई उद्यमी अपने कारोबार का विस्तार नहीं करेगा या उसे ऐसा नहीं करने दिया जायेगा तो देश की अर्थ व्यवस्था टप्प हो जायेगी। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को आस्तियों की परिभाषा सम्बन्धी श्री कोठारी के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह अध्याय अनावश्यक है, कि खण्ड 20 में उल्लिखित आस्तियों की सीमा कम है और उसे बढ़ा कर 50 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये और प्रमुख उपक्रमों के मामले में 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। दूसरे वर्ग ने इसे घटा कर 5 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रु० से कम करने का सुझाव दिया है।

यह एक गलत धारणा है कि आर्थिक शक्ति के जमाव से उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के अध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा कि आर्थिक शक्ति के जमाव से उत्पादन घटता है।

श्री कोठारी ने कुछ शब्दावलियों की परिभाषा का प्रश्न उठाया है। मुझे आश्चर्य है कि उन जैसे अनुभवी सदस्य ने यह बात उठाई है। "कामन डेट्रीमेंट" (सार्वजनिक हानि) शब्दावली का संविधान की धारा 39 (ग) में उल्लेख है। ये शब्दावली संविधान से ही ली गई है। इस विधेयक में जिन अन्य शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, श्री कोठारी को किसी अधिनियम को देखने पर पता चल जायेगा कि इन शब्दावलियों की न्यायालयों द्वारा परिभाषा की जा चुकी है। इसलिए मुझे इस बारे में अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : "आर्थिक शक्ति के जमाव" की परिभाषा क्या है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** खण्ड 20 और आगे के खण्डों में इसकी जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार 'आर्थिक शक्ति' का अर्थ वह शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति देश के वित्तीय तथा अन्य संसाधनों और उत्पादन साधनों को एकत्र कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास चाहे जितना भी धन हो, परन्तु वह आर्थिक शक्ति का जमाव नहीं है। निजी दौलत इसके अन्तर्गत नहीं आती। इसके अन्तर्गत वह दौलत आती है जिसके द्वारा आप उन संसाधनों को नियंत्रित कर सकते हैं जिनसे समाज को लाभ होता है।

श्री पाटोदिया ने इसे एक हास्यास्पद विचार की संज्ञा दी है। यद्यपि मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है तो भी मैं उनका ध्यान दिसम्बर 1968 के रिजर्व बैंक बुलेटिन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि बैंकों से अग्रिम राशि किस प्रकार ली गई थी। लगभग 2717 करोड़ रुपये के कुल ऋणों तथा अग्रिम राशियों में से 437 खातों द्वारा 23 प्रतिशत ऋण तथा अग्रिम राशियां ली गई है। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि समाज के कुछ वर्गों के पास कितनी अधिक आर्थिक शक्ति है और वे समुदाय के जीवन पर कितना नियंत्रण लगा सकते हैं। आर्थिक शक्ति के जमाव से हमारा यही तात्पर्य है, जिसकी और अधिक व्याख्या करना मैं जरूरी नहीं समझता। मूल बात जो उठाई गई है वह यह है कि इस अध्याय की क्या आवश्यकता है? यदि इस विधेयक से इसे हटा दिया जाए तो इस विधेयक को पास करना ही बेकार है। जब तक एकाधिकार को आर्थिक शक्ति के संचय के संदर्भ में नहीं सोचा समझा जायेगा तब तक एकाधिकार विधेयक पास करने का कोई अर्थ ी नहीं है। इसलिए इसे सोच समझ कर जोड़ा गया है और संयुक्त समिति में इस मामले पर विचार किया जा चुका है।

जहां तक आस्तियों के मूल्यांकन का प्रश्न है, श्री कुण्दू और अन्य माननीय सदस्यों ने 20 करोड़ रुपये की राशि को और अधिक घटाये जाने के कारण बता कर मेरा बोझ काफी हल्का कर दिया है। जब एकाधिकार आयोग ने सारे व्यापार समूहों का विश्लेषण किया था, तो 5 करोड़ रुपये के आधार पर वे 75 की संख्या पर पहुंचे थे और हमने सोचा कि एकाधिकार विधेयक का तभी कोई अर्थ हो सकता है जब उनमें से कम से कम आधे तो इसके अन्तर्गत आ जायें। इसलिए हमने प्रयोग के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा रखी है और यदि इस विधेयक को लागू करने के बाद यह आवश्यक समझा गया तो श्री कुण्दू और श्री झा के सुझाव पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत, कुछ विनियमों का पालन किया जाना था और इस मामले के कुछ पहलुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना था। कुछ विशिष्ट मामले हैं जिनमें व्यापार समूह आस्तियों की एक विशेष सीमा 20 करोड़ रुपये पर पहुँच जाती है, तब हमें वित्त तथा अन्य पहलुओं पर विचार करना होता है अन्यथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम ही स्थिति से निपट सकता था।

श्री कोठारी ने एक प्रश्न यह उठाया था कि हमने यह सिद्ध करने का भार, उपक्रम पर डाला है कि क्या इससे आर्थिक शक्ति का जमाव होगा या यह लोक हित के विरुद्ध होगा। यदि वह उपबन्धों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि सम्बन्धित उपक्रम को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया हुआ है। यदि अध्याय 3 के अन्तर्गत सरकार कोई

आदेश पास करती हैं तो देश के उच्चतम न्यायालय में उसके विरूद्ध अपील की जा सकती है। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है। मुझे आशा है सभी माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले लेंगे।

**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या 80 मतदान के लिए रखता हूं।

**श्री शिवचन्द झा** : मैं विभाजन चाहता हूं।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 80 मतदान के लिए रखा गया।**
**Amendment No 80 was put to vote**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**
**The Lok Sabha divided**

| पक्ष में 14; | विपक्ष में 101 |
|---|---|
| Ayes 14 | Noes 101 |

**संशोधन अस्वीकृत हुआ**
**The amendment was negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 491 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ**
**Amendment No 491 was put and negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**
**All other amendments were put and negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया**
**Clause 20 was added to the Bill**

**खण्ड 21**

**श्री मो० इ० मसानी** (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 38 और 82 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री देवेन सेन :** मैं अपने संशोधन संख्या 131, 132 और 133 प्रस्तुत करता हूं।

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna) : I beg to move my amendments Nos. 178 and 179.

**श्री नन्द कुमार सोमानी :** मैं अपने संशोधन संख्या 194 और 195 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री कंवरलाल गुप्त :** मैं अपने संशोधन संख्या 333, 334 और 335 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** मैं अपने संशोधन संख्या 492 और 493 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** कुछ उपक्रमों को अपने उपक्रमों का विस्तार करने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा लाइसेंस दिये हुए हैं। ऐसे उपक्रमों पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाना चाहिये। इन लाइसेंसों के दिये जाने से पहले सभी बातों को ध्यान में रखा गया था। यह कहा गया है कि उत्पादन से 25 प्रतिशत से अधिक का विस्तार बड़ा विस्तार समझा जायेगा। इसकी परिभाषा उचित रूप से नहीं की गई है। किस वर्ष के उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक; इस बारे में उपबन्ध स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए ही मैंने यह संशोधन दिया है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री उसे स्वीकार कर लेंगे।

**Shri Shiv Chandra Jha :** I have objected to the figure of being kept at Rs. 20 crores and after allowing 25 percent expansion it would come to Rs. 25 crores which is very high. I therefore suggest that 10 percent should be substituted in place of 25 percent.

**श्री नन्द कुमार सोमानी :** उपक्रमों के विस्तार के बारे में कोई उपबन्ध बनाते समय हमें विश्व में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। निर्यात के हित में हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिये। इस वर्ष अप्रैल से हमारा निर्यात बहुत कम हो गया है और इसलिए हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे निर्यात पर कुप्रभाव पड़े। यह खण्ड न केवल 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक आस्तियों वाली कम्पनियों अपितु एक करोड़ रुपये की आस्तियों वाली छोटी कम्पनियों पर भी लागू होगा। इससे वे कम्पनियां सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगी। इतने सारे नियमों तथा विनियमों के होते हुए इस खण्ड की आवश्यकता ही क्या थी ? मेरा सुझाव है कि उन कम्पनियों को, जो अपनी विस्तार क्षमता का अधिक भाग निर्यात करने का वचन देती है, इस उपबन्ध की क्रियान्विति से छूट देदी जाये। मैं नहीं समझता कि सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो सकती है।

मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात प्रधान कम्पनियों को उन कम्पनियों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो देश में विक्रय के लिए उत्पादन करती है। ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सके। मन्त्री महोदय को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**Shri Deven Sen :** I have moved my amendment for deletion of the word "substantial" in line 23 and 35 at page 13. The object of this amendment is to remove the confusion which is likely to be created by the presence of this word.

**Shri Ramavatar Shastri** : My amendment too seeks to substitute the words "10 percent" wherever the words "25 percent" occur in clause 21. We should not leave any loopholes, for the small entrepreneurs as well. It is necessary to keep them under check and do not allow them to capitalise due to these loopholes.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : By suggesting the addition of the words "But the Central Government shall record reasons in writing for such order", I aim at preventing the Government from acting according to its own whims and fancies. The Government will give permission to the so-called progressive industrialidts who are dlancing to its tunes and refuse permission to those who are opposed to it. Therefore I snggest that the Government should state the reasons while granting permission for expansion or refusing such a permission. I think that the discretionary power of the Government should be kept under check.

By my amendment No. 334, I want that the report should be given within a period of three months.

Through my amendment No. 335 I suggest that the Government should go by the verdict of the commission. They should record the reasons in writing in case they differ with the recommendation of the commission. Government cannot be left free to act according to its whims.

Monopolies are the creation of the unfettered powers of the Government. The Ministers, the top officials and the industrialists all have conspired to create monopolies and concentration of economic power. I can prove this. Who have the expenses of the requisitioned session of the A. I. C. C. ? You talk of socialism and requisition a meeting of the AICC to chalk out a programme for bringing about socialism. But the capitalists chalked out this pr. gramme and bo.e the expenses on food and other things. This is my charge. I have genuine fears that if unfettered powers are given to the Government, they will misuse them. Hernce my amendments.

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : मानलो कोई कम्पनी अपनी निर्धारित क्षमता पर काम नहीं कर रही है अपितु उसके कुछ भाग को ही प्रयोग में ला रही है । अगले वर्ष वह कम्पनी अपना उत्पादन 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ा देती है हालांकि वह उसकी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक नहीं है । तो क्या ऐसी कम्पनी भी इस खण्ड की क्रियान्विति के अन्तर्गत आ जायेगी ? देश में बहुत सी कम्पनियां अपनी पूरी क्षमता को प्रयोग में नहीं ला रही है और यदि वे पूरी क्षमता में उत्पादन आरम्भ कर दें तो वह देश के हित में होगा । यह बहुत ही ठोस तर्क है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

ऐसी ही बात चीनी मिलों के बारे में भी उत्पन्न हो सकती है किसी वर्ष चीनी मिल 100 दिन गन्ना पेरती हैं और किसी वर्ष 140 या 150 दिन । यह गन्ने के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है । क्या उन पर भी यह खण्ड लागू होगा ? इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

तीसरे किसी कम्पनी को पहले से ही औद्योगिक लाइसेंस या आशयपत्र दिया जा चुका है और उसने उस परियोजना पर 1 लाख से अधिक रुपया भी खर्च कर दिया है । ऐसे मामलो में इस विधेयक के अन्तर्गत, मंजूरी लेने के लिए उद्यमियों को आयोग या सरकार के सामने जाने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । मेरा विश्वास है कि सरकार राष्ट्रीय हित में

काम करना चाहती है और यह भी चाहती है कि उत्पादन बढ़े। इसलिये उसे इन सब आकस्मिकताओं के बारे में विचार करना चाहिए।

**Shri Ramavatar Shastri :** By my amendment No. 179, I seek to add the words "goal of socialism" after the words "public interest" wherever they occur in (3) (a). All people whether they belong to the Swatantra party or other capitalist classes-talk of public interest. Therefore I want to make it very specific. Hence this amendment.

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** खण्ड 55 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है और अपील किये जाने पर सरकार को कारण बताने पड़ेंगे। इसलिये उससे श्री कंवरलाल गुप्त की शंका का समाधान हो जाता है।

श्री पाटोदिया ने पूछा है कि क्या इस विधान को पीछे की तिथी से लागू किया जायेगा। जब तक किसी विधान में इस तरह की विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक उसे भावी तिथि से लागू समझा जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने 25 प्रतिशत विस्तार सम्बन्धी परिभाषा का प्रश्न उठाया है और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस प्रतिशत को कम किया जाये। पर्याप्त विस्तार शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो विस्तार का प्रत्येक मामला, सरकार के पास आता है। इसलिये "पर्याप्त" शब्द का प्रयोग करना पड़ा और उसे 'व्याख्या' द्वारा और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। जो भी उपक्रम विस्तार करना चाहेगा उसे यह पता होगा ही कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस के अधीन उसकी क्षमता कितनी है और उसने कितनी आस्तियां दिखाई हैं। इसलिये इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि यदि कोई उद्योग अपने यन्त्रों को अधिक कौशल से प्रयोग में लाता है और अधिक उत्पादन करता है, तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए ही तो 25 प्रतिशत विस्तार की व्यवस्था की गई है। निर्यात करने वाले उद्योगों आदि के बारे में खण्ड 28 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त दिये गये है और सरकार तथा एकाधिकार आयोग विस्तार सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करते समय उन्हें ध्यान में रखेंगे।

इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले लें।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**The amendments were put and negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted**

**खण्ड 21 को विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clausse 21 was added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा ने स्वीकार कर लिया था कि इस पर चर्चा 5 बजे समाप्त कर दी जायेगी। अब पांच बजने में पांच मिनट हैं, अतः चर्चा समाप्त की जाती है।

प्रश्न यह है कि :

खण्ड 22 से 67 विधेयक का अंग बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted**

**खण्ड 22 से 67 को विधेयक में जोड दिया गया।**

**Clause 22 to 67 were added to the Bill.**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड दिये गये।**

**Clause 1, the enacting Formula and the Title were then added to the Bill.**

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**अध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा छः बजे समाप्त होनी है। सदस्यों को बोलते समय अपना ध्यान रखना चाहिए।

**श्री हिम्मत सिंहका** : खण्ड 37 को जो कि अब खण्ड 38 हो गया है बिलकुल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक आयोग संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाओं को लोक हित के विरुद्ध समझा जायेगा। अतः पंजीकृत सभी करारों को तबतक लोक हित के विरुद्ध समझा जायेगा जबतक कि आयोग किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता है। अतः नया खण्ड 38 निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाओं की परिभाषा के विरुद्ध है और यदि इसको किसी न्यायालय में चुनौती दी गई तो यह वहां पास नहीं हो सकेगा। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति पर विचार करेंगे।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** (जालौर) : हम सरकारी अथवा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के एकाधिकार के विरुद्ध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ संशोधन दिये थे परन्तु सरकार ने अभी तक किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया है।

हमारा मुख्य संशोधन यह था कि विधेयक के उपबन्धों को समूचे क्षेत्र पर लागू किया जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस विधेयक का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

आज सुबह माननीय मन्त्री ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को लोक हित के लिए ही स्थापित किया गया है और इसमें एकाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात सच्चाई के बिल्कुल विरुद्ध है। एकाधिकार वाली सभी फर्म सरकारी क्षेत्र में हैं जो कि उपभोक्ताओं, देश तथा अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक है। इस बारे में भारत के खाद्य निगम का उदाहरण दिया

जा सकता है। इस निगम का अपने क्षेत्र में शत प्रतिशत एकाधिकार है। पश्चिमी बंगाल में मिलों से 106 रुपये पर चावल खरीद कर 128 रुपये पर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है और इसमें से परचून विक्रेता को 3 रुपये कमीशन भी दिया जाता है। इस प्रकार भारत का खाद्य निगम 17 प्रतिशत का शुद्ध लाभ अर्जित कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य श्री एस० सुन्दरम् ने आन्ध्र प्रदेश में एक प्रेस कन्फ्रेन्स में कहा है कि भारत के खाद्य निगम द्वारा चावल की मिलों को सड़ा हुआ माल खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

इसी प्रकार जीवन बीमा निगम तथा भारतीय उर्वरक निगम के उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परन्तु इन सभी तथ्यों के बावजूद इस विधेयक में सरकारी उपक्रमों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार विदेशी फर्मों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने की अनुमति दी गई है। परन्तु इस विधेयक में भारतीय फर्मों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। अतः इससे भ्रष्टाचार तथा अदक्षता पनपेगी।

इंग्लैण्ड में एकाधिकार आयोग ने प्रतिबन्ध लगाने के स्थान पर बड़ी बड़ी फर्मों के विलय की अनुमति दी है ताकि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाकर उत्पादन लागत को कम कर सकें और जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को लाभ हो सके तथा निर्माता निर्यात के लिए प्रतियोगिता कर सकें। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक में आवश्यक सुधार करें।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** (मंदसौर) : आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में जमाव को रोकने के उपाय तथा इस बारे में अत्यधिक चिन्ता की बातें और आर्थिक विकास की बातें साथ साथ नहीं चल सकती। बर्मा ने इस बारे में समाजवादी अथवा साम्यवादी उपाय अपनाये थे। इनसे वहां पर विषमता तो कुछ कम हो गई है परन्तु आर्थिक विकास रुक गया है और उनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतया नष्ट हो गई है।

हम देख रहे हैं कि पिछले दो अथवा तीन वर्षों से हमारी सरकार भी एकाधिकार, निबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं तथा आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में जमाव को रोकने के लिए विधेयक ला रही है। परन्तु इसका प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है और देश के विकास में स्थिरता आ गई है। मैं इस बारे में सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि दो अथवा तीन वर्षों में यह सब बातें सरकार पर उलटी पड़ेगी।

सरकार उपक्रमों को इतना अधिकार भी देने को तैयार नहीं है कि वे एकाधिकार आयोग की अनुमति के बिना अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन कर सकें। यदि आगामी चार अथवा पांच वर्षों के पश्चात किसी एक वर्ष में फसल कम हुई तो देश में मूल्यों में वृद्धि हो गई और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि सरकार उत्पादन बढ़ाने तथा पूंजी निर्माण की अनुमति नहीं दे रही है। यदि सरकार की यही नीति रही तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जबकि हमारा आर्थिक विकास पूर्णतया रुक जायेगा और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे को जायेगी।

आर्थिक विकास के साथ परिसम्पत्ति का बढ़ना आवश्यक है, यदि कोई उद्योग लोगों को रोजगार देता है तो उसको उत्पादन हेतु अपनी परिसम्पति में वृद्धि करनी होगी परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वहां पर आर्थिक शक्ति का जमाव हो गया है। पारिसम्पति में वृद्धि नहीं बल्कि इसका गलत प्रयोग हानिकारक है और सरकार को इसे रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। यदि सरकार ऐसा कोई विधेयक लाती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। सरकार किसी भी समय किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, परन्तु मेरा निवेदन है कि वह पहले उद्योग का विकास होने दे तब उसका राष्ट्रीयकरण करें। राज्य व्यापार निगम तथा जीवन बीमा निगम जैसे अनेक निगम अपनी एकाधिकार की शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं। अतः इस विधेयक को सरकारी क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिए।

**Shri Shiv Chandra Jha** (Madhubani) : Although the drafting of the Bill is not good yet the Government have not accepted even one of the five hundred amendments moved. Even then I support this Bill because I feel that though this Bill the Government have taken some steps to control the monopolies.

Mr. Masani has given some meanings of the word monopoly from chambers dictionary. In this connection I would simply say that the word monopoly has some different meaning in economics then those given in the chambers' dictionary. I would advise Shri Masani to read the book of Shri Ashok Mehta in which he has stated that "you have heard of Matrya Nyayer. A big fish lives on small fish. Under capitalism too this law operates. There is a constant pressure is favour of the emergence of a monopoly. Under capitalism there is a persistent, irresistable effort on the part of the entrepreneurs to build up monopolies, to raise profits and thereby make competition imperfect."

Seventy-five families are controlling the economy in India. This is the real picture of the concentration of monopolistic and economic power in India.

Nothing has been provided in this Bill to control the monopolistic tendencies in the press. Unless this is done, we cannot create socialistic atmosphere in the country. This Bill is a timid one but I still support it because something is better than nothing.

**श्री स. कुण्डू** (बालासौर) : इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से देश में एकाधिकार के विकास को पूरी तरह नहीं रोका जा सकेगा। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा एकाधिकार अथवा आर्थिक शक्ति के जमाव की समस्या बिल्कुल पृथक है। विकसित देशों में मजदूर लोग प्रेस तथा संसद द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं परन्तु विकासशील देशों में जहां 80 से 90 प्रतिशत लोग अनपढ़ होते हैं वहां आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में जमाव राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक होता है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे जैसे विकासशील देश में बड़े बड़े व्यापार गृहों ने औद्योगिक विकास को उन्नति दी है। मैं समझता हूं कि भारतीय व्यापारियों ने ब्रिटिश शासन तथा स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के आर्थिक विकास की अपेक्षा अपने लाभ की ओर अधिक ध्यान दिया है। अमरीका में

फोर्ड कम्पनी ने लोगों की सहायता के लिये संस्थान स्थापित किया है और अफ्रिका में बड़े बड़े व्यापारियों ने सड़कों का निर्माण कराया है। परन्तु भारतीय व्यापारियों ने सदा अपने लाभ की ओर ही ध्यान दिया है। उन्होंने देश तथा जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

निर्यात के नाम पर बड़े बड़े व्यापारी ही अनेक सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं परन्तु लघु उद्योगों और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां है। उनके लिए जीवित रहना कठिन हो रहा है। इस मामले की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है,

बेरोजगारी की समस्या गम्भीर रुप धारण करती जा रही है। कुछ ही वर्षों में 400 लाख लोग बेरोजगार के हो जायेंगे, इस समय भी लगभग एक लाख इन्जीनियर तथा अन्य तकनीकी व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस समस्या को हल करने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैंने संशोधन दिये हैं।

**श्री अहमद आगा** (बारामूला) : हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र सामान्य हित के लिए ही है। यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी एकाधिकार जांच आयोग तथा पत्र आयोग के प्रतिवेदनों से पता लगता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने उतना अच्छा काम नहीं किया है जितने अच्छे काम की उनसे अपेक्षा थी। हमारा विचार था कि गैर-सरकारी क्षेत्र सामान्य हित को ध्यान में रखेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ है।

माननीय मंत्री ने ऐसा संकेत दिया था कि अंशों को इक्वीटी अंशों में परिवर्तित किया जाएगा। मैं स्वयं यह महसूस करता था कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि क्या सरकार उन कम्पनियों के प्रबन्ध में भाग लेगी जिनको ऋण के रूप में भारी राशि दी गई है। कम्पनियों के पास रिजर्व के रूप में भारी धनराशि रखी हुई है। इस को सरकार के पास अनिवार्य जमा खातों में रखने में क्या कठिनाई है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैर-आवश्यक मदों के निर्माण की क्षमता को बढ़ाने की अनुमति देना बन्द कर देगी। इस बारे में कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

लाईसैंस पद्धति को समाप्त करने तथा विनियन्त्रण के कारण क्षेत्रीय विषमता में और वृद्धि हुई है। जम्बू तथा कश्मीर में पैट्रोलियम देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक महंगा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तेल कम्पनियां विदेशों से तेल का आयात विश्व मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक मूल्य पर कर रही है। क्या यह काम इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सकता जिससे कि 5 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : I want to know whether Government have also evolved any machinery to see as to whether the monopoly is gradually reducing or not ?

**Shri Chandrika Prasad** (Ballia) : I welcome and support the Bill because I feel that it is a drastic measure to check the growth of monopoly. At present the economic power has been concentrated among the fifty family. The limit of Rs. 20 crores should be reduced further.

In my amendment I had suggested that five public workers should be taken in the proposed Commission. But the Government have made provision only for two.

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : संशोधन प्रस्तुत करने वाले अनेक सदस्यों को असंतोष हुआ है, क्योंकि उनको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल सका। इस विधेयक को पास करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने साढ़े दस घंटे का समय निश्चित किया था परन्तु इस सभा में चौदह घंटे व्यय हो चुके हैं। मैं इस बात के लिए इच्छुक था कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रुप में यहां भी पास हो जाये। मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करुंगा और यदि आवश्यक समझा गया तो विधेयक में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करुंगा।

विधेयक के मूल सिद्धान्तों तथा लक्ष्यों के बारे में सभा में दो राय हैं। एक राय इस विधेयक को पास किये जाने के विरुद्ध है। परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह राय केवल कुछ सदस्यों की ही है। अधिकांश सदस्यों ने विधेयक के लक्ष्यों का समर्थन किया है।

जैसा की कुछ माननीय सदस्यों ने कहा यह सच है कि यह विधेयक एकाधिकार को रोकने के लिए अधिक प्रभावशाली नहीं है और इसको अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए था। देश में एकाधिकार को बढ़ने से रोकना तथा यह देखना है कि एकाधिकार कम हुआ है कि नहीं, इस आयोग का काम होगा। परन्तु इस काम के लिए यह विधेयक ही पर्याप्त नहीं है हमें इस प्रवृति को रोकने के लिए अन्य उपायों पर भी विचार करना होगा। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि उत्पादन में वृद्धि हो ताकि हमें अन्य अनेक समस्याओं को हल करने में सहायता मिल सके। हमें अपने औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को तेज करना है ताकि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों जिनको स्वीकार किया गया है, प्राप्त किया जा सके।

स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों की ओर से जो संशोधन दिये गये हैं उनका उद्देश्य विधेयक की एकाधिकार को रोकने की शक्ति को कम करना है। उनका दूसरा प्रयास इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करना है। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि सरकारी उपक्रमों को एकाधिकार शब्द की परिभाषा के अर्न्तगत किस प्रकार लाया जा सकता है। हमें इस बात को यह महसूस करना चाहिए कि यह सभा सरकारी उपक्रमों की किसी भी समय जांच कर सकती है और उनको लोकहित के लिए ठीक मार्ग पर ला सकती है। परन्तु गैर सरकारी उपक्रमों में ऐसा नहीं किया जा सकता। गैर-सरकारी क्षेत्र सामान्य हित में काम नहीं करता। अतः इस मामले में हमारे विचार स्वतंत्र दल से बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री हिम्मतसिंहका ने खण्ड 38 का उल्लेख किया है। मेरे विचार में वही शब्दावली है जो कि ब्रिटिश कानून में है।

**श्री हिम्मतसिंहका** : यहां पर बात बिल्कुल भिन्न है। यहां पर सभी पंजीकृत करारों को तब तक बुरा समझा जायेगा जब तक कि आयोग उनके पक्ष में रिपोर्ट न दे दे।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : हम इस विधेयक में ऐसी त्रुटि नहीं रहने देना चाहते जिससे कि पंजीकृत करार जो सार्वजनिक हित में नहीं है इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में न आ सके।

मूल विधेयक के मूल उपबन्ध में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था थी जिनमें व्यापार प्रथा को सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझा जाता था परन्तु संयुक्त समिति ने यह महसूस किया कि इन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके आधार पर आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कोई करार सार्वजनिक हित के विरुद्ध है अथवा नहीं। परन्तु इस विधेयक में ऐसे संकेत दिये गये हैं जिनके आधार पर किसी करार को सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं समझा जा सकता। हमारा उद्देश्य आर्थिक अथवा औद्योगिक विकास को सीमित करना नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रवृत्तियों को रोकना है। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

---

## विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक सकल्प तथा विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

## STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ORIDNANCE AND FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL.

**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक तथा संकल्प पर साथ साथ विचार किया जायेगा। इसके लिए तीन घंटे का समय नियत किया गया है।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : While moving the disapprvoval motion I welcome the spirit of the Bill because I feel that it has been brought to check the tendency of under and over invoicing. But I also feel that the ordinance should not have been issued at the eve of the sitting of Parliament. It is against the democratic traditions. Secondly I feel that this Bill is incomplete in itself.

The problem of under invoicing and ovet invoicing is very complicated. The Government should have brought some comprehensive Bill which would have proved more effective. This is a piecemeal legislation.

The country is lossing crores of rupees in foreign exchange due to the collusion of politicians, high officials and corrupt industrialists. In this connection I may quote that a case of one silver smuggler was shelved as he happened to be a friend of the Chief Minister of Rajasthan and he had given some money to Rajasthan Government.

{ **श्री एम० बी राणा पीठासीन हुए** }
{ **Shri M. B Rana** *in the Chair* }

Even Mahesh Yogi has his corrupt in foreign countries and Government have failed to take any action against him. Moreover the Government have no machinery to find out the number of accounts of Indians in foreign countries name of such persons who are opearting those accounts. The Government also cannot force these persons to bring the accounts in our country. According to my information Government is lossing about one hundred crore rupees in foreign exchange every year in this way. It is an intimated racket and Government have failed to un-earthened it because influential people are involved in it. I do not think that there is even one case where the Government have confiscated the whole foreign exchange of the persons who violated the concerned rules.

The Government should appoint a high power commission to review the working of the foreign Exchange Control Act. The commission should be authorised to point out the loopholes therein.

I also want to suggest that the number of the persons violating the foreign Exchange Control rules should be published in the newspaper. Moreover their permits and licence should be cancelled. I think it will have deferent effect.

Some device should also be evolved to repatriate the foreign exchange because that there is no such device at present.

With these words I support the Bill and I feel that Government should have brought some comprehensive Bill.

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 की धारा 12 (1) के अनुसार लगाये गये प्रतिबन्धों को 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्ध समझा जाता था। इसके अन्तर्गत सीमाशुल्क अधिकारी निर्यात हेतु आये किसी भी सामान को रोक सकते हैं यदि घोषणा में उसका ठीक मूल्य न दिया गया हो। विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बताये गये नियमों के अन्तर्गत ऐसी घोषणा प्रपत्र जी. आर. पी. 1 ई. पी. में देनी होती है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इस धारा का प्रयोजन सीमित है कि पार्टी को घोषणा करनी चाहिए तथा इस माल के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा के भुगतान के लिए उचित समय तथा प्रक्रिया होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि इन सीमाशुल्क अधिकारियों को सामान रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं होता और सीमाशुल्क अधिकारी धारा 23 क के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सितम्बर में दिया था। अतः हमें खेद है कि हम इस विधेयक को शीघ्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

सरकार ने इस बात को वांछनीय समझा कि विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के लिए सामान को रोक लिया जाय तथा सम्बन्धित पार्टी के विरुद्ध धारा 23 क के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। इसी कारण अध्यादेश जारी करना वांछनीय समझा गया।

मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि श्री कंवर लाल गुप्त अपने भाषण में व्यक्तिगत मामले उठायेंगे। कल विधेयक पर चर्चा के रूप में उन के बारे में तथ्य बताने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों अर्थात व्यापक विधेयक लाने का प्रश्न, विदेशीमुद्रा को "रेकट" अथवा विदेशी मुद्रा की चोरी आदि मामलों का सम्बन्ध है, यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंधन हो रहा है। यही कारण है कि सरकार ने निर्णय किया है कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा वर्तमान घटनाओं को देखते हुए कानून को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। परन्तु अभी हम इस विधेयक के द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों की माल को रोकने की शक्ति को बहाल करना चाहते हैं।

यह एक छोटा सा विधेयक है। मुख्य खण्ड 2 है जिसको धारा 12(1) में परिवर्तन करने हेतु रखा गया है।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : माननीय मंत्री ने विदेशी मुद्रा नियत्रंण के कार्य संचालन की जांच हेतु उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना तथा दोषी व्यक्तियों के नामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

**श्री प्र० चं० सेठी** : मैंने पहले ही कहा है कि हम एक व्यापक विधेयक सभा के समक्ष रखेंगे। ऐसा करते समय हम इन सभी सुझावों को ध्यान में रखेंगे और विशेषज्ञों से परामर्श भी करेंगे। व्यापक विधेयक प्रस्तुत करते समय हम विनियमों के उल्लंघन के लिए किये जाने वाले जुर्मानों की बात को भी ध्यान में रखेंगे। व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि विभाग द्वारा श्री नेनमल पूजानजी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही क्योंकि उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री को कुछ धन दिया था। नेनमल पूजानजी के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है। कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया है और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इसके विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**सभापति महोदय** : सांविधिक संकल्प तथा विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं।

**सभापति महोदय** : श्री यशपाल सिंह के नाम से विधेयक को परिचालित करने के लिये संशोधन है। सदस्य महोदय यहां नहीं हैं।

**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : सभापति महोदय, इस विधेयक में निहित अभिप्राय: से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मेरा विचार है कि सरकार द्वारा अध्यादेश को लागू करना न्यायसंगत था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इस विभाग में काफी समय से चली

आ रही इस पद्धति को समाप्त किया जाये। यह निर्णय सितम्बर में दिया गया था; अच्छा होता यदि सरकार पहले ही इस विषय में कोई कार्यवाही करती और अमूल्य समय नष्ट न होता।

विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जाती इसीलिये विदेशी मुद्रा की भारी हानि उठानी पड़ रही है। आप कलकत्ता की 'न्यू मार्केट' अथवा दिल्ली या बम्बई की किसी भी दुकान पर चले जायें वहां आपको विदेशी वस्तुओं की भरमार मिलेगी। ऐसी वस्तुओं के आयात पर रोक लगी हुई है लेकिन ये व्यापारी अथवा दुकानदार इसे खुले आम बेचते हैं। यदि सरकार उचित कार्यवाही करे तो ऐसा कैसे हो सकता है? कलमें (फाउन्टेनपैन), ब्लेड, सूट के कपड़े, ट्रांजिस्टर, सोना—सभी चीजें धड़ल्ले से आ रही हैं।

प्रतिदिन हम सुनते हैं कि इतना स्वर्ण पकड़ा गया। किन्तु हमें यह पता नहीं कि ऐसा कितना स्वर्ण पकड़ा नहीं जा सका है। वस्तुतः दस में से केवल एक बार तस्करी का स्वर्ण पकड़ा जाता है। इस प्रकार बहुमूल्य मुद्रा की हानि हो रही है। इसलिये इस विषय में बहुत कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इन 'मार्केटों' (बाजारों) में रात-दिन विदेशी वस्तुएं प्रदर्शित की जातीं हैं और बेची जाती हैं। सीमा-शुल्क अधिकारियों को वहां नियमित रूप से छापे मारने चाहिये; उन्हें इस काम में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होनी चाहिये। ऐसे कदम उठाये बिना आप तस्करी को तथा उससे होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को नहीं रोक सकते।

केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। वे तो पहले ही बने हुए हैं। जुर्माना लगाने के सम्बन्ध में भी सीमा-शुल्क अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार दिये गये हैं; यहां तक कि वे किसी वस्तु के कुल मूल्य से भी तीन-चार गुना अधिक तक जुर्माना कर सकते हैं। वे वस्तुएं पकड़ सकते हैं और उन्हें जब्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार इन अधिकारियों के पास शक्ति तो है किन्तु विदेशी मुद्रा की विभिन्न प्रकार से की जाने वाली चोरी को रोकने के लिये उस शक्ति का उचित उपयोग करना भी आवश्यक है। इन कानूनी उपायों के साथ-साथ अन्य कदम उठाना भी नितांत आवश्यक है। इनके बिना कोई भी कानून प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस निरंतर होने वाली हानि की ओर दिलाना चाहता हूं और मेरा अनुरोध है कि वह इस दिशा में उचित कदम उठायें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**श्री के० एम० अब्राहम** (कोट्टयम) : सभापति महोदय, इस विधेयक का प्रयोजन क्या है? इसका उद्देश्य उन वस्तुओं के निर्यात को रोकना है जिनका विक्रय मूल्य सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा उस वस्तु के घोषित मूल्य से अधिक विदेशी मुद्रा विनियमों को जब से लागू किया गया है तभी से निर्यात की वस्तुओं के सम्बन्ध में कम कीमत का चालान तैयार करने और आयात की गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिक कीमत का चालान तैयार करने की प्रथा चल पड़ी है।

हमारे व्यापारियों के सम्बन्ध में और चाहे हम कुछ कहें किन्तु यह नहीं कह सकते कि वे देश के प्रति ईमानदार हैं। यह बात सर्वविदित है कि इन व्यापारियों के पास बाहर से कमाई हुई बहुत सी फालतू विदेशी मुद्रा है जिसके द्वारा इन्होंने देश में चोरी से लाये गये स्वर्ण तथा अन्य विलास की वस्तुओं के ढेर लगा दिये हैं और अब इन तस्करों की गतिविधियां इतनी अधिक बढ़ गयी हैं कि उनसे देश की आर्थिक स्थिरता को ही खतरा उत्पन्न हो गया है।

इसका कारण यह है कि हम विदेशी मुद्रा को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना कि दिया जाना चाहिये। इस प्रकार के सौदों से विदेशों में भारतीय मुद्रा की स्थिति कमजोर होती है और अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में हमारी मुद्रा के विनिमय-मूल्य में कमी आती है। यह दंडनीय राष्ट्रविरोधी तथा देशद्रोहात्मक कार्य है। जो व्यापारी ऐसा करते हुए पकड़े जायें उन्हें देशद्रोही समझा जाना चाहिये। वे दया के पात्र बिल्कुल भी नहीं हैं।

हमें मालूम है कि हाल ही के वर्षों में निर्यात की गयी कुछ वस्तुओं से उतनी विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी। यह भी पता चला है कि चाय का निर्यात करने वाली बहुत सी विदेशी कम्पनियां बहुत ही कम कीमत के चालान तैयार करती हैं। इसी प्रकार हल्के उद्योग की बहुत सी वस्तुएं जैसे सीने की मशीनें, साइकिल तथा फालतू पुर्जों आदि को उनके वास्तविक मूल्यों से बहुत ही कम मूल्यों पर निर्यात किया जाता है। मुझे इस बात की जानकारी है कि 'जैडिन हैंडर्सन एण्ड कम्पनी' ने आयात-निर्यात के मामले में देश को करोड़ों रुपयों की हानि पहुँचायी है। विदेशी सहयोग करारों के सम्बन्ध में जांच करने वाली समिति ने भी कहा है कि बहुत से विदेशी सहयोगकर्ता भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में काफी अधिक मूल्य के चालान तैयार करते हैं। इनके अध्ययन से पता चलता है कि घटिया स्तर की मशीनों को काफी ऊंची कीमत पर आयात किया जाता है।

विदेशी सहयोगकर्ताओं द्वारा करार की शर्तों के दुरुपयोग के सैकड़ों उदाहरण हैं। कच्चे माल को बहुत अधिक दाम देकर आयात किया जाता है यद्यपि उसका विकल्प भारत ही में उचित दामों पर उपलब्ध होता है। दूसरे, वे आवश्यकता के बिना ही मशीनों का आयात करते हैं। इन मशीनों का स्तर भी घटिया होता है। ऐसी ही अन्य बहुत-सी अनावश्यक वस्तुएं आयात की जाती हैं जिनसे राष्ट्र को कोई लाभ नहीं पहुँचता।

इस प्रकार स्पष्ट है कि देशी तथा विदेशी व्यापारियों और निर्माताओं की चालाकियों तथा अविवेकपूर्ण कार्यों से देश को विदेशी मुद्रा की भारी हानि हो रही है। विदेशी मुद्रा विनियमों से केवल ईमानदार और छोटे व्यापारियों को ही तंग किया जाता है। बड़े-बड़े मगरमच्छ ये विदेशी सहयोगकर्ता तथा एकाधिकारी इस लूट का सब माल हजम कर जाते हैं। मेरे विचार से सरकार को समस्त वैदेशिक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये तभी इस समस्या को सुलझाया जा सकता है और तभी देश के साधनों को इन लालची विदेशी एकाधिकारियों तथा काला बाजार करने वाले भारतीयों से बचाया जा सकता है।

**Shri S. C Jha (Madhubani) :** Mr. Chairman, Sir, I extend my support to the Bill so far as the matter of saving the foreign exchange is concerned. We have to

improve economic position of the country. Reports of the Government and Report of the Tiwari Committee show a deficit of Rs. 100 crores. Smuggling of goods and inability of the Customs officials to seize such goods is responsible for this deficit. Some drastic measures should be taken to check this menace. We have to take up this matter on war footing.

We need an efficient machinery for this purpose. In this Bill, you have empowered the customs authorities not only to take action against those who do not give a declaration of their goods but also to forfeit such goods. This is quite fit and proper but where is the guarantee that customs officials themselves would not indulge in collusion with them and that they would act with vigour and zeal. Large scale smuggling is going on in Indo-Pak and Indo-Nepal borders. This is to be checked firmly. At the same time this does not mean that our officers should act blindly; policy must be liberalised wherever necessary. Particular attention should be given to the students going abroad. Their demands are quite genuine and we should be liberalin providing foreign exchange to them. There are certain instances where students are actually saving the foreign exchange. They earn their livelihood by working there. You ought to keep all these things in mind.

Mr. Chairman, Sir, it is not enough to impose penalties only. Habitual offender should not be allowed to operate; their licences should be forfeited.

**इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 1969/28 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the December 19, 1969/Agrahayana 28, 1891 (Saka).**



डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर-3